लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 14.Oct.2015

(खंड 28 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमर जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 19, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	1-512
*तारांकित प्रश्न संख्या 385 से 404	1-110
अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600	110-512
सभा पटल पर रखे गए पत्र	513-523, 527
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	523
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	523
कार्यवाही सारांश	
"तम्बाकू जनित रोग" के बारे में दिनांक 18 मई, 2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री गुलाम नबी आजाद	524
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	524-527
(एक) (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	524-525
(ख) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	525
(दो) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	526
(तीन) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के.सी. वेणुगोपाल	526-527
संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012.	528
(नए अनुच्छेद 371ञ का अंत:स्थापन)	

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर में लिए नहीं लिया जा सका। अत: ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गए।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले.	528-539
(एक) केरल में संरक्षित स्मारकों के समीप भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. धनपालन	527
(दो) राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों के "जाट" समुदाय को केन्द्र सरकार की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन सिंह	530
(तीन) चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में कार्यरत आशा-कार्यकर्ताओं का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन्सेंटिव बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	530-531
(चार) "अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों" के वर्गीकरण के लिए पात्र मानदण्ड में बदलाव लाने हेतु ऐसी आबादी की मौजूदा 25 प्रतिशत की कट-ऑफ सीमा को कम करके 20 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीश चौधरी	531-532
(पांच) सरकारी परियोजनाओं को वरीयता दिए जाने तथा नेडुनूर में आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को गैस उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक नीति अपनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पोन्नम प्रभाकर	532-533
(छह) चेन्नई और मदुरै के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य किए जाने तथा तमिलनाडु के विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	533-534
(सात) लोक भविष्य निधि और डाक बचत स्कीमों के एजेंटों का कमीशन पुन: बहाल-किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	534
(आठ) मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	534
(नौ) असम के सिल्चर स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भू-स्थानिक केन्द्र के कार्यालय को शिलांग स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	535
(दस) राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रतनगढ़ सरदारशहर रेलवे लाइन के पश्चिम में नए भवन और रेलवे प्लेटफार्म को निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	535-536
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चौकीदार युक्त रेलवे समपारों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	536

विषय **कॉलम**

(बारह) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन राशि का पुनरीक्षा करने तथा उसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना पाटील गवली 536-537

(तेरह) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रायगिरि में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री पी. लिंगम 537

(चौदह) पृथक बोडोलैण्ड राज्य का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 538-539

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदनों से संबंधित प्रस्ताव 539-540

राष्ट्रगीत. 540

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 541

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 542-550

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 551-552

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 551-554

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

पूर्वाह्न 11.0$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री के.डी. देशमुख, श्री आधिशंकर, श्री एस. सेम्मलई, श्री पी. लिंगम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बच्चों और महिलाओं का गायब होना

***385. श्री पशुपति नाथ सिंह:**
श्रीमती इन्ग्रिड मेक्लोड:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में बाल सुधार गृहों/ आश्रय गृहों से बच्चों और महिलाओं के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में संबंधित एजेन्सियों द्वारा कितने छापे मारे गए हैं;

(ग) क्या इन गृहों से बच्चों और महिलाओं के इस प्रकार रहस्यमय तरीके से गायब होने के कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बाल सुधार गृहों/आश्रय गृहों में रह बच्चों तथा महिलाओं के अधिकारियों के संरक्षण, संवर्द्धन तथा सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को विगत हाल के दौरान बाल गृहों/आश्रय गृहों से कथिक रुप से गुमशुदा बच्चों के चार मामले प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने वर्ष 2009 और 2010 में गुमशुदा बच्चों की एक-एक शिकायत प्राप्त की और 2012 में दो शिकायतें प्राप्त की हैं।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने गुड न्यूज बाल गृह राम सागर चौक, पारालखेमुंडी, ओडिशा से पांच बच्चों के गुम होने की शिकायत 5.03.2010 को प्राप्त की। इस मामले को दिनांक 03.05.2010 को राज्य सरकार के साथ उठाया गया, जिन्होंने बताया कि गुमशुदा बच्चों का समाचार सच नहीं है।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को 08.01.2010 को अवन्तिका, रोहिणी, नई दिल्ली में आशा किरण बाल गृह से दो बच्चों के गुम होने के संबंध में एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई थी। निदेशक(समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से दिनांक 09.03.2010 को राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग द्वारा इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि दिनांक 11.08.2009 और 15.09.2009 को उक्त गृह से दो मानसिक रुप से अक्षम बच्चे भागे थे।

बाल कुंज आश्रय गृह, चछरौली, यमुना नगर, हरियाणा से दिनांक 30.05.2012 को बालिका के गुम होने संबंधी 04.06.2012 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार के मद पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिनांक 04.06.2012 को यह मामला हरियाणा सरकार के साथ उठाया गया, उन्होंने सूचित किया कि गुमशुदा बालिका को 07.07.2012 को फरीदाबाद में पाया गया और उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया।

एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज, राजपुरा, पटियाला जिले से चार बच्चों की गुमशुदी संबंधी शिकायत राष्ट्रीय मानक अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 18.07.2012 को प्राप्त हुई, जो भटिण्डा में पाए गए। राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग ने दिनांक 23.07.2012 को उपायुक्त, पटियाला तथा अपर उपायुक्त से इस मामले में 31.08. 2012 को रिपोर्ट मांगी।

गुमशुदा बच्चों और महिलाओं के आंकड़े राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं रखता है।

(ग) और (घ) बच्चों का मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित अवसंरचना, कार्मिक, चिकित्सा सुविधाएं सेवाओं की कमी के संदर्भ में पद्धतिपरक कमियों को एन.सी.पी.सी.आर. और जिला प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली और हरियाणा के मामलों में निर्दिष्ट किया गया है।

(ङ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 24(3) में गृहों में बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु देखरेख के न्युनतम मानक माने लागू करने के आशय से देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाने के उपबंध है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी गृहों में बच्चों को सर्वोत्तम देखरेख प्राप्त हो और उनके साथ दुर्व्यवहार तथा उनकी उपेक्षा न हो, महिला एवं विकास मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सभी बाल देखरेख संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने के साथ ही साथ जहां उपलब्ध नहीं है, वहां कार्यशील निरीक्षण समितियों का गठन करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहता आ रहा है। सरकार समेकित बालक अधिकार संरक्षण स्कीम नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल गृहों/आश्रय गृहों सहित गृहों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्स प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार आश्रय गृह पर महिलाओं के लिए स्वाधार और अल्पावास गृह नामक दो स्कीमें चला रही है। अवैध व्यापार से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए उज्जवला नामक एक व्यापक स्कीम भी है। इस स्कीम के अंतर्गत अंत:वासियों के लिए भोजन, आश्रय और ऐसे गृहों में महिलाओं और बच्चों के लिए परामर्श, उपाचारात्मक तथा कानूनी सहायता दी जाती है, जो ऐसे उपायों के जरुरतमंद है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना

*386 **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भेषज कंपनियों द्वारा देश में नैदानिक परीक्षणों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है और मुआवजे की धनराशि का आकलन करने के लिए किन मानदंडों को अपनाया गया है;

(ख) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को नैदानिक परीक्षणों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने के मामले में दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि संबंधी प्रारूप दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न पक्षों ने इन प्रारूप दिशा-निर्देशों का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी चिंताओं के समाधान, व्यक्ति की आयु, रोग की गंभीरता पर विचार किए बिना और नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अल्पावधि शारीरिक क्षति के लिए समान मुआवजा सूत्र सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) नई औषधि के नैदानिक परीक्षण औषध एवं प्रसाधन नियमावली की अनुसूची (वाई) और नियम 122 डीए, 122ई के तहत विनियमित होते हैं। अनुसूची वाई की अनिवार्य शर्त है कि नैदानिक परीक्षण का संचालन केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस (जीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएं। फिलहाल, औषध एवं प्रसाधन नियमावली के अंतर्गत परीक्षणाधीन व्यक्ति को नैदानिक परीक्षण में चोट लगने पर अथवा मृत्यु होने पर वित्तीय मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता या मुआवजे की रकम के आकलन के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, परीक्षणाधीन व्यक्तियों को नैदानिक परीक्षणों में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप शारीरिक चोट लगने पर नैदानिक परीक्षणों के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस (जीसीपी) दिशानिर्देश के पैरा 2.4.7 में यह प्रावधान है कि वे किसी भी अस्थायी अथवा अन्य सहायता पाने के हकदार हैं बशर्ते कि इसमें नीतिपरक समिति की पुष्टि आवश्यक है। मृत्यु होने पर उनके आश्रित मुआवजे के हकदार हैं।

परीक्षण में होने वाली मौतों के मामले में कम्पनी/प्रयोजक द्वारा वर्ष 2010 से पहले दिए गए वित्तीय मुआवजे का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हैं तथापि, वर्ष 2010 व 2011 में भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण I आर II में दिया गया है। चालू

वर्ष में अब तक परीक्षण में होने वाली मौतों के ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद किया जाएगा

उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये भुगतान कम्पनियों द्वारा संबंधित नीतिपरक समिति की सिफारिशों, व्यक्ति की आयु, रोग की गंभीरता, वार्षिक आय इत्यादि।

(ख) नैदानिक परीक्षणों से संबंधित चोटों अथवा मौतों के मामले में भुगतान किए जाने वाले वित्तीय मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया गया है और जनता की राय को जानने के लिए इसे दिनांक 3.8.2012 को सीडीएससीओ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रारूप दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे की मात्रा निम्नलिखित आधार पर प्रस्तावित है:

1. आयु
2. आय
3. परीक्षण में भाग लेने के समय परीक्षणाधीन व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित था उसकी गंभीरता और कठिनाई।
4. चोट लगने पर विकलांगता का प्रतिशत

(ग) से (ङ) इस प्रारूप दिशानिर्देशों पर विभिन्न पात्रों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं। सरकार अपेक्षा करती है कि परीक्षणाधीन व्यक्तियों के अधिकारों और कुशल क्षेम को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिए जाए।

विवरण I

वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षण से होने वाली मौतों के मामले में भुगतान किया गया मुआवजा

क्र.सं.	प्रायोजक	मुआवजा (रुपए)
1	2	3
1.	मर्क	1,50,000
2.	येथ	1,50,000
3.	क्युंटाइलस	20,00,000
4.	क्युंटाइलस	3,00,000
5.	लिली	1,08,000
6.	लिली	2,00,000
7.	लिली	2,00,000
8.	बायर	2,50,000
9.	बायर	2,50,000
10.	बायर	3,50,000
11.	बायर	2,50,000
12.	बायर	2,50,000
13.	एम्जेन	1,50,000
14.	एम्जेन	1,50,000
15.	ब्रिस्टल मायर्स	2,50,000
16.	सनोफी	1,0,00*
17.	सनोफी	1,50,000
18.	सनोफी	2,00,000
19.	पीपीडी	10,00,000
20.	फाइजर	1,50,000
21.	फाइजर	2,25,000
22.	फाइजर	1,50,000

*मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि जांचकर्ता और उनकी टीम की पूरी कोशिश के बावजूद यह पता नहीं लगाया जा सका है कि उनके कानूनी वारिस कहां हैं।

विवरण II

वर्ष 2011 में नैदानिक परीक्षण से होने वाली मौतों के मामले में भुगतान किया गया मुआवजा

क्र.सं.	प्रायोजक/सीआरओ के नाम	भुगतान किया गया मुआवजा
1	2	3
1.	फ्रेसेनियस	रु. 50,000 (अंतरिम राशि के रूप में)
2.	फ्रेसेनियस	रु. 50,000 (अंतरिम राशि के रूप में)

1	2	3
3.	आइकॉन	1,8 लाख
4.	लेम्ब्डा (ग्रीक अक्षर)	2 लाख
5.	सन फार्मा	3 लाख
6.	सन फार्मा	3 लाख
7.	सन फार्मा	3 लाख
8.	सन फार्मा	3 लाख
9.	वीडा	50,000
10.	सनोफी	1 लाख
11.	आपोथेकरीज	2.16 लाख
12.	सन	3.0 लाख
13.	फाइजर	1.5 लाख
14.	आईकॉन	2.25 लाख
15.	आइकॉन	3 लाख
16.	फाइजर	ईसी द्वारा 5 लाख के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश पर सक्रियता से कार्रवाई हो रही है।

अनैतिक चिकित्सा व्यवहार

***387. श्री जे.एम. आरुन रशीद:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा औषधियों/नैदानिक सेवाओं और प्रीजर्स के लिए कमीशन लेने, चिकित्सा सेवाओं और शल्यक्रिया संबंधी उपकरणों की अधिक/अत्यधिक कीमत रखने, चिकित्सीय लापरवाही की बढ़ती घटनाओं, पैसे लेकर लग का पता लगाने की सेवाएं अनावश्यक शल्यचिकित्सा प्रोसीजर्स करने, अनावश्यक नैदानिक परीक्षण जैसे अनैतिक व्यावसायिक कदाचार की ओर ध्यान दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में केन्द्र सरकार के अन्य अस्पतालों में एम्स की तर्ज पर किफायती दवा की दुकानें खोलने सहित सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में चिकित्सा व्यवसाय प्रणाली के नियमन तथा निगरानी के लिए नियामक की स्थापना करने का है क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद सहित वर्तमान संविधियां समय की चुनौतियों का सामना करने में सफल रही हैं, और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में डॉक्टरों के व्यावसायिक आचरण का विनियमन भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा किया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आरण, शिष्टाचार एवं नैतिक व्यवहार) विनियमन, 2002 में चिकित्सा संबंधी नैतिक आचार संहिता का उल्लेख किया गया है और एमसीआई तथा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी डॉक्टर को दण्डित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये सांविधिक विनियम हैं और बाध्यकारी प्रकृति के हैं, जिनका देश में सभी डॉक्टरों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, मेडिकल प्रैक्टिशनरों के अनैतिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित वैधानिक उपबंध भी लागू किए गए हैं:-

(1) नैदानिक संस्थान (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2010 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत, नैदानिक संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हर एक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित दरों के भीतर ही सेवा शुल्क प्रभारित करें।

(2) गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक विधि (पीसी एवं पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 में लिंग की पहचान के लिए गभधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक विधियों के उपयोग को प्रतिबंधित और विनियमित किया गया है तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा की गई चिकित्सा संबंधी लापरवाही को शामिल किया गया है इसलिए अधिनियम, के तहत जिला/राज्य/राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में डॉक्टरों की लापरवाही से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

(4) औषध निर्माण विभाग "भेषज विपणन पद्धतियों के लिए समान आचार संहिता" को अंतिम रूप दे रहा है जिसका उद्देश्य औषध कांनियों द्वारा डॉक्टरों को प्रोमोशनल व्यय का भुगतान कर विपणन क्षेत्र में अनैतिक व्यवहार पद्धतियों को नियंत्रित करना है।

जहां तक सस्ती दवाइयों की दुकानें खोलने का सवाल है, औषध निर्माण विभाग ने सभी को विशेषत: गरीब और चिकित्सा सुविधा से वंचित लोगों को जन औषध भंडारों के जरिए सस्ती गुणवत्तापरक अनब्रान्डेड जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 'जन औषध अभियान' शुरू किया है। सरकार का जन स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यावश्यक दवाइयों की नि:शुल्क आपूर्ति करने का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दवाइयों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को कम करके सस्ती स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इस प्रयास से औषधों के युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और जनावश्यक, अवैज्ञानिक तथा खतरनाक औषधों के उपयोग में कमी आएगी।

(घ) और (ङ) मौजूदा विनियामक ढांचे को मजबूत बनाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जन शक्ति की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञानों के लिए समग्र विनियामक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग (एनसीएचआरएच) गठित करने का प्रस्ताव किया है। एनसीएचआरएच विधेयक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को पहले ही राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य सभा ने उस विधेयक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति के पास जांच के लिए भेज दिया है।

प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम

***388. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने आवेदन स्वीकृत किए गए तथा कितने आवेदन लम्बित हैं एवं कितनी धनराशि संवितरित की गई/लंबित है;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण लेने सहित सूक्ष्म उद्यमियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व-सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थी, आदि के मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। लाभार्थी का अंशदान, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में 10 प्रतिशत तथा विशिष्ट श्रेणियों के लाभार्थियों के मामले में 5 प्रतिशत है। परियोजना लागत की शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए है।

(ख) पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) संवितरित/लंबित निधियों की मात्रा सहित बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित आवेदन तथा वर्ष के अंत में संवितरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, III और IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबीएस) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसीएस) के माध्यम से किया जाता हैं लाभार्थियों का चयन जिला मजिस्ट्रेट-सह-कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला स्तरीय कार्य

बल (डीएलटीएफ) द्वारा किया जाता है जो ऋणों की स्वीकृति पर विचार करने के लिए बैंकों को आवेदनों की सिफारिश करता हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदकों के सामने आने वाली समस्याओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केनद्रों तथा जिला मजिस्ट्रेट-सह-कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंकों के साथ सतत् रूप से उठाया जाता है।

विवरण I

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या		
		2010-11	2011-12	2012-13 (31.07.2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	5642	10544	0
2.	हिमाचल प्रदेश	3405	2793	1226
3.	पंजाब	3504	253	0
4.	चंडीगढ़	101	81	0
5.	उत्तराखंड	2988	1226	23
6.	हरियाणा	3570	685	0
7.	दिल्ली	2703	2358	0
8.	राजस्थान	13762	9208	0
9.	उत्तर प्रदेश	26349	2089	0
10.	बिहार	18161	12367	113
11.	सिक्किम	243	134	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	1728	2305	0
13.	नागालैंड	9613	2037	0
14.	मणिपुर	1125	14771	0
15.	मिजोरम	1416	1096	0
16.	त्रिपुरा	2751	4917	0
17.	मेघालय	2440	1954	0
18.	असम	27307	30959	22945
19.	पश्चिम बंगाल	64342	0	0
20.	झारखंड	4706	7501	0

1	2	3	4	5
21.	ओडिशा	18044	20526	0
22.	छत्तीसगढ़	7360	7128	0
23.	मध्य प्रदेश	7377	5276	0
24.	गुजरात*	10537	5193	0
25.	महाराष्ट्र**	15813	13795	17
26.	आंध्र प्रदेश	17904	1849	5
27.	कर्नाटक	10840	110	0
28.	गोवा	162	199	0
29.	लक्षद्वीप	75	0	0
30.	केरल	5155	2666	0
31.	तमिलनाडु	19812	852	0
32.	पुदुचेरी	510	134	0
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	335	314	0
	कुल	309780	165320	24329

* दमन और दीव सहित।

** दादरा और नगर हवेली

विवरण II

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित आवेदनों तथा वर्ष के अंत में संवितरण के लिए लंबित आवदेनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11				
		बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संवितरित मामले@		संवितरण के लिए लंबित मामले#	
			मामलों की संख्या	मार्जिन मनी (रु. लाख में)	मामलों की संख्या	मार्जिन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू और कश्मीर	1579	2128	2941.26	0	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	984	961	1339.70	23	80.22

1	2	3	4	5	6	7
3.	पंजाब	1326	823	1773.04	503	953.95
4.	चंडीगढ़	0	30	28.96	0	0.00
5.	उत्तराखंड	1417	974	1189.89	443	541.86
6.	हरियाणा	1535	915	1889.64	620	851.45
7.	दिल्ली	190	149	103.71	41	109.71
8.	राजस्थान	3244	2096	3904.93	1148	1190.59
9.	उत्तर प्रदेश	6347	4421	13245.69	1926	5964.58
10.	बिहार	1983	1429	3207.20	554	776.76
11.	सिक्किम	80	78	153.86	2	2.82
12.	अरुणाचल प्रदेश	446	232	249.40	214	207.59
13.	नागालैंड	470	242	548.41	228	568.99
14.	मणिपुर	250	204	304.55	46	102.93
15.	मिजोरम	383	380	578.67	3	14.40
16.	त्रिपुरा	956	650	969.78	306	302.53
17.	मेघालय	467	305	571.50	162	319.00
18.	असम	5105	4756	4808.10	349	357.46
19.	पश्चिम बंगाल	10309	5679	6719.06	4630	4099.35
20.	झारखंड	2094	1545	2306.05	549	681.55
21.	ओडिशा	2635	2581	4925.75	54	332.96
22.	छत्तीसगढ़	2698	1576	3643.69	1122	2136.92
23.	मध्य प्रदेश	2407	1880	5195.12	527	1089.36
24.	गुजरात*	2159	1843	4157.65	316	425.49
25.	महाराष्ट्र*	6199	4845	6193.48	1354	1346.70
26.	आंध्र प्रदेश	3567	2743	7750.26	824	3295.04
27.	कर्नाटक	3772	1871	3725.38	1901	4699.18
28.	गोवा	112	133	294.78	0	0.00
29.	लक्षद्वीप	28	25	21.84	3	2.52
30.	केरल	844	1737	3141.21	107	93.50

1	2	3	4	5	6	7
31.	तमिलनाडु	5343	2247	4476.99	3096	6922.97
32.	पुदुचेरी	238	216	103.24	22	8.77
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200	125	78.22	75	37.00
	कुल	70367	49819	90541.01	21148	37506.15

*दमन और दीव सहित।

**दादरा और नगर हवेली सहित।

@पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत मामलों सहित।

#निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अगले वर्ष में लिए गए।

विवरण III

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित आवेदनों तथा वर्ष के अंत में संवितरण के लिए लंबित आवदेनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12				
		बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संवितरित मामले@		संवितरण के लिए लंबित मामले#	
			मामलों की संख्या	मार्जिन मनी (रु. लाख में)	मामलों की संख्या	मार्जिन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू और कश्मीर	1920	1920	2983.42	0	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	1084	800	1152.59	284	400.82
3.	पंजाब	915	899	1756.94	16	201.56
4.	चंडीगढ़	60	60	65.71	0	0.00
5.	उत्तराखंड	949	893	1059.62	56	17.54
6.	हरियाणा	1060	786	1381.53	274	394.15
7.	दिल्ली	359	229	201.50	130	389.40
8.	राजस्थान	2353	2075	3518.29	278	321.27
9.	तमिलनाडु	6481	5366	18563.77	1115	4888.85
10.	बिहार	4987	4887	9873.73	100	215.74

1	2	3	4	5	6	7
11.	सिक्किम	67	64	113.88	3	4.63
12.	अरुणाचल प्रदेश	451	388	461.73	63	60.90
13.	नागालैंड	730	556	1156.03	174	420.67
14.	मणिपुर	721	569	876.43	152	224.76
15.	मिजोरम	558	435	661.81	123	197.77
16.	त्रिपुरा	1941	1812	2613.88	129	211.76
17.	मेघालय	962	772	1255.24	190	455.78
18.	असम	6152	5280	5545.02	872	982.58
19.	पश्चिम बंगाल	6007	5806	5581.67	201	220.29
20.	झारखंड	2562	2333	3486.33	229	37.88
21.	ओडिशा	2556	2259	4202.67	297	724.79
22.	छत्तीसगढ़	3074	1385	3306.12	1689	2732.68
23.	मध्य प्रदेश	2869	1934	5419.41	935	1615.62
24.	गुजरात*	2632	1863	6147.35	769	3002.70
25.	महाराष्ट्र**	7325	2765	4533.68	4560	7532.36
26.	आंध्र प्रदेश	2463	1672	5497.37	791	1196.00
27.	कर्नाटक	2366	1794	3872.13	572	1680.81
28.	गोवा	169	149	295.27	20	44.27
29.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0.00
30.	केरल	2465	1629	2928.85	836	234.25
31.	तमिलनाडु	4615	3228	7164.15	1387	3517.32
32.	पुदुचेरी	195	73	79.22	122	156.99
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	175	160	96.11	15	6.91
	कुल	71223	54841	105851.45	16382	32091.05

*दमन और दीव सहित।

**दादरा और नगर हवेली सहित।

@पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत मामलों सहित।

#निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अगले वर्ष में लिए गए।

विवरण III

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित आवेदनों तथा वर्ष के अंत में संवितरण के लिए लंबित आवदेनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13 (अनंतिम 31.7.2012 तक)				
		बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संवितरित मामले@		संवितरण के लिए लंबित मामले#	
			मामलों की संख्या	मार्जिन मनी (रु. लाख में)	मामलों की संख्या	मार्जिन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.00	00	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	156	1	1.40	155	306.30
3.	पंजाब	0	0	0.00	0	0.00
4.	चंडीगढ़	0	0	0.00	0	0.00
5.	उत्तराखंड	62	0	0.00	62	79.80
6.	हरियाणा	0	0	0.00	0	0.00
7.	दिल्ली	0	0	0.00	0	0.00
8.	राजस्थान	0	0	0.00	0	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	1545	505	1608.51	1040	3015.09
10.	बिहार	63	63	135.53	0	0.00
11.	सिक्किम	0	0	0.00	0	0.00
12.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0.00
13.	नागालैंड	0	0	0.00	0	0.00
14.	मणिपुर	0	0	0.00	0	0.00
15.	मिजोरम	0	0	0.00	0	0.00
16.	त्रिपुरा	0	0	0.00	0	0.00
17.	मेघालय	190	20	47.02	170	408.76
18.	असम	0	0	0.00	0	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0	0.00
20.	झारखंड	0	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7
21.	ओडिशा	0	0	0.00	0	0.00
22.	छत्तीसगढ़	0	0	0.00	0	0.00
23.	मध्य प्रदेश	978	0	0.00	0	0.00
24.	गुजरात*	0	0	0.00	0	0.00
25.	महाराष्ट्र**	3381	50	149.14	3331	6054.76
26.	आंध्र प्रदेश	11	2	4.17	09	39.85
27.	कर्नाटक	0	0	0.00	0	0.00
28.	गोवा	0	0	0.00	0	0.00
29.	लक्षद्वीप	6	0	0.00	0	0.00
30.	केरल	0	0	0.00	0	0.00
31.	तमिलनाडु	0	623	2139.42	0	0.00
32.	पुदुचेरी	0	0	0.00	0	0.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00	0	0.00
	कुल	6386	1264	4085.19	4767	9904.56

*दमन और दीव सहित।

**दादरा और नगर हवेली सहित।

@पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत मामलों सहित।

#निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अगले वर्ष में लिए गए।

केन्द्रीय सरकार सवास्थ्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल

***389. श्री एम.बी. राजेश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के प्रभावी कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए इसके अंतर्गत आने वाले पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिलों के निपटान और भुगतान में विलम्ब होने के कारण अनेक अस्पतालों ने इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किए जाने के प्रति अपनी रुचि नहीं दर्शाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सरकार समय-समय पर सीजीएचएस के अंतर्गत निजी अस्पतालों का पैनल बनाती है और ऐसा पिछला पैनल बनाने का कार्य ई-निविदा तथा सतत एम्पैनलमेंट योजना के तहत 2011 में पूरा किया गया था। आज की तारीख में सीजीएचएस के पैनल में 486 निजी अस्पताल और 134 रोग निदान केन्द्र हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार ने पैनल में शामिल निजी

अस्पतालों और रोग निदान केन्द्रों के बिलों के शीघ्र निपटान के लिए बिल क्लियरेंस एजेंसी के रूप में यूटीआई-आईटीएसएल की नियुक्ति की थी। इस व्यवस्था के तहत रोगी को डिस्चार्ज करने के बाद अस्पतालों तथा रोग निदान केन्द्रों को अपना बिल यूटीआई-आईटीएसएल को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजना पड़ता है और उसके पश्चात कागजी फार्मेट में भी बिल प्रस्तुत करना पड़ता है। कागजी बिल प्राप्त होने के दस दिन के भीतर यूटीआई-आईटीएसएल द्वार उन अस्पतालों और रोग निदान केन्द्रों को सीजीएचएस द्वारा यूटीआई-आईटीएसएल को आवृत्ति कोष के रूप में 70 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि सौंपी गई है। यूटीआई-आईटीएसएल जब अस्पतालों को भुगतान कर देता है उसके बाद बिलों को आवधिक रूप से सीजीएचएस के पास जांच और अंतिम निपटान के लिए भेजा जाता है। तब अंतिम निपटान राशि यूटीआई-आईटीएसएल को लौटा दी जाती है।

[हिन्दी]

आयुष पद्धति

*390. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चिकित्सा की आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) पद्धतियों के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सकों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, मान्यताप्राप्त स्नातक और स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर देश के ऐसे क्षेत्रों जहां ऐसी सेवाएं कम उपलब्ध हैं, दूरदराज एवं जनजातीय क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली में शामिल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में एकल और सह अवस्थित दोनों आयुष सुविधाओं की अवसंरचना की गुणवत्ता, मानव संसाधन की उपस्थिति, दवाओं की आपूर्ति तथा रिकार्ड का आकलन किया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर संपूर्ण देश के ऐसे क्षेत्रों जहां सेवाएं कम उपलब्ध हैं, तथा दूरदराज एवं जनजातीय क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धति के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और उक्त पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विनियामक परिषदों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सकों, अस्पतालों, औषधालयों, मान्यताप्राप्त स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कॉलेजों तथा अनुसंधान केंद्रों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण I,II, III, IV, V, VI में दिया गया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विषयक राष्ट्रीय नीति-2002 में आयुष को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में एक मुख्य कार्यनीति आयुष को मुख्यधारा में शामिल करना भी है, जिसमें सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में सुधार लाया जा सके। एनआरएचएम में स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के पुनरुत्थान और आयुष को मुख्यधारा में लाने (कार्मिक शक्ति और औषधों सहित) का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धतियों को सुदृढ़ किया सके। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है और आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति तथा औषधियों के प्रापण में इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

सह-स्थापित आयुष सुविधाएं

भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचएसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में स्वास्थ्य सुविधाओं के के सह-स्थापन की कार्यनीति अपनाई थी, ताकि अनन्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ़ करने में राज्यों के प्रयास में सहायता करने के अलावा, रोगियों को एक ही जगह विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के उपचार का विकल्प मिल सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एनआरएचएम फ्लैक्सी पूल के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों/अर्धचिकित्सा कार्मिकों कर नियुक्ति में सहायता दी जाती है, बशर्ते कि ये वर्तमान जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचएसी) में सह-स्थापित हों जिसमें दूरस्थ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचएसी) में सह-स्थापित हों जिसमें दूरस्थ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचएसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को प्राथमिकता दी जाएगी। एनआरएचएम फ्लैकसी पूल के तहत आयुष सह-स्थापित सुविधाओं में आयुष औषधों के लिए सहायता भी दी रही है। इसके अलावा, 'आयुष अस्पताल एवं औषधालय विकास' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

के तहत आयुष विभाग सह-स्थापित सुविधाओं में आयुष अवसंरचना, उपस्कर/फर्नीचर तथा औषधों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है।

अनन्य आयुष सुविधाएं

इसके अतिरिक्त, आयुष विभाग भी अनन्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, इन अनन्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों में अनिवार्य औषधों की आपूर्ति तथा कार्यक्रम प्रबंधन एकांशों (पीएमयू) की स्थापना आदि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। सिक्किम और पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, आयुष विभाग 50/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इस घटक के अंतर्गत, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों को 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम राज्यों को 10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना हेतु सहायता दी गई है।

(ग) से (ङ) यद्यपि इस प्रकार का कोई आकलन नहीं किया गया है, तथापि, उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किए अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के इष्टतम उपयोग और उक्त पद्धतियों में चिकित्सकों की नियुक्ति तथा आयुष सेवाओं के प्रचार-प्रसार हेतु उपाय किये गए हैं।

विवरण I

1.1.2011 तक की स्थिति के अनुसार आयुष पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टर) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16185	6080	0	476	5242	27983
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	166	166
3.	असम	689	0	0	0	485	1174
4.	बिहार	96046	6665	0	0	29411	132122
5.	छत्तीसगढ़	1914	70	0	63	880	2927
6.	दिल्ली	3471	2013	0	0	3830	9314
7.	गोवा	470	0	0	0	495	965
8.	गुजरात	23059	284	0	0	11965	35308
9.	हरियाणा	19946	2219	0	0	5317	27482
10.	हिमाचल प्रदेश	7236	456	0	0	1215	8907
11.	जम्मू और कश्मीर	2351	2235	0	0	265	4851
12.	झारखंड	24608	1754	0	0	0	26362
13.	कर्नाटक	26519	1426	4	375	7074	35698
14.	केरल	17634	84	1521	64	10642	29945
15.	मध्य प्रदेश	43168	113	0	7	12629	56943
16.	महाराष्ट्र	60168	5117	0	0	53159	118472
17.	मणिपुर	0	12	0	28	460	500
18.	मेघालय	0	0		0	260	260
19.	मिजोरम	2	0	0	0	0	2
20.	नागालैंड	0	0	0	0	2084	2084

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ओडिशा	5806	22	0	0	3835	9663
22.	पंजाब	5573	166	0	0	4005	9744
23.	राजस्थान	24759	1772	0	0	5445	31976
24.	सिक्किम	6	0	0	0	0	6
25.	तमिलनाडु	4107	1100	6043	584	18990	30824
26.	त्रिपुरा	89	0	0	0	135	224
27.	उत्तर प्रदेश	40004	11638	0	0	30460	82102
28.	उत्तराखंड	1698	77	0	0	304	2079
29.	पश्चिम बंगाल	3451	5042	0	0	15376	23869
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	0	0	0	0	19
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	150	150
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (क)	429246	49431	7568	1597	224279	712121

स्रोत: राज्य बोर्ड/परिषदें (आयुष इन इंडिया-2011)

नोट: (i) आयुर्वेद और यूनानी के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा तथा पंजाब राज्यों के संबंध में आकड़े सीसीआईएम से लिए गए हैं।

(ii) गुजरात और नागालैंड राज्यों के लिए होम्योपैथी के संबंध में आंकड़े 1-1-2010 तथा ओडिशा (1-1-2009) से संबंधित है तथा हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड (आयुर्वेद और यूनानी) हेतु आंकड़े 1.1.2010 से संबंधित है। राजस्थान के लिए आयुर्वेद के संबंध में आंकड़े 1-1-2010 से संबंधित हैं क्योंकि इन राज्यों से वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण II

1-4-2011 तक की स्थिति के अनुसार आयुष अस्पतालों की राज्य-वार/पद्धति-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**						
1.	आंध्र प्रदेश	8	6	0	0	0	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	0	0	0	0	11
3.	असम	1	0	0	0	0	1
4.	बिहार	11	4	0	0	0	15
5.	छत्तीसगढ़	9	1	0	0	1	11

1		2	3	4	5	6	7 8
6.	दिल्ली	3	2	0	0	0	5
7.	गोवा	1	0	0	0	0	1
8.	गुजरात	41	0	0	0	0	41
9.	हरियाणा	8	1	0	0	0	9
10.	हिमाचल प्रदेश	27	0	0	0	1	28
11.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	0	2
12.	झारखंड	1	0	0	0	0	1
13.	कर्नाटक	133	14	0	3	6	156
14.	केरल	126	0	2	0	2	21
15.	मध्य प्रदेश	21	0	0	0	0	21
16.	महाराष्ट्र	63	6	0	0	0	69
17.	मणिपुर	0	1	0	0	12	13
18.	मेघालय	3	0	0	0	0	3
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
21.	ओडिशा	8	0	0	0	0	8
22.	पंजाब	15	0	0	0	0	15
23.	राजस्थान	118	5	0	2	1	126
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	2	1	264	1	0	268
26.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	1
27.	उत्तर प्रदेश	1771	204	0	0	0	1975
28.	उत्तराखंड	7	2	0	0	0	9
29.	पश्चिम बंगाल	4	1	0	0	0	5
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	1
31.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	1
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	1
	कुल (क)	2397	249	266	6	23	2941
	ख. सीजीएचएस और केंद्र सरकार के संगठन	23	9	3	0	0	35
	कुल (क+ख)	2420	258	269	6	23	2976

स्रोत: राज्य सरकारें और संबंधित एजेंसियां। (आयुष इन इंडिया-2011)

विवरण III

1-4-2011 तक की स्थिति के अनुसार आयुष औषधालयों की राज्य-वार/पद्धति-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1003	269	0	47	518	1837
2.	अरुणाचल प्रदेश	2		0	0	55	57
3.	असम	380	1	0	0	75	456
4.	बिहार	311	144	0	0	179	634
5.	छत्तीसगढ़	1272	26	0	0	172	1470
6.	दिल्ली	156	35	0	0	128	319
7.	गोवा	9	1	0	0	10	20
8.	गुजरात	523	0	0	0	216	739
9.	हरियाणा	493	7	0	0	22	522
10.	हिमाचल प्रदेश	1105	3	0	0	14	1122
11.	जम्मू और कश्मीर	240	177	0	0	0	417
12.	झारखंड	220	54	0	0	92	366
13.	कर्नाटक	561	50	0	5	5	621
14.	केरल	898	12	5	0	551	1466
15.	मध्य प्रदेश	1427	50	0	0	146	1623
16.	महाराष्ट्र	469	25	0	0	0	494
17.	मणिपुर	32	14	14	13	194	267
18.	मेघालय	4	0	1	0	5	10
19.	मिजोरम	1	0	0	0	13	14
20.	नागालैंड	109		0	1	93	203
21.	ओडिशा	624	9	35	30	637	1335
22.	पंजाब	0	0	1	0	111	112
23.	राजस्थान	3577	0	3	0	180	3760
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	97	63	74	0	105	339
26.	त्रिपुरा	54	0	0	0	77	131
27.	उत्तर प्रदेश	389	49	0	0	1575	2013
28.	उत्तराखंड	467	3	0	0	60	530
29.	पश्चिम बंगाल	295	3	0	0	1534	1832
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8		1	0	17	26
31.	चंडीगढ़	8	0	0	0	7	15
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दमन और दीव	6	0	0	0	6	12
34.	लक्षद्वीप	8	0	0	0	5	13
35.	पुदुचेरी	21		2	0	10	33
	कुल (क)	14769	995	136	96	6812	22808
	ख. सीजीएचएस और केंद्र	248	26	4	1	237	516
	कुल (क+ख)	15017	1021	140	97	7049	23324

स्रोत: आयुष इन इंडिया-2011

विवरण IV

1.4.2011 तक की स्थिति के अनुसार स्नातक पूर्व आयुष संस्थानों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद संख्या	यूनानी संख्या	सिद्ध संख्या	प्राकृतिक चिकित्सा संख्या	होम्योपैथी संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	2		3	6	18
2.	अरुणाचल प्रदेश					1	1
3.	असम	1				3	4
4.	बिहार	11	4			13	28
5.	छत्तीसगढ़	3	1		1	3	8
6.	दिल्ली	2	2			2	6
7.	गोवा	1				1	2
8.	गुजरात	11			1	16	28
9.	हरियाणा	7				1	8
10.	हिमाचल प्रदेश	1				1	2
11.	जम्मू और कश्मीर	1	2				3
12.	झारखंड	1				3	4
13.	कर्नाटक	59	4		3	11	77
14.	केरल	17		1		5	23
15.	मध्य प्रदेश	18	4		2	20	44
16.	महाराष्ट्र	63	6			47	116
17.	ओडिशा	6				6	12
18.	पंजाब	13				4	17
19.	राजस्थान	8	2			7	17

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	तमिलनाडु	6	1	6	4	10	27
21.	उत्तर प्रदेश	16	11			9	36
22.	उत्तराखंड	5				1	6
23.	पश्चिम बंगाल	2	1			12	15
24.	चंडीगढ़	1				1	2
	कुल	260	40	7	14	183	504

स्रोत: आयुष इन इंडिया-2011

विवरण V

1.4.2011 तक की स्थिति के अनुसार स्नातकोत्तर आयुष संस्थानों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद संख्या	यूनानी संख्या	सिद्ध संख्या	प्राकृतिक चिकित्सा संख्या	होम्योपैथी संख्या	कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3	1		1	5	
2.	असम	1				1	
3.	बिहार	1			1	2	
4.	छत्तीसगढ़	1				1	
5.	दिल्ली	1			1	2	
6.	गुजरात	1			4	5	
7.	हिमाचल प्रदेश	1				1	
8.	जम्मू और कश्मीर	1				1	
9.	कर्नाटक	20			5	25	
10.	केरल	4			2	6	
11.	मध्य प्रदेश	2			1	3	
12.	महाराष्ट्र	24	2		14	40	
13.	ओडिशा	1			1	2	
14.	पंजाब				1	1	
15.	राजस्थान	1			1	2	
16.	तमिलनाडु		2		2	4	
17.	उत्तर प्रदेश	3	2		2	7	
18.	उत्तराखंड					0	
19.	पश्चिम बंगाल				3	3	
20.	पश्चिम बंगाल				3	3	
	कुल	65	5	2	39	111	

स्रोत: आयुष इन इंडिया-2011

विवरण VI

आयुष विभाग के अंतर्गत अनुसंधान परिषदों के अनुसंधान संस्थानों/केंद्रों/एकांशों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				1
2.	आंध्र प्रदेश	1		1	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	1			
4.	असम	1		2	1
5.	बिहार	1		1	
6.	दिल्ली	1		2	1
7.	गुजरात	1			1
8.	हिमाचल प्रदेश	1			1
9.	जम्मू और कश्मीर	2		1	
10.	झारखंड				1
11.	कर्नाटक	2		1	
12.	केरल	2	1	1	1
13.	मध्य प्रदेश	1		2	
14.	महाराष्ट्र	2		1	1
15.	मणिपुर				1
16.	मेघालय				1
17.	ओडिशा	1		1	2
18.	पंजाब	1			
19.	राजस्थान	1			1
20.	सिक्किम	1			1
21.	तमिलनाडु	1	1	1	3
22.	त्रिपुरा				1
23.	उत्तर प्रदेश	1	1	4	3
24.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	2
	कुल	23	4	19	27

स्रोत: सीसीआरएएस/सीसीआरएस/सीसीआरयूएम/सीसीआरएच(आयुष इन इंडिया 2010)

[अनुवाद]

भारतीयों को चीन का वीजा दिया जाना

***391. श्री के.पी. धनपालन:**
श्री नीरज शेखर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में आयोजित "चीन-भारत मित्रता और सहयोग वर्ष " कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश से चुने गए युवाओं को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार करने के कारण उन्हें कथित रूप से यहीं छोड़ दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को चीन सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चीन द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा देने से इंकार करने के कितने मामलों के बारे में बताया गया है या सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) दिनांक 12-21 जुलाई, 2012 तक चीन की यात्रा के लिए चुने गए 100- सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमण्डल में अरुणाचल प्रदेश से एक महिला प्रतिनिधि का चयन किया गया था। वह महिला यात्रा नहीं कर सकी क्योंकि चीनी अधिकारियों ने उन्हें वीजा जारी नहीं किया।

(ग) से (ङ) सरकार के इस दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत एक एक अभिन्न तथा अविभाज्य हिस्सा है और किसी व्यक्ति के निवास स्थान नस्ल के आधार पर भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, के बारे में चीन की सरकार को उच्चतम स्तर सहित कई अवसरों पर, स्पष्ट तौर पर अवगत कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डों की प्राप्ति

***392. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को नए सीजीएचएस कार्ड हासिल करने/उनका नवीकरण कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निजी कंपनियों को उक्त कार्य का आबंटन करने के लिए किन-किन मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है तथा इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन निजी कंपनियों को सीजीएचएस कार्ड तैयार करने का ठेका दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इन सीजीएचएस कार्डों की सामग्री की अनुमानित लागत कितनी रही; और

(ङ) सरकार द्वारा नए सीजीएचएस कार्डों की प्राप्ति प्रक्रिया/इसके नवीकरण की प्रक्रिया को सुगम तथा समयबद्ध बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड बनाने के कार्य को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के अधीन धारा-25 की सरकारी कंपनी नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कॉरपोरेशन (एनआईसीएसआई) को आउटसोर्स किया है। उक्त कार्य के लिए निजी एजेन्सियों को पैनलबद्ध करने हेतु एनआईसीएसआई द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित की गईं। आरंभ में इस कार्य के लिए दो एजेन्सियों अर्थात् मैसर्स सिनैप्स सॉल्यूशंस पी.लि., नई दिल्ली तथा मैसर्स अलंकित एनसाइनमेंट्स पी.लि., नई दिल्ली को पैनलबद्ध किया गया था। बाद में 2010 से मैसर्स अलंकित एसाइन्मेंट्स पी. लि. नई दिल्ली के साथ संविदा समाप्त कर दी गई क्योंकि कंपनी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

प्लास्टिक कार्ड बनाने वाली एजेंसियों को उनआईसीएसआई द्वारा भुगतान

क्र.सं.	भुगतान की गई राशि	भुगतान की तारीख	एजेन्सी का नाम
1.	2,22,949	09/18/2009	मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स पी.लि.
2.	24,48,364	09/18/2009	मैसर्स सिनैप्स सॉल्युशंस पी.लि.
3.	6,26,801	02/03/2010	मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स पी.लि.
4.	2,75,395	11/26/2010	मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स पी.लि.
5.	19,69,524	03/31/2011	मैसर्स सिनैप्स सॉल्युशंस पी.लि.
6.	15,35,518	दिनांक 7/12/11 का बिल प्रक्रियाधीन है।	मैसर्स सिनैप्स सॉल्युशंस पी.लि.
कुल	70,78,551		

(ङ) नए/नवीकृत सीजीएचएस कार्डों के समय पर सुपुर्दगी के लिए एनआईसीएसआई द्वारा शर्तों एवं निबंधनों में उपयुक्त शास्ति खंड शामिल किए गए हैं।

बिजली कंपनियां

***393. श्रीमती श्रुति चौधरी:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ऋणग्रस्त बिजली कंपनियों हेतु विभिन्न राज्यों तथा उन राज्यों, जिनका बिजली कंपनी प्रभारों में वृद्धि करने का विचार है, को घाटे से उबारने के लिए पैकेज प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार के पास लंबित प्रत्येक राज्य की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में 2 किासात्मक कार्यक्रम अर्थात 11वीं योजनावधि के दौरान एटी एंड सी हानियों को कम करने के लक्ष्य के साथ पुनर्गठित-त्वरित, विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) और देश में ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) कार्यान्वित कर रही है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

भारत सरकार ने 11वीं योजना के चरण-1 के दौरान "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" (ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण की स्कीम) के कार्यान्वयन के लिए 28,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत राजसहायता आबंटित की है जो 10वीं योजनावधि के दौरान 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

आरजीजीवाई के अंतर्गत राज्य को कोई निधि आबंटत नहीं की जाती है। संस्वीकृत परियोजनाओं को निधियां, पूर्व में जारी की गई किस्तों की निर्धारित राशि के उपयोग की रिपोर्ट मिलने तथा अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवाई के अंतर्गत निधियों के राज्य-वार संवितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

(आर-एपीडीआरपी) का अनुमोदन किया है। आर-एपीडीआर में परियोजना क्षेत्रों में एटी एंड सी हानि में स्थायी रूप से कमी लाने के संदर्भ में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल दिया जाता है। जिन नगरों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक है, उनके लिए स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाती हैं। स्कीम का भाग-क (4 लाख जनसंख्या और वार्षिक ऊर्जा इनपुट: 350 मिलियन यूनिट वाले शहरों के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा, ग्राहक सेवा, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग एवं संग्रहण इत्यादि तथा पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण (स्वाडा) के लिए आईटी एमर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए है, जबकि भाग-ख परियोजना नगरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, रज्ज्यों को निधियां जारी नहीं की जाती हैं; बल्कि ये संस्वीकृत परियोजनाओं को उनकी प्रगति तथा पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन किए जाने के आधार पर ऋण के रूप में किस्तों में जारी की जाती हैं। अब तक, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 32323.70 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं (भाग-क: 1402 नगरों तथा 63 नगरों में 63 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड़ रुपये; भाग-ख: 1134 नगरों को शामिल करते हुए 25684.91 करोड़ रुपये) पहले ही संस्वीकृत की जा चुकी है। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 5792.50 करोड़ रुपये कभ संचयी राशि संवितरित की जा चुकी है।

आर-एपीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों को पिछले तीन वित्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत एवं संवितरित केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (ङ) मंत्रालय में राज्य डिस्कॉम के वित्तीय परिवर्तन की स्कीम की जांच की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्य-वार संवितरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.08.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	153.22	141.90	25.68	6.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	223.24	165.54	40.01	3.93
3.	असम	450.17	628.65	491.36	0.00
4.	बिहार	622.05	520.05	26.70	0.00
5.	छत्तीसगढ़	333.55	163.65	119.84	1.52
6.	गुजरात	86.24	72.07	27.10	0.48
7.	हरियाणा	53.94	18.40	19.15	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	110.14	53.83	19.10	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	327.72	60.57	68.41	12.11
10.	झारखंड	688.65	144.62	111.57	69.03
11.	कर्नाटक	63.16	55.85	43.16	0.33
12.	केरल	9.38	28.88	0.00	21.71
13.	मध्य प्रदेश	383.30	255.79	384.30	93.83

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	181.50	147.31	49.43	8.31
15.	मणिपुर	57.11	85.97	71.48	0.00
16.	मेघालय	116.83	77.83	94.06	26.39
17.	मिजोरम	73.03	70.28	0.00	0.00
18.	नागालैंड	53.46	55.36	25.49	11.57
19.	ओडिशा	889.48	542.98	360.33	51.21
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान	140.97	74.30	200.11	2.46
22.	सिक्किम	40.46	39.19	36.64	0.00
23.	तमिलनाडु	106.01	38.66	36.31	0.00
24.	त्रिपुरा	47.49	29.26	48.30	10.60
25.	उत्तर प्रदेश	172.97	68.32	85.95	21.55
26.	उत्तराखंड	92.28	9.69	0.00	16.69
27.	पश्चिम बंगाल	520.35	448.89	154.30	0.00
	कुल	5996.70	3997.83	2772.81	358.8

विवरण II

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्ष-वार स्वीकृति एवं संवितरण

सभी आंकड़े करोड़ रुपये म 10 अगस्त, 2012 तक

राज्य	यूटिलिटी	स्वीकृति					संवितरण						
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (30.08.12 तक)	संचयी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (30.08.12 तक)	ब्उनसंजपअम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हरियाणा	एूएचबीबीएनएल	75.16	0.00	230.69	257.79	0.00	563.64	21.47	1.07	0.00	0.00	0.00	22.54
	बीएचबीबीएनएल	70.88	19.59	0.00	185.10	0.00	275.57	20.24	6.90	0.00	0.00	0.00	27.14
	कुल	146.04	19.59	230.69	442.89	0.00	839.21	41.71	7.97	0.00	0.00	0.00	49.68
	एचपीएसईबी	0.00	81.06	337.52	16.79	0.00	435.37	0.00	24.32	101.25	0.00	0.00	125.57
	जे एंड के पीडीडी	0.00	134.49	17.50	1718.16	0.00	1870.15	0.00	40.35	5.25	515.45	0.00	561.04
	पीएसईबी	0.00	784.68	0.00	1050.26	0.00	1834.94	0.00	150.40	0.00	207.41	0.00	357.81
	ईडी	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	एवीवीएनएल	52.03	155.01	255.63	0.00	0.00	462.67	14.87	18.89	46.39	0.00	0.00	80.14
	जेएवीवीएनएल	163.53	63.78	476.06	0.00	0.00	703.37	46.50	7.87	86.18	0.00	0.67	141.22
	जेओबीबीएनएल	100.38	23.96	716.93	0.00	0.00	841.27	28.68	1.43	119.64	0.00	0.00	149.76
	कुल	315.94	242.75	1448.62	0.00	0.00	2007.31	90.05	28.19	252.21	0.00	0.67	371.13
	एमबीबीएनएल	2.50	228.36	470.93	642.29	0.00	1344.08	0.00	69.26	70.64	60.33	0.00	200.23
	पूर्व बीबीएनएल	0.00	108.97	350.85	74.11	0.00	533.93	0.00	32.69	52.63	0.00	0.00	85.32
	पश्चिम वीवीएनएल	0.00	203.01	474.11	453.66	0.00	1130.78	0.00	60.90	71.12	0.00	0.00	132.02
	डीवीवीएनएल	0.00	93.69	535.81	562.53	0.00	1192.03	0.00	27.37	80.37	0.00	0.00	107.74
	कुल	2.50	634.03	1831.70	1732.59	0.00	4200.82	0.00	190.22	274.76	60.33	0.00	525.31
	यूपीसीएल	8.55	117.27	0.00	409.18	0.00	535.00	2.44	35.31	0.00	33.59	117.79	189.13
कुल यूटिलिटी (उत्तर)		473.03	2013.87	3899.37	5369.87	0.00	11756.14	134.20	476.76	633.48	816.78	118.46	2179.68
मध्य प्रदेश	एमपीपीकेबीबीसीएल (ई)	86.50	0.00	679.81	0.00	0.00	766.31	0.00	22.14	97.97	30.92	1.66	152.69
	एमपीपीकेबीबीसीएल (सी)	92.04	23.02	862.64	0.00	0.00	977.70	0.00	34.85	134.69	2.55	0.00	172.09
	एमपीपीकेबीबीसीएल (डब्ल्यू)	49.55	338.03	166.64	70.03	0.00	624.25	0.00	65.58	21.58	6.15	10.90	106.20
	कुल	228.09	361.05	1709.09	70.03	0.00	2368.26	0.00	122.56	254.24	41.62	12.56	430.98
गुजरात	पीजीबीसीएल	0.00	637.57	166.93	0.15	0.00	804.35	0.00	22.58	118.95	0.00	19.57	161.09
	डीजीबीसीएल	0.00	206.60	32.18	7.43	0.00	246.21	0.00	7.01	34.53	0.00	0.00	41.55
	एमजीबीसीएल	47.37	149.41	26.18	4.26	0.00	218.70	13.54	14.59	23.30	0.00	0.00	51.43
	यूजीबीसीएल	0.00	57.59	33.82	2.34	0.00	93.75	0.00	9.89	13.84	0.00	0.00	23.73
	कुल	47.37	1051.17	259.11	5.36	0.00	1363.01	13.54	54.07	190.62	0.00	19.57	277.80
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	0.00	122.45	0.00	751.30	0.00	873.75	0.00	36.74	0.00	0.00	32.48	69.22
	एमएसईडीबीसीएल	162.18	162.24	1793.51	1682.31	154.54	3954.78	46.34	50.99	197.09	344.02	0.00	638.43
	बेस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गोवा ईडी	104.89	5.84	0.00	0.00	0.00	110.73	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00	31.47
दमन और दीव	ईडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पश्चिम)		542.53	1702.75	3761.71	2509.00	154.54	8670.53	59.88	295.83	641.95	385.63	64.61	1447.69
आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	175.03	0.00	823.91	65.15	0.00	1064.09	50.03	2.49	123.59	19.55	0.00	195.65
	एपीईडीसीएल	60.66	3.31	0.79	0.00	0.00	64.76	17.38	0.82	0.73	0.00	0.00	18.93
	एपीएनपीडीसीएल	44.50	160.94	12.47	0.00	0.00	217.91	12.75	24.72	0.00	3.74	0.00	41.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	एपीएसपीडीसीएल	107.83	68.43	39.19	0.00	0.00	215.45	30.84	11.78	0.00	11.76	0.00	54.38
	कुल	388.02	232.68	876.36	65.15	0.00	1562.21	111.00	39.81	124.32	35.05	0.00	310.17
कर्नाटक	बेस्कॉम	260.57	291.07	0.00	0.00	0.00	551.64	0.00	78.17	43.78	0.00	0.00	121.95
	सेस्कॉम	27.73	10.14	76.42	0.00	0.00	207.29	0.00	8.32	26.93	0.00	0.00	35.25
	जेस्कॉम	30.32	207.84	0.00	0.00	0.00	238.16	0.00	11.21	30.12	0.00	0.00	41.33
	हेस्कॉम	52.62	205.48	72.88	0.00	0.00	330.98	0.00	15.78	0.00	41.75	0.00	57.54
	मेस्कॉम	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62
	कुल	383.31	807.53	149.30	0.00	0.00	1340.14	0.00	117.11	100.83	41.75	0.00	259.68
केरल	केएसईबी	0.00	214.40	926.33	28.99	206.13	1375.85	0.00	64.31	75.51	80.25	0.00	220.07
तमिलनाडु	टीएनईबी	70.04	450.87	3357.82	0.00	0.00	3878.73	19.93	120.76	526.23	4.77	0.00	671.69
पुदुचेरी	पीडी	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
कुल (पूर्व)		841.37	1733.01	5309.81	94.14	206.13	8184.46	130.93	341.99	826.89	166.31	0.00	1466.12
बिहार	बीएसईबी	81.18	113.40	0.00	647.18	530.05	1371.81	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	58.37
झारखंड	जेएसईबी	8.82	151.78	0.00	0.00	0.00	160.60	0.00	30.00	0.00	18.18	0.00	48.18
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	0.00	159.96	551.41	161.15	0.00	872.54	0.00	47.99	82.05	45.87	29.11	205.02
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल पूर्व)		90.00	425.16	551.41	808.33	530.05	2404.95	0.00	136.37	82.05	64.05	29.11	311.58
असम		0.00	173.18	0.60	665.87	0.00	839.65	0.00	51.95	0.00	124.15	75.79	251.89
अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00	37.68	0.00	0.00	37.68	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	11.30
नागालैंड		0.00	0.00	34.58	0.00	0.00	34.58	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	10.37
मणिपुर		0.00	31.55	0.00	0.00	0.00	31.55	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	9.47
मेघालय		0.00	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	10.19
मिजोरम		0.00	34.26	0.86	0.00	0.00	35.12	0.00	0.00	10.54	0.00	0.00	10.54
सिक्किम		0.00	26.30	68.46	0.00	0.00	94.76	0.00	7.69	20.54	0.00	0.00	28.43
त्रिपुरा		0.00	34.37	0.82	148.26	16.83	200.28	0.00	10.31	0.00	43.07	1.66	55.04
कुल (पूर्वोत्तर)		0.00	333.63	1 43.00	814.13	16.83	1307.59	0.00	70.14	72.41	167.22	77.45	387.23
कुल		1946.93	6208.42	13665.30	9595.47	907.55	32323.7	325.01	1321.08	2256.78	1600.00	289.63	5792.50

टिप्पण: उपर्युक्त स्वीकृतियों में भाग-ख परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत शामिल है।

स्रोत: पीएफसी

ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

***394. श्री निशिकांत दुबे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में झारखंड सहित ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का ब्यौरा और संख्या कितनी है तथा निर्माणाधीन पुराने विमानपत्तनों के विस्तार की स्थिति क्या है;

(ख) झारखंड राज्य के देवघर में दूसरे विमानपत्तन के निर्माण हेतु सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) झारखंड में नए विमानपत्तन के निर्माण हेतु सरकार के अंश और राज्य सरकार के अंश का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में तीन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे हैं अर्थात् राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद (हैदराबाद), बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, देवनहल्ली (बंगलौर) तथा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोचीन तथा ये सभी हवाईअड्डे प्रचालनिक हैं। हवाईअड्डों का विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, जिसमें वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात संभाव्यता/मांग तथा विशिष्ट हवाईअड्डों के माध्यम से प्रचालित करने के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखा जाता है। निरंतर बढ़ते हुए यात्री यातायात की व्यवस्था करने के लिए भारतीय विमानपान प्राधिकरण ने पहले ही 40 गैर-मेट्रो हवाई अड्डों को विकसित किया है। झारखंड में एक हवाई अड्डा सहित 40 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) से (ङ) देवघर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 16.2.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार झारखंड सरकार को हवाई अड्डा परियोजना के 659 एकड़ भूमि तथा 50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है। प्रथम चरण में, इस हवाई अड्डे को एटीआर टाइप के छोटे विमानों को प्रचालन के लिए विकसित किया जाना है। परियोजना के प्रथम चरण की लागत अनुमानत: 250 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई कर रही है। भूमि अधिग्रीण कर लेने तथा उसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के पश्चात, परियोजना के लिए नागर विमानन मंत्रालय से "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्राप्त करने की अगली कार्रवाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

विवरण

40 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों की स्थिति

क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	कुडप्पा	रनवे, टैक्सी वे और एप्रन का निर्माण	26.12	जनवरी-10
2.	राजसुंदरी	नए टर्मिन भवन सहित कार पार्क का निर्माण	43.29	अक्टूबर-11
3.	विजाग	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	94.95	जून-09
4.	विजयवाड़ा	रनवे का विस्तार	47.87	दिसम्बर-09
5.	तिरूपति	नए एप्रन का निर्माण	13.00	अप्रैल-12
असम				
1.	डिब्रूगढ़	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	71.71	अगस्त-09

1	2	3	4	5
		वर्तमान रनवे और टैक्सी वे का मजबूतीकरण	17.71	दिसम्बर-10
		डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर मौसम विभाग के लिए डापलर वेदर राडार का निर्माण	2.18	अप्रैल-12
		फायर स्टेशन का निर्माण	3.24	अप्रैल-12
		रनवे का विस्तार और नए लिंक टैक्सीवे का निर्माण	60.82	जून-09
2.	गुवाहाटी	पृथक विमान पार्किंग का निर्माण	14.15	मार्च-10
		गुवाहाटी हवाईअड्डे पर अधिग्रहित नई भूमि का आंतरिक ड्रेनेज प्रणाली का विकास और नीची जगह को भरना	29.78	जनवरी-11
बिहार				
1.	पटना	जेपीएनआई हवाईअड्डे पर रनवे, टैक्सीवे एवं एप्रन की रिकार्पेटिंग तथा संबंधित कार्य	23.08	अगस्त-11
चंडीगढ़				
1.	चंडीगढ़	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	78.00	मार्च-11
गुजरात				
1.	अहमदाबाद	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	328.00	अगस्त-10
2.	सूरत	रनवे का विस्तार	21.30	अप्रैल-09
		टर्मिनल भवन फेस-2 प्रथम तल का निर्माण	23.68	दिसम्बर-09
झारखंड				
1.	रांची	एप्रन का विस्तार और पृथकवे क निर्माण	12.52	मई-10
जम्मू और कश्मीर				
1.	श्रीनगर	एकीकृत प्रचालनों के लिए नए टर्मिनल भवन का आधुनिकीकरण का और विस्तार	101.33	अप्रैल-09
		एप्र फेस-2 का विस्तार	28.00	मार्च-11
कर्नाटक				
1.	मंगलौर	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	147.00	अक्टूबर-09
	मैसूर	नए टर्मिनल भवन और अनय एन्सिलरी भवनों आईसी रिहायशी मकानों का निर्माण	85.00	सितम्बर-10
केरल				
1	त्रिवेन्द्रम	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन, एप्रन एवं कार पार्क इत्यादि का निर्माण	258.08	अप्रैल
		8वे, टैक्सीवे, जीएसई क्षेत्र एवं सोल्डरर्स का निर्माण	30.92	मई-09

1	2	3	4	5
लक्षद्वीप				
1	अगाती	अगाती पर रनवे का सुदृढ़ीकरण	11.26	नवम्बर-10
मध्य प्रदेश				
1.	भोपाल	रनवे का विस्तार	35.00	जुलाई-09
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	135.00	दिसम्बर-10
		नए एप्रन का निर्माण और संबंधित कार्य	63.78	सितम्बर-10
2.	इंदौर	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा पृथक वे एवं टैक्सी वे का निर्माण	79.00	जुलाई-09
		नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	135.60	मई-11
महाराष्ट्र				
1.	औरंगाबाद	रनवे के विस्तार सहित इलेक्ट्रिकल कार्य	25.68	जनवरी-10
2.	गोदिया	समानान्तर टैक्सी वे का निर्माण	18.61	मार्च-10
		एनआईएटीएम का निर्माण	52.33	जनवरी-11
		मॉड्यूल-2 माली लाउंज का निर्माण तथा संबंधित कार्य	12.97	फरवरी-12
3.	जलगांव	जलगांव हवाईअड्डे का विकास	20.00	दिसम्बर-11
4	पुणे	एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और आधुनिकीकरण	78.00	सितम्बर-10
नागालैंड				
1.	दीमापुर	एप्रन का विस्तार और लिंक टैक्सी वे का निर्माण	13.35	जुलाई-11
पंजाब				
1.	अमृतसर	एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का माड्यूलर विस्तार 2 संख्या कांटेक्ट पार्किंग वे का निर्माण	149.1	जून-09
		3 संख्या अतिरिक्त पार्किंग वे का निर्माण	13.19	जुलाई-09
2.	भटिंडा	एप्रन आइ/सी लिंक टैक्सीवे का निर्माण	6.37	माई-12
		टर्मिनल भवन का निर्माण	2.50	जुलाई-12
राजस्थान				
1	जयपुर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	115.77	जुलाई-09
		नए एप्रन ओर टैक्सीवे का निर्माण	32.00	सितम्बर-09
2.	जैसलमेर	एप्रन एवं टैक्सी ट्रैक का निर्माण	9.94	अप्रैल-10
3.	उदयपुर	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और सहायक कार्य	44.31	मई-09
		एप्रन सहित टैक्सी वे फेस-2 का निर्माण	7.76	जून-11
त्रिपुरा				
1.	अगरतला	वर्तमान रनवे का सुदृढ़ीकरण	37.00	जुलाई-09

1	2	3	4	5
		एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	18.66	अप्रैल-09
		नियंत्रण टावर का निर्माण	9.67	अप्रैल-12
तमिलनाडु				
1.	कोयम्बटूर	समांतर टैक्सी वे भाग का निर्माण और एप्रन का विस्तार	41.51	फरवरी-10
		एकीकृत प्रचालनों के लिएए टर्मिनल भवन का विस्तार और आधुनिकीकरण	78.00	सितम्बर-11
2.	मदुरे	नए एकीकृत भवन का निर्माण तथा सहायक कार्य	128.76	जुलाई-10
उत्तर प्रदेश				
1.	आगरा	टर्मिनल भवन की पुर्ज साज-सज्जा	3.38	दिसम्बर-09
		नए एप्रन और चार वाइड बॉडी विमान तथा टैक्सी वे का निर्माण	41.30	दिसम्बर-09
2.	लखनऊ	नए एकीकृत भवन अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	129.38	अक्टूबर-11
3.	वाराणसी	नए एकीकृत भवन का निर्माण	139.50	अगस्त-10
		एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	40.00	अप्रैल-10
उत्तराखंड				
1.	देहरादून	नए टर्मिनल भवन, सबस्टेशन बनाम एसी प्लांट कक्ष, कार पार्क इत्यादि का निर्माण	35.00	सितम्बर-09
पश्चिम बंगाल				
1.	कूच बिहार	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	12.46	जून-09
2.	बागडोगरा	एप्रन का विस्तार	20.70	सितम्बर-09
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह				
1.	पोर्टब्लेयर	एप्रन और अतिरिक्त टैक्सी वे का विस्तार	34.38	दिसम्बर-09

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना

*395. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री प्रेम दास राय:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत किन-किन स्मारकों को चिन्हित किया गया है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से स्मारकों एवं पर्यटक गंतव्यों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के महत्व के प्रति समाज के सभी वर्गों को संवेदनशील बनाने के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की है। यह अभियान हमारे समाज के सभी वर्गों को अनुनय करने, शिक्षा देने, प्रशिक्षण

देने, प्रदर्शन करने तथा संवेदनशील बनाने के कार्यों का मिश्रण है। इसका उद्देश्य पर्यटक गंतव्यों में स्वच्छता और स्वास्थ्यप्रद उपायों का स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित करना है, जिसे स्वामित्व और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों की भागीदारी से कायम रखा जाएगा।

(ग) मंत्रालय ने इस अभियान के अधीन लगभग 120 स्मारकों/गंतव्यों की पहचान की है, जिसमें भारत में विश्व विरासत स्थल, एएसआई के स्मारक व अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य शामिल हैं। इस अभियान के अंतर्गत स्मारक-वार निधियां आबंटित नहीं की गई है। पहचान किए गए स्मारकों/गंतव्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहचान किए गए स्मारकों/गंतव्यों की सूची

क्र.सं.	स्मारकों/गंतव्यों का नाम	स्थान
1	2	3
1.	आगरा फोर्ट	आगरा (उत्तर प्रदेश)
2.	ताज महल	आगरा (उत्तर प्रदेश)
3.	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली
4.	कुतुब मीनार और इसके स्मारक, दिल्ली	दिल्ली
5.	जंतर मंतर, जयपुर	जयपुर(राजस्थान)
6.	फतेहपुर सीकरी	आगरा (उत्तर प्रदेश)
7.	लाल किला कांप्लेक्स	दिल्ली
8.	नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क	हिमाचल प्रदेश
9.	अजंता गुफाएं	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
10.	एलोरा गुफाएं	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
11.	गोवा के चर्च और कान्वेंट	गोवा
12.	खजुराहों ग्रुप के स्मारक	मध्य प्रदेश
13.	एलिफेंटा गुफाएं	महाराष्ट्र
14.	सांची में बौद्ध स्मारक	मध्य प्रदेश
15.	महाबलिपुरम स्मारकों के ग्रुप	महाबलिपुरम (तमिलनाडु)
16.	हम्पी में स्मारकों के ग्रुप	कर्नाटक
17.	ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 12	तमिलनाडु
18.	पट्टाडकल में स्मारकों के ग्रुप	कर्नाटक
19.	माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया	दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
20.	सूर्य मंदिर कोणार्क	ओडिशा
21.	भीमसेनबेटेका के रॉक शेल्टर्स	मध्य प्रदेश

1	2	3
22.	चंपानेर-पावागढ़ आरकीओॉजिकल पार्क	गुजरात
23.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस)	मुम्बई (महाराष्ट्र)
24.	महाबोधि मंदिर	गया (बिहार)
स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहचान किए गए अन्य स्मारक/गंतव्य		
25.	गोलकोंडा फोर्ट	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
26.	सि केथेड्रिल और सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च कांप्लेक्स	ओल्ड गोवा
27.	ग्वालियर फोर्ट	ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
28.	बौद्ध गुफाएं	कनहेरी (महाराष्ट्र)
29.	जाराक्म और सिंडाई के बीच मेगालिथिक ब्रिज पर उम-न्याकानेथ	उम-न्याकानेथ, मेघालय
30.	जंतर मंतर	दिल्ली
31.	इंडिया गेट	दिल्ली
32.	पुराना किला	दिल्ली
33.	सफदरजंग मकबरा	दिल्ली
34.	राजघाट	दिल्ली
35.	अक्षरधाम	दिल्ली
36.	लोधी मकबरा	दिल्ली
37.	चांदनी चौक	दिल्ली
38..	कनाट प्लेस	दिल्ली
39.	लोटस टेम्पल	दिल्ली
40.	तुगलकाबाद	दिल्ली
41.	दौलताबाद फोर्ट	दौलताबाद/औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
42.	फिरोजशाह पैलेस और तहखाना	हिसार (हरियाणा)
43.	ग्रुप ऑफ टेम्पल्स	चंबा (हिमाचल प्रदेश)
44.	चित्तौड़गढ़ में स्मारकों के ग्रुप	बदोली/चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
45.	जगेश्वर में मंदिरों के ग्रुप	फुलाई गुंथ/अल्मोड़ा (उत्तराखंड)
46.	राजा सुचेत सिंह को समर्पित पुराने महल	रामनगर (जम्मू और कश्मीर)
47.	बिशमाकनगर में अवशेष	मिश्मी/दिबांग (अरुणाचल प्रदेश)
48.	विष्णुडाल	गौरीसागर/सिबसागर (असम)
49.	देवीडाल	गौरीसागर/सिबसागर (असम)

1	2	3
50.	सिवाडाल	गौरीसागर/सिबसागर (असम)
51.	विष्णु का मंदिर	बिशेनपुर (मणिपुर)
52.	किला का अवशेष (दीमापुर के खंडहर)	दीमापुर/कोहिमा (नागालैंड)
53.	दुब्दी मठ	खिओछोड;/फाल्वी (सिक्किम)
54.	उनाकुटी तीर्थ के मूर्ति शिल्प एवं रॉक-कट रिलीफ	उनाकुटी रेंज (त्रिपुरा)
55.	(1) सभी पुरानी इमारतें एवं अन्य स्मारक	राजगीर, नालंदा (बिहार)
	(2) सभी पुरानी इमारतें एवं अन्य पुराने अवशेष जो कि कथित दो पुराने शहरों, जो पुराने और नए राजगृह के रूप में जाने जाते हैं, से आधे मील की दूरी पर स्थित हैं	
56.	सिरपुर गांव और गांव के पूर्व में स्थित टीले के आस-पास का क्षेत्र	सिरपुर/राजपुर (छत्तीसगढ़)
57.	बेनीसागर कांप्लेक्स	बेनीसागर/सिंहभूम (झारखंड)
58.	पर्यटक परिपथ, रांची	रांची (झारखंड)
59.	विष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स	विष्णुपुर/बंकुरा (पश्चिम बंगाल)
60.	चर्च ऑफ होली जीसस, फोर्ट एरिया, दमन	दमन
61.	फोर्ट, दीव	दीव
62.	फोर्ट,	दमन
63.	शनिवार वाड़ा, पुणे	पुणे (महाराष्ट्र)
64.	रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़	रायगढ़ (महाराष्ट्र)
65.	बीबी का मकबरा, औरंगाबाद	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
66.	बीसीलिका ऑफ बॉम जीसस, ओल्ड गोवा	गोवा
67.	बीरचेस ऑफ कालनगुट, बागा, कोल्वा इत्यादि	गोवा
68.	सोमनाथ मंदिर	गुजरात
69.	द्वारकाधीश ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, द्वारका	गुजरात
70.	जामी मस्जिद, चंपानेर, गुजरात	गुजरात
71.	बाग गुफाएं	बाग (मध्य प्रदेश)
72.	मांडु में स्मारक	मांडु (मध्य प्रदेश)
	(1) होशांग शाह का मकबरा	
	(2) रानी रूपमती पेवेलियन	
	(3) रायल कांप्लेक्स	

1	2	3
73.	रामनाथस्वामी टेम्पल, रामेश्वरम	रामेश्वरम (तमिलनाडु)
74.	बिग टेम्पल, तंजावूर (वृहदेश्वरा टेम्पल)	तंजावूर (तमिलनाडु)
75.	विवेकानंद मेमोरियल, कन्याकुमारी	कन्याकुमारी (तमिलनाडु)
76.	बेलुर-हालेबिड-श्रवणबेलागोला	बेलूर (कर्नाटक)
77.	मैसूर-सामनाथपुर-श्रीरंगपट्टनम-बांदीपुर-नागरहोल-काबिनी	मैसूर-(कर्नाटक)
78.	मैसूर पैलेस	मैसरू (कर्नाटक)
79.	फोर्ट कोच्चि, कोच्चि	कोच्चि (केरल)
80.	अलप्पुझा बैकवाअटर्स	कुमाराकोम (केरल)
81.	कुमाराकोम-बैकवाटर्स	अलप्पुझा (केरल)
82.	वरकला-बीच	वरकला (केरल)
83.	मुन्नार बस स्टैंड टर्मिनल	मुन्नार (केरल)
84.	कोवालम-बीच	कोवालम (केरल)
85.	चरमीनार	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
86.	हुसैन सागर लेक	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
87.	विशाखापट्टनम-बीच और अराकू वैली	विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)
88.	अमरावती-बौद्ध सथल	आंध्र प्रदेश
89.	कामाख्या मंदिर	गुवाहाटी (असम)
90.	ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूज साइट, मेजर बैंक एंड घाट	ब्रह्मपुत्र (असम)
91.	लोकतक लेक में सांद्रा द्वीप समूह, मणिपुर	मणिपुर (अरुणाचल प्रदेश)
92.	बाग-ए-बहु, जम्मू	जम्मू
93.	पहलगाम	जम्मू और कश्मीर
94.	गुलबर्ग	जम्मू और कश्मीर
95.	सोगमर्ग	जम्मू और कश्मीर
96.	खिलनमर्ग	जम्मू और कश्मीर
97.	शालीमार	जम्मू और कश्मीर
98.	हजरत बाग	जम्मू और कश्मीर
99.	निशात बाग	जम्मू और कश्मीर
100.	डल झील	जम्मू और कश्मीर
101.	जलियावांला बाग	अमृतसर (पंजाब)
102.	अमृतसर टेम्पल (मंदिर तक पहुंच)	अमृतसर (पंजाब)

1	2	3
103.	शिमला माल रोड	शिमला (हिमाचल प्रदेश)
104.	डलहौजी, खजियार	डलहौजी (हिमाचल प्रदेश)
105.	आमेर फोर्ट, आमेर	जयपुर (राजस्थान)
106.	हवा महल	जयपुर (राजस्थान)
107.	सिटी पैलेस	जयपुर (राजस्थान)
108.	सिसौदिया रानी गार्डन	जयपुर (राजस्थान)
109.	घाट की रानी	राजस्थान
110.	सिकंदरा	आगरा (उत्तर प्रदेश)
111.	दशस्वमेध घाट	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
112.	हर की पौड़ी	हरिद्वार (उत्तराखंड)
113.	राम झूला	ऋषिकेश (उत्तराखंड)
114.	बौद्ध काप्लेक्स ललितगिरी	कटक (ओडिशा)
115.	पुरी टेम्पल	पुरी (ओडिशा)
116.	रत्नागिरी और उदयगिरी बौद्ध कांप्लेक्स	जाजपुर (ओडिशा)
117.	शेर शाह सूरी का मकबरा	सासाराम (बिहार)
118.	साइट ऑफ मौर्य पैलेस	पटना (बिहार)
119.	वैशाली के प्राचीन अवशेष	वैशाली (बिहार)
120.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

ग्रामीण व्यापार केन्द्र योजना

*396. **श्री धनंजय सिंह:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तर प्रदेश सहित चयनित जिलों में स्थापित/स्थापित किए जा रहे ग्रामीण व्यापार केन्द्रों द्वारा राज्य-वार कुल कितने रोजगार का सृजन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने धनराशि की सीमित उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ऐसे संसाधनों को चिन्हित किया है, जो इस योजना को पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जिलों तक ही सीमित करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की इस योजना के देश के प्रत्येक जिले तक विस्तारित करने हेतु क्या योजना है तथा इस प्रयोजनार्थ अनुमानत: कितनी धनाराशि की आवश्यकता है और यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) चिन्हित किए गए उन उत्पादों की सूची क्या है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है तथा लोगों में उनकी मांग के बारे में जागरुकता पैदा करने और उनके उत्पादन के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) संस्थापित किए गए ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों के माध्यम से सृजित कुल रोजगार के ब्यौरे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं तथापि, विभिन्न आर.बी.एच. परियोजनाओं के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2007 से आरंभ की गई आरबीएच योजना हेतु बजट आबंटन अत्यल्प रहा है। इस वजह से इस योजना को बीआरजीएफ जिलों एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों के जिलों तक सीमित रखा गया। योजना का कार्यान्वयन अनुमान के विपरीत रहा है एवं विभिन्न साझेदारों की अरुचि की वजह से 12वीं योजना के दौरान इस योजना को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) धातुकर्म, गलीचा, कशीदाकारी, जैव इंधन, बागवानी उत्पाद इत्यादि समेत विभिन्न उत्पादों के लिए बीआरजीएफ परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के जारी नहीं रहने की वजह से इन वस्तुओं के उत्पादन हेतु लोगों को प्रशिक्षित करने व जागृत करने के लिए कोई नया कदम प्रस्तावित नहीं है।

विवरण

आरबीएच परियोजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	500
2.	अरुणाचल प्रदेश	300
3.	असम	2220
4.	बिहार	54
5.	छत्तीसगढ़	4046
6.	हरियाणा	100
7.	हिमाचल प्रदेश	500
8.	झारखंड	1030
9.	कर्नाटक	200
10.	केरल	340
11.	मध्य प्रदेश	उ.न.
12.	महाराष्ट्र	5487
13.	मणिपुर	1065
14.	मेघालय	300
15.	ओडिशा	120
16.	राजस्थान	4050
17.	तमिलनाडु	1140
18.	त्रिपुरा	554
19.	उत्तर प्रदेश	1116
20.	उत्तराखंड	2500
21.	पश्चिम बंगाल	5860
	कुल	31482

टिप्पणी: उ.न. उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

बौद्ध सर्किट

*397. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित कतिपय राज्यों में पर्यटन विकास हेतु बौद्ध सर्किटों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है, क्या मानदंड अपनाए गए हैं और कौन-कौन सी निर्माण परियोजनाएं शुरु की गई हैं/शुरु किए जाने का विस्तार है;

(ग) इस संबंध में स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है तथा बिहार में वैशाली (कोलहुआ) सहित कतिपय नए क्षेत्रों में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की जाएगी?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से

12वीं योजना अवधि के एकीकृत विकास के लिए बौद्ध परिपथों सहित आध्यात्म पर्यटन परिपथों की पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट (एनएलसी) की नियुक्ति की है।

पर्यटन क्षमता के आधार पर राज्यों और स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श से एन.एल.सी द्वारा पहचान किए गए बौद्ध परिपथों की सूची नीचे दी गई है:

(1) धर्मयात्रा परिपथ: बौद्ध गया (बिहार)-सारनाथ (उत्तर प्रदेश)-कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)-पिपरवाह (उत्तर प्रदेश)

(2) विस्तारित धर्मयात्रा परिपथ: बौद्ध गया (बिहार)-नालंदा (बिहार)-राजगीर (बिहार)-पटना (बिहार)-वैशाली (बिहार)-विक्रमशिला (बिहार)-सारनाथ (उत्तर प्रदेश)-कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)-कपिलवस्तु (उत्तर प्रदेश)-संकिसा (उत्तर प्रदेश)-पिपरवाह (उत्तर प्रदेश)

निर्धारित परिपथों की पहचान करते समय अवसंरचना अंतर को पूरा करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।

(ग) पहचान किए गए परिपथों के लिए राज्यों/संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अभी कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गई हैं।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए संबंधित राज्य स्तर निगरानी समितियों की स्थापना की है। पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सम्मेलनों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों द्वारा भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए राज्य स्तर निगरानी समितियों की रिर्पोट पर्यटन मंत्रालय को आवधिक रुप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र

***398. श्री के. सुगुमार:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक राज्य इस शर्त को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी अनुपालन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अपनी अनिवार्य नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को पूरा करने हेतु निजी कंपनियों से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमणपत्र क्रय करने की अनुमति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और विद्युत विनियामक फोरम ने मौजूदा आरईसी विनियमों में संशोधन करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा देश के सुदूर क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सृजन हेतु निजी कंपनियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) में राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के लिए अन्य बातों के साथ-साथ खपत की एक प्रतिशतता निर्धारित किए जाने का प्रावधान है जिसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना होगा और जिसे अक्षय खरीद अनिवार्यता (आरपीओ) कहा गया है। विभिन्न राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किए गए आरपीओ लक्ष्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या एल-1/12/2010-सीईआरसी के द्वारा एक विनियम अधिसूचित किया गया है जिसे "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन हेतु अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र को मान्यता देने तथा जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010" के नाम से जाना जाता हैं इस विनियम की मुख्य विशिष्टताएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत सरकार द्वारा निजी कंपनियों को देश के दूरस्थ क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों एवं उपकरणों की संस्थापना करने के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। प्रोत्साहन की मात्रा और प्रकार क्षेत्र, क्षमता अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ग्रिड-संबद्ध अथवा ऑफ-ग्रिड, लाभार्थी की श्रेणी आदि पर निर्भर करते हैं।

विवरण I

विभिन्न राज्य विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित अक्षय विद्युत खरीद अनिवार्यता (आरपीओ)

	अक्षय ऊर्जा स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	गैर-सौर	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%					
	सौर	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%					
	कुल	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%					
अरुणाचल प्रदेश											
असम	गैर-सौर	4.05%	5.40%	6.75%							
	सौर	0.15%	0.20%	0.25%							
	कुल	4.20%	5.60%	7%							
बिहार	गैर-सौर	3.25%	3.50%	3.75%							
	सौर	0.75%	1.00%	1.25%							
	कुल	4.00%	4.50%	5.00%							
छत्तीसगढ़	सौर	0.50%									
	बायोमास	3.75%									
	अन्य अक्षय ऊर्जा	1.50%									
	कुल	5.75%									
दिल्ली (प्रारूप)	गैर-सौर	4.60%	5.95%	7.30%	8.65%						
	सौर	0.20%	0.25%	0.30%	0.35%						
	कुल	4.80%	6.20%	7.60%	9.00%						
जेईआरसी (गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्र)	गैर-सौर	2.60%									
	सौर	0.40%									
	कुल	3.00%									
गुजरात	सौर	1%									
	पवन	5.50%									
	बायोमास	0.50%									
	कुल	7%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा	गैर-सौर	1.25%	2.00%								
	सौर	0.75%	1.00%								
	कुल	2.00%	3.00%								
हिमाचल प्रदेश	गैर-सौर	10.00%	10.00%	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%	14.00%	15.00%	15.50%	16.00%
	सौर	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	2.00%	3.00%
	कुल	10.25%	10.25%	10.25%	11.25%	12.25%	13.50%	14.75%	16.00%	17.50%	19.00%
जम्मू और कश्मीर	गैर-सौर	4.75%									
	सौर	0.25%									
	कुल	5.00%									
झारखंड	गैर-सौर	3.00%									
	सौर	1.00%									
	कुल	4.00%									
कर्नाटक	गैर-सौर10% (बीईएससीओएम, एमईएएससीओएम, सीईएससी) और (7% एचईएससीओएम, सीईएससीओएम एवं हुकेरी सोसायटी)										
	सौर	0.25%									
	कुल10.25% एवं 7.25%										
केरल	गैर-सौर	338%	3.74%	4.14%	4.58%						
	सौर	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%						
	कुल	3.63%	3.99%	4.39%	4.83%						
मध्य प्रदेश	गैर-सौर	3.40%	4.70%	6.00%							
	सौर	0.60%	0.80%	1.00%							
	कुल	4.00%	5.50%	7.00%							
महाराष्ट्र	गैर-सौर	7.75%	8.50%	8.50%	8.50%						
	सौर	0.25%	0.50%	0.50%	0.50%						
	कुल	8.00%	9.00%	9.00%	9.00%						
मणिपुर	गैर-सौर	4.75%									
	सौर	0.25%									
	कुल	5.00%									
मिजोरम	गैर-सौर	6.75%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सौर	0.25%									
	कुल	7.00%									
मेघालय	पवन	0.20%									
	गैर-सौर	0.40%									
	सौर	0.40%									
	कुल	1.00%									
नागालैंड	गैर-सौर	7.75%									
	सौर	0.25%									
	कुल	8.00%									
ओडिशा	गैर-सौर	1.00%	1.60%	2.00%	2.00%						
	सौर	0.15%	0.20%	0.25%	0.30%						
	सह-उत्पादन	3.95%	4.20%	4.45%	4.70%						
	कुल	5.50%	6.00%	6.50%	7.00%						
पंजाब	गैर-सौर	3.37%	3.81%								
	सौर	0.13%	0.19%								
	कुल	3.50%	4.00%								
राजस्थान	गैर-सौर	6.35%	7.2%								
	सौर	0.75%	1.0%								
	कुल	7.10%	8.20%								
सिक्किम											
तमिलनाडु	गैर-सौर	9.0%									
	सौर	0.1%									
	कुल	9.1%									
त्रिपुरा	गैर-सौर	1.90%									
	सौर	0.10%									
	कुल	2.00%									
उत्तराखंड	गैर-सौर	5.0%									
	सौर	0.05%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कुल	5.05%									
उत्तर प्रदेश	गैर-सौर	5.00%									
	सौर	1.00%									
	कुल	6.00%									
पश्चिम बंगाल											
	कुल	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%			

विवरण II

आरईसी तंत्र की मुख्य विशिष्टताएं

- अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) तंत्र अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और अक्षय विद्युत खरीद अनिवार्यता (आरपीओ) को सुसाध्य बनाने के लिए एक बाजार आधारित साधन है।
- आरईसी तंत्र का उद्देश्य राज्य में आरई संसाधन की उपलब्धता और आरपीओ को पूरा करने के लिए इकरारबद्ध इकाइयों की आवश्यकता के बीच की असमानता को दूर करना है।
- अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के समतुल्य विद्युत उत्पादन की लागत तथा पर्यावरणिक विशिष्टताओं की लागत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अक्षय ऊर्जा उत्पादकों के पास दो विकल्प हैं 1) अक्षय ऊर्जा को अधिमान्य शुल्क-दर पर बेचना अथवा 2) विद्युत उत्पादन और अक्षय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पर्यावरणिक विशिष्टताओं को अलग-अलग बेचना।
- पर्यावरणिक विशिष्टताओं का विनिमय अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (आरईसी) के रूप में किया जा सकता है।
- अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) अक्षय विद्युत उत्पादकों को ग्रिड में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आपूरित 1 मेगावाट विद्युत के लिए जारी किया जाता है।
- आईसी केवल आरई उत्पादकों को जारी किया जाता है।
- आईसी की खरीद इकरारबद्ध इकाइयों द्वारा अधिकतम की धारा 86(1)ई के अंतर्गत अपनी आरपीओ को पूरा करने हेतु की जाती है। आरईसी की खरीद को आरपीओ अनुपालन के लिए आरई की खरीद के रूप में माना जाएगा।
- एमएनआरई द्वारा अनुमोदित ग्रिड-संबद्ध अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- मौजूदा पीपीए वाले आरई उत्पादन आरईसी तंत्र के लिए पात्र नहीं हैं।
- एसईआरसी द्वारा आरपीओ अनुपालन के लिए वैध तंत्र के रूप में आरईसी को मान्यता दी जाएगी।
- पंजीकरण, आधान तथा राष्ट्रीय स्तर पर आईसी ढांचे के कार्यान्वयन संबंधी अन्य कार्य
- केन्द्रीय एजेंसी में आरईसी के लिए केवल प्रत्याशित परियोजना ही पंजीकरण करा सकती है।
- आरईसी का विनियम केवल सीईआरसी अनुमोदित विद्युत विनियमों पर किया जाता है।
- आरईसी का विनिमय सीईआरसी द्वारा निर्धारित परिहार (फॉरवियरैंस) मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के भीतर किया जाता है।

[हिन्दी]

गर्भपात की गोलियों/किट तथा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

*399. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गर्भपात की गोलियों/किट तथा प्रतिबंधित दवाओं के अवैध/बेरोकटोक विपणन और ब्रिकी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी गोलियों/किट तथा प्रतिबंधित दवाओं के विपणन/ब्रिकी पर रोक लगाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा देश में बिक्री हेतु अनुमत्य दवाओं की समीक्षा के लिए क्या तंत्र बनाया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार कैंसर की दवा ग्लिवेक सहित कतिपय दवाओं के सम्भावित दुष्प्रभाव के मद्देनजर उनके विपणन की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत प्रतिबंधित औषधों का उत्पादन और बिक्री निषेध है और यह एक दंडनीय अपराध है। तथापि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विगत हाल ही में प्रतिबंधित औषध की बिक्री के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई है। जहां तक गर्भपात की गोलियों का सवाल है, ये औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची एच के अंतग्रत अनुमोदित औषध हैं और इन्हें पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायिक द्वारा निर्धारित करने (प्रिस्क्रिप्शन) पर ही बेचा जाना अपेक्षित होता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गर्भपात गोलियों/किटों की अवैध/अनियंत्रित बिक्री के संबंध में छापे मारे हैं और विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 30 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।

(ग) से (ङ) किसी भी औषध के बारे में सूचित किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव के मामले में उस औषध के इस्तेमाल का उपलब्ध तकनीकी सूचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय औषध के इस्तेमाल का उपलब्ध तकनीकी सूचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय आवश्यकताओं और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता आदि के आधार पर इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समितियों/औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड (डीटीएबी) से परामर्श करके मूल्यांकन किया जाता है। विशेषज्ञ समितियों/औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार राजपत्र अधिसूचना के जरिए देश में औषधों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाती है। आज की तारीख के अनुसार देश में विपणन के लिए 90 औषधों/औषधों की श्रेणियों पर रोक लगाई गई है। औषध ग्लिवेक के बारे में सरकार को औषध के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की कोई सूचना नहीं मिली है।

सामाजिक सुरक्षा करार

***400. राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के साथ उन देशों में रह रहे/काम कर रहे भारतीय मूल के लोगों के संरक्षण हेतु कोई सामाजिक सुरक्षा/संरक्षा करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त करारों की देश-वार प्रमुख विशेषताएं क्या हैं:

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किसी अन्य देश के साथ बातचीत कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय देशों द्वारा उक्त करारों के उल्लंघन की घटनाओं के बारे में बताया गया है/सरकार के ध्यान में आई हो और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) जी हां।

(ख) द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार, निम्नलिखित लाभ प्रदान करके, भारतीय व्यावसायिकों के हितों का संरक्षण करते हैं:

* "तैनात" (असम्बद्ध) कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट, बशर्ते कि कामगार भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत कवर होता हो और संविदा की अवधि के दौरान, भारतीय प्रणाली को अपने अंशदान का भुगतान जारी रखता हो।

* देय सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने के पश्चात् भारत अथवा किसी अन्य देश में रिलोकेशन के मामले में सामाजिक सुरक्षा लाभों की निर्यात्यता।

* प्रत्येक देश के विधान के अंतर्गत लाभ/पेंशन के लिए पात्रता का मूल्यांकन करने के प्रयोजनों हेतु दोनों देशों से संबंधित अंशदान की अवधियों का "राशिकरण"।

(1) सरकार ने अभी तक निम्नलिखित देशों के साथ सामाजिक देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करार संपन्न किए हैं: बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी (केवल तैनात कामगारों के लिए सामाजिक बीमा), स्विटजरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क।

(2) वे देश, जिनके साथ भारत ने पहले ही सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन फार्मों को अंतिम रुप देना प्रक्रियाधीन होने के कारण की वजह से लागू नहीं हुए हैं, निम्नलिखित हैं:

हंगरी चैक रिपब्लिक, नार्वे, जर्मनी (व्यापक करार) और फिनलैंड।

(3) वे देश, जिनके साथ बातचीत पूरी हो गई है, लेकिन करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैं: आस्ट्रिया, कनाडा, पुर्तगाल और स्वीडन।

(ग) जी हां। सरकार आस्ट्रेलिया, जापान और यूके के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर बातचीत कर रही है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। पिछले 3 वर्षों अथवा चालू वर्ष के दौरान किसी भी देश द्वारा सामाजिक सुरक्षा करार के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

[अनुवाद]

निजी विमान

***401. श्री एस. सेम्मलई:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी कंपनियों/व्यक्तियों के स्वामित्व वाले विमानों तथा देश में विमानपत्तनों पर उपलब्ध पार्किंग सुविधाओं का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देशभर में विभिन्न विमानपत्तनों पर निजी विमानों की पार्किंग से संग्रहित राजस्व का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निजी कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा विमान की अधिप्राप्ति संबंधी कतिपय विनियम जारी अथवा लागू किए गए हैं/जारी अथवा लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में निजी स्वामित्व वाले 60 विमान है। इनका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान निजी विमानों के लिए पार्किंग सुविधा और हवाईअड्डों पर इन विमानों की पार्किंग से एकत्रित राजस्व का हवाईअड्डा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) सेक्शन-2, उड़नयोग्यता सीएआर श्रृंखला-च, भाग-XXI, इश्यू-2, दिनांक 07.11.1997 निजी कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा विमानों के अर्जन की प्रक्रिया को विनियमिति करती है। उक्त सीएआर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की वेबसाइट dgca.nic.in पर उपलब्ध है।

विवरण I

देश में निजी स्वामित्व वाले विमान

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	विमान का नाम विमान - मालिक	क्षेत्र	पंजीकरण की तारीख प्रचालक	कोफा वैधता
1	2	3	4	5	6
1.	एसएमआई	गल्फस्ट्रीम जीवी विलमिंग्टन ट्रस्ट कंपनी 1100 नाथ मार्केट स्ट्रीट विलमिंगटन डीई 19890 यूएसए	मुम्बई	27.07.2006 एस्सार शिपिंग पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड पीओ 7945, महालक्ष्मी मुम्बई	31.07.2013
2.	एएटी	फाल्कन 2000 ओरेंज लिजिंग लिमिटेड पोस्ट बॉक्स 1093 जीटी क्विन्सगेट हाउस साउथ चर्च स्ट्रीट, जॉर्ज टाउन, केमैन आइलैंड	मुम्बई	14.02.2006 रिलायंस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स प्रा.लि. 6ठा तल, नगीनमहल 82, वीर नारीमन रोड, चर्च गेट, मुम्बई, 400020	22.12.2012

1	2	3	4	5	6
3.	ईएचवी	सेसना क्रूसेडर टी-30 ओडिशा स्टीवडोर्स लि. ओएसएल टॉवर, लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा भारतीय	कोलकाता	24.03.2003 ओडिशा स्टीवडोर्स लि. ओएसएल टॉवर, लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा	28.06.2013
4.	वाईयूडी	बीच सुपरकिंग एयर बी-200 ओडिशा स्टीवडोर्स लि. ओएसएल टॉवर, लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा भारतीय	कोलकाता	06.09.2005 ओडिशा स्टीवडोर्स लि. ओएसएल टॉवर, लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा	11.08.2013
5.	वीवीवाई	सिरस एसआर 22 एयरक्राफ्ट आरएस एस्टेट डेवलपर्स प्रा.लि. कॉमर्स, तीसरा तल, इंटरनेशनल बिजनेस पार्क, ओबेराय गार्डेन सिटी, ऑफ डब्ल्यू वी हाइवे, गोरेगांव मुम्बई-400063 भारतीय	मुम्बई	30.12.2010 आरएस एस्टेट डेवलपर्स प्रा.लि. कॉमर्स, तीसरा तल, इंटरनेशनल बिजनेस पार्क, ओबेराय गार्डेन सिटी, ऑफ डब्ल्यू वी हाइवे, गोरेगांव मुम्बई-400063 भारतीय	20.01.2016
6.	केडीए	बीच 1900डी रिलायंस कॉमर्शियल डीलर्स लि. तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 भारतीय	मुम्बई	23.01.1998 रिलायंस कॉमर्शियल डीलर्स लि. तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	30.06.2013
7.	आरपीएल	हॉकर 800 एक्सपी रिलायंस कॉमर्शियल डीलर्स लि. तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	मुम्बई	30.01.2006 रिलायंस कॉमर्शियल डीलर्स लि. तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	14.03.2014
8.	ईएचबी	बीच सुपरकिंग एयर बी-200 सराया इंडस्ट्रीज लि. 302, थापर आर्केड 47 कालुसराय, हॉजखास नई दिल्ली	दिल्ली	18.12.1981 सराया एविएशन प्रा.लि.	21.09.2012
9.	सीएमओ	हॉकर 750 भारतीय इस्पात प्राधिकरण भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई	कोलकाता	25.05.2009 भारतीय इस्पात प्राधिकरण	28.06.2014
10.	ईएलजेड	बीच किंग एयर एफ 90ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई	मुम्बई	22.12.1986 भरतीय इस्पात प्राधिकरण	05.03.2013
11.	एसएजेड	बीच किंग एयर बी-200 भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस्पात भवन लोधी रोड, नई दिल्ली	मुम्बई	27.11.2003 भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस्पात भवन लोधी रोड, नई दिल्ली	08.11.2012
12.	टीएएस	पिलासर्कस, पीसी-12 एनजी टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय भवन, टावर-1	कोलकाता	13.11.2003 टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय भवन, टावर-1 10वां तल,	30.09.2012

1	2	3	4	5	6
		10वां तल, 124 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली भारतीय		सर्कस, नई दिल्ली	
13.	आरटीआर	बीचक्राफ्ट प्रीमियर 1ए-390 टीवीएस मोटर कंपनी लि. जय लक्ष्मी एस्टेट्स, पांचवां तल, 29 हेडोस रोड, चेन्नै-600006 भारतीय	चेन्नै	23.07.2010 टीवीएस मोटर कंपनी लि. जय लक्ष्मी एस्टेट्स, पांचवां तल, 29 हेडोस रोड, चेन्नै-600006	03.05.2015
14.	बीएएस	बीच सुपरकिंग एयर बी-200 तूतीकोरीन आयरन एंड स्टील कंप.प्रा.लि. 302/ए, पूनम चेम्बर्स, ए विंग डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018 भारतीय	मुम्बई	27.10.2010 तूतीकोरीन आयरन एंड स्टील कंप.प्रा.लि. 302/ए, पूनम चेम्बर्स, ए विंग डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018	13.09.2012
15.	जेएसआर	किंग एयर बी-200 जीटी टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय भवन टावर-1 10वां तल, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली भारतीय	कोलकाता	27.10.2010 जीटी टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय भवन टावर-1 10वां तल, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली	30.07.2015
16.	आईओओ	पिलाट्स जीटी टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय भवन टावर-1 10वां तल, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली	कोलकाता	05.09.2008 जीटी टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय भवन टावर-1 10वां तल, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली	06.10.2012
17.	एसएफएम	एम्ब्रेयर 500 टीवी सुंदरम आयंगार एंड संस लि. 7-बी, वेस्ट वैली स्ट्रीट, मदुरै-62001 भारतीय	चेन्नै	11.01.2011 टीवी सुंदरम आयंगार एंड संस लि. 7-बी, वेस्ट वैली स्ट्रीट, मदुरै-62001	21.10.2015
18.	वाईएसएफ	किंग एयर सी-90 जीटीआई यजदानी इंटरनेशनल (प्रा.) लि. 7वां तल, सी-विंग, फॉर्चून टावर्स, चंद्रशेखरपुर, भेवनेश्वर-751023 भुवनेश्वर भारतीय	कोलकाता	20.09.2011 यजदानी इंटरनेशनल (प्रा.) लि. 7वां तल, सी-विंग, फॉर्चून टावर्स, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 भुवनेश्वर	30.08.2016
19.	एसएसएन	हॉकर 850 एक्सपी जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लि. 135, कोंटिनेंटल बिल्डिंग, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुम्बई-400018 भारतीय	मुम्बई	17.05.2012 जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लि. 135, कोंटिनेंटल बिल्डिंग, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुम्बई-400018	21.09.2016
20.	यूडीआर	होकर 900 एक्सपी वेंकेटेश्वर हैचरिज लि. वेंकेटेश्वर हाउस नं. 3-5-808 और 801/1 हैदरगुड़ा हैदराबाद	मुम्बई	11.09.2011 वेंकेटेश्वर हैचरिज लि. वेंकेटेश्वर हाउस नं. 3-5-808 और 801/1 हैदरगुड़ा हैदराबाद	24.09.2016

1	2	3	4	5	6
21.	ईआरएक्स	पाइपर नवाजो इलैक्ट्रा टैक कॉरपोरेशन प्रा.लि. ई-2/16 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	मुम्बई	27.09.1991 कॉन्टीनेंटल एविएशन प्रा.लि. ई-4/130, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	28.01.2013
22.	एएनएफ	रेथियॉन प्रीमियर-1 फोर्स मोटर लि. मुम्बई, पुणे रोड आकुर्डी, पुणे भारतीय	मुम्बई	24.01.2006 फोर्स मोटर लि. मुम्बई, पुणे रोड आकुर्डी, पुणे	01.07.2013
23.	एनकेएफ	बीच किंग एयी सी90ए फोर्स मोटर लि. मुम्बई, पुणे रोड आकुर्डी, पुणे	मुम्बई	14.09.1995 फोर्स मोटर लि. मुम्बई, पुणे रोड आकुर्डी, पुणे	30.09.2013
24.	आईजेएस	सेसना आर172के डॉ. फिरदौस पी. बाटीवाला तथा मिहिर डी भगवती 104 सागर मैन्शन 40बी, देसाई रोड मुम्बइ	मुम्बई	04.12.1998 डॉ. फिरदौस पी. बाटीवाला तथा मिहिर डी भगवती 104 सागर मैन्शन 40बी, देसाई रोड मुम्बई	21.11.2012
25.	बीएवी	गल्फस्ट्रीम 100 अस्ट्रा ग्रासिस इंडस्ट्रीज लि. क्वींस मेंशन प्रथम तल, प्रेसकॉट रोड, मुम्बई	मुम्बई	30.01.2003 ग्रासिस इंडस्ट्रीज लि. क्वींस मेंशन प्रथम तल, प्रेसकॉट रोड, मुम्बई	21.11.2012
26.	आरएसबी	बीच सुपर किंग एयर बी-200 ग्रीव्ज ट्रेवल इंडिया प्रा.लि. 047बी, जंगपुरा-बी, मथुरा रोड नई दिल्ली भारतीय	मुम्बई	05.05.1995 एयर वर्क्स इंडिया इंजी.प्रा.लि. मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांताक्रूज (इस्ट) मुम्बई एडब्ल्यूआई	12.04.2013
27.	बीआरएस	गल्फ स्ट्रीम जी 550 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. बिरला ग्राम नागदा (म.प्र.)	मुम्बई	21.04.2010 ग्रासिस इंडस्ट्रीज लि. यूको बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली ग्रासिम	25.02.2014
28.	एलएनटी	बीच सुपर किंग एयर बी-200 लार्सन एंड टूब्रो एल एंड टी हाउस बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई	मुम्बई	04.02.1994 लार्सन एंड टूब्रो एल एंड टी हाउस बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई	13.09.2013
29.	ओएसएल	सेसना 172 ओडिशा स्टीवर्डोस लि. जय प्रकाश मार्ग बादामबाड़ी कटक, ओडिशा	कोलकाता	08.10.1996 ओडिशा स्टीवर्डोस लि. जय प्रकाश मार्ग बादामबाड़ी कटक, ओडिशा	10.01.2013
30.	एवीवाई	अगस्ता एडब्ल्यू 119 एमके-2 अविनाश भोसले, रविन्द्र शिंदे, दिलीप मोहिते भोसले पवेलियन, 759/34 भंडारकर रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-411004	मुम्बई	27.06.2012 अविनाश भोसले, रविन्द्र शिंदे, दिलीप मोहिते भोसले पवेलियन, 759/34 भंडारकर रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-411004	22.05.2017

1	2	3	4	5	6
31.	वेजेबी	ग्लोबल 5000 जीवीएफडी बजाज ऑटो लि. एविएशन डिवीजन, आरकुड़ी, पुणे-411035 भारतीय	मुम्बई	16.07.2012 बजाज ऑटो लि. आरकुड़ी, पुणे-411035	20.06.2017
32.	टीएमएस	गल्फ स्ट्रीम जी 550 मैसर्स अवन्ता होल्डिंग लि. थापर हाउस, 124 जनपथ, नई दिल्ली-110001 भारतीय	दिल्ली	03.01.2011 मैसर्स अवन्ता होल्डिंग लि. थापर हाउस, 124 जनपथ, नई दिल्ली-110001 भारतीय	12.12.2015
33.	एईएल	बीच सुपर किंग एयर बी-200 अडानी हाउस, एनआर मिथखाली सर्कल, भारतीय	मुम्बई	01.12.2004 अडानी एक्सपोर्ट लि. अडानी हाउस सी-105 आनंद निकेतन, नई दिल्ली	15.11.2013
34.	ईक्यूओ	बीच किंग एयर सी-90ए अल्केमिस्ट एयरवेज प्रा.लि. एससीओ-12-13, सेक्टर-9डी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ भारतीय	दिल्ली	26.06.2006 अल्केमिस्ट एयरवेज प्रा.लि. एससीओ-12-13, सेक्टर-9डी, मध्य मार्ग, चंडीगढ	06.01.2013
35.	यूएफओ	सेसना 206एच डायरेक्टी इंटरनेट सॉल्यूशंस प्रा.लि. 527वाल्केश्वर रोड, जालान हाउस, 5वां तल, वाल्केवश्वर, मुम्बई-400006 भारतीय	मुम्बई	23.02.2010 डायरेक्टी इंटरनेट सॉल्यूशंस प्रा.लि. 527वाल्केश्वर रोड, जालान हाउस, 5वां तल, वाल्केवश्वर, मुम्बई	27.10.2014
36.	टीवीआर	हॉकर डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लि. 36, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद, हैदराबाद भारतीय	चेन्नै	23.02.2010 डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लि. 36, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद, हैदराबाद	27.10.2014
37.	एआरआर	हॉकर 850 एक्सपी सेसना फाइनेंस कॉरपोरेशन 220, वेस्ट डग्लस, सुईट 300 पोस्ट बॉक्स 308, विचिटा, कांसा, विचिटा यूएसए	मुम्बई	01.08.2008 फयूचुरा ट्रेवल्स लि.	03.05.2013
38.	एसबीके	फॉल्क्न 900 भारत फोर्ज कं.लि. मुंडवा, पुणे	दिल्ली	01.06.2007 भारत फोर्ज कं.लि. मुंडवा, पुणे	22.05.2013
39.	एनएआर	डायमंड डीए 40 श्री आर. नरेश 16, जवाहर रोड, मदुरै-625002 तमिलनाडु भारतीय	चेन्नै	14.02.2012 श्री आर. नरेश 16, जवाहर रोड, मदुरै-625002 तमिलनाडु	10.11.2006

1	2	3	4	5	6
40.	वीडीएम	हॉकर-4000 मॉडर्न रोड मेकर्स प्रा.लि. आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई भारतीय	मुम्बई	04.11.2010 मॉडर्न रोड मेकर्स प्रा.लि. आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई	11.10.2015
41.	एएचबी	सेसना कैरावैन आई-208 एमएसपीएल लि., नेहरू कॉपरेटिव कॉलोनी, होस्पेट-583203 भारतीय	चेन्नै	28.09.2004 एमएसपीएल लि., नेहरू कॉपरेटिव कॉलोनी, होस्पेट-583203	20.07.2014
42.	एमसीआर	सेसना 206एच एमसी लियोर्ड रसेल इंडिया लि. फोर मैंगो लेन, सुरेन्द्र मोहन घोष सरणी कोलकाता-700001 भारतीय	कोलकाता	03.08.2007 एमसी लियोर्ड रसेल इंडिया लि. फोर मैंगो लेन, सुरेन्द्र मोहन घोष सरणी कोलकाता-700001	27.06.2013
43.	ईटीयू	सेसना ए 185 स्काईवागो एमसी लियोर्ड रसेल इंडिया लि. फोर मैंगो लेन, सुरेन्द्र मोहन घोष सरणी कोलकाता-700001 भारतीय	कोलकाता	07.09.2006 एमसी लियोर्ड रसेल इंडिया लि. फोर मैंगो लेन, सुरेन्द्र मोहन घोष सरणी कोलकाता-700001	26.06.2013
44.	एमएएम	लीयरजेट 60 एक्सआर महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि. टॉवर्स, जीएम भोसले मार्ग वर्ली, मुम्बई भारतीय	मुम्बई	09.02.2001 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि. महेन्द्रा टॉवर्स, जीएम भोसले मार्ग वर्ली, मुम्बइ	17.02.2016
45.	एलएमडब्ल्यू	बीच सुपरकिंग एयर बी-200 लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि. एसआरकेवी पोस्ट पेरियानैक्कपालयम कोयम्बटूर	चेन्नै	10.08.2007 लक्ष्मी मिल्स कं.लि. कोयम्बटूर	19.09.2012
46.	एलपीएच	सेसना 206 एच द लेक पैलेस होटल्स एंड मोटल्स लि. सिटी पैलेस उदयपुर	दिल्ली	16.08.2004 द लेक पैलेस होटल्स एंड मोटल्स लि. सिटी पैलेस उदयपुर	05.08.2014
47.	एलकेके	बीच सुपर किंग एयर 350 किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लि. किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. किर्लोस्कर न्यूमैटिक कं. भारत फोर्ज पुणे	मुम्बई	07.07.2005 (1) किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लि. (2) किर्लोस्कर फैरस इंड.लि. (3) किर्लोस्कर इलैक्ट क.	14.04.2015
48.	सीकेपी	ईएमबी 135 बीजे कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी 1259, लक्ष्मी टॉवर्स,	चेन्नै	05.03.2010 कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी 1259,	17.02.2015

1	2	3	4	5	6
		रोड-36 जुबली हिल्स, हैदराबाद भारतीय		लक्ष्मी टॉवर्स, रोड-36 जुबली हिल्स, हैदराबाद	
49.	टीएसके	एम्ब्रेयर 500 कल्याण ज्यूलर्स इंडिया प्रा.लि. टीसी-35/1403, श्री कृष्ण बिल्डिंग वेस्ट पैलेस रोड, त्रिशुर केरल-680020 त्रिशुर भारतीय	चेन्नै	31.01.2012 कल्याण ज्यूलर्स इंडिया प्रा.लि. श्री कृष्ण बिल्डिंग वेस्ट पैलेस रोड, केरल	21.12.2016
50.	जेएसडब्ल्यू	सेसना केरावैन आई-208 जिंदल विजयनगर स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई भारतीय	चेन्नै	20.12.2004 जिंदल विजयनगर स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई	22.06.2013
51.	जेएसई	बम्बार्डियर चैलेन्जर 300 जेएसडब्लयू जिंदल विजयनगर स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई भारतीय	मुम्बई	23.07.2008 जेएसडब्लयू स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई	06.12.2013
52.	ओपीजे	सेसना सइटेशन जेट 525 जेएसडब्लयू स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई-400026 भारतीय	मुम्बई	13.01.2006 जेएसडब्लयू स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई-400026	11.08.2013
53.	वीडीएन	सिरस एसआर-20 एयरक्राफ्ट जेएसडब्लयू स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई-400026 भारतीय	चेन्नै	13.10.2008 जेएसडब्लयू स्टील लि. जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्ग मुम्बई	23.10.2012
54.	जेएसएस	सेसना 560 एक्सएल जिंदल स्टील एंड पॉवर लि. जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	मुम्बई	30.12.2005 जिंदल स्टील एंड पॉवर लि. जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	18.12.2012
55.	जेएचपी	हॉकर 850 एक्सपी जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. जेए हाउस, 63, बसंत लोक वसंत विहार, नई दिल्ली भारतीय	दिल्ली	19.10.2006 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि. जेए हाउस, 63, बसंत लोक वसंत विहार, नई दिल्ली	01.01.2013
56.	डीआईपी	बीचक्राफ्ट किंग एयर बी 200 जीटी सुश्री इंद्राणी पटनायक ए/6 कॉमर्शियल एस्टेट सिविल टाउनशिप, राउरकेला, ओडिशा 769004 भारतीय	कोलकाता	04.02.2011 सुश्री इंद्राणी पटनायक ए/6 कॉमर्शियल एस्टेट सिविल टाउनशिप, राउरकेला, ओडिशा 769004	22.12.2015

1	2	3	4	5	6
57.	टीएलजी	थोर्प टी-211 मैसर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 63, अशोक विहार, नगर निगम कालोनी, अशोक गार्डन के समीप, भोपाल भारतीय	मुम्बई	13.04.2006 मैसर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 63, अशोक विहार, नगर निगम कालोनी, अशोक गार्डन के समीप, भोपाल	17.10.2013
58.	जेएसपी	सेसना साइटेशन जेट 525 इंडिया फ्लाईसेफ एविएशन लि. जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली भारतीय	दिल्ली	18.01.2006 इंडिया फ्लाईसेफ एविएशन लि. दिल सेंटर, 313 तृतीय तल जी +5 बिल्डिंग आईजीआई नई दिल्ली	14.06.2014
59.	एनजेबी	सेसना 525ए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. सेंटूरी भवन, तीसरा तल, डॉ. एन बेसेंट रोड मुम्बई भारतीय	मुम्बई	15.12.2005 हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. सेंटूरी भवन, तीसरा तल, डॉ. एन बेसेंट रोड मुम्बई	02.04.2014
60.	एचजेए	हॉकर-4000 हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं.लि. हिन्कोन हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (वेस्ट) मुम्बई भारतीय	मुम्बई	10.07.2009 हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं.लि. हिन्कोन हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (वेस्ट) मुम्बइ	09.11.2014

विवरण II

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान हवाईअड्डों के संबंध में एकत्रित राजस्व

क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	धनराशि (रुपये)
1	2	3
1.	चेन्नै	2,01,29,479.00
2.	कोलकाता	1,7115,036.00
3.	औरंगाबाद	54,397.00
4.	बेलगांव	12,141.00
5.	भावनगर	38,954.00
6.	जबलपुर	10,657.00
7.	कांडला	8,958.00
8.	केशोड	404.00
9.	पोरबंदर	76,259.00
10.	राजकोट	6,298.00
11.	भुज	3,412.00
12.	जामगर	91,767.00
13.	सूरत	55,640.00
14.	गोंदिया	6217.00
15.	दीव	2,030.00
16.	अहमदाबाद	47,54,351.00
17.	गोवा	5,70,933.00
18.	पुणे	19,74,471.00
19.	इंदौर	1,13,917.00
20.	जुहू	21,69,855.00

1	2	3
21.	भोपाल	3,76,147.00
22.	बड़ोदरा	39,769.00
23.	अगरतला	10,866.00
24.	बागडोगरा	17,449.00
25.	डिब्रूगढ़	2,098.00
26.	दीमापुर	151.00
27.	जीएचवाई हवाईअड्डा	2,53,646.00
28.	इम्फाल	6,622.00
29.	जोरहाट	775.00
30.	लेंगपुई	12,371.00
31.	लीलावाड़ी	1,341.00
32.	सिल्चर	9,192.00
33.	बेल्लौर	1,563.00
34.	कालीकट	4,977.00
35.	कोयम्बटूर	33,998.00
36.	हैदराबाद	25,55,264.00
37.	मदुरै	32,559.00
38.	मंगलौर	87,142.00
39.	त्रिची	27,744.00
40.	त्रिवेन्द्रम	12,37,727.00
41.	विशाखापत्तनम	6,96,031.00
42.	चेन्नै द्वारा नियंत्रित स्टेशन	1,56,275.00
43.	भुवनेश्वर	5,43,385.00
44.	पटना	9,645.00
45.	रांची	60,847.00
46.	रायपुर	1,03,032.00
47.	कानपुर	21,461.00
48.	कोटा	1,811.00
49.	कुल्लू (भुंतर)	23,038.00
50.	लुधियाना	1,266.00
51.	पंतनगर	16,898.00
52.	शिमला	4,387.00
53.	आगरा	63,610.00
54.	ग्वालियर	12,233.00
55.	जोधपुर	29,399.00
56.	लेह	11,888.00
57.	गग्गल	5,933.00
58.	पठानकोट	843.00
59.	अमृतसर	1,08,065.00
60.	सफदरजंग	1,95,021.00
61.	देहरादून	91,410.00
62.	जयपुर	13,44,884.00
63.	खजुराहो	2,30,710.00
64.	लखनऊ	4,01,727.20
65.	उदयपुर	1,23,501.00
66.	वाराणसी	2,05,333.00
67.	सीएटीसी-इलाहाबद	1,200.00
68.	चंडीगढ़	99,700.00
69.	जम्मू	52,433.56
70.	श्रीनगर	17,656.00
71.	आईजीआईए श्रीनगर	3.24 करोड़
72.	जीवीके, मुम्बई	2.55 करोड़
73.	आरजीआईए, शमशाबाद, हैदराबाद	16.06 लाख
74.	बीआईएएल, बंगलौर	2.0 लाख
75.	सीआईएएल, कोचीन	1.5 लाख

ताप विद्युत केन्द्र

*402. **श्री रमेश बैस:**
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की कार्य-निष्पादन, लक्ष्य प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) संबंधी योजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता लाने तथा ईंधन खपत में कमी लाने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों/केन्द्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईंधन और धन के रूप में प्रति वर्ष कितनी बचत होने की संभावना है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मांग आपूर्ति प्रबंधन में सुधार लाने तथा देशभर में ऊर्जा दक्षता मानदंडों के अनुसार विद्युत संयंत्रों को तैयार करने और उसका प्रचालन करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पैट) स्कीम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता लाने और ईंधन की खपत में कमी लाने के लिए 144 ताप विद्युत संयंत्रों/केन्द्रों की पहचान की है। वर्ष 2014-15 में 144 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा 3.211 मिलियन टन के समतुल्य तेल की ऊर्जा बचत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मौद्रिक रूप में यह ईंधन बचत लगभग 3260 करोड़ रुपये के बाराबर होगी।

(घ) 11वीं योजनावधि के दौरान मांग आपूर्ति प्रबंधन में सुधार करने और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम/स्कीमें आरंभ की गईं। ये भवन निर्माण।, उद्योग, उपस्कारों, कृषि नगरपालिकाओं और लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमईएस) के क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा, मांग आपूर्ति प्रबंधन में सुधार लाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन परियोजनाओं की उन्नत योजना बनाने और 13वीं योजना के लिए संदर्शी योजना बनाने तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की कड़ाई से मॉनीटरिंग करने के कार्य भी किए गए हैं।

देश भर में ऊर्जा दक्षता मानदंडों के अनुसार विद्युत संयंत्रों के डिजाइन तथा प्रचालन का कार्य करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें पुराने ताप विद्युत केन्द्रों का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण, इंडो-जर्मन इनर्जी प्रोग्राम (आईजीईएन) के अंतर्गत देश में 85 ताप विद्युत उत्पादक यूनिटों का मैपिंग अध्ययन तथा इलैक्ट्रिक संयंत्रों के निर्माण के लिए सीईए तकनीकी मानकों और इलैक्ट्रिक लाइन्स विनियम-2010 को अधिसूचित करना शामिल है, जो देश में आने वाले केन्द्रों द्वारा अनुपालन किए जाने अपेक्षित दक्षता मानदंड निर्धारित करते हैं।

[हिन्दी]

रोगी कल्याण समितियां

*403. **श्री नारायण सिंह अमलाबे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश में रोगी कल्याण समितियां कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। "रोगी कल्याण समितियों" की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जन स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है और इसलिए राज्य अपनी जनसंख्या को स्वस्थ्य परिचर्या प्रदान करने का उत्तरदायित्व उठाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर फोकस करने के साथ राज्यों में स्वास्थ्य तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2005 में शुरु किया गया था। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर मुख्यतया निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों को एनआरएचएम के अंतग्रत फ्लेक्सिबल आवश्यकता आधारित वित्तपोषण प्रदान किया जाता है:

* भौतिक अवसंरचना का उन्नयन और विनिर्माण सहित तंत्र का सुदृढ़ीकरण;
* स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों का संवर्धन;
* औषधों और उपस्करों सहित आपूर्तिया और संभारतंत्र;
* आपाती अनुक्रिया (इमरजेंसी रेसपोन्स) के लिए एंबुलेंस सहित रोगी परिवहन;

* दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु चल चिकित्सीय यूनिट (एमएमयू);

* सामुदायिकीकरण, जिसमें आशा की सहभागिता और ग्राम स्वस्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां तथा रोगी कल्याण समितियां शामिल हैं;

* जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सहित प्रजनन और बाल स्वस्थ्य में पहलें;

* संचारी रोगों पर विशेष फोकस के साथ रोगी भार में कमी लाना;

* आयुष को मुख्य धारा में लाना

विवरण

एनआरएचएम के अंतर्गत देश में पंजीकृत रोगी कल्याण समितियों (आरकेएस) की संख्या (मार्च, 2012 तक)

राज्य	आरकेएस की कुल संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1980
अरुणाचल प्रदेश	154
असम	1113
बिहार	1891
छत्तीसगढ़	904
गोवा	14
गुजरात	1527
हरियाणा	482
हिमाचल प्रदेश	580
जम्मू और कश्मीर	572
झारखंड	481
कर्नाटक	2547
केरल	1168
मध्य प्रदेश	1576
महाराष्ट्र	3094
मणिपुर	97
मेघालय	146
मिजोरम	77
नागालैंड	162
ओडिशा	1663
पंजाब	615
राजस्थान	2158
सिक्किम	28
तमिलनाडु	1873
त्रिपुरा	104
उत्तर प्रदेश	3721
उत्तराखंड	330
पश्चिम बंगाल	1351
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27
चंडीगढ़	3
दादरा और नगर हवेली	2
दमन और दीव	7
दिल्ली	25
लक्षद्वीप	10
पुदुचेरी	47
कुल	30529

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं से निकटवर्ती क्षेत्रों को विद्युत प्रदान किया जाना

***404. श्री अधीर चौधरी:**
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं के आसपास रहने वाले लोगों/गांवों को चालू/चालू होने

वाली विद्युत परियोजनाओं से वरीयता के आधार पर विद्युत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी नीतियों/दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार एनटीपीसी सुपर ताप विद्युत परियोजना के निकट स्थित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के निवासियों को वरीयता के आधार पर विद्युत दिए जाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत संयंत्रों के 5 किलोमीटर तक आसपास के क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के उपबंध हेतु अप्रैल, 2010 में एक योजना शुरू की। योजना में केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के सभी विद्यमान एवं आगामी विद्युत संयंत्र सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत, सीपीएसयू के बिजलीघर से 5 किमी के दायरे के अंतर्गत सभी राजस्व गांव एवं बस्तियां, उनकी जनसंख्या पर विचार किए बिना, विद्युतीकरण की पात्र हैं। योजना के अनुसार सीपीएसयू की भूमिका डिस्कॉम की विद्यमान अवसंरचना की योजना के प्रचालन के लिए अपेक्षित सीमा तक अनुपूर्ति करना और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को एलईडी बल्ब सहित एक लैंप के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना है। विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार/डिस्कॉम द्वारा की जाएगी। योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों को विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत की निर्धारित मात्रा संयंत्र से आबंटित कोटे के अतिरिक्त राज्य यूटिलिटी को केन्द्र सरकार के अनाबंटित कोटे से उपलब्ध कराई/आबंटित की जाएगी।

(ख) योजना की मुख्य विशेशताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में फरक्का स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट के 5 किलोमीटर तक के आसपास के क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के उपबंध हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित त्रिपक्षीय समझौते पर एनटीपीसी के साथ हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के आस-पास के 5 किलोमीटर क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के प्रावधान की स्कीम

1. **स्कीम का क्षेत्र**- स्कीम में सीपीएसयू के सभी मौजूदा तथा बनने वाले विद्युत संयंत्र शामिल होंगे। स्कीम की लागत उस सीपीएसयू द्वारा वहन की जाएगी जिसका संयंत्र है। इस लागत को सीपीएसयू द्वारा परियोजना लागत के रूप में दर्ज किया जाएगा।

2. **कार्यान्वयन एवं ओ. एंड एम. एजेंसी**- इस स्कीम को सीपीएसयू द्वारा उनके संयंत्रों के आस-पास कार्यान्वित किया जाएगा, जो स्कीम को प्रचालित करने के लिए अपेक्षित मात्रा तक डिस्कॉम की मौजूदा अवसंरचना का अनुपूरण करेगा। तथापि, सीपीएसयू द्वारा प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन को संभव बनाए जाने के लिए आंकड़े, स्वीकृतियां तथा उनके मौजूदा उपकेन्द्रों में पहुंच तथा स्थान प्रदान करने का दायित्व राज्य यूटिलिटी का होगा। इय प्रयोजन हेतु राज्य यूटिलिटी का एक नोडल अधिकारी चिह्नित किया जाएगा।

2.1 चुने गए गांवों में अवसंरचना के पूरा होने के पश्चात, इसे प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए राज्य यूटिलिटी को सौंप दिया जाएगा।

3. **क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति**- सीपीएसयू तथा राज्य यूटिलिटी क्षेत्र में विद्युत आवश्यकता का आकलन करेगी। स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों को विद्युत देने के लिए विद्युत की आकलित मात्रा को संयंत्र के आबंटित कोटे के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के अनाबंटित कोटे से राज्य यूटिलिटी को उपलब्ध करवाया जाएगा/आबंटित किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत, विद्युत की आपूर्ति केवल घरों के लिए ही की जाएगी। क्षेत्र में भविष्य की विद्युत आवश्यकता की गणना के लिए 3% प्रति वर्ष की वृद्धि दर पर विचार किया जाएगा तथा इसी के अनुरूप आवंटन में वार्षिक आधार पर वृद्धि की जाएगी।

3.1 यूटिलिटी द्वारा इन गांवों को दैनिक आधार पर न्यूनतम 6 से 8 घंटों के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाएगी।

3.2 स्कीम के अंतर्गत गांवों को आपूर्ति हेतु अतिरिक्त आबंटित विद्युत की दर विद्युत संयंत्र से राज्य यूटिलिटी को सामान्य आबंटित आपूर्ति की दर से समान होगी।

3.3 जहां ग्रिड विस्तार प्रौद्योगिक-आर्थिक रूप से व्यवहार्य अथवा संभव नहीं है, वहां डीडीजी सहित वैकल्पिक समाधान पर विचार किया जाएगा।

4. **स्कीम का क्षेत्र**- स्कीम के अंतर्गत, सीपीएसयू के विद्युत गृह के 5 किलेमीटर के क्षेत्र के सभी राजस्व गांव तथा आवास, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी हो, विद्युतीकरण के पात्र होंगे। यदि कोई गांव/आवास आंशिक रूप से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आ रहा हो तो स्कीम के अंतर्गत उसे पूरी तरह से शामिल किया जाएगा।

4.1 न्यूनतम एक 11केवी रेडियल फीडर, यदि यह पहले ही मौजूद नहीं है, तो सीपीएसयू द्वारा राज्य यूटिलिटी के निकटतम मौजूदा उप केन्द्र से क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाएगा।

4.2 घरों तथा सार्वजनिक स्थलों को विद्युत आपूर्ति किए जाने के लिए गांवों/आवासों में डाउनलोडेबल मीटर/एएमआर के साथ पर्याप्त क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ट्रांसफार्मरों की क्षमता सभी घरों और सार्वजनिक स्थलों के मौजूदा भार की पूर्ति तथा साथ ही पांच वर्षों की प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए पयाप्त होगी। मीटरों में ट्रांसफार्मरों के माध्यम से की गई विद्युत आपूर्ति का समय/अवधि रिकार्ड करने की सुविधा होगी।

4.3 सीपीएसयू बीपीएल घरों को नि:शुल्क एकल लैंप विद्युत कनेक्शन प्रदान करेंगे। बीपीएल घरों को कनैक्शन के साथ एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। सीपीएसयू द्वारा एलईडी बल्ब की आपूर्ति एक ही बार की जाएगी। अन्य घरों को विद्युत कनैक्शन राज्य यूटिलिटियों द्वारा उनकी नीतियों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

4.4 विद्युत कनैक्शन एरियल केबल्स (एबीसी) के साथ प्रदान किए जाएंगे।

4.5 राज्य यूटिलिटी द्वारा आईपी. सैट्स को विद्युत कनैक्शन उसी 11 केवी फीडर (रों) से प्रदान किए जाएंगे। तथापि, ये उचित मीटरों वाले पृथक ट्रांसफार्मरों से होंगे, ताकि घरों और कृषि की आपूर्ति के लिए ऊर्जा का अलग-अलग लेखा रखा जा सके। इसी प्रकार से, अन्य स्थापनाओं, उद्योगों इत्यादि को आपूर्ति उचित मीटरों वाले पृथक ट्रांसफार्मरों से की जाएगी इस उद्देश्य के लिए ट्रांसफार्मर, फीडर, मीटर इत्यादि राज्य यूटिलिटी द्वारा अपने व्यय से प्रदान किए जाएंगे।

5. स्कीम का कार्यान्वयन

5.1 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, राज्य यूटिलिटी तथा संबंधित सीपीएसयू द्वारा त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.2 राज्य यूटिलिटी सीपीएसयू के बिजली घर के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर के गांवों और आवासों की सूची तैयार करेगी। उनके द्वारा घरों की विद्युत आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। फिर गांवों तथा आवासों, विद्युत आवश्यकता इत्यादि की सूची सीपीएसयू को सौंप दी जाएगी।

5.3 चिह्नित क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना का जीआईएस मैप सीपीएसयू द्वारा तैयार किया जाएगा तथा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित संशोधन चिह्नित किये जाएंगे नक्शों/ड्राइंग पर लगाए जाएंगे तथा सीपीएसयू द्वारा राज्य यूटिलिटियों के साथ मिलकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सीपीएसयू द्वारा विद्युत कनैक्शन प्रदान विुए जाने के लिए बीपीएल घरों की सूची राज्य यूटिलिटी/राज्य प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि, क्षेत्र में कोई विद्युत अवसंरचना मौजूद नहीं है, तो स्कीम के क्षेत्र के अनुसार नयी अवसंरचना राज्य यूटिलिटी तथा राज्य सरकार के साथ मिलकर सीपीएसयू द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सृजित की जाएगी।

5.4 राज्य द्वारा डीपीआर स्वीकृत करने पर, सीपीएसयू डीपीआर की स्वीकृति के 12 महीने में स्कीम का कार्यान्वयन शुरू करके कार्य पूरा करेगा और सृजित अवसंरचना को प्रचालन और अनुरक्षण के लिए राज्य यूटिलिटी को सौंप देगा। उपयुक्त आयोग सीपीएसयू उत्पादन केन्द्र के प्रशुल्क का निर्धारण करने के उद्देश्य से स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सीपीएसयू द्वारा किए गए व्यय पर विचार करेगा। अवसंरचना के ओएण्डएम वा इसके व्यय सहित दायित्व राज्य यूटिलिटी का होगा।

5.5 विद्युत की आकलित/अतिरिक्त आबंटित मात्रा को सीपीएसयू द्वारा राज्य ग्रिड में डाला जाएगा। इंजक्शन प्वाइंट पर ए.एम.आई. स्थापित किया जाएगा। राज्य यूटिलिटी स्थानीय उपकेन्द्रों से विद्युत की इस मात्रा की आपूर्ति निर्दिष्ट गांवों को करेगी। यूटिलिटी फीडर, ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ताओं की उचित मीटरिंग के माध्यम से गांवों को आपूर्ति की गई विद्युत का सही लेखा रखेगी। इस उद्देश्य से, फीडर तथा ट्रांसफार्मरों पर ए.एम.आई. स्थापित किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को सीईए के विनियमों के अनुसार इलैक्ट्रोनिक मीटर प्रदान किए जाएंगे। आबंटित तथा आपूर्तित विद्युत की सीपीएसयू तथा यूटिलिटी द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी तथा सीपीएसयू द्वारा तिमाही आधार पर विद्युत मंत्रालय को एमआईएस भेजा जाएगा। यदि क्षेत्र में वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई विद्युत आबंटित विद्युत से कम या ज्यादा हो तो, बाद के महीनों के लिए आबंटन की समीक्षा की जाएगी।

6. विद्युत आपूर्ति प्रशुल्क- एसईआरसी द्वारा अन्य गांवों के लिए निर्धारित प्रशुल्क इस क्षेत्र के लिए लागू होगा। राज्य यूटिलिटी सभी उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग करेगी, बिल जारी करेगी तथा सामान्य मामलों के अनुसार प्रशुल्क एकत्र करेगी।

7. स्कीम की निगरानी- संबंधित सीपीएसयू तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन तथा प्रचालन की निगरानी की जाएगी।

[हिन्दी]

कागजों का पुनर्चक्रण करके इस्तेमाल

4371. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उद्यमों द्वारा विर्निमित उत्पादों के बारे में विभिन्न परिसंघों/वर्गों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पुनर्चक्रित कागज से बने उत्पादों के मुद्दे पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ समन्वयन और उसकी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बारे में सरकार द्वारा नये विधायी उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) इस मंत्रालय को आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संघों/परिसंघों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पुनर्चक्रित कागज से बने उत्पादों से संबंधित मुद्दों पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जब कभी आवश्यकता होती है आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय से समन्वयन के लिए अधिकारियों की तैनाती करता है।

(च) सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए एक सार्वजनिक अधिप्रापण नीति आदेश 2012 अधिसूचित किया है जो 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गया है। इस नीति के तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं की न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की जानी अनिवार्य है तथा इस नीति के तहत इस 20 प्रतिशत खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की जानी अनिवार्य है तथा इस नीति के तहत इस 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भी करने का उप-लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

इदु-मिश्मी समुदाय

4372. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इदु-मिश्मी एक जनजातीय समुदाय है;

(ख) यदि हां, तो इस जनजाति के इतिहास, आबादी और मूल स्रोत सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जनजातीय समुदाय में आत्महत्या की दर काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस जनजातीय समुदाय में आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने तथा इसके कल्याण हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार "इदु-मिश्मी" समुदाय देश में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना के लिए नोडल मंत्रालय है तथा केवल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों को निपटाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस संबंध में मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

स्पंज-लौह उत्पादन संयंत्र

4373. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह-अयस्क की आपूर्ति न होने के कारण स्पंज-लौह उत्पादन संयंत्रों ने इसका उत्पादन स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योगों की लौह अयस्कता पर निर्भरता की समस्या के हल के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) स्पंज लौह उद्योग सहित लौह तथा इस्पात उद्योग अविनियमित क्षेत्र में आते हैं तथा स्पंज लौह संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति की व्यवस्था व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार की जाती है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन लौह तथा इस्पात उद्योग द्वारा कुल अनुमानित घरेलू खपत से अधिक है। अत: घरेलू लौह तथा इस्पात उद्योग हेतु लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वाँस्थ्य मिशन की नर्सों को नियमित किया जाना

4374. श्री रामकिशुन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत नियुक्त स्टॉफ-नर्सों को नियमित आधार पर नियुक्ति देने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) क्या सरकार का एनआरएचएम के तहत विभिन्न राज्यों, विशेषकर मणिपुर में तैनात स्टॉफ-नर्सों को नियमित आधार पर नियुक्ति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में इन स्टॉफ-नर्सों को यथाशीघ्र नियमित आधार पर नियुक्ति देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 'जन स्वास्थ्य' राज्य का विषय है तथा एनआरएचएम के अंतर्गत मुहैया कराए गए संविदात्मक स्टॉफ की नियमित नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों के दायरें में आती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्पंज-लौह कारखाना स्थापित करना

4375. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के बामनघाटी उप-संभाग में स्पंज/लौह कारखाना लगाने में मध्यस्थ की कोई भूमिका निभाई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) स्पंज लौह उद्योग सहित लौह एवं इस्पात उद्योग अविनियमित क्षेत्र है एवं इस्पात/स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने संबंधी निर्णय व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा लिया जाता है। तथापि, केंद्रीय सरकार मूल रुप से इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए सुविधा प्रदानकर्ता के रुप में कार्य करती है। इसके लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रुप में संबंधित मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। आईएमजी बैठक से संबंधित उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, ओडिसा के मयूरभंज जिले के बामनघाटी उप डिवीजन में स्पंज लौह कारखाना की स्थापना से संबंधित मामले को आईएमजी के सक्षम नहीं उठाया गया है।

[अनुवाद]

महिलाओं की सुरक्षा

4376. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सर्वेक्षण के अंतर्गत भारत को विश्व में महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती वृन्ष्णा तीरथ): (क) से (ग) वेबसाइट www.indiatoday.group.com पर उपलब्ध सूचना के अनुसार थामसन रीयूटर्स फाउंडेशन ग्लोबल पोल ने मतदान के माध्यम से अपनी रिपोर्ट में भारत को महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक देश घोषित किया है। 213 लिंग विशेषज्ञों के बीच मतदान कराया गया जिन्होंने खतरे के छह वर्ग स्वास्थ्य का खतरा, लैंगिक हिंसा, अलैंगिक हिंसा, संस्कृति में जड़ जमा चुकी हानिकारक प्रथाएं,

परम्परा अथवा धर्म एवं आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में कमी और मानव व्यापार के साथ-साथ अपने समूचे बोध से देशों को खतरे का पद दिया। देशों को पद प्रदान करने में प्रयुक्त आंकड़ों का स्तर और औचित्यता देश-देश में भिन्न हो सकते हैं। अत: संभव नहीं है कि उनके मतदान में भारत की स्थिति के संबंध में टिप्पणियां की जाएं।

(घ) भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार देता है और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। साथ ही संविधान राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है संवैधानिक शासनादेश के आलोक में सरकार ने पहले से समाज में महिलाओं का स्तर सुधारने के लिए जिसमें सुरक्षा और सामाजिक बुराईयों को दूर करना भी शामिल है, बहुत से कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनमें विशेष कानून (विधान) जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1961 इत्यादि शामिल हैं। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने स्वाधार और अल्पावास गृह स्कीमें क्रियान्वित की हैं। ऐसी पहल करने से महिलाओं से संबंधित बहुत से विकास संकेतकों में सुधार के परिणाम सामने आए हैं।

राजनयिकों की कमी

4377. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरेश चंद्रा की अध्यक्षता वाले कृतक बल ने समसामयिक चुनौतियों का अनुमान लगा सकने, विश्लेषण कर सकने और उप उपयुक्त कार्रवाई कर सकने वाले राजनयिकों की कमी की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2018 तक भारतीय विदेश सेवा (आई.एफ.एस.) अधिकारियों की संख्या 1800 से अधिक करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का अपने राजनयिकों को विदेशी भाषाएं सिखाने का कोई प्रावधान है ताकि वे अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सकें; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। नरेश चंद्रा कार्यबल की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, जनशक्ति की कमी तथा अधिक संख्याबल की आवश्यकता का उल्लेख है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को ध्यान में रखते हुए, विदेश मंत्रालय की संवर्ग संख्या में समुचित समायोजन किया जाना हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, विगत में कई संवर्ग समीक्षा की गई है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2008 में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक व्यापक भारतीय विदेश सेवा योजना को दी गयी मंजूरी इस संबंध में हाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक रहा है, जिससे विभिन्न स्तरों पर कुल 500 से भी अधिक नए पद सृजित होंगे, जो वर्ष 2018 तक आगामी दस वर्षों के दौरान प्रचालित किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय आईएफएस "बी" की संवर्ग समीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में भी सफल रहा हैं इन दो उपायों से विदेश मंत्रालय की अल्प से मध्यम समयावधि में जनशक्ति की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी होनी चाहिए।

(च) और (छ) विदेश मंत्रालय ने हमेश से ही अपने अधिकारियों के लिए भाषायी कौशल संबंधी समुचित प्रशिक्षण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। सभी आईएफएस अधिकारियों को किसी एक प्रमुख विदेशी भाषा में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होता है और कालांतर में इसके परिणामस्वरूप इस संवर्ग में विदेशी भाषा से संबंधित एक वृहत एवं विविध भाषाई पूल सृजित हो गया है। मंत्रालय में एक विशेषज्ञताप्राप्त दुभाषिया संवर्ग भी मौजूद है और इनके कौशलों का भी कारगर ढंग से उपयोग किया जाता है।

स्टॉफ-नर्सों की कमी

4378. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कई वर्षों से स्टॉफ-नर्स श्रेणी में उत्पन्न पद रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम न उठाए जाने की वजह से, कलावती सरन बाल अस्पताल (केएससीएच) और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में स्टॉफ-नर्सों की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्टॉफ-नर्स श्रेणी में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार/संबंधित अस्पताल द्वारा क्या सुधारकारी कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों- डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल में स्टाफ नर्सों के स्वीकृत पदों और रिक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

अस्पताल का नाम	कुल स्वीकृत पद	रिक्तियां
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	1178	159*
सफदरजंग अस्पताल	882	80
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	379	36
कलावती सरन बाल अस्पताल	(1) 239 (2009 में स्वीकृत किए गए 30 पद सहित)	93
	(2) जेआईसीए परियोजनाओं के तहत 58 अस्थायी पद।	शून्य

*डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्टाफ नर्सों के 159 नियमित रिक्त पदों पर फिलहाल 74 स्टाफ नर्स संविदा आधार पर कार्यरत हैं।

इन अस्पतालों में स्टाफ नर्स के इन रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और निर्धारित प्रक्रियानुसार ऐसा किया जाता है। जहां तक कलावती सरन बाल अस्पताल का संबंध है विज्ञापन जारी करके और साक्षत्कार करके कुल रिक्त पदों में से 63 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

कामगारों को सलाह

4379. श्री पी. बलराम नायक: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश, विशेषकर खाड़ी देशों, को जाने वाले कामगारों को सरकार/मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सलाहों और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि):

I प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्लयूआरसी)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, भावी उत्प्रवासियों के साथ-साथ, प्रवासी कामगारों के परिवार के सदस्यों को विदेशी रोजगार के सभी पहलुओं से संबंधित सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए, प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) की शुरुआत की है। ओडब्लयूआरसी, उत्प्रवासियों और उनके परिवारों को आवश्यकता आधारित सूचना प्रदान करने के निए एक 24X7 टोल फ्री हेल्पलाइन (180013090) संचालित करता है। सहायक भारतीय उत्प्रवासियों को सहायता देने की सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से, एक अंतर्राष्ट्रीय टोल फ्री लाइन (8000911913) की स्थापना की गई है, जो वर्तमान में केवल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से कॉल करने के लिए उपलब्ध है। टोल फ्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकज्ञयतों या समस्याओं को तत्परता से सुना जाता है और शिकायतकर्ता को फीडबैक प्रदान किया जाता है। मंत्रालय द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया जागरुकता अभियान के भाग के रूप में हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं।

मंत्रालय ने केरल के कोच्चि और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में भी प्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसीज) की स्थापना की है। एमआरसी, ओडब्ल्यूआरसी की ही तरह कार्य करते हैं। मंत्रालय, उत्प्रवास प्रक्रिया, अवैध उत्प्रवास के पिटफाल्स और भर्ती एवं विदेशी रोजगार के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में, उत्प्रवासियों को शिक्षित करने हेतु, नियमित रूप से मल्टीमीडिया जागरुकता अभियान चलाता है।

वर्तमान में, ओडब्लयूआरसी हेल्पलाइन के कार्यक्षेत्र में, वॉक-इन-काउंसलिंग और 31.12.2010 से www.owrc.in नामक एक इंटरएक्टिव हेल्पलाइन का प्रावधान भी है। अब शिकायत, ओडब्लयूआरसी वेबसाइट, ई-मेल या टेलीफोन पर भी दर्ज की जा सकती है। कोच्चि और और हैदराबाद में एमआरसी के साथ केन्द्र को एकीकृत कर दिया गया है।

II भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आईडब्ल्यूआरसी)

एक भारतीय कामगार स्रोत केनद्र (आईडब्लयूआरसी) की स्थापना की गई है और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कार्य कर रहा है। दुबई स्थित आईडब्ल्यूआरसी का उद्घाटन 23 नवम्बर, 2011 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। केन्द्र का उद्देश्य सूचना का प्रचार-प्रसार करना, शिकायतों को पंजीकृत करना, उनका उत्तर देना और उन्हें मॉनीटर करने के साथ-साथ एक समस्या निवारण प्रणाली प्रदान करना और दावा-धारकों के साथ अनुवर्तन करना हैं केन्द्र को एण्क बाह्य सेवा-प्रदाता के माध्यम से, भारत के महाकांसुलावास, दुबई द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। केन्द्र की 24X7 हेल्पलाइन है, जो समस्या निवारण और काउंसलिंग प्रदान करती है और भागी हुई नौकरानियों और परित्यक्त गृहणियों, आदि के लिए आश्रय-घर का प्रबंध भी करती है।

III भारतीय समुदाय कल्याण कोष

विदेशों में भारतीयों, विशेषरूप से भारतीय कामगारों के कल्याण और सुरक्षा के संरक्षण के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने "भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ)" की स्थापना की है, जो 24.03.2011 से सभी देशों के मिशनों में कार्य कर रहे हैं। कोष का उद्देश्य दुखी भारतीय नागरिकों को, जांचे परखे आधार पर, यथास्थान आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। आईसीडब्लयूएफ द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याण सेवाओं में, दुखी घरेलू/डोमेस्टिक कामगारों और अकुशल श्रमिकों को रहने व खाने की सेवा प्रदान करना, जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को आपातकालीन चिकित्सा केयर प्रदान करना, दुखी असहाय प्रवासी भारतीयों को को हवाई भाड़ा प्रदान करना और सुपात्र मामलों में प्रवासी भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करना और आकस्मिक और मृत शरीर को भारत वापस ले जाने के लिए हवाई भाड़ा प्रदान करना या मृत प्रवासी भारतीयों के स्थानीय अंतिम संस्करण/दफनाने के लिए खर्च वहन करना, जहां संविदा के अनुसार प्रायोजक ऐसा करने में सक्षम न हो या इच्छुक न हो, और परिवार लागत वहन करने में सक्षम न हो।

IV महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों और जिनके पास एक ईसीआर देश में वैध कार्य परमिट है, के लिए एक "महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना" (एमजीपीएसवाई) की शुरुआत की है। यह योजना प्रवासी भारतीय कामगारों को, सरकार की ओर से एक सह-अंशदान प्रदान करके, अपनी वापसी और पुनर्वास के लिए बचत करने और अपनी वृद्धवस्था के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है व सक्षम बनाती हैं इस योजना के अंतर्गत, कवरेज की अवधि के दौरान यह प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध बनाती है। इस योजना के अंतर्गत, कवरेज की अवधि के दौरान, यह प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध एक निःशुल्क जीवन बीमा कवर भी प्रदान करती है।

पवन ऊर्जा-संयंत्र

4380. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित 237 मेगावाट के निर्माणाधीन पवन ऊर्जा संयंत्रों ने ऊर्जा-उत्पादन आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में कुल पवन विद्युत संस्थापित क्षमता 321.32 मेगावाट है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में पवन विद्युत परियोजना

एमएनआरई द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं	:	7.25 मेगावाट
एनआरईडीसीएपी पवन फार्म परियोजना	:	7.55 मेगावाट
निजी क्षेत्र में पवन विद्युत परियोजनाएं	:	306.52 मेगावाट
कुल	:	321.32 मेगावाट

[हिन्दी]

एकल कन्या संतान वाला परिवार

4381. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **महिला और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केवल एक ही कन्या संतान वाले परिवारों को प्रोत्साहक-उपाय उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान सहित राज्य-वार ऐसे कितने परिवारों को प्रोत्साहक-उपाय उपलब्ध कराए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ: (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय में केवल एक ही कन्या संतान वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा विभाग) एकल कन्या संतान को स्नातकोत्तर स्तर पर गैर-व्यावसासिक पाठ्यक्रमों के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति देता है। दोनों ही मामलों में छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रोत्साहन एकल कन्या संतान के लिए उपलब्ध है न कि परिवारों के लिए।

[अनुवाद]

विमान के इंजन की पूरी मरम्मत

4382. श्री समीर भुजबल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागपुर की मिहान परियोजना के बोइंग विमान और एयरबस के इंजनों की पूरी तरह मरम्मत करने कोई बंदोबस्त किया है/करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) एअर इंडिया लिमिटेड नागपुर में एक इंजन ओवरहॉल सुविधा स्थापित कर रही है जहां बोईंग बी787 तथा बोईंग बी777 विमान के इंजनों का अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल किया जाएगा।

[हिन्दी]

इथेनॉल का उत्पादन

4383. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य खाद्यान्न से इथेनॉल उत्पादित करने की संभावना का अन्वेषण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, नहीं। इथेनॉल मुख्यतया शीरे से उत्पन्न होता है, जो चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद है। सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय बायो ईंधन नीति के अनुसार यह भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां गैर-खाद्य फीडस्टॉक पर आधारित हो।

(ग) और (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के लिए एक बायो ईंधन नीति तैयार करने से पूर्व सतही सच्चाई का पता लगाने हेतु मार्च, 2008 में तैयार इथेनॉल पर राष्ट्र की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की है। अन्य पहलुओं के अलावा रिपोर्ट में इथेनॉल का उत्पादन और खपत, यातायात ईंधन के रुप में इथेनॉल का संभावित उपयोग आदि शामिल है।

[अनुवाद]

'सार्क' विश्वविद्यालय

4384. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थापनार्थ प्रस्तावित 'सार्क' विश्वविद्यालय ने कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है;

(घ) उक्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/पढ़ाये जा रहे विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ आज तक की गई, जारी तथा प्रयुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय अगस्त, 2010 से कार्यरत है। इसने दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (विकास अर्थशास्त्र तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग) में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर अपना प्रथम शैक्षिक सत्र शुरू किया था। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय ने अपने द्वितीय शैक्षिक वर्ष में 170 विद्यार्थियों (सभी आठ सदस्य सार्क देशों से) और 30 संकाय सदस्यों को प्रवेश दिया। विश्वविद्यालय ने अपने तृतीय शैक्षिक वर्ष (2012-13) में 300 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया तथा इसमें 48 संकाय सदस्य हैं। इस समय यह विश्वविद्यालय नई दिल्ली स्थित अकबर भवन परिसर से कार्य कर रहा है;

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इस समय दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय 8 शैक्षिक कार्यक्रमों अथात एमए (विकास अर्थशास्त्र), एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस), मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, एम.एस.सी. (अनुप्रयोग गणित), एमएसपी (जैव-प्रौद्योगिकी), एम ए (अन्तरराष्ट्रीय संबंध), एम ए (समाजशास्त्र) तथा मास्टर ऑफ ला का प्रस्ताव कर रहा है।

(ङ) भारत इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत पूंजीगत लागत का वहन करने के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए भारत का प्रतिबद्ध अंशदान पूंजीगत लागत के रूप में 198 मिलियन अमरीकी डॉलर संस्थागत लागत के रूप में 21.071 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा कार्यक्रम लागत के रूप में 20.859 मिलियन अमरीकी डॉलर था। वर्तमान अनुमानों के अनुसार कुल भारतीय अंशदान 239.93 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

भारत की वचनबद्धता के भाग के रूप में सरकार दक्षिण एशिया विश्वविद्याल्य परिसर के निर्माण के लिए नई दिल्ली में 100 एकड़ भूमि प्रदान कर रही है। विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मैदानगड़ी, नई दिल्ली में दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय को लगभग 100 एकड़ भूमि आबंटित की है।

इसके लिए सरकार ने दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के परिसर के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि की खरीद के लिए विदेश मंत्रालय के 75.45 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है।

सार्क के सभी सदस्य देशों से वार्षिक रूप से एकत्रित आकलित अंशदान की राशि के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के संचालन की कार्यक्रम लागत को पूरा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के बजट का लगभग 30 प्रतिशत भारत के भाग के रूप में निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2012 में यह लगभग 6.1 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

अब तक भारत ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर 9.85 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि खर्च की है; इसमें वर्ष 2012 के दौरान दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय को प्रदत्त कार्यक्रम लागत में भारत के आकलित भाग का प्रथम चरण शामिल है। इसके अलावा 85.32 एकड़ भूमि की खरीद के कारण डीडीए को 65,08,25,271 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

भूभारिया समुदाय

4385. श्रीमती राजकुमारी चौहान: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के खानाबदोश भुभारिया समुदाय, जो देशभर में यात्रा करते हुए बैलगाड़ियों अथवा सड़क किनारे झोंपड़ियां डालकर रहता है और लोहे का समान बनाकर-बेचकर अपना जीविकापार्जन करता है के स्तरोन्नयन, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार प्राप्ति के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समुदाय की कुल आबादी कितनी है और यह किन-किन राज्यों में पाया जाता है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकास हेतु समग्र नीति, योजना एवं समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। "भूभारिया" समुदाय का नाम अनुसूचित जनजातियों की सूची में नहीं है तथा वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ो में "भूभारिया समुदाय" के बारे में कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को अन्यत्र ले जाना

4386. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को कोलकाता के साल्टलेक क्षेत्र से हटाकर मेजिया ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त केन्द्र के अन्यत्र स्थानांतरण के निर्णय को डीवीसी बोर्ड की मंजूरी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मेजिया से लाए गए उपकरण छह महीने से अधिक समय से उपेक्षित अवस्था में पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं या कि जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) डीवीसी का आर एण्ड डी केन्द्र कोलकाता में दिनांक 01.01.2008 से 31.12.2010 तक तीन वर्षों के लीज एग्रीमेंट पर किराए पर आवास स्थान लिया गया था। इसकी अवधि बाद में 31.12.2011 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। भवन के मालिक ने 31.12.2011 के बाद लीज अवधि को बढ़ाने से मना कर दिया था। इस प्रकार से डीवीसी के पास कोलकाता में एक वैकल्पिक स्थान खोजने और पुनः किराए के नए स्थान पर भवन के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। मेजिया टीपीएस डीवीसी में सबसे बड़े ताप विद्युत केनद्र के पास आर एण्ड डी की स्थापना और इसके भविष्य के विस्तार के लिए खाली स्थान की क्षमता है। इसलिए नए आर एण्ड डी केन्द्र को मेजिया टीपीएस में स्थानान्तरित किया गया है जो कि कोलकाता से लगभग 170 किमी की दूरी पर हैं

(ग) और (घ) स्थानांतरण के निर्णय पर डीवीसी बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

(ङ) मई, 2012 के दौरान उपस्कर मेजिया ताप विद्युत स्टेशन (एमटीपीएस) को स्थानांतरित कर दिए गए हैं और संस्थापना किए जाने के अधीन है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रोग-नियंत्रण केन्द्र

4387. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय रोग-नियंत्रण केन्द्र (एन सी डी सी) के दिल्ली मुख्यालय में विभिन्न विभागों में विभाग प्रमुख की नियुक्ति हेतु संबंधित शैक्षिक पृष्ठभूमि और क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता संबंधी कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एन सी डी सी की दिल्ली मुख्यालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग सहित अन्य विभागों में वर्तमान में कार्यरत विभाग प्रमुखों का ब्यौरा क्या है और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है;

(घ) क्या उक्त नियुक्तियां एप सी डी सी के संबंधित विभाग के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता के आधार पर की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में सुधारकारी कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय रोग-नियंत्रण केन्द्र (एन सी डी सी), दिल्ली मुख्यालय में 'विभागाध्यक्ष' का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

एनसीडीसी मुख्यालय, दिल्ली को प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न प्रभागों में विभाजित किया गया है। आमतौर पर किसी प्रभाग के वरिष्ठ व्यक्ति को उस प्रभाग के प्रभारी/प्रभाग प्रमुख के रुप में स्थानापन्न किया जाता है।

एनसीडीसी मुख्यालय, दिल्ली के जैव-प्रौद्योगिकी प्रभाग सहित प्रभागों के प्रमुखों का ब्यौरा उनकी विषेशज्ञता के क्षेत्रों के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीसी) के दिल्ली स्थित मुख्यालय कार्यालय प्रभागों के प्रमुख की सूची

क्रमांक	विभाजन	मुखिया का नाम	विशेषज्ञता के क्षेत्र
1	2	3	4
1.	एड्स और संबंधित रोगों के लिए केंद्र	डॉ. आरएल इच्छापुजानी	एमबीबीएस, एमडी (चिकित्सा) अपर निदेशक माईक्रोबायोलॉजी
2.	सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग	डॉ. शशि खरे	एमबीबीएस, एमडी (चिकित्सा) अपर निदेशक माईक्रोबायोलॉजी

1	2	3	4
3.	पशुजन्य डिवीजन	डा. वीना मित्तल	एमबीबीएस, एमडी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी) अपर निदेशक
4.	मलेरिया और समन्वय	डॉ. डी. चटोपाध्याय	एमबीबीएस, एमडी (चिकित्सा; अपर निदेशक माईक्रोबायोलॉजी
5.	सार्वजनिक बजट और प्रशासन	डॉ. डी. भट्टाचार्य	एमबीबीएस, एमडी (मेडिकल) माइक्रोबायोलॉजी अपर निदेशक भी पशुजन्य डिवीजन में काम करते हैं
6.	एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	डॉ. जगवीर सिंह	एमबीबीएस, एमडी (सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ) अपर निदेशक
7.	सांख्यिकीय निगरानी और मूल्यांकन प्रकोष्ठ	डा. एनपी सिंह	एमएससी, पीएचडी, (सांख्यिकी) अपर निदेशक (केन्द्रीय सेवाओं के सांख्यिकीय काडर से पोस्ट)
8.	जानपदिक रोग विज्ञान प्रभाग	डा. अनिल कुमार	एमबीबीएस, एमडी (सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ) के संयुक्त निदेशक
9.	परजीवी रोगों के डिवीजन	डॉ. एस. के जैन	एमबीबीएस, एमडी (सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ) संयुक्त निदेशक
10.	जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग	डॉ. अरविंद राय	एम.एससी माईक्रोबायोलॉजी), पीएचडी (सूक्ष्म जीव विज्ञान और इम्यूनोलॉजी) (एम्स) (माईक्रोबायोलॉजी भी जैव प्रौद्योगिकी भी शामिल है) संयुक्त निदेशक
11.	चिकित्सा कीटविज्ञान और वैक्टर नियंत्रण के लिए	डेबिट कौशल कुमार	एमएससी, पीएचडी, (कीट विज्ञान), संयुक्त निदेशक

[अनुवाद]

डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति-आयु

4388. डॉ. रामचन्द्र डोम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा फैकल्टी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के निर्णय को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के कर्मठ डॉक्टरों का नाम 'पदम श्री' पुरस्कार के लिए अनुशंसित करना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सरकार ने संकाय चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता (संशोधन) विनियमन, 2010 में संशोधन किया हैं

जिसमें किसी भी मेडिकल कॉलेज अथवा शैक्षिक संस्था में स्थानातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापकों, डीन, प्रधानाचार्य अथवा निदेशक पदों के एवज में नियुक्त किए जाने अथवा सेवा विस्तार प्रदान किए जाने अथवा सेवा में पुन: नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ताकि मेडिकल कालेज अथवा शैक्षिक संस्थानों में ऐसे पदों के लिए भर्ती नियम बनाने/नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण तदनुसार नियोजन नियम/नियुक्ति कर सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट-सेवा को बाह्य स्रोत को सौंपना

4389. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट सेवा-केन्द्रों का नियंत्रण में, टाटा कंस्ल्टेंसी सर्विसिस (टी.सी.एस.) को सौंप दिया गया है और सरकारी कर्मचारी एक निजी सेवाप्रदाता के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पारदर्शिता बरतने के लिहाज से कार्य-दायित्वों को परिभाषित करने का प्रस्ताव है/परिभाषित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी सेवाप्रदाता को तो पुलिस-रिपोर्ट दिखाई जाती है लेकिन पासपोर्ट जारीकर्ता अधिकारियों को बिना पुलिस रिपोर्ट देखे ही नए पासपोर्ट के लिए आदेश जारी करने पर बाध्य किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) पासपोर्ट सेवा केन्द्र पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाएं हैं। पासपोर्ट सेवा केन्द्र तथा वहां पर तैनात सरकारी कर्मचारी संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

(ग) और (घ) सरकारी कर्मचारियों ताकि सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के नौकरी संबंधी उत्तरादायित्व परिभाषित किए गए हैं। प्रारंभिक सहायता कार्यकलाप जैसे आवेदन स्वीकार करने, शुल्क प्राप्त करने, आवेदकों के आंकड़े, फोटोग्राफ तथा बायोमीट्रिक्स आदि प्राप्त करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को सौंपी गई है। प्रधान कार्य जैसे आवेदकों द्वारा जमा किए गए समर्थन दस्तावेजों की जांच तथा उनके आवेदकों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों को सौंपी गई है।

(ङ) और (च) स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार, सेवा प्रदाता से अपेक्षित है कि वह पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड करें। पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों के लिए सिस्टम में अपलोड की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सुलभ होती हैं और वह तदनुसार आदेश जारी करते हैं।

जंतुओं से संक्रमित रोग

4390. श्री पी. कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए एक विश्वव्यापी अध्ययन की ओर ध्यान दिया है जिसमें भारत को विश्व में जंतुजन्य रोगों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जानवरों से पैदा होकर मानवों तक संक्रमित होने वाले संक्रात्मक रोगों का अधिनिर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन/आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) जंतुजन्य रोगों को बचाने तथा प्रभावित लोगों का उपचार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। "मैपिंग आफ पोवरपटी एवं लाइकली जोनोसेस हाट्सपाट्स" शीर्षक एक रिपोर्ट जुलाई, 2012 में संयुक्त रूप से तीन संगठनों इंटरनेशनल लाइवस्टाक रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएनआरइआई) (केन्या व वियतनाम कार्यालय), इंस्टीट्यूट आफ जुलोजी (यूनाइटेड किंगडम) और हनोई स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ (वियतनाम) द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसको तैयार करने में डिपार्टमेंट फार इटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूनाइटेड किंगडम द्वारा वित्तपोषण किया गया था। यह पूर्णत: एक 'डेस्क' अध्ययन था जिसमें कम्प्यूटर सिमूलेशन और मैपिंगसाफ्टवेयर

का उपयोग किया गया साहित्य से प्राप्त सूचना का उपयोग करते हुए (समकक्ष व गैर-समकक्ष) दोनों की समीक्षा की गई। चार महीनों की अवधि (जनवरी से अप्रैल, 2012 तक) पूरा किया गया। यह आंकड़े अधिकांशत: पुराने, अपूर्ण और इसलिए संदिग्ध है। वहां प्राथमिक आंकड़े संकलित नहीं थे।

(ग) से (ङ) आईएमआर अपने संस्थानों के नेटवर्क के जरिए कई जंतुजन्यों पर अध्ययन करवाता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस पर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट आफ लेपरोजी एंड अदर माइकोबैक्टिरियल डिसिसेज (आगरा) द्वारा किया गया अध्ययन, एच1एन1 और एच5एन1 इनफ्लूएंजा पर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ विरोलोजी (पुणे) द्वारा किया गया अध्ययन और लेप्टोस्पीरोसिस पर रिजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर (पोर्ट ब्लेयर) द्वारा किया गया अध्ययन।

1. मंत्रालय ने देश भर में जुतुजन्य रोगों सहित संक्रामक रोगों से निपटने के लिए इनके आकलन, निगरानी, प्रकोपों की जांच के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को कार्यान्वित किया है।

2. जंतुजन्य रोगों के प्रभावी रोकथाम व नियंत्रण के लिए जन्तुजन्यों संबंधी स्थायी समिति के माध्यम से अंतरक्षेत्रीय समन्वय का विकास किया गया है।

3. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र जंतुजन्य रोगों की निगरानी के लिए प्रयोगशाला सहायता प्रदान करता है।

4. विभिन्न जंतुजन्य रोगों (रेबीज और पशुओं के काटने का उपचार, लेप्टोस्पीरोसिस, एथ्रैक्स, जेई, प्लेग) की रोकथाम व नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश तथा विभिन्न जंतुजन्य रोगों पर जारी की जाने वाले सतर्कता सीडी को तैयार कर दिया गया है और व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है।

5. जंतुजन्य रोगों के विभिन्न पहलुओं नामत: निदान, उपचार व रोकथाम तथा नियंत्रण में प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्क्रम चलाए जाते हैं। कुछ पाठ्यक्रमों में चिकित्सीय व पशुचिकित्सा पेशेवरों दोनों का प्रशिक्षण शामिल है और अंतरक्षेत्रीय समन्वय का विकास करना जो कि जंतुजन्य रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं

दिल्ली में शिशु शल्य चिकित्सा

4391. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में दिल्ली में शिशु शल्य चिकित्सा के तृतीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और भाग लेने वाले प्रत्येक देश से अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) इस संबंध में कितनी निधि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। दिल्ली में 21-24 अक्टूबर, 2010 तक शिशु शल्य-चिकित्सा के तृतीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

(ख) सम्मेलन सार्क देशों के बाल चिकित्सा सर्जन संघ की चौथी सभा के साथ विश्व संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई तथा भारतीय बाल चिकित्सा सर्जनों के संघ की 36वीं वार्षिक सम्मेलन आयोजित की गई। इस बैठक के संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

- बैठक की विषय वस्तु मीटिंग आफ वर्ल्ड माइन्ड-स्ट्राइविंग हफॉर एक्सीलेंस इन सर्जिकल चाइल्ड केयर थी।
- सभा में फेटल सर्जरी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विचार-विमर्श के विस्तृत स्पेक्ट्रम, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, बर्न, अनुसंधान, वीयूआर, एमआईएस, सटेम सेल तथा टिश्यू इन्जिनियरिंग शामिल थे।
- 22 लेक्चर, 9 सिम्पोसिया, 368 फ्री पेपर प्रेजन्टेशन, 6 मिट द एक्सपर्ट सेशन, 26 विडियोज तथा 307 पोस्टर प्रेजेंटेशन हुए थे।
- इसमें 772 बाल चिकित्सा सर्जनों, 119 गेस्ट फैकल्टी तथा भारत से 50 डब्ल्यू ओ एफएपीएस तथा अन्य 83 देश शामिल थे।

(ग) वैज्ञानिक कार्यक्रम के आयोजन, आवास, परिवहन, श्रृव्य-दृश्य, टीए/डीए, मैलिंग, प्रिंटिंग, प्रकाशन, आतिथ्य सत्कार आदि हेतु इस बैठक में अनंतिम व्यय 45.5 लाख रुपए थे।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहीं विधवा

4392. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी से जुड़ी विधवाओं की आर्थिक सहायता की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत, निर्गत निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सरकार का ग्रामीण विवास मंत्रालय मजदूरी, स्वरोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविक मिशन और इंदिरा आवास योजना स्कीमों में विधवाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने हेतु लाभ प्रदान करने के विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, 40-59 वर्ष के आयु वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इदिरा गांधी विधवा पेंशन स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है, जिसका लाभ पात्र विधवाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:-

i. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता और पुनर्वास हेतु स्वाधार और अल्पावास गृह।

ii. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, जिसके अंतर्गत परिसंपत्तिविहीन और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

iii. कामकाजी महिला हॉस्टल, जिसके अंतर्गत अकेली रहने वाली कामकाजी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा अथवा पति से अलग हुई एवं विवाहित महिलाओं, जिनके पति या परिवार के सदस्य उसी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के उद्देश्य से हॉस्टल भवन के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता दी जाती है।

iv. वृद्धवस्था पेंशन हेतु समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, मोबाइल चिकित्सा एकक आदि चलाने और रख-रखाव करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वृद्ध विधवाओं को पूर्णकालिक आश्रय, देखरेख, आयोत्पादक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण देने, उनके लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, योगा आदि का आयोजन करने हेतु बहु-सुविधा स्थापित करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत विधवाओं के लिए अलग से निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

प्रधानमंत्री का पंद्रह-सूत्रीय कार्यक्रम

4393. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में जनजातीय आबादी पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री के पंद्रह-सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समुदाय के लिए निर्धारित सरकारी क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए अनुसूचित जनजातीय समुदाय के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 2006 से कार्यान्वयनाधीन है। कार्यक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिम, इसाई, सिख, बौध तथा जोरोस्ट्रियन (पारसी) और बड़ी अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पात्र वर्गों के लिए लक्षित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकासस हेतु कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए। कि जहां एक व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है।

(ग) से (ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग समय-समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों वी बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। अनुसूचित जातियों (एससी), अननुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक ऐसा अभियान

नवंबर, 2008 में शुरू किया गया था। उक्त अभियान के दौरान अनुसूचित जनजातियों के बैकलॉग की आरक्षित रिक्तियों को भरने 05.09.2012 को, के ब्योरे निम्नानुसार हैं:-

अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियां		भरी गई	
डीआर कोटा	पदोननति कोटा	डीआर कोटा	पदोन्नति कोटा
12124	15604	6941	8136

पर्यटकों के अंतर्वाह/बहिर्गमन पर रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव

4394. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के महीनों में रुपए के मूल्य में तीव्र ह्रास ने पर्यटक अन्तर्वाह और विदेश के विभिन्न स्थलों पर भारतीय पर्यटकों के भ्रमण को बहुत प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सरकार और पर्यटन उद्योग को अनुमानित कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार के पास देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और घरेलू क्षेत्र से राजस्व में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) भारत सहित किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और बर्हिगामी पर्यटकों हेतु उत्तरदायी कुछ कारक स्रोत और गंतव्य देशों की आर्थिक स्थिति, हवाई सम्पर्कता, यथाचित मूल्य के होटल आवास की उपलब्धता, अच्छी पर्यटन अवसंरचना आदि हैं।

जनवरी-जुलाई, 2012 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) की संख्या 37.6 लाख (अनंतिम) थी जिसमें वर्ष 2011 की इसी अवधि की तुलना में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2012 जनवरी-जुलाई में भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 52149 करोड़ रुपए (अनंतिम) थी जिसमें वर्ष 2011 की इसी अवधि की तुलना में 23.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय राष्ट्रिक प्रस्थानों की संख्या वर्ष 2010 में 12.99 मिलियन की तुलना में वर्ष 2011 में 14.21 मिलियन (अनंतिम) थी। जनवरी-जुलाई, 2012 की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी चालू गतिविधियों के एक भाग के रूप में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों को कवर करते हुए भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए "इन्क्रेडिबल इंडिया" ब्रांडलाइन के अंतर्गत प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियानों को चलाता है। समग्र संवर्धन में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों का संवर्धन शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न भारतीय पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ रोड शो, भारत परिचय सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन करता है और विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में भाग लेता है।

पर्यटन मंत्रालय मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मार्केटों में पर्यटन के संवर्धन हेतु स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

ग्रामीण महिलाओं में पोषण स्तर

4395. श्री अशोक तंवर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण महिलाओं के पोषण संबंधी मुद्दे से निपटने के लिए चल रही योजनाओं और इसके तहत प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): सरकार ने कुपोषण की समस्या को प्राथमिकता दी है और राज्य सरकारों संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/विभागों की अनेक स्कीमों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन योजनाओं कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम/योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्था सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसे प्रत्यक्ष लक्षित उपाय शामिल हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष बहुक्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली- राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में पोषण संबंधी एक या अनेक पहलुओं का समाधान करने की क्षमता है।

आईसीडीएस कार्यक्रम में अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या 31.03.2011 को 6 लाख से

बढ़कर आज तक की स्थिति के अनुसार 13.7 लाख हो गई है। 18.07.2012 तक की स्थिति के अनुसार 7005 प्रचालित परियोजनाएं और 13,17,008 प्रचलित आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। इस समय 964.77 लाख लाभार्थी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं जिनमें 782.53 लाख बच्चे (6 माह से 6 वर्ष) और 182.2 लाख गर्भवती एवं धात्री माताएं शामिल हैं। आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 के लिए 14271.7 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

सबला स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 100 लाख किशोरियों के लाभान्वित होने की संभावना है। सबला स्कीम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2011-12 के लिए 561.11 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में, प्रति वर्ष लगभग 12.5 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लाभान्वित होने की संभावना हैं इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2011-12 क लिए 293.92 करोड़ रुपये की राशि नियुर्मक्त की गई।

एअर इंडिया की सेवाएं

4396. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री पी. बलराम नायक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया की उड़ानों में दी जाने वाली खान-पान इत्यादि जैसी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सरकार द्वारा किन्हीं नई पहलों की योजना बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया परिचालन क्षेत्र में निजी उड़ानों के समान ही अवसर की मांग करता रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) एअर इंडिया ने अपनी व्यंजन सूची में सुधार करने और अपने यात्रियों को विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। घरेलू सेक्टरों में एक्जीक्यूटिव श्रेणी और इकोनॉमी श्रेणी के लिए 6 चक्रीय व्यंजन सूची लागू की गई है जो 90 मिनट से अधिवक समय की उड़ान वाली उड़ानों में प्रत्येक वैकल्पिक दिन में बदलती रहती हैं अंतरर्राष्ट्रीय सेक्टर में, एअर इंडिया ने उड़ान के उद्गम स्थल के आधार पर संबंधित क्षेत्रों से पारंपरिव क्षेत्रीय भारतीय भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। एअर इंडिया स्वास्थ्य, धर्म, मधुमेह रोगी, कम वसा, अधिक रेशेदार, दुग्ध शर्करा रहित, कम सोडियम आहार आदि के आधार पर भी भोजन उपलब्ध कराती है। धार्मिक आधार पर ऐसे भोजनों की विशेष मांग के अनुरूप सेक्टरों पर एमओएमएल (मुस्लिम भोजन), कोशर भोजन जेएनएमएल (जैन भोजन) रखा जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार पारदर्शिता, पूर्वानुमान वृद्धि तथा प्रचालकों की ओर से सेक्टर विशिष्ट मांग के आधार पर विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे सभी प्रचालकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाल ही, में सरकार ने बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) तथा एयरलाइन प्रचालकों द्वारा सीधे एटीएफ आयात की घोषणा की है ताकि इस सेक्टर को विकसित और समृद्ध होने में सहायता मिल सके।

[हिन्दी]

एम्स में रिक्त पद

4397. श्री अशोक अर्गल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में डॉक्टरों, अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारी और समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इन रिक्त पदों को कब तक भर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) आज तक की तिथि के अनुसार रिक्त पदों में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों से जुड़े पदों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) अभी 298 संकाय पद रिक्त पड़े हैं और हाल में 96 रिक्त सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। फरवरी, 2012 में सृजित सहायक प्रोफेसर के 178 पदों को शीघ्र ही भर लिया जाएगा।

अगले सत्र के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट और कनिष्ठ रेजिडेंटों के पदों पर भर्ती प्रत्येक 6 महीने में की जाती है।

परा मेडिकल स्टाफ, समूह 'ग' और सूमह 'घ' पदों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	तैनात	रिक्त	अनु. जाति रिक्त	अनु. जनजाति रिक्त
'क' (परामेडिकल)	308	273	35*	01	00
'ख' (परामेडिकल)	5013	3911	1102*	164	86
'ग' व 'घ'**)	4763	3952	811*	121	60

*1038 नव सृजित पद, जिनमें से 02 समूह 'क'; 862 'ख' तथा 174 समूह 'ग' व 'ध' है।
**6ठें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित होने पर पूर्ववती समूह 'घ' पद को समाप्त कर दिया गया।

आईजीआई एयरपोर्ट पर पार्किंग

4398. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आई.जी.आई) हवाई अड्डे पर गलत पार्किंग करने को लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा वाहनों का चालान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान डायल द्वारा चालान काटे गए वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे चालानों के माध्यम से संग्रहित राशि और इसके उपयोग का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत डायल वाहनों का चालान करता है और इसके लिए श्रेणी-वार निर्धारित चालान की राशि कितनी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुलिस द्वारा कब्जा किए गए विद्यालय भवन

4399. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय क्षेत्र में उन विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां विद्यालय भवन का उपयोग पुलिस द्वारा किया जाता है और छात्र भवन के बाहर खुले में अध्ययन करते हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसा, आज तक सभी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को उपयुक्त स्थान प्रदान किया है तथा बिहार राज्य में गया में एक भवन के अलावा सभी स्कूल भवनों को खाली करा लिया गया है। गया, बिहार में भी एक शैक्षिक संस्थान (आईटीआई परिसर, गया) के एक भाग को सीआरपीएफ की एक बटालियन के एक भाग को जगह देने के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। सीआरपीएफ द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि बिहार राज्य सरकार पे पहले ही आईटीआई परिसर, गया में सीआरपीएफ की अवस्थिति के स्थानांतरण के वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया है। जेल परिसर में आवश्यक अवसंरचना के पूरा हो जाने, जो पहले ही प्रगति पर है, स्थानांतरण हो जाएगा। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सिविल प्राधिकरणों की सहायता में संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्यों में सीआरपीएफ की तैनाती की जाती है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसारण में सभी राज्य सरकारों को सीआरपीएफ की तैनाती जो विद्यालय भवनों में उन्हें ठहराने हेतु नहीं होगी, के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।

जाली अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

4400. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में जाली अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) प्रमाण-पत्र की सहायता से दाखिला पाने वाले लोगों की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए व्यापक कानून लाने और एक आयोग/समिति बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अ.ज.जा. के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रूप में समुदायों की अधिसूचना के लिए नोडल मंत्रालय है। जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने तथा इनके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। जाली अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों के बारे में प्राप्त शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्रों को जारी करने तथा इनके सत्यापन के लिए समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं। कुमारी माधुरी पाटिल तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जून, 2004 में सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र (एसटी प्रमाण पत्र) जारी करने के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, इनकी संवीक्षा तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके अनुमोदन हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देश दोबारा से परिचालित किए हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अप्रैल, 2012 में जिला प्राधिकरणों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश भी जारी किए हैं।

लिंग भेद सूचकांक

4401. श्री राजू शेट्टी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रकाशित देश में लिंग भेद सूचकांक की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह लिंग भेद रिपोर्ट किन मानदंडों पर आधारित है; और

(ग) भविष्य में सर्वेक्षण करने के लिए अध्ययन हेतु शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त मानदंड क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्लोबल जेंडर इन्डेक्स 2011 को अधिकारित रूप से प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) वर्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल जेंडर इन्डेक्स' के अनुसार 135 देशों में भारत का 113वां स्थान है।

रैंकिंग चार पैरामीटर पर आधारित प्रतीत होती हैं:- आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दांत बनाने के लिए निर्धारित दर

4402. श्री पूर्णमासी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 4 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4657 के भाग (च) के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दांत बनाने के लिए निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दांत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के स स्वा यो) द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इलाज में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने के मामले में पूर्ण प्रतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दांत बनाने के लिए निर्धारित सीजीएचएस दरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

धातु आधारित-एक पूरे दांत के लिए-

एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों के:-	1725 रुपए
गैर-एनएबीएच अस्पतालों के लिए:-	1500 रुपए

एक्रिलिक आधारित प्रतिआर्क पूरे दांत बनाने के लिए

एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों के:-	1093 रुपए
गैर-एनएबीएच अस्पतालों के लिए:-	950 रुपए

ऊपर/नीचे के जबड़े के पूरे दांत बनाने की कीमत-

दोनों जबड़ों के पूरे दांत बनाने की कीमत-	2000 रुपए

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में दांत बनाने के लिए विशेष तौर पर किसी अस्पताल को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार दांत बनाने सहित विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं के लिए अनुमोदित पैकेज दरों के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थियों को चिकित्सीय खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देती है। निर्धारित दरों से अधिक किए गए खर्चों की संपूर्ण प्रतिपूर्ति की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अफ्रीका में इंक्यूबेशन केन्द्र

4403. श्री मानिक टैगोर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अफ्रीकी देशों में इंक्यूबेशन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) प्रथम भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस-1) के अर्न्तत इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, बुर्कीना, फासो, लीबिया, मिस्रा, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक तथा जाम्बिया में 10 (दस) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं द्वितीय भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस-2) के अंतर्गत जंजीबार (तन्जानिया), सूडान, दक्षिण सूडान, इरीट्रिया तथा डी.आर.कोंगो में पांच (5) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आईएएफएस-2 के तहत यूगांडा, कैमरून, घाना, माली, तथा अंगोला में पांच (5) खाद्य प्रसंस्करण कारोबार इन्क्यूबेशन केन्द्र (एफपीबीआईसी) भी स्थापित किए जा रहे हैं। आईएएफएस-1 के तहत 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/इन्क्यूबेशन केन्द्रों का स्थान संबंधी निर्णय अफ्रीकी संघ आयोग द्वारा लिए गए थे। आईएएफएस-2 के तहत संस्थानों हेतु स्थान संबंधी निर्णय विदेश स्थित हमारे मिशनों/केन्द्रों तथा स्टेकहोल्डरों के परामर्श से विदेश मंत्रालय द्वारा लिए गए थे। ये प्रधानत: क्षमता निर्माण संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना हमारे अफ्रीकी सहभागियों को सहयोग देने के लिए की जा रही है ताकि वे अपने विकास संबंधी उद्देश प्राप्त कर सकें।

(ग) आईएएफएस-1 के तहत 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/इन्क्यूबेशन केन्द्रों के लिए कुल 50 करोड़ रुपए (प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए की दर से) आबंटित किए गए। आईएएफएस-2 के तहत 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/इन्क्यूबेशन केन्द्रों के लिए कुल 27.60 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया। आईएएफएस-के तहत पांच खाद्य प्रसंस्करण कारोबार इन्क्यूबेशन केन्द्रों (एफपीबीआईसी) के लिए कुल आबंटित बजट 7.30 करोड़ रुपए है। इन 20 संस्थाओं के लिए कुल आबंटित निधि 84.90 करोड़ रुपए है।

बंध्याकरण के मामले

44.0 श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में बंध्याकरण के कारण असफल, जटिलता और मृत्यु संबंधी मामलों की बड़ी संख्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज हुए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में सुरक्षित बंध्याकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सरकार ने विफलता के रिपोर्ट किए गए मामलों, जिनकी संख्या कुल किए गए ऑपरेशनों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, पर ध्यान दिया है और वह एक परिवार नियोजन बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रही है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में रिपोर्ट की गई मृत्यु, बंध्यारकरण की विफलता एवं जटिलताएं तथा बंध्याकरण स्वीकार करने वालों को दी गई क्षति पूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

गुणवत्ता के संबंध में डॉक्टरों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने तथा राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति के माध्यम से ऐसे मामलों की प्रभावकारी मानिटरिंग के जिरए उपचारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा के स्वास्थ्य सचिवों के साथ इस विषय पर चर्चा की गई है।

(घ) माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा सिविल रिट याचिका नं. 209/2003, रमाकन्त राय बनाम भारतीय संघ के संबंध में दिनांक 1.3.2005 को दिए गए निदेशों के आलोक में भारत सरकार ने सुरक्षित बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें परिचालित किए गए हैं:-

1. महिला एवं पुरुष बंध्याकरण सेवाओं के लिए मानक (2006)।
2. बंध्याकरण सेवाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन नियम पुस्तक 92006)।
3. शिविरों में बंध्याकरण सेवाओं के लिए मानक ऑपरेशन प्रक्रिया (2008)।
4. परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत बंध्याकरण सेवाओं के नियत दिवस स्टैटिक (एफडीएस) दृष्टिकोण के संबंध में प्रचालनामक दिशा-निर्देश (2008)

इन दिशा-निर्देशों में केवल बंध्याकरण प्रक्रिया से पूर्व, उसके दौरान और उसके उपरान्त बंध्याकरण के लिए लक्षित व्यक्तियों को परामर्श देने, उनकी स्क्रीनिंग करने और उनका प्रबंध करने के लिए केवल व्यापक निर्देश ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि सुरक्षित और नैतिक तरीके से बंध्याकरण ऑपरेशन करने के लिए अनिवार्य औषधों, उपकरणों तथा स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी मानकों सहित अपेक्षित आपूर्तियों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। किए गए बंध्याकरण के सभी मामलों में इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना होता है।

विवरण

रिपोर्ट की गई मृत्यु, बंध्याकरण की विफलता एवं जटिलताएं तथा बंध्याकरण स्वीकार करने वालों को दी गई क्षतिपूर्ति की राज्यवार ब्यौरा

2009

राज्य	दावे की सूचना				भुगतान			
	मृत्यु	विफलता	कुल योग	जटिलता	मृत्यु	विफलता	कुल योग	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	37	55	131	38	34	40	112	70,88,940
अरुणाचल प्रदेश		2	2	-	-	2	2	60,000
असम	9	64	83	10	9	59	78	29,68,565
बिहार	11	2	14	1	9	1	11	15,35,000
छत्तीसगढ़	6	153	163	4	5	102	111	36,61,403
दिल्ली	1	56	58	1	-	54	55	16,20,999
गोवा	-	2	3	-	-	1	1	30,000
गुजरात	9	72	95	14	8	49	71	28,03,861
हरियाणा	2	204	208	1	1	190	192	59,25,000
हिमाचल प्रदेश		87	92	5		75	80	23,06,753
जम्मू और कश्मीर	-	31	31	-	-	23	23	6,90,000
झारखंड	7	5	13	1	7	4	12	13,88,380
कर्नाटक	22	84	114	7	22	60	89	52,61,707

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	3	106	115	3	3	58	64	22,24,314
मध्य प्रदेश	13	1,045	1,069	8	12	792	812	2,5371,392
महाराष्ट्र	28	222	272	16	28	193	237	1,03,77,106
मणिपुर	–	2	2	–	–	2	2	60,000
मिजोरम	–	14	14	–	–	14	14	4,20.000
ओडिशा	11	135	167	17	11	112	140	55,05,077
पुदुचेरी	–	12	12	–	–	12	12	3,60,000
पंजाब	1	55	62	4	1	53	58	18,51,059
राजस्थान	13	1,781	1,801	7	12	1,508	1,527	4,76,71,817
सिक्किम	–	4	4	–	–	4	4	1,20,000
तमिलनाडु	43	249	293	1	43	201	245	1,25,36,977
त्रिपुरा	–	16	16	–	–	16	16	4,80,000
उत्तर प्रदेश	20	1,576	1,608	10	18	1,263	1,291	4,12,24,210
उत्तराखंड	3	99	105	3	3	80	86	30,58,717
पश्चिम बंगाल	8	54	66	2	8	45	55	28,29,667
कुल	247	6,187	6,613	153	234	5,013	5,400	18,94,30,944

2010

राज्य	दावे की सूचना			कुल			भुगतान	कुल	
	जटिलता	मृत्यु	विफलता	योग	जटिलता	मृत्यु	विफलता	योग	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	17	29	57	103	9	23	25	57	50,74,982
असम	6	5	167	178	4	4	142	150	48,33,081
बिहार	1	15	7	23	1	12	3	16	23,65,000
छत्तीसगढ़	3	7	184	194	3	5	108	116	41,14,150
दिल्ली	–	–	39	39	–	–	37	37	11,10.000
गुजरात	10	6	148	164	6	5	111	122	44,08.058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	8	4	291	303	4	4	267	275	85,74,118
हिमाचल प्रदेश	5	1	87	93	2	1	70	73	21,56,958
जम्मू और कश्मीर	2	-	27	29	1	-	17	18	5,15,975
झारखंड	-	4	8	12	-	3	3	6	6,90,000
कर्नाटक	13	20	77	110	5	18	55	78	50,37,663
केरल	8	1	144	153	7	1	105	113	34,01,557
मध्य प्रदेश	15	16	1,364	1,395	3	15	843	861	2,83,48,227
महाराष्ट्र	30	18	298	346	17	15	234	266	95,05,308
मणिपुर	1	-	2	3	1	-	1	2	46,300
मिजोरम	1	-	23	24	-	-	20	20	6,00,000
ओडिशा	31	13	150	194	19	12	110	141	56,67,422
पंजाब	-	-	1	1	-	-	1	1	30,000
पुदुचेरी	-	-	16	16	-	-	15	15	4,50,000
पंजाब	9	2	78	89	6	1	68	75	23,08,168
राजस्थान	6	17	1,891	1,914	6	17	1,505	1,528	4,81,89,552
तमिलनाडु	2	28	305	335	1	27	245	273	1,15,75,000
त्रिपुरा	-	-	5	5			5	5	1,50,000
उत्तर प्रदेश	7	10	1,708	1,725	4	9	1,311	1,324	4,11,95,739
उत्तराखंड	3	2	151	156	3	2	119	124	40,17,271
पश्चिम बंगाल	8	5	134	147	5	4	86	95	32,77,449
कुल	186	203	7,362	7,751	107	178	5,508	5,791	19,76,41,978
				2011					
आंध्र प्रदेश	14	22	46	82	8	16	26	50	38,10,711
अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	1	-	-	1	1	30,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	4	8	243	255	4	5	160	169	58,41,119
बिहार	1	10	6	17	1	7	3	11	14,97,439
छत्तीसगढ़	6	7	198	211	3	5	102	110	37,77,017
दिल्ली	1	3	48	52	1	3	45	49	19,51,545
गोवा	-	-	5	5	-	-	2	2	60,000
गुजरात	4	7	228	239	3	3	155	161	52,60,651
हरियाणा	1	2	352	355	1	2	315	318	97,19,757
हिमाचल प्रदेश	1	-	100	101	1	-	71	72	21,33,731
जम्मू और कश्मीर	1	-	38	39	1	-	28	29	8,41,987
झारखंड	-	3	8	11	-	2	1	3	4,30,000
कर्नाटक	15	22	156	193	13	17	119	149	67,25,785
केरल	2	1	174	177	1	-	149	150	44,77,722
मध्य प्रदेश	17	22	2,239	2,278	7	13	1,227	1,247	3,93,18,468
महाराष्ट्र	17	13	288	318	9	6	196	211	70,21,222
मणिपुर	-	-	6	6	-	-	2	2	60,000
मिजोरम	-	-	27	27	-	-	19	19	5,70,000
ओडिशा	29	8	293	330	28	2	224	254	73,50,561
पुदुचेरी	-	1	18	19	-	1	16	17	5,30,000
पुदुचेरी	-	-	1	1	-	-	1	1	30,000
पंजाब	5	-	66	71	2	-	45	47	13,80,511
राजस्थान	3	16	2,086	2,105	2	13	1,662	1,677	5,20,53,898
सिक्किम	-	-	3	3	-	-	1	1	30,000
तमिलनाडु	6	44	332	382	2	36	300	338	30,000
त्रिपुरा	-	-	16	16	-	-	5	5	1,50,000
उत्तर प्रदेश	3	8	1,457	1,468	1	4	984	989	3,01,95,000
उत्तराखंड	2	1	221	224	-	-	171	171	51,30,000
पश्चिम बंगाल	9	3	190	202	9	1	110	120	36,57,202
कुल	141	201	8.846	9,188	97	138	6,140	5,373	20,87,70,618

2012

राज्य	दावे की सूचना				भुगतान				
	जटिलता	मृत्यु	विफलता	कुल योग	जटिलता	मृत्यु	विफलता	कुल योग	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	3	8	4	15	1	2	–	3	4,08,125
अरुणाचल प्रदेश	–	–	3	3	–	–	2	2	60,000
असम	–	2	29	31	–	2	22	24	10,60,000
बिहार	–	4	1	5	–	2	–	2	4,00,000
छत्तीसगढ़	–	1	59	60	–	1	24	25	9,20,000
दिल्ली	–	–	11	11	–	–	3	3	90,000
गुजरात	3	2	90	95	1	–	49	50	14,74,891
हरियाणा	2	1	125	128	1	–	94	95	28,52,394
हिमाचल प्रदेश	1	–	28	29	1	–	14	15	4,22,654
जम्मू और कश्मीर	–	–	17	17	–	–	9	9	2,70,000
झारखंड	3	1	–	4	–	–	–	–	–
कर्नाटक	4	4	33	41	1	3	22	26	12,85,000
केरल	2	1	35	38	1	–	23	24	6,93,342
मध्य प्रदेश	4	8	566	578	1	1	312	314	95,63,819
महाराष्ट्र	–	3	24	27	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	7	1	1	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	1	7	8	–	–	7	7	2,10,000
ओडिशा	2	3	102	107	2	1	58	61	19,71,997
पुदुचेरी	–	–	19	19	–	–7	12	12	3,60,000
राजस्थान	–	4	772	776	–	1	530	531	1,61,00,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिक्किम	-	-	1	1	-	-	1	1	30,000
तमिलनाडु	1	10	117	128	1	4	82	87	32,85,000
त्रिपुरा	-	-	9	9	-	-	1	1	30,000
उत्तर प्रदेश	3	2	420	425	-	2	228	230	72,40,000
उत्तराखंड	-	1	83	84	-	1	54	55	18,20,000
पश्चिम बंगाल	1	-	53	54	1	-	26	27	7,86,020
कुल	29	56	2,609	2,694	11	20	1,573	1,604	5,13,23,242

किशोरी शक्ति योजना

4405. श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोरी शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या सहित संस्वीकृत और चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के तहत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत, निर्गत और उपयोग में लायी गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि कुछ राज्य सरकारों ने उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत संस्वीकृत निधि का उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) किशोरी शक्ति योजना के तहत प्रचालित और संस्वीकृत परियोजनाओं की लाभार्थियों सहित संख्या और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा निर्मुक्त निधि और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकज़रों/संघ राज्य प्रशासनों ने उक्त स्कीम के तहत संस्वीकृत निधिक कथित समय के अंदर पूरी तरह उपयोग नहीं किया है। राज्यों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार स्कीम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। किशोरी सशक्तीकरण स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यों के पास उपलब्ध बचत पर विचार करने के बाद निधियां जारी की जाती रही हैं।

(ङ) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोरी शक्ति योजना और किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम नामक मंत्रालय की स्कीमों पर पुनर्विचार किया। वर्ष 2010 में प्रायोगिक तौर पर किशोरी सशक्तीकरण के लि राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला नामक व्यापक स्कीम प्रस्तुत की। स्कीम का उद्देश्य 11-18 वर्ष की किशोरियों (स्कूल-छोड़ चुकी किशोरियों पर विशेष ध्यान दिए जाते हुए) का सर्वांगीण विकास करना है। सबला स्कीम आरंभ करने के बाद किशोरी शक्ति योजना को समाप्त किया जा रहा है। इस समय देश के 205 जिलों में किशोरी शक्ति योजना को समाप्त किया जा रहा है। इस समय देश के 205 जिलों में किशोरी शक्ति योजना के सबला से प्रतिस्थापित किया गया है और शेष जिलों में इसे पहले की तरह क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण I

गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत संस्वीकृत/प्रचालित परियोजनाओं तथा लाभार्थी किशोरियों की राज्य-वार संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
			किशोरियों (11-18 वर्ष की आयु के बीच) की संख्या			किशोरियों (11-18 वर्ष की आयु के बीच) की संख्या			किशोरियों (11-18 वर्ष की आयु के बीच) की संख्या			किशोरियों (11-18 वर्ष की आयु के बीच) की संख्या		
			व्यावसायिक प्रशिक्षण/ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा/अनौपचारिक	पूरक पोषण प्राप्त किया	आई.एफ.ए./कृमि निवारण अनुपूरक प्राप्त किया	व्यावसायिक प्रशिक्षण/ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा/अनौपचारिक	पूरक पोषण प्राप्त किया	आई.एफ.ए./कृमि निवारण अनुपूरक प्राप्त किया	व्यावसायिक प्रशिक्षण/ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा/अनौपचारिक	पूरक पोषण प्राप्त किया	आई.एफ.ए./कृमि निवारण अनुपूरक प्राप्त किया	व्यावसायिक प्रशिक्षण/ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा/अनौपचारिक	पूरक पोषण प्राप्त किया	आई.एफ.ए./कृमि निवारण अनुपूरक प्राप्त किया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	270	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
2.	अरुणाचल प्रदेश	55	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
3.	असम	153	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
4.	बिहार	260	185304	185304	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
5.	छत्तीसगढ़	92	47400	0	45861	26100	0	11371	27402	0	20180	रिपोर्ट नहीं किय	रिपोर्ट नहीं किय	रिपोर्ट नहीं किय
6.	गोवा	0	1375	0	0	1375	0	0	स्कीम का प्रचालन बंद कर दिया गया हैक्योंकि सभी परियोजनाएं सबला के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं					
7.	गुजरात	209	32720	32720	31588	479496	539168	709924	185365	209737	227866	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
8.	हरियाणा	87	66880	66880	64613	66491	66510	63695	57660	57660	57313	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
9.	हिमाचल प्रदेश	46	4696ध	83800	67267	90810	214193	50051	90810	128429	50051	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
10.	जम्मू और कश्मीर	90	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
11.	झारखंड	123	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
12.	कर्नाटक	!28	27256	0	0	39301	0	0	203345	212563	63364	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
13.	केरल	113	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	3480	178552	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
14.	मध्य प्रदेश	300	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
15.	महाराष्ट्र	248	1530959	167893	195560	1661480	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	864980	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
16.	मणिपुर	22	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	मेघालय	19	13971	13942	5490	15254	15254	5612	8859	8499	547	7724	7724	1084
18.	मिजोरम	12	10584	10584	10584	4147	0	0	5517	6030	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
19.	नागालैंड	40	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	41341	41341	41341	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
20.	ओडिशा	199	911821	0	1070782	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
21.	पंजाब	100	50233	46856	11691	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	142124	87040	13100	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
22.	राजस्थान	190	161279	108426	1009401	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	छत	रिपोर्ट नहीं किया
23.	सिक्किम	रिपोर्ट नहीं किया	1976	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	2352	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	870	0	870	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
24.	त्रिपुरा	28	0	6506	5354	7500	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	4200	4200	4200	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
25.	तमिलनाडु	295	17360	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	97350	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	17700	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
26.	उत्तर प्रदेश	602	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
27.	उत्तराखंड	70	2259	21655	7927	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
28.	पश्चिम बंगाल	414	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
29.	दिल्ली	19	4483	8856	2377	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	4263	5062	2326	5925	5062	1546
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	360	1463	2130	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	168	29	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
31.	चंडीगढ़	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया		स्कीम का प्रचालन बंद कर दिया गया है क्योंकि सभी परियोजनाएं सबला के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं				
32.	दादरा और नगर हवेली	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया		रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	स्कीम का प्रचालन बंद कर दिया गया है क्योंकि सभी परियोजनाएं सबला के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं				
33.	दमन एवं दीव	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया		स्कीम का प्रचालन बंद कर दिया गया है क्योंकि सभी परियोजनाएं सबला के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं				
34.	लक्षद्वीप	0	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया		स्कीम का प्रचालन बंद कर दिया गया है क्योंकि सभी परियोजनाएं सबला के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं				
35.	पुदुचेरी	4	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया
	कुल	4194	3066220	754885	2530625	2491656	835125	840653	1658084	939142	4811581	13649	12786	2630

विवरण II

गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त एवं उपयोग कभ गई राशि का राज्य वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	413.6	206.8	206.8	206.8	148.5	रिपोर्ट नहीं किया	**	रिपोर्ट नहीं किया
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.45	43.45	43.5	43.45	30.25	30.25	**	रिपोर्ट नहीं किया
3.	असम	0	160.05	120.5	रिपोर्ट नहीं किया	84.15	रिपोर्ट नहीं किया	**	रिपोर्ट नहीं किया
4.	बिहार		45.75	295.9	रिपोर्ट नहीं किया	143	रिपोर्ट नहीं किया	**	रिपोर्ट नहीं किया
5.	छत्तीसगढ़	183.93	170.14	86.9	84.82	50.06	100.47	94.63	रिपोर्ट नहीं किया
6.	गोवा	6.05	6	6.1	5.82	*	लागू नहीं	*	रिपोर्ट नहीं किया
7.	गुजरात	143	286	143.0	222.2	305.25	222.2	1 14.95	55.55
8.	हरियाणा		67.05	70.40	57.28	47.85	47.82	**	रिपोर्ट नहीं किया
9.	हिमाचल प्रदेश		39.24	41.8	6.33	108	42.6	**	रिपोर्ट नहीं किया
10.	जम्मू और कश्मीर		72.265	77.0	61.18	49.5	रिपोर्ट नहीं किया	**	रिपोर्ट नहीं किया
11.	झारखंड		रिपोर्ट नहीं किया	112.2	67.37	67.65	रिपोर्ट नहीं किया	**	रिपोर्ट नहीं किया
12.	कर्नाटक	203.5	138.11	101.8	104.14	78.38	96.61	70.94	रिपोर्ट नहीं किया
13.	केरल	179.3	178.91	89.65	0	162.17	191.4	**	रिपोर्ट नहीं किया
14.	मध्य प्रदेश	201.85	424.1	201.9	468.24	569.74	392.27	392.37	रिपोर्ट नहीं किया
15.	महाराष्ट्र	457.6	457.60	228.8	247.83	136.4	172.69	147.23	रिपोर्ट नहीं किया
16.	मणिपुर	18.7	18.7	18.7	18.7	24.2	12.1	**	रिपोर्ट नहीं किया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	42.9	22	21.5	42.34	20.81	20.79	10.47	रिपोर्ट नहीं किया
18.	मिजोरम	25.3	25.3	12.7	12.65	13.15	13.15	**	रिपोर्ट नहीं किया
19.	नागालैंड	54.45	30.8	30.8	30.8	22	22	**	रिपोर्ट नहीं किया
20.	ओडिशा	179.3	145.9	179.3	0	109.45	72.72	**	रिपोर्ट नहीं किया
21.	पंजाब	81.4	32.35	81.4	16.64	55	10.86	3*	रिपोर्ट नहीं किया
22.	राजस्थान		47.41	150.7	0.35	104.5	143.84	3*	रिपोर्ट नहीं किया
23.	सिक्किम	6.05	12.1	6.05	0	2.75	8.36	**	रिपोर्ट नहीं किया
24.	तमिलनाडु	472.79	477.37	238.7	265	162.25	रिपोर्ट नहीं किया	264.97	रिपोर्ट नहीं किया
25.	त्रिपुरा	28.05	28.05	28.1	27.5	15.4	15.4	**	रिपोर्ट नहीं किया
26.	उत्तर प्रदेश	884.84	409.76	459.3	449.84	553.27	269.54	**	रिपोर्ट नहीं किया
27.	उत्तराखंड	54.45	54.5	54.5	77	50.6	50.6	45.54	रिपोर्ट नहीं किया
28.	पश्चिम बंगाल	रिपोर्ट नहीं किया	228.8		रिपोर्ट नहीं किया	227.7	रिपोर्ट नहीं किया'		रिपोर्ट नहीं किया
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.75	1.46	2.8	2.18	0.55	0.34	**	रिपोर्ट नहीं किया
30.	चंडीगढ़	1.65	रिपोर्ट नहीं किया	1.7	रिपोर्ट नहीं किया	*	रिपोर्ट नहीं किया'		रिपोर्ट नहीं किया
31.	दिल्ली	18.7	0	18.7	19.439	10.45	18.58	**	रिपोर्ट नहीं किया
32.	दादरा और नगर हवेली	1.1	0.505	1.1	0.6	*	रिपोर्ट नहीं किया	*	रिपोर्ट नहीं किया
33.	दमन एवं दीव	0	0	1.1	1.1	*	रिपोर्ट नहीं किया	*	रिपोर्ट नहीं किया
34.	लक्षद्वीप	0.55	रिपोर्ट नहीं किया	0.6	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	रिपोर्ट नहीं किया	*	रिपोर्ट नहीं किया
35.	पुदुचेरी	0	2.8	0	2.2		रिपोर्ट नहीं किया	*	रिपोर्ट नहीं किया
	कुल	3705.26	3601.67	3365.6	2539.6	3355.72	1954.59	1141.1	55.55

*स्कीम का प्रचालन बंद कर दिया गया है क्योंकि सभी परियोजनाएं सबला के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं

**बचत/रिपोर्ट न करने के कारण निर्मुक्ति नहीं की गई।

अमेरिका और ब्रिटेन में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा

4406. श्री सी. शिवासामी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका और ब्रिटेन में अपने समकक्षों से अपने-अपने देशों में भारतीय पूजा स्थलों पर सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस पर अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार विश्व भर में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा एवं कलयाण को तरजीह देने के लिए विदेशो में अपने राजनयिक सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम सहित ऐसे देशों, जहां पर पर्याप्त संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, से की गई चर्चा के माध्यम से अनुरोध किया है कि भारतीय राष्ट्रिकों एवं उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वे अपने समाज के सभी वर्गों की धार्मिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों सहित उनके हितों की रक्षा करने के लिए सभी कदम उठायेगी एवं गहरे ज्ञान को बढ़ावा देंगी तथा सभी आस्थाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करेंगी।

[हिन्दी]

जारवा जनजाति

4407. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रह रहे जारवा जनजाति की अनुमानित आबादी कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारवा जनजातियों के कल्याण के लिए आबंटित और उपयोग में लायी गयी निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय मुध्य धारा में इस समुदाय को लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय कल्याण निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जारवा जनजाति की वर्तमान जनसंख्या 407 है।

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन जारवा सहित विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों समिति को सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है जारवा के कल्याणार्थ विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	रु. (लाख में)
2009-10	49.03
2010-11	72.16
2011-12	107.78

वर्ष 2012-13 के लिए 122.00 लाख रु. की राशि चिन्हित की गई है तथा अब तक 12.81 लाख रु. खर्च किए गए हैं।

(ग) जारवा जनजाति अभी भी शिकार, अपने अस्तित्व के लिए संग्रह तथा जीवन के अपने परंपरागत तरीके का प्रयोग कर रहे हैं भारत सरकार की 2004 की जारवा नीति के अनुसार अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा न्यूनतम तथा नियंत्रित हस्तक्षेप के साथ जारवा को अधिकतम स्वायत्ता दी जा रही है। जारवा के सांस्कृतिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं है तथा वे अपने स्वयं के गुणों तथा अपनी स्वयं की गति के अनुसार अपना विकास करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। अपने सामाजिक विकास के इस स्तर पर उनकी चेतना के विरुद्ध उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

निजी एअरलाइन की गिरती स्थिति

4408. श्री मनीष तिवारी:
श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री ताराचंद भगोरा:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइन्स के गिरते उड़ान सुरक्षा मान की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नागर विमानन के पूर्व महानिदेशक द्वारा निजी एयरलाइंस के उड़ान सुरक्षा मानकों में खामियों के संबंध में लिखे नोट जिसमें वायु परिवहन श्रृंखला 'एस' भाग। (एक) की धारा

3 के तहत पूरी की जाने वाली नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) का 1.4 के तहत उल्लेख किया गया है, वह फाइल से संदेहास्पद स्थिति में गायब पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय विभिन्न वायुयान नियम तथा विमान अपेक्षाओं में निहित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की निगरानी और विनियामक आडिट करता है। ऐसी आडिटों/निगरानियों के दौरान पाई गई कमियां महानिदेशालय द्वारा संबंधित एयरलाइनों के समक्ष आवश्यक सुधार तथा अनुपालन के लिए उठाई जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जिला योजना समितियों का गठन

4409. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में जिला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों से ''पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि'' (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के तहत अनुदान में दी गई निधि को वापस ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बहुतायत राज्यों में जिला योजना समितियों (डी.पी.सी) गठित कर ली गई हैं। राज्य इन समितियों का गठन स्थानीय निकायों के चुनावों के पूरे होने के उपरांत करते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने डीपीसी के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही आरंभ कर दी है।

(ग) और (घ) बीआरजीएफ के दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार जिलों को निधियां जिला योजना समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए जारी की जाती है। राज्य द्वारा डीपीसी से अनुमोदित योजनाएं प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में उस राज्य विशेष को बीआरजीएफ कार्यक्रम की निधियों से हाथ धोना पड़ जाता है।

[अनुवाद]

हैदराबाद उड़ान में फंसे यात्री

4410. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर हैदराबाद जाने वाले यात्री अपने विमान के अंदर तीन घंटे से अधिक समय के लिए फंसे रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 16, अगस्त, 2012 को एआई-126 दिल्ली-हैदराबाद उड़ान में देरी हुई, जिसका कारण पायलट द्वारा एटीसी टावर की तकनीकी खराबी बताया गया।

(ग) से (च) विमान द्वारा वहन यात्री और वाहक के बीच संविदात्मक मुद्दा है। यात्रियों द्वारा विमान कंपनियों से शिकायतें की जाती हैं। तथापि, कुछ यात्री मामले को निवारण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ भी उठाते हैं। ऐसी शिकायतें निवारण के लिए संबंधित विमान कंपनियों के साथ उठाई जाती हैं। डीजीसीए को इस मामले में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

विदेश में कार्यालयों की खरीद

4411. श्रीमती कैसर जहां: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेश में कार्यरत भारतीय दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर और आवासीय जगहों को खरीदा है अथवा उनका खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी खरीदों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जहां भारतीय दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय और आवास किराये पर लिये गये है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां। मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रो में कार्यरत भारत-स्थानिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालयों और आवासीय स्थलों की खरीद की है और आगे भी खरीद कर रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेश में खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन देशों में कार्यालय और आवासीय स्थल किराये पर लिए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ किए गए व्यय के ब्यौरे सहित देशों के नाम संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

विदेश में खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	मिशन/केंद्र	अधिग्रहीत संपत्तियां	अधिग्रहण लागत (हजार रुपए)
	2009-10 में खरीदी गयी संपत्तियां		
1.	भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई, यूएई	कोंसुल का आवस	21,39,00
2.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी, आस्ट्रेलिया	अधिकारियों के लिए आवास	4,25,00
	कुल		**25,64,00**
	2010-11 में खरीदी गयी संपत्तियां		
1.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हांगकांग	चांसरी	63,78,00
2.	भारत का राजदूतावास, रबात, मोरक्को	चांसरी	9,51,00
3.	भारत का राजदूतावास, हैल्सिंकी, फिनलैंड	चांसरी	14,10,00
4.	भारत का राजदूतावास, पेरिस, फ्रांस	आईसीसी भवन	30,38,00
5.	भारत का राजदूतावास, सेंटियागों, चिली	चांसरी	10,22,00
6.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी, आस्ट्रेलिया	चांसरी	39,50,00
7.	भारत का राजदूतावास, पेरिस, फ्रांस	प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के लिए आवास	10,00,00
8.	भारत का राजदूतावास, सेंटियागों, चिली	चांसरी के निर्माण के लिए भूखंड, राजदूतावास का आवास, भारत स्थानिक अधिकारियों के आवास	11,32,00
	कुल		**188,81,00**

2011-12 में खरीदी गयी संपत्तियां

1.	भारत का प्रधान कोंसलावास, ह्यूस्टल, यूएसए	चांसरी	16,87,00
2.	भारत का प्रधान कोंसलावास, पर्थ, आस्ट्रेलिया	चांसरी	17,86,00
3.	भारत का प्रधान कोंसलावास, पर्थ, आस्ट्रेलिया	प्रधान कोंसुल का आवास	12,07,00
4.	भारत का प्रधान कोसलावास, पर्थ, आस्ट्रेलिया	कोंसुल का आवास	6,84,00
5.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एवं टोबैगों	आवास	9,36,00
6.	भारत का प्रधान कोंसलावास, अटलांटा, यूएसए	प्रधान कोंसुल का आवास	16,91,00
7.	भारत का राजदूतावास, येरेवान, अर्मेनिया	राजदूतावास का आवास	9,61,00
8.	भारत का राजदूतावास, ब्रुनई, बंडर सेरी बेगावान	राजदूतावास आवास के निर्माण के लिए भूखंड एवं चांसरी	4,84,00
	कुल		**94,36,00**

2012-13 (अब तक) में खरीदी गयी संपत्तियां

1.	भारत का प्रधान कोंसलावास, अटलाटा, यूएसए	चांसरी	26,81,00
	कुल		**26,81,00**

विवरण-II

कार्यालय और आवासीय स्थलों पर हुए किराए व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र एवं देश का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जुलाई, 12 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	भारत का चांसरी, सांगखला, थाईलैंड	रु. 1,4645,521.00	रु. 286,928.00	रु. 0.00	रु. 0.00
2.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मेलबर्न, आस्ट्रेलिया	रु. 10,409,885.00	रु. 19,884,884.00	रु. 22,374,880.00	रु. 9,909,130.00
3.	भारत का राजदूतावास, जुबलाना, स्लोवेनिया	रु. 18,303,048.00	रु. 15,974,682.00	रु. 17,737,942.00	रु. 6,360,764.00
*4.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जुबा, सुडान	(रु. 81,333.00)	रु. 5,560,650.00	रु. 9,302,850.00	रु. 4,746,060.00
5.	भारत का प्रधान कोंसलावास, ग्वांगझऊ, चीन	रु. 26,508,783.00	रु. 21,320,621.00	रु. 26,239,159.00	रु. 15,053,709.00
6.	भारत का राजदूतावास, अस्ताना, कजाखस्तान	रु. 34,095,912.00	रु. 34,018,500.00	रु. 33,713,743.00	रु. 12,949,799.00
7.	भारत का राजदूतावास, रिजविक, आइसलैंड	रु. 18,074,996.00	रु. 12,691,186.00	रु. 10,415,682.00	रु. 3,631,013.00

1	2	3	4	5	6
8.	भारत का राजदूतावास , नियामे, नाइजर	रु. 5,012,765.00	रु. 13,461,169.00	रु. 4,329,489.00	रु. 3,009,882.00
9.	भारत का राजदूतावास, बमाकू, माली	रु. 9,974,591.00	रु. 4,950,334.00	रु. 8,063,620.00	रु. 946,803.00
10.	भारत का राजदूतावास, ग्वाटेमाला सिटी,ग्वाटेमाला	रु. 1,789,205.00	रु. 8,220,460.00	रु. 8,562,029.00	रु. 3,761,725.00
11.	भारत का राजदूतावास कैंप आफिस, बिराटनगर, नेपाल	रु. 659,433.00	रु. 1,446,819.00	रु. 1,470,329.00	रु. 283,142.00
12.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जाफना, श्रीलंका	रु. 0.00	रु. 1,507,366.00	रु. 4,776,590.00	रु. 721,096.00
13.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हंबनटोटा, श्रीलंका	रु. 0.00	रु. 1,935,526.00	रु. 2,805,804.00	रु. 864,792.00
14.	भारत का प्रधान कोंसलावास, पर्थ, आस्ट्रेलिया	रु. 0.00	रु. 0.00	रु. 707,462.00	रु. 2,545,636.00
15.	भारत का प्रधान कोंसलावास, अटलांटा, यूएसए	रु. 0.00	रु. 0.00	रु. 9,057,165.00	रु. 4,485,846.00
16.	आईसीसी, बाली, इंडोनेशिया	रु. 0.00	रु. 0.00	रु. 415,111.00	रु. 3,561,710.00
17.	भारत का उच्चायोग, अकरा, घाना	रु. 4,452,675.00	रु. 4,665,111.00	रु. 6,273,457.00	रु. 1,574,160.00
18.	भारत का उच्चायोग, कैनबरा, आस्ट्रेलिया	रु. 6,081,127.00	रु. 3,533,263.00	रु. 8,716,993.00	रु. 1,491,906.00
19.	भारत का सहायक उच्चायोग, चिटकगांव, बांग्लादेश	रु. 2,598,905.00	रु. 2,725,616.00	रु. 2,968,601.00	रु. 653,704.00
20.	भारत का उच्चायोग, कोलंबो, श्रीलंका	रु. 9,241,474.00	रु. 13,163,991.00	रु. 13,408,205.00	रु. 3,436,115.00
21.	भारत का उच्चायोग, ढाका, बांग्लादेश	रु. 27,465,560.00	रु. 25,041,518.00	रु. 22,768,015.00	रु. 5,251,178.00
22.	भारत का उच्चायोग, दार-ए-सलाम, तंजानिया	रु. 8,652,370.00	रु. 15,773,501.00	रु. 12,848,278.00	रु. 3,089,357.00
23.	भारत का उच्चायोग, जार्जटाउन, गुयाना	रु. 11,938,426.00	रु. 10,971,045.00	रु. 9,536,177.00	रु. 1,946,656.00
24.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हांगकांग	रु. 26,490,436.00	रु. 39,546,410.00	रु. 24,999,131.00	रु. 653,513.00
25.	भारत का उच्चायोग, किंगस्टन, जमैका	रु. 9,594,057.00	रु. 14,985,237.00	रु. 7,277,118.00	रु. 2,882,905.00
26.	भारत का सहायक उच्चायोग, कैंडी, श्रीलंका	रु. 1,629,757.00	रु. 1,798,617.00	रु. 1,849,096.00	रु. 620,448.00
27.	भारत का उच्चायोग, क्वालालाम्पुर, मलेशिया	रु.6,887,107.00	रु. 5,800,965.00	रु. 14,639,317.00	रु. 4,561,928.00
28.	भारत का उच्चायोग, कंपाला, उगांडा	रु. 4,852,169.00	रु. 4,013,120.00	रु. 3,419,173.00	रु. 1,794,990.00
29.	भारत का उच्चायोग, लसाका, जांबिया	रु. 1,968,619.00	रु. 1,038,832.00	रु. 1,820,776.00	रु. 368,964.00
30.	भारत का सहायक उच्चायोग, मोंबासा, केन्या	रु. 1,382,758.00	रु. 2,644,263.00	रु. 1,249,570.00	रु. 176,499.00
31.	भारत का उच्चायोग, ओटावा, कनाडा	रु. 15,162,594.00	रु. 6,387,585.00	रु. 6,482,887.00	रु. 2,392,739.00

1	2	3	4	5	6
32.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट लुई, मॉरीशस	रु. 15,162,594.00	रु. 14,167,657.00	रु. 14,096,548.00	रु. 5,223,703.00
33.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एवं टोबैगो	रु. 9,771,324.00	रु. 6,120,098.00	रु. 6,989,277.00	रु.1,412,829
34.	भारत का सहायक उच्चायोग, राजशाही, बांग्लादेश	रु. 964,048.00	रु. 887,934.00	रु.1,388,280.00	रु.254,187.00
35.	भारत का उच्चायोग, सुवा, फिजी	रु. 11,037,501.00	रु.11,904,931.00	रु.1,466,325.00	रु.3,654,616.00
36.	भारत का उच्चायोग, सिंगापुर	रु.12,817,750.00	13,408,122.00	रु. 13,613,759.00	रु.4,999,500.00
37.	भारत का उच्चायोग, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड	रु.14,145,707.00	रु.12,859,946.00	रु.15,176,183.00	रु.5,274,676.00
38.	भारत का उच्चायोग, अल्जीयर्स, अल्जीरिया	रु.19,759,927.00	18,457,686.00	रु.19,231,555.00	रु.6,122,591.00
39.	भारत का राजदूतावास, आबुधाबी, यूएई	रु.13,311,869.00	रु.17,543,061.00	रु.17,513,313.00	रु.7,155,438.00
40.	भारत का राजदूतावास, अम्मान, जॉर्डन	रु.2,739,926.00	रु.1,682,596.00	रु.1,825,681.00	रु.747,212.00
41.	भारत का राजदूतावास, आदिस अबाबा, इथोपिया	रु.5,627,916.00	रु.7,137,579.00	रु.6,198,291.00	रु.2,714,732.00
42.	भारत का राजदूतावास, अंकारा, तुर्की	रु.6,358,395.00	रु.3,227,994.00	रु.3,518,675.00	रु.1,322,428.00
43.	भारत का राजदूतावास, बुडापेस्ट, हंगरी	रु.5,923,263.00	रु.5,620,438.00	रु.3,595,958.00	रु.657,114.00
44.	भारत का राजदूतावास, बहरीन	रु.18,732,532.00	रु.16,216,194.00	रु.15,416,641.00	रु.4,882,106.00
45.	भारत का राजदूतावास, बर्न, स्वीटजरलैंड	रु.10,469,204.00	रु.11,577,599.00	रु.12,428,963.00	रु.4,294,954.00
46.	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट, रोमानिया	रु.25,912,271ण00	रु.20,470,788.00	रु.21,552,047.00	रु.4,002,935.00
47.	भारत का राजदूतावास, बैंकॉक, थाईलैंड	रु.16,123,737.00	रु.26,142,667.00	रु.17,879,665.00	रु.6,798,940.00
48.	भारत का राजदूतावास, बोगोटा, कोलंबिया	रु.7,261,655.00	रु.6,779,246.00	रु.7,332,779.00	रु.2,707,714.00
49.	भारत का राजदूतावास, ब्रासीलिया, ब्राजील	रु.25,617,464.00	रु.26,019,836.00	रु.28,302,362.00	रु.13,860,002.00
50.	भारत का राजदूतावास, ब्रूसेल्स, बेल्जियम	रु.19,103,846.00	रु.11,751,657.00	रु.10,603,374.00	रु.3,359,664.00
51.	भारत का राजदूतावास, बर्लिन, जर्मनी	रु.28,436,105.00	रु.26,129,766.00	रु.26,863,536.00	रु.9,829,334.00
52.	भारत का राजदूतावास, बगदाद, इराक	रु.4,659,750.00	रु.4,502,430.00	रु.4,420,171.00	रु.621,805.00
53.	भारत का राजदूतावास, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना	रु.11,803,803.00	रु.8,522,152.00	रु.8,853,937.00	रु.3,306,203.00
54.	भारत का राजदूतावास, ब्रेलगेड, सर्बिया	रु.7,084,664.00	रु.6,985,524.00	रु.7,947,903.00	रु.1,274,561.00
55.	भारत का चांसरी, चैंगमई, थाईलैंड	रु.2,130,873.00	रु.2,181,171.00	रु.2,333,337.00	रु.1,274,561.00

1	2	3	4	5	6
56.	भारत का राजदूतावास, कराकस, वेनेजुएला	रु. 4,585,694.00	रु.4,191,615.00	रु.5,145,264.00	रु.2,753,939.00
57.	भारत का प्रधान कोंसलावास, शिकागो, कनाडा	रु.26,207,436.00	रु.28,335,200.00	रु.23,606,665.00	रु.10,905,830.00
58.	भारत का राजदूतावास, काहिरा, मिस्र	रु.5,024,242.00	6,676,139.00	रु.5,984,159.00	रु.1,334,558.00
59.	भारत का राजदूतावास, कोपनहेगन, डेनमार्क	रु.12,600,033.00	रु.9,037,911.00	रु.11,649,667.00	रु.3,750,843.00
60.	भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई, आयरलैंड	रु.52,209,829.00	रु.37,140,981.00	रु.34,071,097.00	रु.10,546013.00
61.	भारत का राजदूतावास, डबलिन, आयरलैंड	रु.10,091,998.00	रु.9,074,293.00	रु.9,521,962.00	रु.3,419,715.00
62.	भारत का राजदूतावास, डकार, सेनेगल	रु.10,967,100.00	रु.9,761,309.00	रु.10,499,234.00	रु.4,427,493.00
63.	भारत का राजदूतावास, दोहा, कतर	रु.36,035,071.00	रु.35,334,756.00	रु.27,678,512.00	रु.6,389,184.00
64.	भारत का राजदूतावास, दमिश्क, सीरिया	रु.6,296,617.00	रु.5,584,136.00	रु.6,377,020.00	रु.1,395,090.00
65.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जेनेवा, स्विटजरलैंड	रु.96,775,562.00	रु.98,155,372.00	रु.124,360,257.00	रु.51,960254.00
66.	भारत का राजदूतावास, द हेग, नीदरलैंड	रु.17,755,781.00	रु.12,736,536.00	रु.15,656,590.00	रु.5,335,439.00
67.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हैंबर्ग, जर्मनी	रु.1,102,824.00	रु.952,734.00	रु.1,015,776.00	रु.421,872.00
68.	भारत का राजदूतावास, हनोई, वियतनाम	रु.21,219,133.00	रु.20,119,932.00	रु.23,583,716.00	रु.8,857,299.00
69.	भारत का राजदूतावास, हैल्सिंकी, फिनलैंड	रु.13,883,349.00	रु.11,938,849.00	रु.12,165,298.00	रु.4,448,819.00
70.	भारत का राजदूतावास, हवाना, क्यूबा	रु.15,681,793.00	रु.15,424,323.00	रु.14,798,182.00	रु.6,167.370.00
71.	भारत का राजदूतावास, इस्लामबाद, पाकिस्तान	रु.36,766,827.00	रु.26,443,711.00	रु.17,783,031.00	रु.12,758,132.00
72.	भारत का राजदूतावास, अद्दा, सऊदी अरब	रु.105,582,587.00	रु.115,173,092.00	रु.96,552,171.00	रु.1,780,665.00
73.	भारत का राजदूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया	रु.2,512,761.00	रु.4,185,946.00	रु.8,497,819.00	रु.1,389,171.00
74.	भारत का राजदूतावास, कुवैत, सिटी, कुवैत	रु.13,298,522.00	रु.14,599,946.00	रु.13,702,981.00	रु.8,623,549.00
75.	भारत का राजदूतावास, जलालाबाद, अफगानिस्तान	रु.7,014,087.00	रु.6,658,397.00	रु.7,461,484.00	रु.2,138,520.00
76.	भारत का राजदूतावास, किंशासा, कांगो	रु.7,124,402.00	रु.8,398,389.00	रु.7,412,418.00	रु.3,357,303.00
77.	भारत का प्रधान कोंसलावास, कोब, जापान	रु.21,452,692.00	रु.20,763,922.00	रु.22,326,107.00	रु.11,656,192.00
78.	भारत का राजदूतावास, खारतुम, सूडान	रु.8,921,643.00	रु.10,459,434.00	रु.16,934,411.00	रु.9,279,742.00
79.	भारत का प्रधान कोंसलावास, कंधार, अफगानिस्तान	रु.8,250,542.00	रु.8,210,252.00	रु.8,627,778.00	रु.4,782,150.00

1	2	3	4	5	6
80.	भारत का राजदूतावास, काबुल, अफगानिस्तान	रु.39,039,679.00	रु.36,666,246.00	रु.32,057,186.00	रु.5,643,466.00
81.	भारत का राजदूतावास, लिस्बन, पुर्तगाल	रु.5,893,932.00	रु.4,729,660.00	रु.8,067,228.00	रु.2,105,976.00
82.	भारत का राजदूतावास, लीमा, पेरु	रु.2,928,658.00	रु.2,919,761.00	रु.2,850.403.00	रु.1,122,445.00
83.	भारत का राजदूतावास, मनीला, फिलीपींस	रु.5,218,921.00	रु.5,772,170.00	रु.7,197,204.00	रु.1,218,274.00
84.	भारत का उच्चायोग, मापुतो, मोजांबिक	रु.4,903,217.00	रु.4,332,996.00	रु.7,140,466.00	रु.1,131,739.00
85.	भारत का प्रधान कोंसलावस, मेडन, इंडोनेशिया	रु.1,186,076.00	रु.414,458.00	रु.443,069.00	रु.0.00
86.	भारत का राजदूतावास, मेंड्रिड, स्पेन	रु.26,122,787.00	रु.15,797,165.00	रु.17,619,988.00	रु.4,611,157.00
87.	भारत का राजदूतावास, मस्कट, ओमान	रु.22,946,403.00	रु.15,712,169.00	रु.15,527,537.00	रु.5,309,873.00
88.	भारत का उच्चायोग, माहे, सेशल्स	रु.1,410,848.00	रु.1,924,142.00	रु.1,906,654.00	रु.631,073.00
89.	भारत का राजदूतावास, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको	रु.6,108,437.00	रु.5,885,813.00	रु.5,255,030.00	रु.2,263,353.00
90.	भारत का राजदूतावास, मेडागास्कर, अंतानानारिवो	रु.3,812,345.00	रु.4,017,326.00	रु.4,065,407.00	रु.1,263,353.00
91.	भारत का उच्चायोग, माले, मालदीव	रु.20,119,920.00	रु.24,770,388.00	रु.22,723,413.00	रु.10,708,464.00
92.	भारत का राजदूतावास, काठमांडू, नेपाल	रु.13,040,911.00	रु.12,438,855.00	रु.12,795,945.00	रु.3,673,608.00
93.	भारत का प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क, यूएसए	रु.14,372,911.00	रु.13,479,547.00	रु.9,064,908.00	रु.3,437,754.0
94.	भारत का राजदूतावास, ओस्लो, नार्वे	रु.9,319,020.00	रु.8,073,491,00	रु.7,316,177.00	रु.2,615,795.00
95.	भारत का राजदूतावास, प्रेग, चैक गणराज्य	रु.8,600,334.00	रु.6,328,659.00	रु.6,174,097.00	रु.1,641,570.00
96.	संपर्क कार्यलय, फुटसोलिंग, भूटान	रु.976,752.00	रु.1,000,793.00	रु.917,070.00	रु.712,000.00
97.	भारत का राजदूतावास, बीजिंग, चीन	रु.33,578,055.00	रु.41,884,037.00	रु.47,416,217.00	रु.16,856,958.00
98.	भारत का राजदूतावास, प्योंगयांग, कोरिया	रु.4,274,512.00	रु.3,990,386.00	रु.4,974,777.00	रु.1,203,761.00
99.	भारत का राजदूतावास, पनामा, पनामा गणराज्य	रु.5,222,152.00	रु.5,338,517.00	रु.4,974,710.00	रु.1,754,506.00
100.	भारत का दूतावास, पेरिस, फ्रांस	रु.39,497,338.00	रु.29,245,425.00	रु.35,871,364.00	रु.4,842,710.00
101.	भारत का राजदूतावास, रबात, मोरक्को	रु.2,940,214.00	रु.3,023,306.00	रु.35,871,364.00	रु.1,123,868.00
102.	भारत का राजदूतावास, रोम, इटली	रु.54,220,052.00	रु.43.875,336.00	रु.66,124,730.00	रु.41,966,542.00
103.	भारत का राजदूतावास,यांगोन, म्यांमा	रु.4,674,037.00	रु.3,424,262.00	रु. 3,977,711.00	रु.3,309,060.00

1	2	3	4	5	6
104.	भारत का राजदूतावास, सियोल, कोरिया	रु.12,135,882.00	रु.11,875,182.00	रु.10,274,249.00	रु.2,737,708.00
105.	भारत का राजदूतावास, सोफिया, बुल्गारिया	रु.5,479,782.00	5,568,718.00	रु.5,630,029.00	रु.2,032,725.00
106.	भारत का राजदूतावास, स्टॉकहोम, स्वीडन	रु.16,740,671.00	रु.22,113,598.00	रु.21.431,176.00	रु.1,716,174.00
107.	भारत का राजदूतावास, साना, यमन	रु.8,029,619.00	रु.14,175,085.00	रु.4,532,263.00	रु.11,557,716.00
108.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सैनफ्रांसिस्कों, यूएसए	रु.16,584,633.00	रु.22,461,695.00	रु.19,436,047.00	रु.6,689,765.00
109.	भारत का राजदूतावास, सेंटियागो, चिली	रु.6,099,357.00	रु.5,206,967.00	रु.7,417,751.00	रु.3,014,365.00
110.	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो, सूरीनाम	रु.5,265,182.00	रु.5,861,521.00	रु.3,773,276.00	रु.1,339,840.00
111.	भारत का राजदूतावास, तेहरान, ईरान	रु.20,890,403.00	रु.38,338,422.00	रु.19,501,672.00	रु.4,616,204.00
112.	भारत का राजदूतावास, थिंपु, भूटान	रु.530,419.00	रु.566,292.00	रु.587,668.00	रु.210,012.00
113.	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली, लीबिया	रु.10,913,517.00	रु.8,209,730.00	रु.7,568,082.00	रु.1,498,190.00
114.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो, जापान	रु.1,855,165.00)	रु.1,323.00	रु.0.00	रु.0.00
115.	भारत का प्रधान कोंसलावास, ओरंटो, कनाडा	रु.31,350,712.00	रु.32,376,273.00	रु.37,491,184.00	रु.10,334,383.00
116.	भारत का राजदूतावास, ट्यूनिश, ट्यूनेशिया	रु.438,717.00	रु.382,713.00	रु.833,088.00	रु.102,755.00
117.	भारत का राजदूतावास, उलान बतार, मंगोलिया	रु.4,313,173.00	रु.2,194,600.00	रु.2,919,282.00	रु.1,169,082.00
118.	भारत का राजदूतावास, विनतियेन, लाओ पीडीआर	रु.4,361,488.00	रु.4,452,842.00	रु.4,215,386.00	रु.3,280,881.00
119.	भारत का राजदूतावास, वियना, आस्ट्रिया	रु. 26,387,073.00	रु.23,683,524.00	रु.32,027,956.00	रु.15,835,676.00
120.	भारत का राजदूतावास, वारसा पोलैंड	रु.12,729,490.00	रु.17,497,007.00	रु.10,301,052.00	रु.3,175,030.00
121.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार, तंजानिया	रु.2,459,961.00	रु.2,363,448.00	रु.2,507,893.00	रु.1,479,132.00
122.	भारत का चांसरी, जाहिदान, इरान	रु.2,427,218.00	रु.1,433,724.00	रु.1,098,190.00	रु.618,538.00
123.	भारत का राजदूतावास, एथेंस, यूनान	रु.7,453,932.00	रु.3,664,716.00	रु.4,449,646.00	रु.926,724.00
124.	भारत का राजदूतावास, आबिदजान, आइवरी कोस्ट	रु.7,327,247.00	रु.7,444,872.00	रु.7,232,810.00	रु.3,178,828.00
125.	भारत का उच्चायोग, लंदन, यूके	रु.14,768,514.00	रु.13,966,567.00	रु.16,062,200.00	रु.3,159,726.00
126.	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन, यूएसए	रु.74,401,078.00	रु.80,001,590.00	रु.70,351,541.00	रु.28,278,160.00
127.	भारत का प्रधान कोंसलावास, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी	रु.6,372,149.00	रु.5,993,447.00	रु.11,537,541.00	रु.3,092,720.00

1	2	3	4	5	6
128.	भारत का राजदूतावास, नोम पेन, कंबोडिया	रु. 18,704,017.00	रु.13,773,029.00	रु.14,321,842.00	रु.5,447,850.00
129.	भारत का उच्चायोग, निकोसिया, साइप्रस	रु. 3,833,949.00	रु.2,805,049.00	रु.2,864,243.00	रु.1,279,626.00
130.	भारत का राजदूतावास तेल अवीव, इजरायल	रु.31,566,618.00	रु.39,266,320.00	रु.44,500,621.00	रु.16,816,839.00
131.	भारत का राजदूतावास, कीव, उक्रेन	रु.23,338,806.00	रु.23,606,396.00	रु.22,853,995.00	रु.8,851,578.00
132.	भारत का राजदूतावास, मिंसक, बेलारुस	रु.10,659,130.00	रु.9,587,108.00	रु.10,495,577.00	रु.8,851,578.00
133.	भारत का प्रधान कोंसलावास, व्लादिवोस्टक, रुस	रु.8,928,723.00	रु.9,995,087.00	रु.11,538,334.00	रु.4,220,668.00
134.	भारत का राजदूतावास, अश्गाबाद, तुर्कमेनिस्तान	रु.11,046,475.00	रु.8,689,622.00	रु.9,544,678.00	रु.2,939,050.00
135.	भारत का प्रधान कोंसलावास, बर्मिघम, यूके	रु.19,098,937.00	रु.17,119,296.00	रु.23,920,316.00	रु.7,620,408.00
136.	भारत का राजदूतावास, बिस्केक, किर्गीजस्तान	रु.11,046,475.00	रु.7,564,581.00	रु.8,090,732.00	रु.3,072,003.00
137.	भारत का राजदूतावास, ब्रातिसलावा, स्लोवाक गणराज्य	रु.18,607,165.00	रु.7,564,581.00	रु.8,090,732.00	रु.6,959,646.00
138	भारत का उच्चायोग, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका	रु.7,934,088.00	रु.8,670,143.00	रु.9,762,251.00	रु.4,036,029.00
139.	भारत का प्रधान कोंसलावास, डर्बन, दक्षिण अफ्रीका	रु. 14,668,385.00	रु.15,987,346.00	रु.16,329,495.00	रु.5,716,496.00
140.	भारत का राजदूतावास, दुशांबे, तजाकिस्तान	रु. 12,480,857.00	रु.10,827,199.00	रु.11,267,835.00	रु.4,334,791.00
141.	भारत का उच्चायोग, गैबरोन, बोत्सावना	रु.7,644,166.00	रु.4,787,610.00	रु.5,649,916.00	रु.2,080,055.00
142.	भारत का प्रधान कोंसलावास, एडिनबर्ग, यूके	रु.10,328,462.00	रु.9,387,882.00	रु.8,604,085.00	रु.2,253,462.00
143.	भारत का उच्चायोग, हरारे, जिंबाब्वे	रु.3,059,301.00	रु.1,218,013.00	रु.1,158,111.00	रु.568,231.00
144.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हो ची मिन सिटी, वियतनाम	रु.6,948,693.00	रु.12,217,878.00	रु.6,657,043.00	रु.2,628,258.00
145.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हयूस्टन, यूएसए	रु.18,328,248.00	रु.18,889,514.00	रु.15,360,546.00	रु.2,628,258.00
146.	भारत का प्रधान कोंसलावास, इस्तांबंल, तुर्की	रु.14,599,182.00	रु.12,852,450.00	रु.13,905,086.00	रु.4,723,545.00
147.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	रु.8,164,169.00	रु.8,812,885.00	रु.10,663,642.00	रु.2,259,096.00
148.	भारत का राजदूतावास, लुआंडा, अगोला	रु.28,031,806.00	रु.24,319,726.00	रु.40,910,440.00	रु.4,074,335.00
149.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मिलान, इटली	रु.12,991,521.00	रु.12,303,721.00	रु.13,792,034.00	रु.3,725,121.00
150.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट मोर्सबे, पपुआ न्यू गिनी	रु.11,283,149.00	रु.10,890,485.00	रु.18,907,739.00	रु.8,890,757.00
151.	भारत का उच्चायोग, प्रोटोरिया, दक्षिण अफ्रीका	रु.9,943,764.00	रु.10,758,417.00	रु.11,607,811.00	रु.3,385,103.00

1	2	3	4	5	6
152.	भारत का राजदूतावास, रियाद, सऊदी अरब	रु.3,960,622.00	रु.0.00	रु.0.00	रु.0.00
153.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सैंट डेनिस, रियूनियन आइसलैंड	रु.6,122,563.00	रु.5,493,135.00	रु.6.044,092.00	रु.2,160,711.00
154.	भारत का प्रधान कोंसलावास, साओं पोलो, ब्राजील	रु.16,415,113.00	रु.32,153,635.00	रु.19,422,310.00	रु.5,419,650.00
155.	भारत का प्रधान कोंसलावास, शंघाई, चीन	रु.20,873,198.00	रु.23,038,925.00	रु.25,640,369.00	रु.8,349,193.00
156.	भारत का चांसरी, शिराज, ईरान	रु.2,046,073.00	रु.0,058,168.00	रु.1,488,889.00	रु.1,159,745.00
157.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सैंट पीटर्सबर्ग, रुसी परिसंघ	रु.266,539.00	रु.38,113,616.00	रु.27,289,351.00	रु.13,673,213.00
158.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी, आस्ट्रेलिया	रु.16,798,009.00	रु.18,685,211.00	रु.33,784,650.00	रु.7,827,738.00
159.	भारत का राजदूतावास, ताशकंद, उज्बेकिस्तान	रु.11,534,145.00	रु.12,991,101.00	रु.19,996,071.00	रु.1,788,028.00
160.	भारत का प्रधान कोंसलावास, वेंकुवर, कनाडा	रु.22,662,084.00	रु.23,937,365.00	रु.25,141,493.00	रु.9,374,707.00
161.	भारत का उच्चायोग, विंडहोक, नामीबिया	रु.2,089,605.00	रु.1,939,275.00	रु.1,417,575.00	रु.652,000.00
162.	भारत का राजदूतावास, जगरेब, क्रोएशिया	रु.17,020,469.00	रु.15,156,136.00	रु.16,709,925.00	रु.5,733,640.00
163.	आरओआई, गाजा	रु.5,143,327.00	रु.5,422,652.00	रु.5,280,143.00	रु.465,856.00
164.	भारत का उच्चायोग, ब्रुनेई, बंडर सेरी बेगावान	रु.14,579,441.00	रु.17,990,271.00	रु.14,841,635.00	रु.6,413,834.00
165.	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क, यूएसए	रु.24,142,122.00	रु.30,520,292.00	रु.53,507,016.00	रु.22,778,402.00
166.	भारत का उच्चायोग, नेरौबी, केन्या	रु.5,575,010.00	रु.4,865,333.00	रु.3,098,733.00	रु.961,656.00
168.	भारत का राजदूतावास, येरेवान, अर्मेनिया	रु.9,799,833.00	रु.8,985,957.00	रु.62,973,525.00	रु.35,471,004.00
169.	भारत का राजदूतावास, बाकू, अजरबेजान	रु.12,346,032.00	रु.12,259,957.00	रु.10,146,299.00	रु.994,153.00
170.	संपर्क कार्यालय, अबुजा, नाइजीरिया	रु.23,376,560.00	रु.8,664,668.00	रु.10,000,193.00	रु.8,265,831.00
171.	भारत का प्रधान कोंसलावास, म्यूनिख, जर्मनी	रु.26,499,997.00	रु.23,173,619.00	रु.26,193,486.00	रु.8,496,299.00
172.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हेरात, अफगानिस्तान	रु.6,168,900.00	रु.9,492,520.00	रु.9,456,742.00	रु.3,141,270.00
173.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मजार-ए-शरीफ, अफगानिस्तान	रु.10,310,296.00	रु.10,275,018.00	रु.9.957,152.00	रु.5,724,432.00
174.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मांडले, यांगोन	रु.2,849,399.00	रु.6,002,938.00	रु.4,329,289.00	रु.1,970,845.00
175.	भारत का प्रधान कोंसलावास, बीरगंज नेपाल	रु.3,993,801.00	रु.4,117,053.00	रु.4,709,262.00	रु.1,570,321.00
176.	भारत का राजदूतावास, बेरुत, लेबनान	रु.11,862,400.00	रु.8,727,305.00	रु.9,092,061.00	रु.3,893,867.00
		रु.2,383,995,060.00	रु.2,407,548,983.00	रु.2,488,016,149.00	रु.880,837,516.00

[अनुवाद]

पैर के अंगूठे में सूजन का उपचार

4412. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पैर के अंगूठे और तलवे में सूजन और दर्द हेतु उपचार दिल्ली के किन अस्पतालों में उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): दिल्ली में जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: एफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती एस.के. अस्पताल का संबंध है, इन सभी अस्पतालों में आर्थापेडिक विभाग में पदांगुलि सूजन एवं दर्द का उपचार उपलब्ध है। पदांगुली के सूजन सहित सभी खेलों से संबंधित चोटों के उपचार सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजुरी सेन्टर में किये जाते हैं।

हवाईअड्डों में और इनके आस-पास पक्षियों को रोकने के उपाय

4413. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विभिन्न हवाईअड्डों में और उनके आस-पास पक्षियों की उपस्थिति को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं;

(ख) यदि हां, तो हवाई-अड्डा-वार विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों जैसे शमशाबाद, हैदराबाद संबंधी तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान हवाई अड्डा-वार इस प्रयोजन हेतु व्यय की गई धनराशि कितनी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में विभिन्न हवाईअड्डों में तथा उनके आसपास पक्षियों की उपस्थिति से बचने के लिए उपाय किए हैं। किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का हवाईअड्डा वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

किए गए उपायों का ब्यौरा

* पक्षी टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए नीतिगत निर्णय की मॉनिटरिंग तथा उन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति (एनबीसीसी) की स्थापना की गई है।

* हवाईअड्डों पर पशुओं/पक्षियों को आकर्षित करने वाले स्रोतों की पहचान करने तथा पक्षी टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रत्येक हवाईअड्डे पर, जहां अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की जाती हैं, एयर फील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

* हवाईअड्डे के 10 किलोमीटर के भीतर खुले में कचरे के निपटान को दण्डनीय अपराध बनाने के लिए वायुयान नियमावली, 1937 में संशोधन किया गया है।

* वायुयान नियमावली 1937 के नियम 90 (दण्ड) में संशोधन किया गया है और एरेड्रम के संचलन क्षेत्र में किसी पशु, वस्तु या पक्षी को फेंकने के अपराध के लिए नियम का उल्लंघन करने वाले पर एक लाख रुपए का जुर्माना या तीन महीने की अवधि के लिए जेल या दोनों लगाए जा सकते हैं।

* नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों तथा विभिन्न एयरलाइनों/स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्रों का नियमित संयुक्त निरीक्षण किया जाता है।

* एनबीसीसी की सिफारिशों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों के एक कोर समूह की स्थापना की गई है। यह समूह पक्षी/वन्य जीवों को रोकने के क्षेत्र में एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। दिनांक 17.2.2012 को आयोजित कोर समूह की पहली बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि पक्षी टकराने के कारण प्रभावित एयरलाइन को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु हवाईअड्डा प्रचालक या सीधे एयरोड्रम प्रचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर

समूह नियमों तथा विनियमों का मसौदा तैयार करेगा। इन नियमों को विनियम तथा सूचना निदेशालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन निदेशालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन निदेशालय के एयरोड्रम मानक महानिदेशालय के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

* हवाई अड्डे के भीतर घास काटना तथा जलभराव को रोकना।

* अद्यतन "वन्य जीव (पक्षी/पशु) टकराने" संबंधी रिपोर्टिंग के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विमान संरक्षा परिपत्र 02/2001 जारी किया गया है। यह परिपत्र वन्य जीव (पक्षी/पशु) टकराने की रिपोर्टिंग तथा निवारण के संबंध में विमानन उद्योग में एकरूपता तथा जागरुकता लाएगा।

* पक्षी टकराने की घटनाओं के निवारण तथा जन जागरुकता के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा "पक्षी टकराना खतरनाक शीर्षक से एक प्रचार सामग्री विकसित की गई है। सभी हवाईअड्डों को सलाह दी गई है कि इस सामग्री को हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे चुनिन्दा स्थलों पर प्रदर्शित किया जाए जहां जन साधारण द्वारा कूड़ा-कचरा फेंका जाता है और जिसके कारण वन्य जीव (पक्षी/पशु) आकर्षित होते हैं।

विवरण II

चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई राशि का हवाईअड्डा-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

पश्चिमी क्षेत्र

(1)	रायपुर	रु. 3,59,000/- लगभग
(2)	अहमदाबाद	रु. 29,02,800/- लगभग
(3)	भोपाल	रु. 4,746/-
(4)	भावनगर	रु. 3,00,000/-
(5)	गोंदिया	शून्य
(6)	कांडला	शून्य
(7)	नागपुर	रु. 20,00,000/-
(8)	पोरबंदर	शून्य
(9)	वडोदरा	रु. 7,66,525/7
(10)	सूरत	शून्य

उत्तरी क्षेत्र

(1)	लुधियाना	शून्य
(2)	देहरादून	रु. 9,700/-
(3)	शिमला	शून्य
(4)	कुल्लू मनाली	रु. 16,500/-
(5)	अमृतसर	रु. 38,04,259/-
(6)	उदयपुर	रु. 1,50,000/-
(7)	जयपुर	रु. 14,55,415/7
(8)	सफदरजंग	शून्य
(9)	वाराणसी	रु. 10,000/-
(10)	लखनऊ	रु. 2,40,000/-
(11)	खजुराहो	रु. 2,38,000/-

दक्षिणी क्षेत्र

(1)	कालीकट	रु. 17,42,706/7
(2)	कोयम्बटूर	रु. 12,71,386/-
(3)	हुबली	रु. 4,87,812/-
(4)	मदुरै	रु. 6,29,700/-
(5)	मैंगलौर	रु; 12,20,887/-
(6)	त्रिची	रु. 14,45,004/7
(7)	त्रिवेन्द्रम	रु. 23,81,500/7
(8)	विजयवाड़ा	रु. 4,39,710/-
(9)	चेन्नई	रु. 87,20,668/7
(10)	तिरुपति	रु. 36,000/-
(11)	राजमुंदरी	शून्य
(12)	सलेम	शून्य
(13)	तूतीकोरिन	शून्य
(14)	अगाती	शून्य
(15)	मैसूर	शून्य

ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता

4414. डॉ. रत्ना डे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौतों के परिणामस्वरूप हमारे देश को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने तीनों देशों की राजनयिक अकादमियों (भारतीय विदेश सेवा संस्थान) के बीच प्रिटोरिया में पांचवें इब्सा सम्मेलन में 18 अक्तूबर, 2011 को परस्पर सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तीनों देशों के राजनयिकों के क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाना है।

[हिन्दी]

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधियां

4415. श्री मधुसूदन यादव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी और निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों से कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के अंतर्गत किसी प्रकार की निधियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमात्रा कितनी है और इस संबंध में निर्धारित मापदण्ड क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार प्राप्त और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औद्योगिक कम्पनियों के द्वारा ये निधियां अनिवार्यत: वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे अनिवार्य बनाने हेतु कम्पनी कानूनों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षों के तहत किसी भी प्रकार की निधि प्राप्त नहीं की है।

(ङ) और (च) सरकार ने जुलाई, 2011 में व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्वों संबंधी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। सरकार ने संसद में कंपनी विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया है। मसौदा विधेयक में 7वीं अनुसूची के साथ पठित खंड 135 में सीएसआर संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

लौह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात पर प्रतिबंध

4416. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शाह कमीशन ने सिफारिश की है कि लौह और मैंगनीज अयस्क के अवैध खनन का मुख्य कारण इसके निर्यात से प्राप्त होने वाला अत्यधिक लाभ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लौह और मैंगनीज अयस्क की निर्यात की प्रमात्रा कितनी है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह जांच आयोग ने अपनी प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में यह कहा कि चीन द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु लौह अयस्क का बड़ी मात्रा में आयात के परिणामस्वरुप अयस्क की कीमत में वृद्धि हुई है, जो अवैध खनन के लिए प्राथमिक कारण है। इस वजह से, आयोग ने लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की है। कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित आयोग की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट संसद में रख दी गई है।

(ग) से (ङ) लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क सहित खनिजों का निर्यात, निर्यात-आयात नीति द्वारा निर्देशित होता है और उपलब्ध सूचना के अनुसार, लौह अयस्क अथवा मैगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार के निर्णयानुसार, लौह अयस्क का निर्यात राजकोषिय उपायों द्वारा विनियमित होता है और यथामूल्य आधार पर 30 प्रतिशत का निर्यात शुल्क सभी लौह अयस्क निर्यातों पर लगाया जाता है।

(च) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के निर्यात की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य

वर्ष	लौह अयस्क की मात्रा (लाख एम टी में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2009-10	1234.31	33279.02
2010-11	996.53	43391.30
2010-12	573.52	28323.25
2012-13(जून, 2012 तक)	121.14	5235.94

(स्रोत: कर अनुसंधान एकक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)

निर्यातित मैंगनीज अयस्क की मात्रा और मूल्य

वर्ष	मैंगनीज अयस्क की मात्रा (लाख एमटी में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2008-09	2.05	120.61
2009-10	2.89	116.70
2010-11 (अनंतिम)	1.18	83.69
2011-12 (अंनतिम)	0.53	38.39
फरवरी, 2012 तक)		

(स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस), कोलकाता भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार के माध्यम से)

महिला कैदियों के लिए विधिक सहायता

4417. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला कैदियों को विधिक सहायता प्रदान करके और उनके पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य (सूची-2) में प्रविष्ट 4 (कारावास, सुधार गृह, युवा हिरासत और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं) के अंतर्गत 'कारावास' राज्य का विषय है। अत: कारावास का प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कारावासों का अभिशासन अन्य बातों के अलावा कारावास अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर बनाए गए कारावास मैनुअल/नियमावली/विनियमों द्वारा होता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय कारावास प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर एडवाइजरी, सम्मेलनों, बैठकों आदि के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श करता है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 16 जुलाई, 2009 के अपने एडवाइजरी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमाधीन कैदियों को कानूनी सहायता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य करने के निए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सुझाव दिया है कि:

(1) उसके बचाव के प्रयोजन से जहां ऐसी सहायता उपलब्ध है, वहां विचाराधीन कैदी को नि:शुल्क कानूनी सहायता हेतु आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी और उसके बचाव के दृष्टिगत अपने कानूनी सलाहकार से संपर्क करने की भी अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक कारावास में कानूनी सहायता के आवेदनों की प्रक्रिया में सहायता करने हेतु कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, रखा जाएगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए न्यायालय से संपर्क करने की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु नियमित आधार पर कैदियों से और उनके परिवारों से संपर्क करने के लिए यहां तक कि गैर-सरकारी संगठनों और विधि के छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(3) मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए प्रत्येक कारावास में लोक अदालत/विशेष न्यायालयों का आयोजन किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

पत्रिकाओं हेतु एनटीपीसी की विज्ञापन नीति

4418. **श्री मुकेश भौरवदानजी गढ़वी:**
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मासिका पत्रिकाओं हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की विज्ञापन नीति क्या है;

(ख) छोटे पत्रों/पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु पत्रिकाओं के चयन के लिए कौन-सी विधि अंगीकृत की जाती है;

(ग) विगत अठारह माह के दौरान एनटीपीसी विज्ञापनों को प्राप्त करने वाली मासिक पत्रिकाओं और विवरणिकाओं (ब्रोशर) के क्या नाम हैं और विज्ञापन कितनी राशि के थे;

(घ) क्या आपके मंत्रालय के द्वारा भेजे गए अनुरोधों को विज्ञापन जारी करने में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत अठारह माह के दौरान आपके मंत्रालय के द्वारा भेजे गए ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एनटीपीसी द्वारा सूचित किए गए अनुसार मीडिया में एनटीपीसी के विभिन्न पहलुओं तथा साथ ही एनटीपीसी के विकास तथा स्थिति की घोषणा करने और जानकारी देने की नीति के रूप में सामान्यत: विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

(ख) लघु पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन के मामले पर प्रकाशन के स्वरूप, इसके पाठकवर्ग, विभिन्न मुद्दों को शामिल करने, इसके प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रसार, इसके प्रकाशकों की विश्वसनीयता आदि के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) जिन मासिक पत्रिकाओं में पिछले 18 माह में विज्ञापन जारी किए गए हैं, उनकी प्रत्येक प्रकाशन पर आई लागत सहित विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मासिक पत्रिकाएं, जिनमें विज्ञापन जारी किए गए हैं

मासिक पत्रिकाओं को जारी गुडविल विज्ञापन (जनवरी 11 से जुलाई 12 तक)		राशि (रु.)
1	2	3
09.02.11	मैक कृषि जागरण	30,000.00
26.04.11	ब्यूरेक्रेसी टूडे	960,000.00
18.05.11	रोशनी दर्शन	11,000.00
06.07.11	रिसोर्स डाइेस्ट	150,000.00
07.09.11	पावर एचआर फोरम	10,000.00
07.10.11	राष्ट्रीय संस्कृति	25,000.00
10.10.11	मैक कृषि जागरण	30,000.00
21.10.11	बिजनेस बैरोन्स	30,000.00
16.12.11	गरीब	5,000.00
25.01.12	इकानॉमी इंडिया	10,427.00
27.01.12	क्रिकेट भारती	20,000.00

1	2	3
05.03.12	जी फाइल्स	80,000.00
14.03.12	मैक कृषि जागरण	30,000.00
18.04.12	डायलॉगे इंडिया	30,000.00
07.05.12	राष्ट्रीय संस्कृति	30,000.00
07.05.12	बिजनेस बैरोन्स	30,000.00
07.05.12	जी फाईल्स	150,000.00
28.05.12	इंडियन ड्रीम	20,000.00
17.05.12	अंतिम विकल्प	20,000.00
07.06.12	अनुपम राष्ट्र	30,000.00
09.07.12	इकोनॉमी इंडिया	20,000.00
18.08.12	रिसोर्स डाइजेस्ट	150,000.00
19.07.12	डिजायर मैगजीन	20,000.00
30.07.12	जी फाईल्स	250,000.00

विद्युत उपस्कर हेतु ठेके

4419. **श्री के. सुधाकरण:**
श्री जोस के. मणि:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन की आने वाली विद्युत परियोजनाओं हेतु नए विद्युत उपस्कारों की आपूर्ति हेतु चीनी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो चीन के उपस्कर की खरीद हेतु नियमों का ब्यौरा क्या है और उन उपस्करों की गुणवत्ता जांच करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या हरियाणा में दो नए विद्युत केन्द्रों, जिनमें चीनी उपस्कर लगे थे, में हाल ही में आई तकनीकी खराबी के कारण हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एचपीजीसी) को इन खराब पुर्जों को मरम्मत के लिए चीन भेजना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विद्युत उपस्करों हेतु भावी आदेश आयातित चीनी उपस्कर के जीवन चक्र का आंकलन करने के बाद ही प्रदान किए जाएं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुल 61946 मेगावाट की ताप परियोजनाओं के लिए मुख्य संयंत्र उपस्करों हेतु आदेश चीनी कंपनियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। इनमें से 31.08.2012 तक 20446 मेगावाट क्षमता शुरू की गई है और 41500 मेगावाट की शेष क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी थर्मल उत्पादन स्टेशन की स्थापना कर सकती है। विभिन्न स्रोतों से उपकरण का प्रापण उनके मूल्यांकित तकनीकी आर्थिक आधार पर कंपनियों द्वारा की जाती है। तथापि, सीईए ने इलैक्ट्रिक संयंत्रों तथा इलैक्ट्रिक लाइनों के लिए निर्धारित विशिष्ट निर्माण एवं कुशलता अपेक्षाओं के लिए अगस्त, 2010 में इलेक्ट्रिकल संयंत्रों और इलेक्ट्रिकल लाइन विनियमों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक अधिसूचित किए हैं।

(ग) और (घ) हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीनी मुख्य संयंत्र उपकरण के साथ यमुनानगर टीपीएस (2x300 मेगावाट) और हिसार टीपीएस (2x600 मेगावाट) में पोर्स्ड शटडाऊन की निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं:-

(i) एस.आई.पी. टरबाईन रोटर की क्षति के कारण यमुनानगर टीपीएस पर यूनिट-II का बंद होना। मरम्मत का काय मैसर्स सीमेंन्स टर्बोकेयर वर्कशॉप इन इंडिया, बड़ोदरा को सौंपा गया है।

(ii) यमुनानगर टीपीएस यूनिट-I में एलपी टरबाइन ब्लेड की खराबी। एल पी रोटर और केसिंग आदि की क्षति के कारणों की जांच वास्तविक उपस्कर उत्पादकों-मैसर्स शंघाई इलैक्ट्रिक कारपोरेशन (एसईसी) चीन के अभियंताओं द्वारा की गई थी और क्षतिग्रस्त उपरकरणों वो मरम्मत हेतु एसईसी चीन को भेज दिया गया है।

(iii) हिसार टीपीएस का यूनिट-I अप्रैल 2010 में चालू होने के समय से अधिक तरंगों की समस्याओं का सामना कर रहा है और इसे 2 से 3 बार तक बंद करना पड़ा था। यूनिट को अप्रैल, 2012 में बंद कर दिया गया था ओर एलपी और आईपी टरबाईन के निर्धारित और घूमने वाले ब्लेडों को होने वाली क्षति का पता लगाया गया था। मरम्मत कार्य रिलायंस इन्फ्रा/एसईसी, चीन-परियोजना के लिए ईपीसी ठेकेदारों द्वारा किए गए थे और यूनिट को दोबारा चालू कर दिया गया है।

(ङ) उपकरण अथवा डिजाइन की लाईफ का जीवन सामान्यतया प्रचालन की अवधि होती है और उससे अधिक उपयोग की गई सामग्री काफी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए डिजाइन लाईफ का मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं हो सकता। तथापि, यूटिलिटियां सामान्यतया बोली प्रक्रिया के दौरान, अन्य स्टेशनों पर, तुलनीय आकार एवं तकनीकी के उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के संबंध में, उपकरण की सार्थकता पर विचार करती है।

[हिन्दी]

कोटेश्वर बांध

4420. डॉ. संजय जायसवाल:
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कोटेश्वर बांध के निर्माण के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसमें सम्मिलित व्यक्ति कौन हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी वेणुगोपाल): (क) से (ग) (1) मंत्रालय को, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के संबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई शिकायतें मिली है। मंत्रालय में शिकायतों की जांच की गई तथा रिपोर्ट/स्पष्टीकरण केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजे गए। परियोजना में प्रयुक्त विशेष प्रबंध मॉडल से संबंधित शिकायत पर सीवीसी ने ऐसे मॉडल को दोहराए जाने से बचने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में अंतरिम सलाह दी। विद्युत गृह में पानी भर जाने के मुद्दे पर सीवीसी ने, पानी भरने की रोकथाम के लिए लापरवाही बरतने वाले फील्ड/साइट कर्मियों को सावधान रहने के अनुदेश जारी करने की सलाह दी तथा सीवीसी की सलाह को अनुपालन के लिए सीवीसी ने पानी भरने की रोकथाम के लिए लापरवाही बरतने वाले फील्ड/साइट कर्मियों को सावधान रहने के अनुदेश जारी करने की सलाह दी तथा सीवीसी की सलाह को अनुपालन के लिए सीवीसी, टीएचडीसीआईएल को प्रेषित कर दिया गया है। जोखिम एवं लागत मॉडल पर प्रशासनिक व्यय बुकिंग की वैधता और अधिकारियों के दोष से संबंधित शिकायत पर आयोग ने पाया है कि इसमें सीएमडी सहित मंडल स्तर के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में आयोग ने मंत्रालय को आगे सलाह दी है कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पश्चात अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए। मुख्य ठेकेदार द्वारा अनियमित रुप से ठेके की सबलैटिंग किए जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने की शिकायत के संबंध में सीवीसी ने मामले में कोई कार्यवाही न करने के लिए अपनी अंतिम सलाह दे दी है।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोटेश्वर परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ शिकायतों की मंत्रालय तथा सीवीसी में जांच की जा रही है, जिसमें अंतिम रुप से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

[अनुवाद]

एम्स में निधियों का दुर्विनियोग

4421. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में प्रतिनियुक्ति/कार्यरत कुछ अधिकारियों के विरुद्ध निधियों के कथित दुर्विनियोग की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निधियों के ऐसे दुर्विनियोग में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) अलिख भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध राज्य सभा सचिवालय तथा दो सांसदों से शिकायतें प्रापत हुई हैं। तथापि, शिकायतें सही नहीं पाई गई हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं

4422. श्री लालजी टन्डन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई हेल्पलाइन प्रारंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेल्पलाइन से ग्रामीण महिलाएं किस ढंग से लाभान्वित होंगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रय परिवार स्वस्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06) के आंकड़ों के अनुसार, 15-49 वर्ष के आयु समूह की 35.4% महिलाओं और विवाहित महिलाओं के मामले में लगभग 40% महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा के रुप में घरेलू हिंसा हुई है। साथ ही, आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के साथ शारीरिक और यौन दोनों रुपों में घरेलू हिंसा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, 26 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ। सरकार ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने, सेवाएं प्रदान करने वालों का पंजीकरण करने और चिकित्या सुविधा इत्यादि को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से समय-समय पर कहा है सरकार के गृह मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से महिलाओं के संरक्षण को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को सलाह देते एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को महिलाओं के साथ किए गए अपराध के लिए कानून प्रवर्तन तंत्र को संवेदनशील बनाने की भी सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्थापित महिलाओं की एजेंसी और सशक्तीकरण पर कार्यकारी दल और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिलाओं की एजेंसी और बाल अधिकार परिचालन दल ने महिला हैल्पलाइन स्थापित करने का सुझाव दिया है। तथापि, सरकार में निर्धारित तंत्र द्वारा मूल्य निर्धारण सहित इस नई योजना स्कीम को शुरु करने का सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है।

पंचायतों में कम्प्यूटर

4423. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कम्प्यूटर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को आबंटित की गई निधियां कितनी हैं;

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई निधियां उपरोक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रयोजन हेतु आबंटन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) से (ङ) पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) चला रहा है। जो पंचायतों के महत्वपूर्ण पहलूओं जैसे आयोजना, मानिटरिंग, कार्यान्वयन बजटिंग, अंकेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा इत्यादि को, उनके

कार्यकरण को और अधिक कुशल जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य के साथ संबोधित करती है। ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य इस मिशन-मोड परियोजना के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाना है।

जहां तक मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत पंचायतों को कम्प्यूटरों सहित आईसीटी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का संबंध है, राज्यों को अन्य स्रोतों जैसे 13वां वित्त आयोग अनुदान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई), इत्यादि से उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया गया है।

टीएचडीसी के खातों से निकाली गई राशि

4424. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (टीएचडीसी) के बैंक खातों से धन आहरण संबंधी कोई अनियमितताएं सरकार के नोटिस में आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां, टीएचडीसीआईएल के बैंक खाते से 9,42,92,347.00 रुपये के अप्राधिकृत निकासी से संबंधित अनियमितताएं हुई हैं। उपर्युक्त अप्राधिकृत निकासी को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा टीएचडीसीआईएल के बैंक खाते में कुल राशि वापिस डाल दी गई हैं/जमा करा दी गयी है। पंजाब नेशनल बैंक जांच किए जाने के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया है।

[अनुवाद]

डायल को लाभ

4425. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया सरकार ने निजी पार्टनर, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) को ठेका-उपरांत लाभ बढ़ा दिया है ताकि परियोजना लागत के संबंध में इन्हें यात्रियों से विकास शुल्क न लेने दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य और तर्क क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदिवासी जनजातियां

4426. श्री जगदानंद सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी जनजातियां जैसे खाना-बदोश, अर्ध-खानाबदोश, बंजर जो विलुप्त होने के कगार पर हैं के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई जनगणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके पास ने तो भूमि है न घर और न ही जीवनयापन का कोई स्थायी स्रोत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें आवास और शिक्षा प्रदान करने और इनके उचित पुनर्वास के लिए कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) अनुसूचित जनजातियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित की गई हैं। मूल जनजातियों के रुप में कोई वर्ग अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, जनगणना घुमन्तु, अल्प घुमन्तु, बनजारा समुदायों इत्यादि के बाजार सभी अनुसूचित जनजातियों को संख्याबद्ध करती है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बनजारा, लंबाडी, गाडुलिया-लोहार जैसे घुमन्तु के रुप में नामांकित मानव जातीय समूह हैं, जो अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वही बिरहोर अनुसूचित जनजाति भी घुमन्तु के रुप में जानी जाती हैं, जो उड़ीसा तथा झारखंड में फैली हुई हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उपस्कर संबंधी आयात शुल्क

4427. श्री भक्त चरण दास: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार घरेलू विनिर्माणकर्ताओं को समान स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए विद्युत उपस्कर के आयात पर शुल्क को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार वर्तमान शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत उपस्कर के आयात पर आयात शुल्क को बढ़ाने के संबंध में सर्वसम्मति बनाने के लिए एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) विद्युत दरों में इसकी परिणामी वृद्धि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सरकार ने विद्युत उपस्कर के घरेलू विनिर्माणकर्त्ताओं के समान स्तर उपलब्ध कराने एवं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 5% की दर से कस्टम ड्यूटी, 12% कर दर से का काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) (समय-समय पर घरेलू उद्योगों पर लागू एक्साइज ड्यूटी के बराबर) एवं 4% की दर स अतिरिक्त विशेष ड्यूटी समान रूप से आयातित उपस्करों एवं विद्युत उत्पादक परियोजनाओं जैसे मेगा पावर परियोजनाओं (एएमपीपी सहित) एवं गैर-मेगा पावर परियोजनाओं पर 19.07.2012 से उन परियोजनाओं को छोड़कर जिन्हें अंतिम मेगा/अनंतिम मेगा प्रमणपत्र मिल चुका है, लागू की गई है।

(ङ) 12वीं योजना के दौरान तैयार होने वाली सभी मेगा परियोजनाओं को अंतिम/अस्थायी मेगा प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं और वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, 12वीं योजना के दौरान तैयार होने वाली परियोजनाओं के प्रशुल्क ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तरवर्ती वर्षों में, घरेलू विनिर्माणकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा से विद्युत की लागत पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

खनन माफिया द्वारा अधिकारियों पर हमला

4428. श्री रूद्रमाधव रायः
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनन माफिया द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल और अन्य अधिकारियों/निर्दोष लोगों पर जानलेवा हमलों की घटनाओं को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश, हरियाणा में सूचित की गई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार गिरफ्तार किए गए और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार खनन माफिया के कार्यकलापों पर रोक लगाने और ईमानदार अधिकारियों के जीवन की रक्षा के लिए एक विशेष बल गठित करने का है ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखा जा सके और इनका ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) अवैध खनन और कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से इसका विनियमन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। चूंकि राज्य सरकारों को अवैध खान के मामलों को निपटाने हेतु अधिकार दिए गए, इसलिए गिरफ्तार एवं दोषी व्यक्तियों के ब्यौरे को मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, मार्च, 2012 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आरधार पर, राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए अवैध खनन के मामलों एवं की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवैध खनन के मामलों का राज्यवार ब्यौरा						मार्च, 2012 तक की गई कार्रवाई			
क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011	2012 (मार्च तक)	जब्त वाहन	दर्ज एफआईआर	दायर कोर्ट मामले	जुर्माना वसूली (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11591	17882	13949	5964	844	18	519	12361.08
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	3	0	0	0	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	छत्तीसगढ़	1078	2017	1841	1105	3363	0	8502	1336.539
4.	गोवा	9	13	1	0	459	0	0	18.628
5.	गुजरात	5416	2184	2389	1096	2780	247	20	11707.89
6.	हरियाणा	1372	3446	2022	0	103	467	21	907.767
7.	हिमाचल प्रदेश	1114	1213	1289	0	0	700	1306	1684.55
8.	झारखंड	15	411	594	216	136	285	30	48.843
9.	कर्नाटक	1687	4949	4870	1821	77553	949	630	8397407
10.	केरल	1321	2028	1948	1227	0	0	0	1142.201
11.	मध्य प्रदेश	3868	4245	5299	1848	0	2741	25610	6558.837
12.	महाराष्ट्र	8270	26563	28829	11813	91331	13	1	10465.37
13.	मिजोरम	0	0	1	1	0	0	0	0
14.	ओडिशा	758	420	309	0	1823	39	36	5720.71
15.	पंजाब	73	754	194	120	61	67	0	386.266
16.	राजस्थान	4711	1833	821	380	224	1250	48	1455.736
17.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	215	277	99	24	36814	1421	617	11603.37
19.	उत्तराखंड	0	0	0	0	683	0	0	38.5
20.	उत्तर प्रदेश	0	4641	4708	0	0	0	0	1674.82
21.	पश्चिम बंगाल	80	239	174	25713	3911	1479	430	0
	कुल	41578	73115	69337	25713	220085	9676	37770	75508.56

(स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार)

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अवैध खनन को रोकने में सहायता देने हेतु राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है और केन्द्र सरकार ने देश में अवैध खनन को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) की धारा 23 ग के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन के नियंत्रण के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया है (अब तक अठारह राज्यों ने नियम बनाए हैं)।

(ii) अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2005 से राज्य और जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। (अब तक 21 रज्ञज्यों ने कार्य बल गठित कर दिए हैं)

(iii) राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क और पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने की सलाह दी गई है। (13 राज्यों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं)

(iv) सभी राज्य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है।

(v) खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रूप से समीक्षा के लिए अब तक राज्य सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 27.11.2009, 22.2.2010, 16.4.2010 और 21.9.2010 को पांच बैठकें कीं। इस आवधिक समीक्षा पर केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में सहमति दी गई है।

(vi) सचिव (खान) की अध्यक्षता में दिनांक 4.3.2009 को गठित केन्द्रीय समन्वयन सह अधिकार प्राप्त समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22.12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3.2012 और 28.6.2012 को नौ बैठकें की हैं ताकि अवैध खनन नियंत्रित करने के लिए कार्यकलापों के समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन संबंधी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

(vii) रेलवे ने बाड़ लगाने और रेलवे साइडिंगों पर चेक पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली शुरू की है जिसमें केवल रेकवाइज जारी और राज्य सरकार द्वारा सत्यापित परमिटों पर लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति होगी।

(viii) सीमा-शुल्क विभा ने अपने सभी फील्ड यूनिटों को अयस्क निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ बांटने के निर्देश जारी किए हैं।

(ix) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े पत्तनों को निदेश जारी किए हैं कि सड़क और रेल द्वारा पत्तनों में निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्यापन प्रक्रिया को दुरुस्त बनाए।

(xi) सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 में संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें सभी खनिकों, व्यापारियों, स्टाकिस्टों, निर्यातकों और अंत्य-उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय खान ब्यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के सर्वांगीण उचित लेखांकन के लिए खनिजों के लेन-देन के बारे में मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 11.6.2012 की स्थिति के अनुसार देश में 9409 खान पट्टों में से 8027 खनन पट्टे आईबीएम में ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं। आईबीएम ने अनुपालन न करने के लिए 1587 खानें निलंबित की हैं और मामलों में अभियोग की कार्रवाई शुरू की है तथा 21 मामलों में निरस्त करने की राज्य सरकार को सिफारिश की है। आईबीएम ने राज्य सरकारों यंत्रों यह अनुरोध किया है कि गैर-पंजीकृत आपरेटरों को खनिजों के लाने-ले-जाने के लिए ट्रांजिट पास जारी न किए जाएं।

(xi) भारतीय खान ब्यूरो ने सेटेलाइट चित्रों के जरिए स्थानिक क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। विशेष टास्क फोर्स ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और गुजरात राज्यों में कुल 454 खानों में निरीक्षण किए हैं और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 13(2) के अधीन गम्भीर उल्लंघनों के कारण 155 खानों को निलंबित किया है। इसके अतिरिक्त आईबीएम ने 8 खनन पट्टों को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है।

(xii) खनन योजना के ऑनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित खनन योजनाओं को पब्लिक डोमेन में रखने के संबंध में उल्लेखनीय है कि मंत्रालय "खनन टेनामेंट प्रणाली" (एमटीएस) तैयार कर रहा है ताकि खनिज रियायत तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया स्वचालित हों, जिसमें उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी हो।

(xiii) केन्द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की गजट अधिसूचना के तहत लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन के लिए श्री जस्टिस एम.बी. शाह जांच आयोग गठित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट 14.07.2011 को प्रस्तुत की जिसे लोक सभा में कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा जांच आयोग का कार्यबल 16 जुलाई, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। जांच आयोग ने अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों का दौरा किया।

रक्त की कीमत

4429. श्री बिभू प्रसाद तराई:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रक्त की वार्षिक कमी का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और सरकार द्वारा रक्त की वार्षिक कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) से संपूर्ण देश में अस्पतालों में प्रति इकाई रक्त का मूल्य बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) औषध महानियंत्रक (भारत) के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या हेतु रक्त एवं रक्त उत्पादों की मांगें 2535 ब्लड बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से पूरी की जा रही है जिनमें से 1155 ब्लड बैंकों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सहायता दी जाती हैं। अस्पतालों में रक्त की कमी होने पर राज्यों में नामित क्षेत्रीय रक्तदान केन्द्रों द्वारा जिलाअस्पतलों को अपेक्षित ब्लड यूनिट भेजकर रक्त की आवश्यकता पूरी की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विनिर्देशन के अनुसार, देश में रक्त की अनुमानित आवश्यकता प्रति वर्ष 8.5-10.0 मिलियन है। वर्ष 2011-12 के दौरान, देश भर में 9.3 मिलियन यूनिट रक्त एकत्र किया गया था।

(ग) से (ङ) जी नहीं।

खनन पट्टों हेतु प्रस्ताव

4430. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) ने केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को खनन पट्टों हेतु स्वीकृति के लिए कुछ प्रस्ताव इस अधार पर प्रस्तुत किए हैं कि पुनर्वास कार्यक्रम इस माह की समाप्ति तक पूरे होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रारंभ किए गए पुनर्वास कार्यक्रम क्या हैं और ऐसे कार्यक्रमों के क्या चरण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को स्वीकति प्रदान करने के संबंध में सीईसी की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) दिनांक 13.08.2012 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमएआई) ने, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को 41 खनन पट्टों के संबंध में पृष्ठभूमि सूचना तैयार करके प्रस्तुत कर दी है। आईसीएफआरई द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए पुन:स्थापन और और पुनर्वास (आर एवं आर) योजनाओं के आधार पर केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने उपर्युक्त 41 प्रस्तावों में से बेल्लारी जिले में 13 आर एवं आर योजनाएं और चित्रदुर्ग जिले में 3 आर एवं आर योजनाएं अनुमोदित की हैं। उच्चतम न्यायालय ने सीईसी को श्रेणी-क खानों में खनन प्रचालनों को दोबारा शुरू करने के प्रश्न पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वह ऐसी सारणी भी दे जिसके भीतर सभी सांविधिक मंजूरियां ली जाएंगी और पुन:स्थापन और पुनर्वास स्कीमें (आर एवं आर) कार्यान्वित की जाएंगी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय इन खानों में खनन प्रचालनों को दोबारा शुरू करने हेतु अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

[हिन्दी]

एंटीवायरल स्प्रे-धूम्रीकरण

4431. श्रीमती अश्वमेघ देवी:
श्री महाबली सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार एंटी वायरल स्प्रे/धूम्रीकरण में विलंब संबंधी रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है क्योंकि संबंधित तंत्र को यह निदेश दिया गया था के कालाजार सहित अन्य रोगों के फैलने के बाद ही इसका सहारा लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए पहले ही एंटी वायरल/धूम्रीकरण का सहारा लेने के लिए राज्य तंत्र को कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किया है/ जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बिहार अथवा किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में काला-आजार तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण हेतु एन्टी-वायरल के छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है। धूम्रीकरण कोई नेमी उपाय नहीं है तथा स्थानीय स्थिति पर आधारित डेंगू, मलेरिया इत्यादि के प्रकोपों के मामले में ही यह उपाय किया जाता है।

[अनुवाद]

टेम्पल हेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज

4432. श्री वरुण गांधी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संपूर्ण देश में कार्यरत टेम्पल हेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय टेम्पल हेयर उद्योग के प्राक्कलन का ब्यौरा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में कार्यरत टेम्पल हेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों की संख्या का न कोई अनुमान लगया है अथवा प्राक्कलन किया है।

[हिन्दी]

मौके पर निरीक्षण

4433. श्री यशवंत लागुरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातियों के प्रस्ताव में हुए विकास का पता लगाने के लिए जनजातियों का कोई मौके पर निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तक चालू वर्ष में ऐसे कितने निरीक्षण किए गए;

(ग) क्या सरकार जनजातियों के लिए बनी योजनाओं की समीक्षा करते समय जनजातियों के प्रतिनिधियों के विचारों को सम्मिलित करती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ङ) योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में अपनाई गई व्यवस्था निम्नानुसार है:

* जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मौके पर दौरा करते हैं।
* राज्य प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें।
* राज्य सरकारों से आवधिक प्रगति रिपोर्टें।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय के विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति (वीएंडएमसी) के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, कार्यान्वयनकारी एजेंसियों जैसे आईटीडीपी की अपनी स्वयं की निगरानी प्रणाली है।

वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय ने एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं की निगरानी के लिए प्रबंध किया था।

[अनुवाद]

कोयला ब्लॉक आबंटन प्रणाली

4434. श्री मनोहर तिरकी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कोयले के आबंटन हेतु लागू "गो-नो-गो" प्रणाली को समाप्त करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारामक उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) कोयला खनन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय तथा विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने के लए मंत्री-समूह (जीओएम) के गठन के परिणामस्वरूप, विद्युत मंत्रालय ने मुद्दों जिनमें गो-नो-गो की संकल्पना के प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल हैं, का समाधान करने के लिए विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मंत्री समूह ने 20 सितंबर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि गो-नो-गो संकल्पना को अलग कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) फिर से वन संबंधी सलाकार समिति (एफएसी) द्वारा गुणावगुण के आधार पर मामला-दर मामला के अनुसार परियोजना जिसमें पहले गो-नोग-गो सोच पर विचार की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं की जांच की अपनी मूल प्रक्रिया अपनाएगा। गो-नो-गो से कुछ विद्युत परियोजनाओं के विकास में देरी हुई है। विद्युत मंत्रालय परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ इस पर आगे की कार्यवाही कर रहा है।

"कलादान परियोजना"

4435. डॉ. शशी थरूर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलादान मल्टी माडल ट्रांजिट प्रोजैक्ट (केएमएमटीपी) के तति नियोजित निर्माण संबंधी कार्यकलापों की स्थिति क्या है और उनके पूरा होने की संभावित तारीखें क्या हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा इस प्रयोनार्थ प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है और इसके अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या भारत द्वारा इस परियोजना के संभावित लाभों के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना से भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार बढ़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट फैसिलिटी परियोजना में पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय बंदरगाहों एवं म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह के बीच सम्पर्क स्थापित करने एवं उसके बाद नदी परिवहन के माध्यम से तथा सड़क मार्ग से मिजोरम को जोड़ने की योजना है। सित्तवे बंदरगाह पर जो कार्य दिसम्बर, 2010 में प्रारंभ किया गया उसे 2013 के मध्य तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। सड़क घटक के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुल 535 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है। इस परयिोजना के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'पहाड़ों से घिरे' इलाकों में रह रहे लोगों के विकास एवं समृद्धि में योगदान प्रदान किये जाने की आशा है।

आगमन पर वीजा

4436. श्री अजय कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न देशों के नागरिकों को आगमन-पर वीजा की सुविधा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उन देशों द्वारा भारत के नागरिकों को इसी प्रकार की सुविधा दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय नागरिकों को ऐसी सुविधा नहीं देते और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार की आगमन-पर-वीजा योजना के अन्तर्गत पर्यटक वीजा फिनलैंड, लक्जमबर्गद्व फिलीपिंस, जापान, म्यामां, सिंगापुर, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के राष्ट्रिकों को आगमन पर जारी किये जाते हैं।

(ग) और (घ) कंबोडिया, इंडोनेशिया और लाओस भारतीय राष्ट्रिकों को आगमन पर वीजा प्रदान करते हैं।

(ङ) फिनलैंड, जापान, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, म्यांमा भारतीय राष्ट्रिकों को आगमन पर वीजा प्रदान नहीं करते हैं। प्रत्येक देश को अपनी वीजा नीति पर निर्णय लेने का सम्प्रभु अधिकार है।

(च) उपर्युक्त देशों के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों और कोंसली बातचीत, जो कि समय-समय पर आयोजित की जाती है, भारत सरकार वीजा मामलों में पारस्परिकता सहित विभिन्न मुद्दों को उठाती रहती है।

भारतीयों पर हमला

4437. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय मूल के लोगों, विशेषरूप से सिखों को विदेशों में निशाना बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों में देश-वार और वर्ष-वार भारतीय मूल कितने लोग मारे गए अथवा उन पर हमला किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कादम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित, विभिन्न देशों में मारे गये या हमले किए गए भारतीय मूल के व्यक्तियों के देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) भारतीय मिशन/पोस्ट स्थानीय प्राधिकरणों के संपर्क में रहते हैं और भारतीयों पर हमले और उनकी सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता के बारे में उन्हें सुग्राही बनाते रहते हैं। भारतीय मिशन पीड़ितों के परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। स्थानीय पुलिस भी पीड़ित के परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहती है और जांच/मुकदमें की प्रगति से उन्हें अपडेट करती रहती है। भारतीय मिशन/पोस्ट, यदि आवश्यक हो, तो मृत शरीर को भारत ले जाने को सुगम बनाते हैं। भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण कोष से सहायता भी दी जाती है।

विवरण I

विभिन्न देशों में मारे गए या हमलों के शिकार हुए भारतीय मूल के व्यक्ति

क्र.सं.	देश का नाम	उनके कारणों के साथ मामलों के ब्यौरे
1	2	3
1.	**संयुक्त राज्य अमेरिका**	**ह्यॉस्टन:** विगत कुछ वर्षों के दौरान, इस कान्सुलेट के नोटिस में रिपोर्ट किए गए/संदेहास्पद मारपीट/हमले के कारण भारतीय नागरिकों की मृत्यु सहित, कुछ घटनाएं आई हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित सूचना परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं। **शिकागो:** 5 अगस्त, 2012 को ऑक क्रिक, मिलवॉकी, विस्कोन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिख मंदिर में, गोली मारने की एक घटना में 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। इन 6 व्यक्तियों में से 4 भारतीय नागरिक थे, जबकि बाकी के 2 भारतीय मूल के संयुक्त राज्य के नागरिक थे। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में लूटमार की एक घटना में एक और भारतीय नागरिक की हत्या होने की रिपोर्ट की गई।
2.	**कनाडा**	**ओटावा:** 25 दिंबर, 2011 को एक भारतीय नागरिक, श्री आलोक गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई, जब वह मरे, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में एक छोटी सी सुविधा स्टोर के मालिक के लिए

1	2	3
		सामान भर रहे थे। श्री गुप्ता कनाडा में छात्र परमिट पर थे। मामला संबंधित कनाडा के प्राधिकरणों द्वारा जांच के अधीन है। रॉयल कनेडियन माउंटिंड पुलिस (आरसीएमपी) के अनुसार, घटना को, एक जातीय रूपरेखा या गैर-ईसाई भावना से प्रेरित हमले की घटना के रूप में नहीं दिया जा सकता। **वेनकुवर:** 09.06.2009 को लेंगली, ब्रिटिश कोलंबिया (कनाडा) में 6 इंडो-कनेडियाई युवाओं पर 4 कॉकेसियाई नवयुवकों द्वारा हमला किया गया। हमले के तुरंत बाद कांसुल जनरल ने ब्रिटिश कांलबिया के तत्कालीन अर्टोनी जनरल माननीय माइक डि जोंग से घटना पर बातचीत की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाआं को होने से रोकने के लिए कनेडियाई प्राधिकरणों द्वारा भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
3.	**ब्रिटेन**	ब्रिटेन में सिखों सहित भारतीय समुदाय पर कोई हमला नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों में छात्रों पर हमले के निम्नलिखित तीन मामलों की सूचना दी गई थी: (1) हरजीत सिंह निज्जर (हत्या) -2011 (2) अनुज बिदवे (हत्या)-2011 (3) प्रदीप रेड्डी (12 फरवरी, 2012 को भारतीय छात्रों द्वारा हमला किया गया)
4.	**आस्ट्रेलिया**	पिछले तीन वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें आस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर हमला किया गया है। पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 2012 में आस्ट्रेलिया में ऐसे हमलों की संख्या में बहुत कमी आई है। तथापि, विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, चूंकि आस्ट्रेलिया प्राधिकरण राष्ट्रीयता के अनुसार अपराध को रिकार्ड नहीं करते।
5.	**इटली**	इटली में सिखों पर हमला किए जाने जैसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, इटली के हवाई अड्डों पर सिख यात्रियों के लिए पगड़ी की स्क्रिनिंग करना अनिवार्य है।
6.	**स्वीडन एवं लातविया**	वर्ष 2011 में स्वीडन में केवल 1 भारतीय छात्र पर हमला किया गया जबकि पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी की भी हत्या नहीं हुई है। पिछले 3 वर्षों में लातविया में किसी भी भारतीय पर हमला नहीं हुआ है। या हत्या नहीं हुई है।
7.	**सऊदी अरब**	2012- (31.7.2012 तक) -4 2011 -5 2010 -5 2009 -4
8.	**थाईलैंड**	एक अलग मामले में, वर्ष 2011 में सोंगखला, थाईलैंड में एक भारतीयद्व श्री प्रेमपाल सिंह की हत्या हुई थी।
9.	**अंगोला**	मिशन के पिछले तीन वर्षों के दौरान, अंगोला में घर में सेंध लगाने, चोरी और कार जैकिंग, के कुछ मामलों की रिपोर्ट की गई, जिसमें भारतीय समुदाय के सदस्य प्रभावित हुए।

1	2	3
10.	**सिंगापुर**	एक भारतीय नागरिक अर्थात राजू अरिवाझागन की एक दूसरे भारतीय नागरिक अर्थात पेरिया सामी देवराजन द्वारा सिंगापुर में हत्या कर दी गई। एक भारतीय नागरिक की हत्या का केवल यही एक मामला है जो नोटिस में आया है।
11.	**संयुक्त अरब अमीरात**	पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबू धाबी में निम्नलिखित संख्या में भारतीय मार डाले गए/हत्या की गई: 2009-1 2010-4 2011-2 2012-2 (30.07.2012 तक)
12.	**जर्मनी**	पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत के कांसुलेट जनरल, फ्रेंकफर्ट के कांसुलर अधिकार क्षेत्र के अधीन भारतीय नागरिक की हत्या करने की केवल एक ही घटना हुई है।

विवरण II

रिपोर्ट की गई घटना की तारीख	प्रभावित भारतीय और स्थान का नाम	कान्सुलेट द्वारा की गई कार्रवाई	परिणाम/वर्तमान अवस्थिति
1	2	3	4
2012			
22.2.2012	श्री सुहरिद कुमार दास, अटलाटा जार्जिया	सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन किया गया। मृतक के परिवार और मित्रों से तुरंत संपर्क किया गया। मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। मृतक के शरीर को शीघ्र भारत प्रत्यावर्तित करने के लिए समन्वित प्रबंध किए गए।	मामला स्थानीय पुलिस प्राधिकरण की जांच के अधीन है।
2011	शून्य	शून्य	शून्य
2010			
25.12.2010	श्री जयचन्द्र इलाप्रोल, सेन अस्टाइन, बेल्टवे 8, हॉस्टन	सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन किया गया। स्थानीय प्राधिकरणा और भारतीय समुदाय से मिलने और मृतक के शरीर को भारत पत्यावर्तित करने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए कांसुलेट से एक अधिकारी को मेडिकल सेंटर, हॉस्टन भेजा गया। मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्यापन पर तुरंत कार्रवाई की गई।	मामले के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4
2009			
13.1.2009	श्री अक्षय विशाल नंदन लिटिल रॉक, अरकनसास	सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन किया गया। मृतक के परिवार और मित्रों से तुरंत संपर्क किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्सापन के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। मृतक के शरीर को शीघ्र भारत प्रत्यावर्तित करने के लिए समन्वित प्रबंध किए गए।	इस मामले में संदिग्ध को 15.1.2009 का गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।
3.2.2009	श्री रूद्रारागू सुधीरकुमार नॉरक्रास, अटलांटा	सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन किया गया। मृतक के परिवार और मित्रों से तुरंत संपर्क किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्सापन के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। मृतक के शरीर को शीघ्र भारत प्रत्यावर्तित करने के लिए समन्वित प्रबंध किए गए।	जांच प्रक्रियाधीन है।

पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव

4438. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) ने पाकिस्तान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और अब अमरीका उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका के पास अपना विरोध दर्ज कराया है; और

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका भारत में आतंकवादी गतिविधियां बंद करने हेतु पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कितना सफल रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) सरकार ने गठबंधन सहयोग निधियों के तहत पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पुन: शुरू किए जाने के संबंध में प्राकशित रिपोर्टें देखी हैं। आधिकारिक अमरीकी स्रोतों के अनुसार, वर्ष 2002-2012 की अवधि के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के लिए सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता राशि जो 15.4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, का विनियोजन जारी रखा है। अमेरिका ने उसी अवधि के दौरान अमरीकी सैन्य संचालन में सहयोग हेतु गठबंधन निधियों के तहत प्रतिपूर्ति के रूप में पाकिस्तान को 9.9 बिलियन अमरीकी डॉलर भी प्रदान किया।

(ख) और (ग) सरकार ने निरन्तर संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों का ध्यान समुचित बैंचमार्क, उत्तरदायित्व तथा सतर्कता की आवश्यकता की ओर दिलाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान को प्रदान की जा रही सुरक्षा सहायता भारत पर प्रतिकूल असर न डाले। अमेरिका ने सूचित किया है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान को दी जा रही सुरक्षा सहायता राशि का उपयोग आतंकवाद से लड़ने के लिए किया जाए और न कि भारत के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाए। वर्ष 2009 में, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पारित पाकिस्तान के साथ अधिकारिक भागीदारी अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट है कि पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयेबा तथा जैश-ए-मोहम्मद सहित आतंकवादी शिविरों को बंद करना चाहिए; कट्टरपंथी तथा आतंकवादी समूहों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिए और पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, अमेरिका ने अपने घरेलू कानूनों तथा विनियमों में भारत के लिए चिंता का सबब बने कुछ व्यक्तियों, जिनमें लश्कर-ए-तैयेबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन तथा उनके नेतागण शामिल हैं, को चिन्हित किया है।

भूटान में विस्थापित भारतीय

4439. योगी आदित्यनाथ: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय मूल के हजारों लोग भूटान में विस्थापित हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भूटान में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) यह सुझाने के लिए कोई इनपुट्स नहीं हैं वि भूटान विस्थापित हो रहे हैं। तथापि, ऐसे उदाहरण नोटिस में आए हैं, जहां विदेशियों को देश दोड़ने को कहा गया है, यदि उनका स्टे भूटान की शाही सरकार (आरजीओबी) के श्रम एवं रोजगार अधिनियम 2007 के अनुसार नहीं हैं यह कानून अवैध आप्रवासियों को देश में कार्य करने अथवा रहने की अनुमति नहीं देता। कानून के अनुसार, यदि कोई नियेक्ता किसी वर्कर को अवैध रूप से नियुक्त करता है, तो उस पर 10,000 एनयू प्रतिदिन की एक आर्थिक पेनल्टी लगाई जाती है;

(ख) आरजीओबी के इनपुट के अनुसार गेलेफू में सितंबर 2011 में आप्रवासन अधिकारियों द्वारा एक नियमित निरीक्षण के दौरान 31 अवैध भारतीय आप्रवासियों का पता लगाया गया। इन अवैध अत्प्रवासियों के लिए प्रत्यावर्तन आदेश जारी किए गए;

(ग) भारतीय मिशन ने विभिन्न पत्रों, मौखिक स्मरण पत्र और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैयक्तिक विचार-विमर्शों के माध्यम से, भूटान की शाही सरकार के साथ पूरी शक्ति से हस्तक्षेप किया है। भूटान की शाही सरकार ने अवगत कराया है कि उनकी सरकार की यथोचित परमिट के साथ कार्य करने वाले और मान्य ट्रेड लाइसेंस के साथ उनका अपना कारोबार प्रचालित करने वाले भारतीय नागरिकों को असुविधा पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। उन्हें चिंता केवल उन प्रवासियों से है, जो बिना मान्य कार्य परमिट के कार्य कर रहे हैं और अवैध रूप से कारोबार प्रचालित कर रहे हैं।

अंतर-मंत्रालयी समन्वय

4440. श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री के. सुगुमार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्रालय में विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए) ने विदेश सचिव को अंतर-मंत्रालयी समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से सामरिक सामग्री हाइड्रोकार्बन इत्यादि प्राप्त करने के मामले में अन्य मंत्रालयों के साथ विदेश मंत्रालय के प्रयासों के संबंध में समन्वय करने हेतु सरकार ने अन्य क्या तंत्र स्थापित किया है;

(घ) क्या इन महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों के साथ परामर्श करके एक नोडल एजेंसी अथवा मंत्रालय को अभिहित करने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय में विकास भागीदारी प्रशासन की स्थापना अन्य मंत्रालयों/विभागों के घनिष्ठ सहयोग से भारत के विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का द्रुत व कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। विकास भागीदारी प्रशासन सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और यदा-कदा विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति को रिपोर्ट करता है।

(ग) से (ङ) विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपतियों की अधिप्राप्ति से संबंधित नीतिगत वक्तव्य के अनुसार कच्ची सामग्री की सुलभता से संबंधित मुद्दों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय में एक पृथक ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग है जो हाइड्रोकार्बनों सहित ऐसे मामलों में भारत सरकार के विदेश मंत्रालयों/विभागों तथा नैगम निकायों के साथ समन्वयन करने वाला नोडल कार्यस्थल है।

प्रवासी भारतीयों के लिए सेमिनार

4441. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय भारत में प्रवासी भारतीयों के लिए समय-समय पर सेमिनार आयोजित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में ऐसे कितने सेमिनार आयोजित किए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि में इन सेमिनारों में प्रवासी भारतीयों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय ने 7 से 9, जनवरी 2009 तक चेन्नई में, 7 से 9, जनवरी 2010 तक नई दिल्ली में, 7 से 9 जनवरी तक

नई दिल्ली में और 7 से 9, जनवरी 2012 तक जयपुर में पवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन का आयोजन किया।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

प्रवासी भारतीय दिवस-2009

प्रधानमंत्री की घोषण की थी कि भारत के प्रवासी नागरिकता कार्ड धारक विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय व्यावसायिक, भारत में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उन्होंने भारत और डायस्पोरा के बीच सूचना का आदान-प्रदान सुगम बनाने के लिए वैश्विक भारतीय ज्ञान नेटवर्क की वेबसाइट की शुरुआत करने के साथ साथ, कामगारों के प्रवास के लिए ई-गवर्नेंस परियोजना की शुरुआत भी की।

प्रवासी भारतीय दिवस-2010

सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो एक रिकार्ड था। नैनो टेक्नॉलाजी और प्रवासी भारतीयों के संपत्ति संबंधी मामलों पर दो पूर्व सेमिनार आयोजित किए गए जिनमें सभी दावा-धारकों ने जोश के साथ भाग लिया और इसकी विभिन्न भागों से प्रशांसा की गई। प्रधानमंत्री की वैश्विक सलाहकर परिषद की पहली बैठक, सम्मेलन की अन्य हाईलाइट थी। सम्मेलन में तीन पूर्ण सत्र, छः समवर्ती सत्र और अलग-अलग राज्य सत्र थे।

प्रवासी भारतीय दिवस-2011

सम्मेलन की मुख्य विशेषता, साझेदार के रूप में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों का भाग लेना थी। सम्मेलन के फोकस युवा प्रवासी भारतीय थे। प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी को उभरते हुए भारत के साथ जोड़ने के लिए, "एंगेजिंग विद दि यंग ओवरसीज इंडियन" पर एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया था। "शिक्षा" और "हेल्थ केयर" पर दो पूर्व सम्मेलन सेमिनारों का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय समुदाय के महत्व के विषयों जैसे (क) एक औद्योगिक राउण्ड टेबल; (ख) सूचना, संप्रेषण और मनोरंजन सत्र और (ग) वैश्विक भारत को सेलीब्रेट करना, पर समानांतर इंटरएक्टिव सत्रों का आयोजन किया गया।

प्रवासी भारतीय दिवस-2012

जयपुर में हुए दसवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2014 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो एक रिकार्ड था। इसने भारत और विशाल भारतीय डायस्पोरा को एक दूसरे के साथ जोड़ने और उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को एक सामान्य प्लेटफार्म पर लाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। प्रवासी भारतीय दिवस 2012 के दौरान निम्नलिखित सेमिनारों का आयोजन किया गया:-

(i) सौर ऊर्जा निवेश एवं शोध तथा विकास

(ii) भविष्य के लिए जल प्रबंधन

(iii) स्वास्थ्य

(iv) ग्रामीण ऊर्जा एक्सेस को बढ़ाना

(v) टूरिज्म

निम्नलिखित पर समवर्ती सत्र किए गए:

(i) डायस्पोरा एवं विकास: ड्राइविंग इनोवेशन;

(ii) टाउन हॉल ऑन यूथ कनेक्टीविटी;

(iii) खाड़ी पर सत्र

(iv) कॉन्क्लेव ऑन जेंडर

(v) डायस्पोरा संगठनों के साथ बैठक

निम्नलिखित पर पूर्ण सत्र किए गए:

(1) "आर्थिक उदारीकरण के दो दशक"

(2) "बिजनेस सेशन ऑन पार्टनरिंग फॉर प्रोस्पेरिटी"

(3) "शेयर्ड कनेक्टीविटीज: मैसेज ऑफ द महात्मा"

(4) "ग्लोबल इंडियन: राज्य पहलें और अवसर"

[हिन्दी]

कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न

4442. श्री सुदर्शन भारत: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न और शोषण के बारे में सरकार को सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कंपनी-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या कंपनियों के पुरुष कर्मचारी और प्रशासन अपने महिला समकक्षों को हीन समझते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों को सभी कंपनियों के लिए अपने यहां शिकायत निवारण समितियां बनाना अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) विशाखा निर्णय में यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र सहित सभी कार्यस्थलों को अधिदेश प्राप्त है। इन दिशा निर्देशों में शिकायत समितियों के रुप में उपयुक्त शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना करना भी शामिल है। चूंकि संस्थाओं के संबंध में ऐसी समितियों द्वारा शिकायतों का निपटान किया जाता है, दर्ज की गई शिकायतों, उनके निपटान की संख्या और विभिन्न मामलों में इन समितियों द्वारा सुनाई गई सजा के केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं हैं। सरकार को पुरुष नियोक्ताओं और कम्पनी में प्रशासकों द्वारा महिलाओं निम्नतर देखने संबंधी कोई घटना की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

4443. श्री सोमेन मित्रा:
श्री प्रह्लाद जोशी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 लागू हो जाने के बाद घरेलू हिंसा के कितने मामले राज्य-वार और वर्ष-वार दर्ज किए और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए;

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार मामला दर्ज हो जाने के 60 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा निर्णय देना होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि न्यायालय 60 दिन के भीतर निर्णय नहीं देते जिससे इस अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है; और

(घ) सरकार ऐसे मामलों के समय पर निपटारे हेतु क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए, 2005) 26.10.2006 से लागू किया। वर्ष 2006 से 2011 तक दर्ज मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटान इसकी पहली सुनवाई से 60 दिन के भीतर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के पास मजिस्ट्रेटों द्वारा निपटाए गए मामलों में लगने वाले समय के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है और यह संभव है कि सभी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी न हो पाए। किन्तु अधिनयम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की बढ़ती हुई संख्या यह दर्शाती है कि अधिक से अधिक पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत सहायता एवं सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता हैं केन्द्र सरकार अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन हेतु इसके क्रियान्वयन की समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा करती है। केन्द्र सरकार घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामलों के निपटान हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेटों को राष्ट्रीय/राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत पर बल देती रहती है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु 11 एवं 12 जनवरी, 2012 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई कि-

(i) राज्य सरकारें मामलों के समय पर निपटान हेतु न्यायपालिका के सदस्यों में संचेतना पैदा करने के लिए प्रशिक्षण एवं संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन करें।

(ii) राज्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों हेतु सप्ताह में अलग से दिन निर्धारित करने के लिए मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी करने हेतु उच्च न्यायालयों से संपर्क करें।

विवरण

वर्ष 2006 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार किये गए मामले	आरोपित किए गए मामले	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	126	44	10	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	0	0	2	1	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	1421	1214	139	2028	1977	182
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	150	147	1	382	371	0
8.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते हैं।					
11.	झारखंड	810	733	151	1594	1764	173
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	2	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	9	8	0	21	22	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	6	6	0	8	5	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा						
21.	पंजाब	17	11	0	43	41	0
22.	राजस्थान	3	2	0	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	6	5	1	6	5	1
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	13	7	0	20	29	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	1	0	0
	कुल राज्य	2566	2178	302	4109	4220	356
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	8	0	16	14	0
30.	चंडीगढ़**	102	68	0	199	160	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	112	76	0	215	174	0
	कुल अखिल भारत	2678	2254	302	4324	4394	356

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।
**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2005 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार किये गए मामले	आरोपित किए गए मामले	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1979	345	53	1	42	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2	0	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	1651	1249	89	2206	2066	101
6.	गोवा	3	1	0	5	3	0
7.	गुजरात	883	862	27	2491	2231	6
8.	हरियाणा	17	10	0	21	21	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	0	2	2	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते हैं।					
11.	झारखंड	880	765	171	1984	2031	223
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	14	9	1	11	12	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	117	109	1	480	495	3
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	5	0	13	5	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	37	14	0	68	35	0
22.	राजस्थान	25	14	0	14	14	0
23.	सिक्किम	6	4	0	10	9	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	25	20	0	33	51	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	5	2	0	2	0	0
	कुल राज्य	5652	3411	342	7342	7018	335
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	6	0	37	7	0
30.	चंडीगढ़**	112	37	0	142	75	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	3	3	0
33.	दिल्ली	3	2	0	7	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	ण0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	136	46	0	189	87	0
	कुल अखिल भारत	5788	3457	342	7531	7105	335

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।
**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2007 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार किये गए मामले	आरोपित किए गए मामले	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2267	485	76	1	17	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	361	426	1	987	1020	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	324	324	1	1058	1058	0
8.	हरियाणा	9	8	0	27	27	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते हैं।					
11.	झारखंड	955	856	178	1857	1943	206
12.	कर्नाटक*						

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	30	27	0	25	33	3
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	376	278	103	217	325	197
16.	मणिपुर	35	0	0	16	0	0
17.	मेघालय	5	5	2	29	6	2
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	52	36	3	99	97	2
22.	राजस्थान	60	50	0	55	55	0
23.	सिक्किम	5	8	0	5	8	0
24.	तमिलनाडु	765	437	129	30	320	146
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	16	12	1	13	19	1
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	328	80	0	118	280	0
	कुल राज्य	5590	3033	494	4538	5209	558
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35	22	0	36	30	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	18	15	0	15	15	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	53	37	0	51	45	0
	कुल अखिल भारत	5643	3070	494	4589	5254	558

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2008 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार किये गए मामले	आरोपित किए गए मामले	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2710	608	97	0	103	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	8	3	12	8	3
3.	असम	1	1	0	5	5	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	22	23	0	18	18	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	67	67	0	234	234	0
8.	हरियाणा	32	10	0	13	13	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	4	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक	18	6	8	1	4	
13.	केरल	53	46	0	61	72	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	1395		121			
16.	मणिपुर	25	0	0	28	0	0
17.	मेघालय	23	28	0	76	45	0
18.	मिजोरम	4	4	1	4	4	1
19.	नागालैंड	6	6	3	6	6	3
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	38	34	1	76	77	0
22.	राजस्थान	45	29	1	37	37	1
23.	सिक्किम	6	6	0	8	8	0
24.	तमिलनाडु	2376	729	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	923	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	7761	1608	235	583	638	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36	29	1	53	53	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	6	4	0	5	4	0
34.	लक्षद्वीप						
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	42	33	1	58	57	1
	कुल अखिल भारत	7803	1641	236	641	695	9

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।
**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2009 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार किये गए मामले	आरोपित किए गए मामले	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2683	141	1	1	141	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	8	1	11	8	1
3.	असम	1	1	0	2	2	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़*						

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	25					
8.	हरियाणा	39	7	0	12	12	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	0	3	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	44	35	1	41	48	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	डींतीजतं	3505	2127	408	ख़	ख़	ख़
16.	मणिपुर*						
17.	मेघालय						
18.	मिजोरम	3	3	1	3	3	1
19.	नागालैंड	6	6	1	6	6	1
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	19	11	0	38	30	0
22.	राजस्थान	45	20	0	25	25	0
23.	सिक्किम	3	2	0	3	2	0
24.	तमिलनाडु	4136	1198	2	0	0	0
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	3	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1164	744	0	1	1	0
	कुल राज्य	11690	4307	415	143	284	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28	23	0	39	39	0
30.	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव*						

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	28	23	0	39	39	0
	कुल अखिल भारत	11718	4330	415	182	323	5

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।
**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2010 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों, आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार किये गए मामले	आरोपित किए गए मामले	दोषी पाए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	8	0	16	8	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़*						
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	3266	2340	15	2	85	1
8.	हरियाणा	314	165	0	500	480	0
9.	हिमाचल प्रदेश	14	8	0	0	8	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	96	74	1	96	93	1

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र*						
16.	मणिपुर	18	0	0	18	0	0
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम*						
19.	नागालैंड*						
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब*						
22.	राजस्थान	39	18	0	23	22	0
23.	सिक्किम	3	3	1	3	3	1
24.	तमिलनाडु	3983	1252	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1661	618	0	11	0	0
	कुल राज्य	9412	4486	17	669	699	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	13	0	26	14	0
30.	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली*						
32.	दमन और दीव*						
33.	दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी*						
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	19	13	0	26	14	0
	कुल अखिल भारत	9431	4499	17	695	713	3

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शाता है।

**आईपीसी के मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

ई-सिगरेटों का विपणन

4444. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देशभर में वितरकों द्वारा प्राय: धुआं रहित स्वास्थ्यप्रद सिगरेट के रूप में लेबलीकृत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों अथवा ई-सिगरेटों के विपणन की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई-सिगरेटों की बिक्री आरे उपयोग के लिए किसी मानक ओर विनियामक तंत्र को स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों अथवा ई-सिगरेटों के विपणन से अवगत है। इस समय, विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके नियंत्रण, निवारण तथा विनियामक मानकों सहित मुद्दे पर विस्तृत रूप से निरीक्षण कर रहा है।

यह मामला विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियंत्रण संबंधी अवसंरचना के पक्षकारों के सम्मेलन के 5वें सत्र जिसे 12 से 17 नवम्बर, 2012 तक सियोल, साऊथ कोरिया में आयोजित किया जाना नियत है, के दौरान विचार विमर्श हेतु एक एजेंडा बिन्दु है।

[हिन्दी]

ग्राउंड हैडलिंग सेवाएं

4445. श्री प्रदीप कुमार सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया को अनेक घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों के मामले में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं लेन से वंचित रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों की संख्या कितनी है;

(ग) एअर इंडिया को इस हैंडलिंग से कुल कितनी वार्षिक आय की हानि हुई/अर्जित की;

(घ) सरकार ने इस हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विछले तीन वर्षों के दौरान कुछ एयरलाइनों ने अपने ग्राउण्ड हैंडलिंग करार समाप्त कर दिए हैं और कुछ अन्य एयरलाइनों ने एअर इंडिया के साथ ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2009-10 एवं 2010-11 के प्रत्येक वर्ष में 11 एयरलाइनों और 2011-12 में 12 एयरलाइनों ने एअर इंडिया के साथ अपने ग्राउण्ड हैंडलिंग करारों को समाप्त कर दिया। जबकि, 22 एयरलाइनों ने वर्ष 2009-10 में, एयरलाइनों ने वर्ष 2010-11 में और 20 एयरलाइनों ने 2011-12 में एअर इंडिया के साथ नए करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) एअर इंडिया ने वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं से क्रमश: 539.13 करोड़ रु. , 455.53 करोड़ रु. और 406.87 करोड़ रुपए (ऑडिट के अध्यधीन) अर्जित किए हैं।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया, अपनी अनुषंगी एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रचालनीकरण के माध्यम से, अपने ग्राउण्ड हैंडलिंग करोबार को पृथक कर रही है। इससे ग्राउण्ड हैण्डलिंग करोबार को एक पृथक महत्वपूर्ण करोबार इकाई के रुप में बढ़ाने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

हज सब्सिडी

4446. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हज तीर्थयात्रियों पर हज संबंधी व्यय में काफी बढ़ोत्तरी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस व्यय को कम करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) हज तीर्थयात्रियों के लिए हवाई यात्रा लागतों और सुविधाओं की व्यवस्था करने पर सब्सिडी देने के लिए सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है, जो कि निम्नलिखित है:-

वर्ष	हज तीर्थयात्रियों की संख्या	नागर विमानन द्वारा प्रशासित हज सब्सिडी पर व्यय (करोड़ रुपए)	हज यात्रा पर व्यय (विदेश मंत्रालय द्वारा व्यय) (करोड़ रुपए)
2010	1,71,671	600	27.04
2011	1,70,362	685	33.16

यह मुद्रास्फीति और हवाई यात्रा किरायों में वृद्धि के कारण है।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 08 मई, 2012 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा सरकार को हज सब्सिडी को अब से लेकर दस वर्ष की अवधि के भीतर इस तरह से पूरी तरह क्रमिक रूप से समाप्त करने का आदेश दिया है।

[हिन्दी]

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

4447. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन विभाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में कथित रुप से हस्तक्षेप कर रहा है जिससे जनजातीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) ऐसा कोई मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

देह व्यापार

4448. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अनाथलयों के नाम पर/के बहाने चल रहे देह व्यापार के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अनाथालयों के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) वर्तमान में हरियाणा राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा अनाथालयों में यौन दुर्व्यवहार के कुछ मामलों की रिपोर्ट दी गई है। तथापि, सरकार को अनाथालयों में देह व्यापार की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34(3) में गृहों में बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु देखरेख के न्यूनतम मानक लागू करने के आशय से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों को रखने वाली सभी बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाने के उपबंध है। किशोर न्याय अधिनियम और उसके तहत केंद्रीय मॉडल नियमावली में राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला और शहर स्तर पर स्थापित निरीक्षण समिति तथा बाल कल्याण समिति तथा बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल गृहों/आश्रय गृहों सहित गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता का कड़ाई से मानीटरन करने के लिए प्रक्रम के उपबंध किए गए हैं। इसके अलावा, नियमों में प्रत्येक संस्था में बाल समितियों की स्थापना करने के भी उपबंध हैं, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ दुर्व्यवहार और शोषण, यदि कोई हो, की घटना की सूचना देने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाए गए मॉडल नियमावली के नियम 60 में बाल देखरेख संस्था में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार जिसमें यौन दुर्व्यवहार भी शामिल है, उपेक्षा या बुरे बर्ताव की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने हेतु व्यापक उपाय निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

"म्यांमार के साथ विवाद"

4449. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार के साथ सीमा संबंधी मुद्दों सहित कुछेक मुद्दों पर विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच इन मुद्दों के शीघ्र और सौहार्द्रपूर्ण समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत और म्यांमा के निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिन्हें उच्चतम स्तरों की यात्राओं के विनिमय के माध्यम से और मजबूत बनाया गया है। दोनां पक्ष विदेश कार्यालय परामर्शों, राष्ट्रीय स्तर की बैठकों (एनएलएम) और क्षेत्रीय स्तर की बैठकों (एसएलएम) जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से सुरक्षा, सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधीन सहित विभिन्न मुद्दों पर नियमित वार्तालाप आयोजित करते रहते हैं। सर्वेक्षण विभाग के प्रमुखों और निदेशक (सर्वेक्षण) के स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां अन्य बातों के साथ-साथ सीमा निर्धारण और निरीक्षण तथा सीमा पर स्थित चारदीवारी के खंभों के रख-रखाव पर चर्चा की जाती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई रकम

4450. श्री पी. करुणाकरन: क्या **प्रवासी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा विशेष रूप से खाड़ी देशों से भेजी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन अनिवासी भारतीयों, जो सेवानिवृत्ति के बाद भारत में बसना चाहते हैं, के लिए कोई पुनर्वास योजना चालू है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया प्रेषण/निजी हस्तांतरण निम्नलिखित था:

वर्ष	निजी हस्तांतरण (मिलियन अमरीकी डालर में)
2009-10	53,636
2010-11	55,618
2011-12	66,129

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, खाड़ी देशों से प्रवास भारतीयों द्वारा किया गया प्रेषण, वर्ष 2009-10 के हपले छः महीनों के दौरान, भारत में किए गए कुल प्रेषण अंतर्वाह के औसतन 27% का बैठता है।

(ख) और (ग) जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट, और एक ईसीआर देश में वैध कार्य परमिट धारक भारतीय कामगारों के लिए "महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना" (एमजीपीएसवाई) की शुरुआत की है। सरकार की ओर से एक सह-अंशदान प्रदान करके, यह योजना प्रवासी भारतीय कामगारों को, अपनी वापसी और पुनर्वास के लिए बचत करने और अपनी वृद्धवस्था के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है व सक्षम बनाती है। यह योजना के अंतर्गत, कवरेज की अवधि के दौरान, प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध एक निःशुल्क बीमा कवर भी प्रदान करती है।

वापिस आने वाले अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध हैं:

1. लौटने वाले अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग, विदेशी मुद्रा, विदेशी सिक्योरिटी या कोई अन्य अचल संपत्ति, जो भारत के बाहर अवस्थित हो, को धारण करना जारी रख सकते हैं, स्वामित्व रख सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं अथवा उसमें निवेश कर सकते हैं, यदि ऐसी मुद्रा, सिक्योरिटी या संपत्ति, जब वे भारत के बाहर निवासी थे, तब प्राप्त की गई थी, धारित थी या स्वामित्व में थी।

2. विदेश में धारण की गई आय और संपत्ति की बिक्री प्राप्ति को देश-प्रत्यावर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.(क) लौटने वाले अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग, अनिवासी (बाह्य रुपये/विदेशी मुद्रा, गैर-निवासी एनआरई/एफसीएनआर (बी) लेखों में रखी गयी शेष राशि को स्थानांतरित करने के लिए, भारत में एक प्राधिकृत डीलर के साथ एक निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाता खेल सकते हैं, धारण कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं।

3.(ख) भारत के बाहर धारण की गई संपत्तियों की प्राप्ति, वापसी के समय पर आरएफसी के खाते में जमा की जा सकती है।

3.ग) आरएफसी लेखों की निधियों, भारत से बाहर किसी भी रूप में निवेश पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध

सहित, विदेशी मुद्रा वैलेंसिस के उपयोग के संबंध में सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगी।

3.(घ) आरएफसी खाते, चालू अथवा बचत या टर्म डिपाजिट खाते के रूप में रखे जा सकते हैं, जहां पर खाता धारक एक व्यक्ति है और सभी अन्य मामलों में चालू अथवा टर्म डिपाजिट के रूप में है।

[हिन्दी]

विश्व हिन्दी सम्मेलन

4451. श्रीमती मीना सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जोहांसबर्ग में 22 से 24 सितम्बर, 2012 तक नौवां विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) उक्त सम्मेलन के आयोजन पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी हां।

(ख) यह सम्मेलन भारत तथा विश्व के हिन्दी विद्वानों तथा हिन्दी समर्थकों को एक साथ लाएगा, जिससे उन्हें विश्व स्तर पर हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार सहित हिन्दी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा।

(ग) विगत अनुभव तथा अनुमानित मापदंडों के अनुसार प्रस्तावित सम्मेलन के अनुमानों के आधार पर लगभग 6 करोड़ रुपए की कुल राशि का व्यय होने की संभावना है।

(घ) भारत सरकार ने भारतीय राजनयिक मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से तथा विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों जैसे विदेशी मेजबान हितधारकों तथा ऐसे केन्द्रों के सहयोग से विदेशों में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए कई प्रकार से पहल की है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं संवर्धित मुख्य क्रियाकलापों में हिन्दी कक्षाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता, पुस्तकों एवं अन्य साहित्य सामग्री की आपूर्ति, क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन, हिन्दी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की आपूर्ति शामिल हैं।

एनआरएचएम के तहत कार्यरत परामर्शदाता

4452. श्री महाबली सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत कार्यरत सभी परामर्शदाताओं को इस बारे में आदेश जारी किए हैं वे अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी में तैयार करें और क्षेत्रीय भाषाओं अथवा हिन्दी में कार्य करने वालों को उनके पदों से हटा दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेश जारी करने का क्या औचित्य है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी कार्य हेतु संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी कामकाज में हिन्दी को छोड़कर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किन्ही भाषओं के उपयोग को बढ़ावा देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंग प्रत्यारोपण

4453. श्री भूदेव चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिनमें मानव अंगों के प्रत्यारोपण जैसे हृदय के प्रत्यारोपण हेतु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में अधिक अस्पतालों को इन सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की शल्य चिकित्सा करने वाले विशेषज्ञ डाक्टरों को कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों में अंग प्रत्यारोपण के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के रिकार्डों के अनुसार मानव अंग प्रत्यारोपण (थोआ) अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत अस्पतालों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। यह मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएं। फिलहाल इस प्रकार की शल्य चिकित्सा करने वाले डाक्टरों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मानव अंग प्रत्यारोपण (थोआ) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल

हार्ट एंड लंग

क्र.सं.	अस्पताल के नाम
1	2
1.	सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, राजिंदर नगर, पूर्वोत्तर दिल्ली-110 060
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली-110029
3.	सेना अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली कैंट नई दिल्ली-110 010
4.	मैक्स देवकी देव मैं दिल और संवहनी संस्थान, 2 प्रेस एन्क्लेव साकेत रोड नई दिल्ली-110017
5.	फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-110 025
6.	इन्द्रप्रस्था अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 076
7.	सफदरजंग अस्पताल और वीएमएसी, नई दिल्ली-110049
8.	पांडिचेरी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कालापेट, पुडुचेरी-605014

गुर्दा

1.	फोर्टिस फिट लेट. राजन ढल अस्पताल, सेक्टर बी, पॉकेट-1, अरुणा आसफ अली मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070.
2.	रॉक लैंड अस्पताल, बी-33-34, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
3.	पुष्पवती सिंघानिया अनुसंधान संस्थान फॉर लिवर, रेनल एंड पाचन रोग, प्रेस एन्क्लेव मार्ग, शेख सराय-।। नई 110017
4.	पीजीएमईआर, चंडीगढ़-160 012.
5.	एम्स, अंसार मैं नगर, नई दिल्ली-110 029
6.	आर्मी अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010
7.	सेंट स्टीफंस अस्पताल, तीस हजारी, दिल्ली 110401
8.	चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. आर. एम एल अस्पताल 110 001 दिल्ली
9.	बत्रा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च, 1 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूट एरिया, महरौली बदरपुर रोड, दिल्ली-110062
10.	मैक्स बालाजी अस्पताल, 108ए इन्द्रप्रस्था एक्सटेंशन पटपड़गंज, नई दिल्ली-110 092
11.	आई. पी. अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, दिल्ली-110 076
12.	जयपुर गोल्डन अस्पताल, नई दिल्ली
13.	सफरदरगंज अस्पताल एंड वीएमएमसी नई दिल्ली 110029
14.	इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल एवं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, पुड्डुचेरी
15.	चिकित्सा निदेशक, सर गंगा राम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060
16.	मूलचंद अस्पताल, लाजपत नगर 3 नई दिल्ली-110024
17.	मैक्स सुपर स्पेसियलिटी हॉस्पिटल, प्रेस एनक्लेव रोड, साकेत नई दिल्ली-110017
18.	प्राइमस सुपरस्पेसियलिटी अस्पताल, चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110 021
19.	जिपमेर, पुडुचेरी
20.	डा. बी. एल कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल पूसा रोड, नई दिल्ली 110005

1	2
21.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर और वॉयनरी सांइसेंज, सेक्टर डी-1, बसंतकुंज, नई दिल्ली 110070
22.	पांडिचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, कालापेट, पुडुचेरी-605014

लिवर

1. सर गंगा राम अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110 060.
2. आई पी अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 076
3. जी बी पंत अस्पताल, नई दिल्ली-110002
4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.
5. इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर और वॉयनरी सांइसेंज, सेक्टर डी-1, वसंतकुंज, नई दिल्ली 110070
6. सेना अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली-110 010
7. पीजीएमआई आर, चंडीगढ़ 160012

आंत व अग्न्याशय प्रत्यारोपण

1. सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 (केवल आंत के लिए)
2. आई पी. अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली (आंत व अगनाशय)
3. एम्स, नर्द दिल्ली-(अगनाशय)

[अनुवाद]

मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताएं

4454. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में स्नातकोत्तर सामान्य प्रवेश परीक्षाओं (पीजीसीईटी) के आयोजन में पता चले अनाचार, अनियमितताओं और विसंगतियों के मामलों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक पता चले ऐसे मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले के संबंध में जांच की स्थिति क्या है;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनाचार और अनियमिततओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सी जी एच एस औषधालयों को खोलना

4455. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986 के बाद दिल्ली और हरियाणा सहित देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजी एच एस) के तहत कितने आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय/अस्पताल/एकक खोले गए हैं;

(ख) एक भी एकक नहीं खोलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आयुष के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना में होम्योपैथिक औषधालयों सहित कितने नये औषधालय/अस्पताल/एकक खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्रीय

सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी में दो होम्योपैथिक एकक तथा तिरुवनंतपुरम में एक आयुर्वेदिक तथा दिल्ली में एक यूनानी एकक शुरू की गई थी।

(ग) से (ङ) भारतीय मेडिसीन तथा होम्योपैथिक प्रणाली संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीति व्यवस्था की गई है। अभी तक, 12वीं योजना प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत की साझेदारी

4456. श्री कमल किशोर "कंमाडो" क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में पन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की साझेदारी के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य के बीच हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ख) समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को विद्युत का कितना हिस्सा मिलेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) उत्तर प्रदेश में जल परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि इस मंत्रालय के अंतर्गत सापीएसई, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर धुकवन लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट) का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 2.9.2009 को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) कार्यान्वयन समझौते के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार उक्त परियोजना से 12% नि:शुल्क विद्युत लेने के लिए पात्र होगी तथा उसे उक्त परियोजना से शेष विद्युत को खरीदने का पहला अधिकार होगा।

जनजातीय लोगों को रोजगार

4457. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एमएसटीएफसीडी) ने जनजातीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है/कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीटीएफडीसी ने अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्वरोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए उन्हे रियायती ऋण प्रदान करने के लिए वित्तिय संस्थाओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते की निबंधन एवं शर्तो सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एनएसटीएफडीसी ने जनजातीय लोगों के बीच व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा और पर.एच. डी. को सुकर बनाने के लिए योजनाएं आरंभ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौते और योजनाओं से अब तक लाभान्वित जनजातीय लोगों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जी हां, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। एनएसटीएफडीसी ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) समुदाय के स्व-रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए एसटी समुदाय से संबंधित लोगों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक नामक 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; असम ग्रामीण विकास बैंक (असम), वैतरणी ग्राम्य बैंक (ओडिशा), वनांचवल ग्रामीण बैंक (झारखंड), त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (त्रिपुरा), बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (गुजरात), देना गुजरात ग्रामीण बैंक (गुजरात)तथा शारदा ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) नामक 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ पुन: वित्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए है।

उक्त समझौते की निबंधन एवं शर्तो में अन्य बातों के साथ-साथ एनएसटीएफडीसी के ऋण देने के मानदंडों, समयबद्ध भुगतान तथा मध्यस्थता तंत्र इत्यादि के अनुरुप बैंकों/एनसीडीसी द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

(ङ) जी, हां। एनएसटीएफडीसी ने भारत में जनजातीय लोगों में पीएचडी सहित पेशेवर एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा को सरल बनाने के लिए योजना शुरु की हैं। "आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)" शीर्षक वाली योजना के तहत शुल्कों, पुस्तकों, कंप्यूटर अध्ययन दौरों, भोजन और आवास इत्यादि के प्रति हुए खर्चो को कवर करते हुए 5.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान

किया जा सकता है। वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 6% वार्षिक है। ऋण स्थगन अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है। दिनांक 31.08.2012 तक उपरोक्त समझौतों तथा एएसआरवाई सें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के स्व-रोजगार के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है। योजनाओं के तहत एनएसटीएफडीसी आय-सृजनकारी गतिविधियों को करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों या समूहों को रियासती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीडीसी की मुख्य योजनाओं की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

* **अवधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी 10.00 लाख रु. प्रति ईकाई तक की लागत वाली व्यवहार्थ परियोजनाओं के लिए अवधि ऋण प्रदान करता है। परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है तथा शेष राशि को सब्सिडी/प्रर्वतक का अंशदान/मार्जिन मनी के रुप में पूरी की जाती है। 5.00 लाख रु. तक के ऋण के लिए ब्याज की दर 6% वार्षिक है तथा 5.00 लाख रु. से अधिक के ऋण के लिए यह 8% वार्षिक है।

* **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एकमात्र योजना हैं 4% वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर 50,000 रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है।

* **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना:** निगम प्रति सदस्य 35,000 रु. तक तथा प्रति स्वयं सहायित समूह (एसएचजी) 5.00 लाख रु. तक ऋण प्रदान करता है। ब्याज की दर 6% वार्षिक है।

* **ट्राईफेड के पैनलबद्ध कारीगरों को सहायता:** एनएसटीएफडीसी कार्यरत पूंजी तथा परियोजना संबंधी परिसंपत्तियों की खरीद के लिए ट्राइफेड के पैनलबद्ध जनजातीय कारीगरों को रियायती वित्त प्रदान करता है। वित्तीय सहायता व्यक्तियों के लिए 50,000 रु. तक तथा एसएचजी (प्रति सदस्य अधिकतम 35,000 रु.) और सहकारी सोसाइटियों के लिए 5.00 लाख रु. तक प्रदान की जाती है। ब्याज की दर अनुसूचित जनजातीय की महिलाओं के लिए 4% वार्षिक है तथा एसएचजी और अन्य के लिए 6% वार्षिक है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन

4458. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) या वर्ष 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के आयोजन हेतु उड़ीसा राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2013 में ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

4459. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री रामकिशुन:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री मधु कोड़ा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नागरिकों के लिए कुछ स्वास्थ्य मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यक्तियों विशेषरूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखाभाल आवश्यकताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्वसनीय परिवहन सुविधाओं की कमी की वजह से देश में ग्रामीण गरीबों द्वारा स्वास्थ्य देखाभाल सेवाओं के उपयोग में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आपातकालीन ग्रामीण स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार ग्राम स्तर पर सचल औषधालयों और सचल मेडिकल जैसी सचल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार के स्वास्थ्य मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, लोगों के स्वास्थ्य का मूलयांकन सरकार द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जिला स्तरीय हाउसहोलड सर्वेक्षण (डीएलएचएस) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एचएएस) जैसे सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है।

(घ) और (ङ) लोगों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में भरोसेमंद परिवहन सुविधाओं का अभाव निश्चित रूप से एक बाधक का काम करता हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत राज्य सरकारों को लोगों की आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए '102 और '108' जैसी मूलभूत एवं उन्नत एंबुलेंस सेवाओं के प्रापण और प्रचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक एनआरएचएम के तहत राज्यों को 7,218 आपातकालीन परिवहन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, एनआरएचएम के तहत शुरू किए गए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत उन सभी गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं, जो जन स्वास्थ्य संस्थाओं में पहुंचते हैं, को घर से अस्पताल तक, रेफरल के मामले में उस संस्था से रेफर किए गए अस्पताल तक ओर अस्पताल से घर तक लाने ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुवधा प्रदान की जाती है।

(च) और (छ) एनआरएचएम के तहत सरकार राज्यों को, उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर चल चिकित्सा यूनिट (एमएमयू) चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। अब तक देश भर में कुल 449 जिलों में एमएमयू सेवा उपलब्ध कराई गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

*राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदत्त एमएमयू का राज्यवार ब्यौरा**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरएचएम के तहत सुसज्जित जिलों की संख्या	एनआरएचएम के तहत चल रहे एमएमयू की संख्या
1	2	3	4
1.	बिहार	38	48
2.	छत्तीसगढ़	0	0
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1
4.	जम्मू और कश्मीर#	11	11
5.	झारखंड	24	100
6.	मध्य प्रदेश	33	123
7.	ओडिशा	28	315
8.	राजस्थान	29	32
9.	उत्तर प्रदेश	15	133

1	2	3	4
10.	उत्तराखंड	13	15
11.	अरुणाचल प्रदेश	16	16
12.	असम	27	50
13.	मणिपुर	9	9
14.	मेघालय	7	7
15.	मिजोरम	9	9
16.	नागालैंड	11	11
17.	सिक्किम	4	4
18.	त्रिपुरा	4	4
19.	आंध्र प्रदेश	13	488
20.	गोवा	2	4
21.	गुजरात	26	118
22.	हरियाणा	5	6
23.	कर्नाटक	21	28
24.	केरल	7	14
25.	महाराष्ट्र	33	40
26.	पंजाब	20	24
27.	तमिलनाडु	30	385
28.	पश्चिम बंगाल	2	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1
32.	दमन एवं दीव	2	2
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	8	8
	कुल	449	2012

*5 जिले एमएमयूसे सुसज्जित हैं और अन्य में एमएचयू है।

प्रक्रियाधीन

बिजली हेतु ट्रिब्यूनल

4460. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिजली अपीलीय अधिकरण (एटीई) की एक क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कार्यों और क्षेत्राधिकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकरण की क्षेत्रीय पीठ को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 112 की उप-धारा 112 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) तथा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने विद्युत अपील अधिकरण (एपटेल) के अध्यक्ष के परामर्श से दिनांक 02.05.2012 को एपटेल की मुख्य पीठ तथा सर्किट पीठ को अधिसूचित किया है। उक्त अधिसूचना जिसमें पीठों के कार्य और अधिकार क्षेत्र शामिल हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3—Sub Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.834 नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2012/वैशाख 12, 1934

No. 834 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY-2, 2012/VAUSAJGA 12M 1934

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ. 994(अ)-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की उपधारा 112 की उप-धारा (2) के खंड (ग) तथा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 19 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1024 (अ) के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने से पहले छोड़े गए कार्यों से संबंधित के, केन्द्र सरकार विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से एतद्द्वारा अपील अधिकरण की निम्नलिखित बेंचों के संबंध में अधिकार क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

क्र.सं.	बेंच जहां स्थित है	बेंचों का अधिकार क्षेत्र
1.	दिल्ली (प्रधान बेंच)	उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के केन्द्रीय आयोग/निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों तथा गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों से उत्पन्न मामले।
2.	चेन्नई (सर्किट बेंच)	**दक्षिणी क्षेत्र** आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले।
3.	मुंबई (सर्किट बेंच)	**पश्चिमी क्षेत्र** गुजरात, महाराष्ट्र के न्याय-निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले।
4.	कोलकाता (सर्किट बेंच)	**पूर्वी क्षेत्र** बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले। **पूर्वोत्तर क्षेत्र** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के तथा मणिपुर और मिजोरम के संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले।
5.	दिल्ली पूर्ण बेंच (सर्किट बेंच)	उपर्युक्त बेंचों में से किसी एक द्वारा भेजे गए मामले अथवा विषय वस्तु मामले अथवा कानूनी प्रश्न, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से पूर्ण बेंच दिल्ली विचार करने के लिए गए आम जनता के हित शामिल हों।

[फा.सं. 46/6/2010-आर एंड आर]
ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

[हिन्दी]

खनन में संयुक्त उद्यम

4461. डॉ. भोला सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश और विदेश में खनन की गवेषणा के लिए रूसी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) देश अथवा विदेश खनिज गवेषण और खनन कार्यकलाप शुरु करने हेतु रूसी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव खान मंत्रालय के पास नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लिंग अनुपात के बारे में जागरुकता पैदा करना

4462. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घटते हुए लिंगानुपात मामले के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को निधियों जारी करने के लिए वर्ष 2007 में एक योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके आरंभ से लेकर आज तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियां जारी की गई हैं; और

(ग) देश में घटते लिंग अनुपात के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सरकार ने वर्ष 2007 में अधिक ध्यान दिए जाने वाले 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में घटते लिंगानुपात के विषय में जागरुकता लाने के लिए प्रत्येक माननीय संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा) को 5 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ख) उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार घटते लिंगानुपात के विषय में जागरुकता पैदा करने का अभियान तेज कर दिया है।

* जिन क्षेत्रों में लड़कियों का लिंगानुपात कम है, वहां विशेष रूप से ध्यान देने के लिए दिनांक 28 तिम्बर, 2011 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई है।

* घटते शिशु लिंगानुपात के संबंध में जागरुकता पैदा करने और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 का कार्यान्वयन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना चल रही है।

* राज्यों की अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों में वृद्धि करने के लिए एनआरएचएम के तहत उपलब्ध निधियों का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है।

* राज्यों को घटते लिंगानुपात का कारण सुनिश्चित करने के लिए कम लिंगानुपात वाले जिलों/प्रखंडों/गांवों पर विशेष ध्यान देने, उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन संचार अभियानों की योजना तैयार करने तथा पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के उपबंधों को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है।

* पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में कन्या भ्रूण हत्या की निंदा करने में धार्मिक नेताओं की मदद ली गई है।

* पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पंचायतों/गांवों को पारितोषिक देने की घोषणा की गई है।

* महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आदि राज्यों में क्षमता निर्माण और न्याय पालिका एवं उपयुक्त प्राधिकरणों को जागरुक बनाने का कार्य किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कोवा/क्षेत्रीय निदेशक का नाम	सांसदों राशि की संख्या	(लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	राज्य कल्याण सोसायटी, स्वास्थ्य और परिवार कलयाण और मंत्रालय, चंडीगढ़	01	05.00
2.	दिल्ली	स्वैच्छिक कार्य संबंधी (स्कोवा) स्थायी समिति, दिल्ली	11	55.00

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	स्वैच्छिक कार्य संबंधी स्थाई समिति (सकोवा) गांधी नगर	37	185.00
4.	हरियाणा	राज्य आरसीएच परियोजना (राज्य स्वैच्छिक कार्य समिति) (स्कोवा) हरियाणा	15	75.00
5.	हिमाचल प्रदेश	राज्य प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच)	07	35.00
6.	पंजाब	राज्य प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) परियोजना सोसायटी, चंडीगढ़	20	100.00
7.	राजस्थान	स्वैच्छिक क्षेत्र हेतु राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी, जयपुर	35	175.00
		संपूर्ण	126	630.00

फ्लाइट ड्यूटी समय-सीमा

4463. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पायलटों और केबिन क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी समय-सीमा हेतु दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्य विश्राम अथवा फ्लाइट ड्यूटी समय-सीमा संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का एयरलाइन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयर इंडिया ने उक्त अवधि के दौरान अन्य किसी एयरलाइन की तुलना में अधिक बार इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और ऐसी घ्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एयरलाइनों-अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। विमान प्रचालनों में लगे उड़ानकर्मी दलों की उड़ान तथा ड्यूटी समय की सीमाओं (एफडीटीएल) और उनकी विश्राम अपेक्षाओं के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2011 का नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के अनुभाग 7 सीरीज जे भाग 3 और इसी तरह से हेलीकॉप्टर पायलटों और केबिन कर्मीदलों को शासित करने के लिए दिनांक 14, फरवरी 2000 तथा दिनांक 4 अगस्त 1997 को क्रमश: नागर विमानन अपेक्षा अनुभाग 7 सीरीज भाग 2 और नागर विमानन अपेक्षा अनुभाग 7 सिरीज जे भाग 1 को जारी किया गया था। इससे संबंधित ब्यौरा नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) तकनीकी विलंबों, प्रतिकूल मौसम स्थितियों, त्यधिक विमान यातायात की वजह से लंबे समय तक विमान को रोक जाने के कारण उड़ान और ड्यूटी समय में अधिकता हुई है। तथापि, उल्लंघन का कोई विशिष्ट मामला नहीं है।

सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए कोयला ब्लॉक

4464. श्री यशवीर सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला ब्लॉकों के आबंटन के संबंध में सरकार और सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) परिचालित करने वाली कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से कोयला ब्लॉक वापस लेकर सासन यूएमपीपी को हाल ही में एक तीसरे कोयले ब्लॉक का आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सासन यूएमपीपी को परिचालित करने वाली कंपनी को तीसरा कोयला ब्लॉक आबंटित करने के कारणों और औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सासन यूएमपीपी को परिचालित करने वाली कंपनी ने उक्त समझौते का उल्लंघन करते हुए तीसरे कोयला ब्लॉक से प्राप्त कोयले का एक हिस्सा अपने अन्य संयंत्रों को दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) कोयला ब्लॉकों के आबंटन के संबंध में सरकार तथा सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। सासन यूएमपीपी के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के नाम से तीन कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया था। कोयला ब्लॉकों सहित एसपीवी को टैरिफ आधारित बोलीकर्ता के माध्यम से परियोजना के चयनित विकासकर्ता रिलायंस पावर लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था।

सासन पावर लिमिटेड (रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी) और सासन यूएमपीपी के प्रापणकर्ताओं के बीच दिनांक 7.8.07 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरित किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

विक्रयकर्त्ता	प्रापणकर्त्ता
सासन पावर लिमिटेड रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कपंनी)	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पंजाब राज्य इलेट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(ख) और (ग) सभी तीन कोयला ब्लाकों का आबंटन वित्तीय बोली से पूर्व वर्ष 2006 में सासन यूएमपीपी के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

क्र;सं.	कोयला ब्लॉक का नाम	आबंटन की तारीख	भूवैज्ञानिक रिजर्व (एमटी)
1	मोहर	13 सितंबर 06	402
2	मोहर अमरोली एक्सटेंशन	13 सितंबर, 06	198
3	छत्रसाल	26 अक्टूबर 06	160
	कुल		260

कोयला मंत्रालय ने आरंभ में एसपीवी के नाम से मोहर और मोहर-अमलोरी विसर की आबंटन किया था। तथापि, परियोजना के लिए कोयले की मांग इन कोयला ब्लॉकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की मांग से अधिक थी। तथापि, एसपीवी के नाम से एक और ब्लाक के आबंटन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों कोयला ब्लाकों में से एक कोयला ब्लाक अर्थात मोहर अमलोरी विस्तार डिपसाइड पर था और दूसरा आबंटित ब्लाक अर्थात मोहर ब्लॉक पर खाली होने के पश्चात ही तैयार किया जा सकता है। मोहर ब्लाक की क्षमता 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष दर्शायी गई थी और यह कि इस उत्पादन क्षमता तक पहुंचने में पांच वर्ष तक का समय लगेगा। मोहर ब्लाक और छत्रसाल ब्लॉकों को सासन यूएमपीपी की मांग को पूरा करने के लिए एक साथ प्रचालित किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

कोयला मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ किए गए विचार-विमर्श में छत्रसाल ब्लाक को परियोजना के लिए उपयुक्त अतिरिक्त ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया था क्योंकि कोई भी अन्य उपयुक्त कोयला ब्लाक परियोजना के परिसर में उपलब्ध नहीं था। चूंकि छत्रसाल कोयला ब्लाक का आबंटन एनटीपीसी लिमिटेड को किया गया था इसलिए ब्लाकों को चिन्हित किया था जिसके लिए एनटीपीसी के स्थान पर आबंटन किया जा सके।

(घ) और (ङ) सरकार ने इस शर्त के अधीन ताप विद्युत के उत्पादन के लिए मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड के चित्रांगी विद्युत संयंत्र के लिए मैसर्स सासन पावर लिमिटेड को आबंटित मोहर, मोहर अमलोरी विस्तार और छत्रसाल की कोयला खानों से अधिकतम 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक के कोयले की अतिरिक्त मात्रा के प्रयोग को अनुमोदन प्रदान किया है कि आबंटित ब्लाकों से उत्पादित समस्त कोयले पर पहला अधिकार और अतिरक्त प्राथमिकता सदैव सासन यूएमपीपी की ही होगी और इन कैप्टिव कोयला ब्लाकों से इंक्रीमेंटल कोयले के उपयोग द्वारा उत्पादित विद्युत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से बेची जाएगी। सासन यूएमपीपी अभी चालू की जानी है।

[हिन्दी]

दवाइयों की आपूर्ति

4465. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री हरीश चौधरी:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कतिपय भेषज कंपनियों द्वारा, जिन्हें पूर्व अवसरों पर घटिया चिकित्सीय उत्पादों करने हेतु दोषी पाया गया है/उनका नाम काली सूची में डाला गया है, के बावजूद अस्पतालों को दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम सहित ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। फिर भी, जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों, अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉ. आर.एम.एल अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का है, कालीसूची में रखे गए फार्मों से दवाइयों/उपकरणों की आपूर्ति का कोई मामले सामने नहीं आया है। तथापि, जैसाकि आर.एम.एल अस्पताल द्वारा सूचित किया गया है, जब कभी भी अवमानक दवाइयों की आपूर्ति की सूचना पाई गई, आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस और अवमानक दवाइयों के स्टॉक को तुरंत बदलने का आदेश जारी किया गया तथा संबंधित औषध नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया। साथ ही ऐसी दवाइयों को आपूर्तिकर्ता द्वारा तुरंत बदला भी गया।

(ङ) बोलीदाताओं को उच्च मानक बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए निविदा के निबंधन व शर्तों का अनुपालन करना पड़ता है। डब्ल्यूएचओ, जीएमपी प्रमाणपत्र, औषध नियंत्रक लाइसेंस एवं प्रमाण पत्र, इस आशय का प्रमाणपत्र कि इस फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है। आदि जैसे कुछ दस्तावेज निविदा शर्तों के अंग होते हैं चयन प्रक्रिया के तहत चयन किए जाने से पूर्व अनेक समितियों द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है।

[अनुवाद]

टीका लगाने के कारण बच्चों की मृत्यु

4466. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री सुदर्शन भगत:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों के टीकारण के लिए विभिन्न टीकों का निर्माण करने के लिए निर्धारित मानदण्ड आरे उनकी जांच हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नवजात शिशुओं के टीकाकरण हेतु टीकों में कथित रूप से विषैले रसायन, सीनोजेनिक सामग्री, जेनोटॉक्सिंग मिले रहते हैं जिनमें डीएनए संरचना को बदलने की संभाव्यता है;

(ग) यदि हां, तो उन टीकों के नाम क्या हैं जिनमें मर्करी मिला रहता है जो बच्चों के लिए खतरनाक है;

(घ) पिछले एक दशक के दौरान देश में टीकाकरण के कारण मरे नवजात शिशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है; ओर

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) बच्चों के संचारण के टीकों का विनिर्माण औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किया जाता है एवं इसमें निर्देशित उल्लिखित उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन करना अपेक्षित हैं। इसके अलावा, व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत टीका का प्रत्येक बैच केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही जारी किया जाता है।

(ख) टीकों के विनिर्माण में प्रयुक्त संघटक या परिरक्षण सामग्री परीक्षक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार अनुमेय सीमाओं के भीतर आती है।

(ग) टीकों के विनिर्माण में घटक के रूप में मरकरी का इस्तेमाल नहीं होती है। तथापि, मर्करी वाला मल्टी-डोस वैक्सीन नाईल में संघटक के तौर पर डायोग किए जाने वाला वायोमर्सल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबन एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी के अनुसार सुरक्षित हैं। समिति का निष्कर्ष है कि वैक्सीनों के वायोमर्सल के प्रभाव में आने वाले शिशुओं बच्चों और वयस्कों में विषाक्तता का कोई सबूत नहीं है। थायोमर्सल के प्रभाव में आने वाले शिशुओं बच्चों और वयस्कों में विषक्तता का कोई सबूत नहीं है। थायोमर्सलयुक्त व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम टीकों जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। वे निम्नलिखित हैं (1) थ्रिेरिया, परट्यूसिस, टेटनेस (डीपीडी) (2) टेटनस टॉक्साइड (टीटी) (3) टेपेटाइटिस बी तथा (4) पेन्टावेलेंअ टीके (डीपीटी+हेपेटाइटिस बी+ हिमोलिफलीस इंफ्लूएंजा टाईप बी)।

(घ) प्रतिरक्षण पश्चात प्रतिकूल घटनाएं (एईएपआई) प्रतिरक्षण के बाद आने वाली किसी भी घटना की निगरानी करने का तंत्र है, भले ही ऐसी घटना का संबंध टीकाकरण से हैं या न हो। पिछले एक दशक के दौरान देश में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार एईएफआई के अंग के रूप में सूचित मौतें 644 हैं।

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाए इस प्रकार हैं:

* कार्यक्रम संबंधी कमियों के कारण प्रतिरक्षण पश्चात होने वाली प्रतिकूल घटनाओं (एईएफवाई) की रोकथाम हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर क्या करें और क्या न करें के बारे में अनुदेश जारी किए जाते हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा के लिए पर्यवेक्षी दौरों के रूप में इसे सहायता दी जाती है।

* कार्यक्रम संबंधी कमियों के कारण सूचित एईएफआई मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

एईएफआई पिोर्टिंग को मजबूत बनाने हेतु किए गए उपाय:

* एईएफआई दिशा-निर्देशों में 2010 में संशोधन किया गया और उन्हें प्रचारित किया गया।

* एईएफआई प्रबंधन सहित विभिन्न स्तरों पर प्रतिरक्षण के साथ संबंधित एईएफआई पर अधिकारियों के प्रशिक्षण को मजबूत बनाना।

अस्पतालों और औषधालयों में बुनियादी सुविधाएं

4467. श्री शिवराम गौडा:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के अस्पतालों और सीजीएचएस औषधालयों में स्वच्छता प्रणाली में खामियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में पता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में अस्पतालों और सीजीएचएस औषधालयों में जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए कोई औचक जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अस्पतालों और सीजीएचएस औषधालयों में खामियों को दूर करने और वहां मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और उनके समुचित रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जहां तक तीन सरकारी केंद्रीय अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल व एलएचएमसी एवं श्रीमती एव के अस्पताल का संबंध है इन अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। तथापि, वे न केवल दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले

रोगियों बल्कि दूर दराज के राज्यों से आने वाले रोगियों की भी देखभाल करते हैं जिसके चलते उपलब्ध अवसंरचना की तुलना में इन अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। अतः कभी-कभी इन अस्पतालों के कुछ व्यस्त क्षेत्रों की सफाई में कुछ खामियां रह जाती हैं। सीजीएचएस औषधालयों में भी पर्याप्त स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। सीजीएचएस औषधालयों में भी पर्याप्त स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं मुर्हया कराई जाती हैं।

(ख) और (ग) अस्पतालों में सफाई सुनिश्चितता के लिए सैनेटरी अधीक्षक/प्रबंधव (हाऊस कीपिंग) और कार्यालय प्रभारी (स्वच्छता) द्वारा नियमित दौरे किए जाते हैं। इसके साथ-साथ चिकित्सा अधीक्षकों भी साप्ताहिक दौरे लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता व सफाई सहित इन अस्पतालों में बेहतर कार्यकलाप को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की टीमें समय-समय पर अस्पतालों का दौरा करती हैं।

(घ) इन अस्पतालों में स्वच्छता तथा सफाई कार्य का का रखरखाव नियमित कर्मचारियों के अलावा, आउटसोर्स की एजेंसियों की सहायता से कई सफाई कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यांत्रिक सफाई भी की जाती है। कीट नियंत्रण कार्य निरन्तर किया जा रहा है। हाउस कीपिंग स्टॉफ को भी नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सीजीएचएस औषधालयों जहां सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, वहां सफाई सेवाएं आउटसोर्स की जाती है।

विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

4468. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के केन्द्रों की आवधिक समीक्षा करती है;

(ख यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान की गई ऐसी समीक्षाओं का राष्ट्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी समीक्षाओं का परिणाम क्या रहा और उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। परिषद सांस्कृतिक केन्द्रों की आवधिक रिपोर्टों के साथ-साथ संबंधित भारतीय मिशनों के प्रमुख से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की मॉनीटरिंग व समीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा सांस्कृतिक केन्द्रों के लेखे की लेखा परीक्षा के अतिरिक्त परिषद ने आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक केन्द्रों के लेखे परीक्षा के अतिरिक्त परिषद ने आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक केन्द्रों के लेखे की लेखा परीक्षा तथा निष्पादन मूल्यांकन की अपनी प्रणाली भी संस्थापित की है। गत तीन वर्षों के दौरान टोकियो, बीजिंग, कुआलालम्पुर, बैंकॉक, जकार्ता, मास्को, दुशानबे, ताशकंद, अस्ताना, कोलम्बो, ढाका, काठमाण्डू, थिम्पू, लंदन, पारामारिबो, पोर्ट ऑफ स्पेन, जॉर्ज टाऊन स्थित 21 सांस्कृतिक केन्द्रों तथा चालू वर्ष में रियाध, आबू धाबी, मेक्सिको तथा साओ पाउलो स्थित 4 केन्द्रों की लेखा परीक्षा आईसीसीआर के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा की गई थी।

(ग) मानीटरिंग तथा समीक्षा की वर्तमान प्रक्रिया के आधार पर सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकलापों की गुणवत्ता, अन्वस्तु तथा प्रसार-क्षेत्र के सतत उन्नयन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सांस्कृतिक केन्द्रों के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीय संस्कृति का पर्याप्त विस्तार हुआ है।

ऊर्जा किफायती उपकरण

4469. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में उपयोग हेतु ऊर्जा किफायती उपकरण विकसित करने के लिए सरकार की कार्ययोजना क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऊर्जा किफायती उपकरणों के उत्पादन में रुचि दिखाने वाले निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सरकार ने अपने मानकीकरण एवं लेबलीकरण (एस व एल) कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए सतत मांग के सृजन द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्कीम 2006 में शुरू की गई थी और वर्तमान में इसमें 15 उपस्कर/उपकरण अर्थात एसी, ट्यूब लाइट, फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर वितरण ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, प्रत्यक्ष कूल रेफ्रिजरेटर, गीजर, सीलिंग फैन, कलर टीवी, कृषि पंप सेट, एलपीजी स्टोव, वाशिंग मशीन, लैपटॉप, केसेट ए.सी. ओर बैलास्ट शामिल हैं जिसमें से पहले चार को 7 जनवरी, 2010 से अनिवार्य लेबलीकरण के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। 11वीं योजना अवधि के दौरान, स्टार रेटिड उत्पादों के उपयोग

के कारण प्रयोग में न लाई गई उत्पादन क्षमता 7766 मेगावाट थी। स्टार रेटिड उत्पादों के उपयोग के कारण प्रयोग में न लाई गई उत्पादन क्षमता 7766 मेगावाट थी। स्टार रेटिड लेबलीकृत उत्पादों का बाजार बढ़ते रहने के साथ अब उपस्कारों को और अधिक कुशल बनाने का कार्य चल रहा है अर्थात ऐसे उपस्कर जो बाजार में उपलब्ध ऊर्जा दक्ष उपस्कारों से 30-50% अधिक ऊर्जा की बचत करते हैं। निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की शिफ्ट में तेजी लाने और भारत में विनिर्माण क्षेत्र में नवीनता को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उपकरणों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) नेशनल मिशन आन एनहैन्सड एनर्जी एपिशियंसी (एनएमईईई) के अंतर्गत सुपर ऊर्जा दक्ष कार्यक्रम (एप्रईईपी) को तैयार कर रही है।

आयुष संस्थाओं का उन्नयन

4470. **श्री पी.टी. थॉमस:**
श्री प्रेमचन्द गुड्डू:
श्री मुरारी लाल सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आयुष संस्थाओं को सशक्त करने और उनका उन्नयन करने के लिए अनेक प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन पर प्रस्ता-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आयुष संस्थाओं के उन्नयन हेतु निधियां मंजूर और जारी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन आयुष संस्थानों को शेष स्वीकृत धनराशि कब तक जारी विुये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) 'आयुष संस्था विकास' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अनुदान की मांग के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान आयुष संस्थाओं को स्वीकृत और निर्मुक्त राशि का संस्था-वार ओर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान किसी संस्था को अब तक कोई राशि स्वीकृत अथवा निर्मुक्त नहीं की गई है।

(ङ) संबंधित राज्य/संस्था द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के कारण शेष प्रस्तावों के संबंध में अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका। किसी संस्था को नए सहायतानुदान की स्वीकृति उसे पहले दिए गए अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमात्र पत्र की प्रस्तुती तथा अपेक्षित दस्तावेज के साथ पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करती है।

विवरण I

स्कीम का नाम: 'आयुष संस्था विकास' केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2	3	0	2	1	0	0	0
बिहार	0	2	0	0	1	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	0	0	0	0	1	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	1	3	0	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	0	2	0	0
झारखंड	0	0	1	0	0	0	1	0
कर्नाटक	1	1	2	0	2	1	1	0
केरल	3	3	0	1	2	1	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	0	0	0	1	0	0
महाराष्ट्र	5	5	1	0	6	3	1	0
ओडिशा	0	1	0	0	0	1	0	0
पंजाब	0	८	1	0	0	0	1	0
राजस्थान	0	0	1	0	0	0	1	0
तमिलनाडु	0	1	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	3	1	1	1	0	1	0	0
उत्तर प्रदेश	2	5	0	0	1	1	0	0
पश्चिम बंगाल	0	1	1	1	0	1	1	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	3	0	0	0	1	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	1	1	0	0	1	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	18	36	10	5	14	16	8	0

विवरण II

'आयुष संस्था विकास' केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत एवं निर्मुक्त अनुदान

2009-10

क्र.सं.	कॉलेज/संस्था का नाम	राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि (रु. लाख में)	निर्मुक्त राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	ए एल. राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, वारंगल	आंध्र प्रदेश	69.00	69.00
2.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पटना	बिहार	300.00	201.62
3.	श्री डीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, गडग	कर्नाटक	66.79	66.79
4.	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज,उडुपी	कर्नाटक	300.00	163.49
5.	एन.एस.एस. होमियो मेडिकल कॉलेज, कोट्टायम	केरल	200.00	170.00
6.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज,	केरल	500.00	38.10
7.	डीएम.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल	महाराष्ट्र	200.00	170.00
8.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	500.00	350.00
9.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	90.00	90.00
10.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	महाराष्ट्र	300.00	240.00
11.	सेठ चंदनमल मथु आर्यंग्ला वैदक महाविद्यालय, सतारा	महाराष्ट्र	90.00	90.00
12.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल द्वारा संचालित आयुर्वेद कॉलेज, सियॉन मुंबई	महाराष्ट्र	63.00	63.00
13.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	196.46	170.00
14.	गुरुकुली कांगड़ी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार	उत्तराखंड	138.00	118.00
	कुल		3013.25	2000.00

1	2	3	4	5
		2010-11		
1.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, तिरुवनंतपुरम	केरल	219.00	150.00
2.	आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, माहे	पुदुचेरी	947.00	600.00
3.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पटना	बिहार	93.77	93.77
4.	त्रिपुरा सुंदरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, उदयपुर दक्षिण त्रिपुरा	त्रिपुरा	1000.00	800.00
5.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जूनागढ़, गुजरात	गुजरात	200.00	150.00
6.	आयुर्वेदिक भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर	गुजरात	80.74	80.74
7.	कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	116.00	98.01
8.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रीवा मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	80.00	13.54
9.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रीवा मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	250.00	130.00
10.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रीवा मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	210.00	80.00
11.	केटीएस आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, अंकुर पुर, गंजम, ओडिशा	ओडिशा	118.39	70.39
12.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जम्मू, जम्मू व कश्मीर स्वास्थ्य सोसायटी, जम्मू	जम्मू	1000.00	800.00
13.	यूनानी मेडिकल कॉलेज, गंदरबल, कश्मीर जम्मू व कश्मीर स्वास्थ्य सोसायटी, जम्मू	कश्मीर	1000.00	800.00
14.	जीएस गुणे आयुर्वेद कॉलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	200.00	140.00
15.	भाईसाहेब सावंत आवेर्दद महाविद्यालय, सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	178.00	130.00
16.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	147.00	98.00
17.	बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय बेलगांम राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, कर्नाटक	कर्नाटक	148.00	102.95
18.	ललित हरि राज्य आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	240.00	80.00
	कुल		62279.00	4417.40

2011-12

1.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चाइबासा	झारखंड	1000.00	525.90
2.	एनपीए राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, रायपुर	छत्तीसगढ़	145.23	75.00
3.	राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा और योग कॉलेज अस्पताल एवं छात्रावास भवन, मैसूर	छत्तीसगढ़	962.50	300.00
4.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	राजस्थान	942.72	350.00
5.	न्यू आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उत्तराखंड	उत्तराखंड	700.00	300.00
6.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	117.08	100.00
7.	राजकीय जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	148	148.00
8.	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय होशियारपुर, पंजाब	पंजाब	395.86	301.00
	कुल		4411.39	2099.90

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं

4471. श्री सज्जन वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थानों का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड पर्वतीय क्षेत्रों सहित पर्यटक गंतव्यों के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं प्रचालित कर रहा है। पवन हंस राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर इन राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पयटकों की रुचि के स्थानों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर तथा समुद्री विमान सेवाएं आरंभ करने की योजना बना रहा है।

इस संबंध में ऊटी, रामेश्वरम, मुदरै, मुनार, दार्जिलिंग, पंचमढ़ी, गोवा वृन्दावन/आगरा आदि जैसे महत्वपूर्ण पयटक स्थलों को जोड़ने के लिए संबंधित राज्य सरकारों जैसे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गोवा केरल, उत्तर प्रदेश आदि के साथ चर्चा की जा रही है।

खनन नीतियों पर मानव अधिकार निगरानी रिपोर्ट

4472. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव अधिकार निगरानी रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें देश में प्रमुख खनन नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में गहरी खामियों और अवैध खनन को रोकने में विफलता पर प्रकाश डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) "आउट ऑफ कंट्रोल-माइनिंग, रेगुलेटरी फेलियर एंड राइट्स इन इंडिया" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट केंद्र सरकार की जानकारी में आई है जिसमें देश में विशेषकर कर्नाटक और गोवा राज्य में अवैध खनन, अवैध खनन की रोकथाम में विनियामक निकायों की असफलता तथा खनन का मानव अधिकारों पर प्रभाव को उजागर किया गया है केंद्र सरकार द्वारा देश में अवैध खनन को नियंत्रित करने और जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) की धारा 23 ग के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन के नियंत्रण के लिए बनाने के लिए कहा गया है (अब तक अठारह राज्यों ने नियम बनाए हैं)।

(2) अवैध खनन को नियंत्रण करने के लिए वर्ष 2005 से राज्य और जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। (अब तक 21 राज्यों ने कार्य बल गठित कर दिए हैं)

(3) राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क और पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने की सलाह दी गई है। (31 राज्यों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं)

(4) सभी राज्य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है।

(5) खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रुप से समीक्षा के लिए अब तक राज्य सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 27.11.2009, 22.2.2010, 16.4.2010 और 21.9. 2010 को पांच बैंठकें कीं। इस आवधिक समीक्षा पर केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में सहमति दी गई है।

(6) सचिव (खान) की अध्यक्षता में दिनांक 4.3.2009 को गइित केंद्रीय समन्वयन सह अधिकार प्राप्त समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22. 12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3. 2012 और 28.6.2012 को नौ बैठकें की हैं ताकि अवैध खनन नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रलापों के समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन संबंधी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

(7) रेलवे ने बाड़ लगाने और रेलवे साइडिंगों पर चेक पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली शुरु की है जिसमें केवल रेकवाइज जारी और राज्य सरकार द्वारा सत्यापित परमिटों पर लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति होगी।

(8) सीमा-शुल्क विभाग ने अपने सभी फील्ड यूनिटों को अयस्क निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ बांटने के निर्देश जारी किए हैं।

(9) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े पत्तनों में निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्यापन प्रक्रिया को दुरुस्त बनाए।

(10) सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 में संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें सभी खनिकों, व्यापारियों, स्टाकिस्टों, निर्यातकों और अंत्य-उपयोगकर्त्ताओं के लिए भारतीय खान ब्यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के सर्वांगीण उचित लेखांकन के लिए खनिजों के लेन-देन के बारे में मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 11.6.2012 की स्थिति के अनुसार देश में 9409 खनन पट्टों में से 8027 खनन पट्टे आईबीएम में ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं। आईबीएम ने अनुपालन न करने के लिए 1587 खानें निलंबित की हैं और 4 मामलों में अभियोग की कार्रवाई शुरु की है तथा 21 मामलों में निरस्त करने की राज्य सरकार को सिफारिश की है। आईबीएम ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है। कि गैर-पंजीकृत आपरेटरों को खनिजों के लाने-ले जाने के लिए ट्रांजिट पास जारी न किए जाएं।

(11) भारतीय खान ब्यूरो ने सेटेलाइट चित्रों के जरिए स्थानिक क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। विशेष टास्क फोर्स ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में कुल 454 खानों में निरीक्षण किए हैं। और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 13(2) के अधीन गम्भीर उल्लंघनों के कारण 155 खनों को निलंबित किया है। इसके अतिरिक्त आईबीएम ने 8 खनन पट्टों को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है।

(12) खनन योजना के ऑनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित खनन योजनाओं को पब्लिक डोमेन में रखने के संबंध में उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ''खनन अेनामेंट प्रणाली'' (एमटीएस) तैयार कर रहा है ताकि खनिज रियायत तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया स्वचलित हों, जिसमें उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी हो।

(13) केन्द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की गजट अधिसूचना के तहत लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन के लिए श्री जस्टिम एम.बी. शाह जांच आयोग गठित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी

पहली अंतरिम रिपोर्ट 14.07.2011 को प्रस्तुत की जिसे लोक सभा में कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा जांच आयोग का कार्यकाल 16 जुलाई, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। जांच आयोग ने अब तक आंध्र प्रदेश गोवा, झारखंड, कर्नाटक और आडिशा राज्यों का दौरा किया।

[अनुवाद]

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

4473. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महिलाओं के उत्पीड़न और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एनसीडब्ल्यू में दर्ज किए गए, निपटाए गए और लम्बित मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं पर हमले के मामलों के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरे सहित उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की है;

(ङ) क्या एनसीडब्ल्यू ने सरकार को ऐसे मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों, निपटान की गई शिकायतों और लंबित शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	दर्ज शिकायतों की संख्या	विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों की संख्या
2009	15566	14716
2010	15700	14348
2011	15870	10928
2012 (03.09.2012 तक)	11223	4091
कुल	58359	44083

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) आयोग को प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई निम्नलिखित तरीके से की जाती है:-

I. पुलिय उदासीनता/पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने की शिकायतें मामले की समय पर एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित की जाती हैं। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों की जांच की जाती है और मानीटर किया जाता है।

II. गंभीर अपराधों के लिए आयोग जांच समितियां गठित करता है जो घटना स्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन्न गवाहों का परीक्षण करती है, साक्ष्यों को एकत्रित करती है और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा एवं

अत्याचारों की पीड़ितों को शीघ्र सहायता एवं न्याय दिलाने में सहायता करती हैं। आयोग संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाकर जांच समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन का मानीटरन करता है।

III. पारिवारिक विवाद/वैवाहिक विवादों का निपटान परामर्श के माध्यम से किया जाता है दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में बुलाया जाता है तथा उनके घर को बचाने के लिए परामर्श दिया जाता है।

IV. कुछ शिकायतों में प्रतिपक्ष/प्रत्यर्थी से जिनके विरुद्ध शिकायत में आरोप लगाए जाते हैं, से शपथ पत्र पर लिखित उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त की जाती हैं।

V. महिलाओं से प्राप्त शिकायतों को विभिन्न राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग तथा राज्यों में उनके राज्य आयोगों को उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भी अग्रेषित किया जाता है। ये वे शिकायतें होती हैं जो महिला अधिकारों के हनन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती हैं।

VI. 'घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद' से संबंधित कुछ शिकायतों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के मद्देनजर उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाती है। काई शिकायतों में जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से 'घरेलू हिंसा' के पीड़ितों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कानूनी सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

उपरोक्त के अलावा, शिकायतों को बंद करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया उपनाई जाती है:-

(i) गैर-अधिदेशित शिकायतें बंद कर दी जाती हैं।

(ii) वे शिकायतें जिनमें की गई कार्रवाई रिपोर्टों में यह बताया जाता है कि मामले में संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है/ मामला प्रस्तुत कर दिया गया है, मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सामान्यत: बंद कर दी जाती है।

(iii) महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज मृत्यु आदि जैसे कथित जघन्य अपराधों से संबंधित शिकायतों के मामले में प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों की विस्तार से जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी जाती है (जब तक कि मामला न्यायालय के विचाराधन न हो)। ऐसे मामलों में मानीटरन तब तक किया जाता है जब तक कि उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न कर दिए जाएं। कोई भी तथ्य होने पर ऐसे मामलों में निर्णय को शिकायतकर्ता का मत प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर उसे भेजा जाता है यदि निर्धारित अवधि के भीतर उनसे कोई उत्तर प्राप्त होता है तथा शिकायत बंद कर दी जाती है।

(iv) उन शिकायतों को जिनमें की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं अथवा शिकायत तुच्छ अथवा झूठी पाई जाती है तो भी शिकायतें बंद कर दी जाती हैं।

तथापि, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई करने के अलावा, आयोग राज्य सरकारों के साथ लंबित मामलों को भी उठाता है आयोग ने हाल ही में राज्य सरकारों की तरफ से लंबित की गई कार्रवाई रिपोर्टों के मामलों की अधिकांश संख्या इन राज्यों की है।

सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग में लंबित मामलों मानीटरन करती है और राष्ट्रीय महिला आयोग से निपटाए गए मामलों से संबंधित मासिक रिपोर्ट मंगाई जाती है।

विवरण

गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011	2012 (03.09.2012तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	4	7	1

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	110	132	124	64
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	3	2	0
4.	असम	39	29	26	14
5.	बिहार	407	500	444	333
6.	चंडीगढ़	8	18	40	21
7.	छत्तीसगढ़	72	96	75	53
8.	दादरा और नगर हवेली	2	8	2	0
9.	दमन और दीव	0	4	2	4
10.	दिल्ली	2027	2434	2289	1543
11.	गोवा	4	8	9	5
12.	गुजरात	109	126	65	47
13.	हरियाणा	642	940	934	683
14.	हिमाचल प्रदेश	52	53	51	36
15.	जम्मू और कश्मीर	26	31	21	17
16.	झारखंड	173	272	212	156
17.	कर्नाटक	81	72	52	49
18.	केरल	19	36	25	22
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	585	777	607	500
21.	महाराष्ट्र	349	432	312	180
22.	मणिपुर	2	3	2	1
23.	मेघालय	10	2	5	3
24.	मिजोरम	2	2	0	0
25.	नागालैंड	2	3	3	0
26.	ओडिशा	54	61	63	35
27.	पुदुचेरी	11	7	9	7
28.	पंजाब	203	242	210	128

1	2	3	4	5	6
29.	राजस्थान	1206	1541	1305	837
30.	सिक्किम	3	0	0	0
31.	तमिलनाडु	193	111	124	51
32.	त्रिपुरा	4	1	4	3
33.	उत्तर प्रदेश	8745	7225	8335	6154
34.	उत्तराखंड	276	363	341	187
35.	पश्चिम बंगाल	143	164	170	89
	कुल	15566	15700	15870	11223

आई.सी.डी.एस. योजना का कार्यान्वयन

4474. श्री उदय सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चोरी को रोकने तथा सही लाभार्थियों तक अनुपूरक पोषण पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा पंचायत कार्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर दर्शाने का करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को आईसीडीएस योजना के तहत लाभार्थियों तक आपूर्ति की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए वेब-आधारित प्रणाली का विकास करने का निदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आईसीडीएस योजना के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों की राय भी मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 3.5.2012 को राज्य सरकारों और राज्य प्रशासनों को सुझाव दिया है कि छिटपुट चोरी का पता लगाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरक पोषण सही लाभार्थी तक पहुंचे, नियमित अन्तराल पर पंचायती कार्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों के सामने प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं और बच्चों की सूची प्रदर्शित की जाए। साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए समाचार पत्रों में यह भी प्रचार किया जाए कि ऐसी सूची पंचातयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदर्शित की गई है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को भी वेब आधारित प्रणाली तैयार करने को कहा गया है जिसके द्वारा राज्य महिला विकास के वेबसाइट पर विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न वितरण केंद्रों तक पूरक पोषण पहुंचाए जाने की तारीख दर्शाए जाते हुए विनिर्माताओं से विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पूरक पोषण के संचलन को अपलोड किया जा सके, जिससे राज्य सरकार के महिला बाल विकास विभाग द्वारा इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सके।

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में किसी भी राज्य सरकार संघ राज्य प्रशासन ने अब तक आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ परस्पर संवाद एक सतत प्रक्रिया है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के क्रियान्वयन की संवीक्षा समय-समय पर किए गए सम्मेलनों, संवीक्षा बैठकों के माध्यम से और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के माध्यम से की जाती है, जिसमें उनको आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय की सलाह दी जाती है।

रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग

4475. डॉ. अनूप कुमार साहा:
श्री लालचन्द कटारिया:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेष रूप से पूरे देश में बच्चों में सिकल सेल, एनीमिया, थैलासेमिया और हैमोफिलिया सहित बहुत से रक्त संबंधी आनुवंशिक रोगों के बड़े पैमाने पर पाए जाने की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे तथा देश में सूचित किए गए ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अलग-अलग अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन रक्त संबंधी आनुवंशिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित और आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश भर में जेनेटिक रक्त विकारों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने यह सूचित किया है कि पिछले तीस वर्षों में व्यापक विस्तृत किया गया है तथा इन विकारों प्रसव-पूर्व निदान के लिए प्रोद्योगिकी विकसित की गई है।

(ग) से (ङ) सूचना प्राप्त की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वाईपर द्वीप में भूमि हस्तांतरण

4476. श्री विष्णु पद राय: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाईपर द्वीप में भूमि को पशुधन सहकारी समितियों से वापस लेने के बाद यह भूमि आई.पी. एण्ड टी. विभाग को किस तारीख को हस्तांतरित की गई;

(ख) क्या वाइपर द्वीप पर पशुधन सहकारी समिति के एन.आर.आई. सदस्यों को पट्टे पर भूमि अंतरित करने/देने के लिए कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) पर्यटन गंतव्यों तथा उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनके साथ परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि दिनांक 22.11.2009 को पर्यटन विभाग को वाइपर द्वीप में भूमि आवंटित की गई थी।

(ख) और (ग) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

"विदेश सचिव का श्रीलंका दौरा"

4477. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय विदेश सचिव ने श्रीलंका का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके दौरे के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) विदेश सचिव ने अक्तूबर 2011 में श्रीलंका की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की और वे आर्थिक विकास मंत्री, विपक्ष के नेता, विदेश सचिव और अन्य अधिकारियों तथा तमिल नेशनल अलायंस के प्रतिनिधियों से भी मिले।

विदेश सचिव ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वापसी हित के वैश्विक मुद्दों के समग्र परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने भारतीय सहायता के अंतर्गत श्रीलंका में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की।

[अनुवाद]

लघु वन उपज

4478. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लघु वन उपज (एमपीएफ) को बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु वन उजप के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार एवं लघु वन उपज इकट्ठा करने से जुड़े लोगों की क्षमता निर्माण के संबंध में लघु वन उपज संबंधी समिति की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि और बाजार में अधिक अवसरों को प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) लघु वन उत्पाद के लिए संग्रहणकर्त्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करने तथा वन निवासियों और विशेष रूप से जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दे ने हाल के वर्षों में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन एवं विपणन के पहलुओं को देखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा डॉ. टी. हक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना पर विचार किया गया है।

(ग) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि चयनित लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में सरकारी रणनीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके अलावा, समिति ने "राष्ट्रीय लघु वन उत्पाद मूल्य आयोग" स्थापित करने, "भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड)" को सशक्त बनाने, राज्य सरकार की एजेंसियों को सशक्त बनाने, सभी निगमों/परिसंघों जो एमएसपी प्रचालन करते हैं, की ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने, ग्राम सभा इत्यादि द्वारा एमएफपी के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करने वाले कानूनों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

(घ) योजना के ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

4479. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत आवंटित/जारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त निधि के अंतर्गत राजस्थान को रु. 260.42 लाख की बकाया राशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय आरोग्य निधि में गरीबी रेखा से नीचे के उन मरीजों को, जो प्रमुख जानलेवा रोगों से पीड़ित हैं, किसी सरकारी अस्पताल से चिकित्सा उपचार कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य सरकार को जारी किए जाने के लिए कोई धनराशि शेष नहीं हैं।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार के तहत आबंटित/जारी निधियों के ब्यौरे

वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जारी की गई धनराशि									
आंध्र प्रदेश		500.00				250.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार					125.00				
छत्तीसगढ़						50.00			205.00
गोवा				15.00	15.00				90.00
गुजरात				100.00					
हिमाचल प्रदेश		25.00							
जम्मू और कश्मीर		20.00			12.50			24.00	
झारखंड							150.00	50.00	
कर्नाटक	500.00								100.00
केरल			100.00					100.00	
मध्य प्रदेश	500.00								
महाराष्ट्र			200.00						
मिजोरम			50.00						
एनसीटीआफ	50.00	25.00	50.00				40.00	50.00	25.00
दिल्ली									
पुदुचेरी									25.00
राजस्थान			100.00	100.00	50.00		100.00	101.00	
सिक्किम					25.00				
तमिलनाडु		500.00							
त्रिपुरा	200.00								
उत्तराखंड								25.00	
पश्चिम बंगाल			50.00						
चंडीगढ़			50.00	50.00		50.00			
दादरा और नगर हवेली			50.00						
दमन और दीव			50.00	100.00					
लक्षद्वीप			50.00	50.00					
लक्षद्वीप			50.00	50.00				50.00	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			50.00			50.00	50.00		50.00

राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राज्य/संघ क्षेत्रवार के तहत आबंटित/जारी निधियों के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जारी की गई धनराशि								
आंध्र प्रदेश		65.00						
बिहार								
छत्तीसगढ़					187.50			
गोवा			30.00	30.00		25.00,		
गुजरात								
हिमाचल प्रदेश			27.00					
जम्मू और कश्मीर		12.50						
झारखंड								
कर्नाटक								
केरल		27.50		200.00			75.00	
मध्य प्रदेश			87.50					
महाराष्ट्र								
मिजोरम						75.00	125.00	
एनसीटीआफ	15.00							
दिल्ली								
पुदुचेरी	30.00	25.00	70.00					
राजस्थान		25.00	25.00				50.00	
सिक्किम	100.00	100.0	100.00					
तमिलनाडु				47.50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	105.00	95.00				250.00	127.00	123.00
उत्तराखंड								
पश्चिम बंगाल	50.00			25.00		25.00	25.00	25.00
चंडीगढ़						125.00	63.75	
दादरा और नगर हवेली			110.25		215.00	383.78		
दमन और दीव	5.00							
लक्षद्वीप			45.25	4.75				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				250.00				
जारी की गई धनराशि								372.00
आंध्र प्रदेश								150.00
बिहार								50.00
छत्तीसगढ़	50.00	70.00	50.00	50.00				50.00
गोवा	20.00		50.00		50.00	50.00	50.00	50.00
गुजरात					25.00		50.00	

[अनुवाद]

मरीजों को अनुपूरक आहार

4480. डॉ. एम तम्बिदुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत विशेषज्ञ/मुख्य चिकित्सा अधिकारी मरीजों को आवश्यक पोषक आहार और अनुपूरक पथ्य आहार का नुस्खा लिखने के लिए प्राधिकृत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) विशेषज्ञ समिति एवं भारतीय महा-नियंत्रक की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि खाद्य संपूरकों के रूप में विनिर्मित/विपणन उत्पाद सीजीएचएस के तहत दिए जा सकते हैं, भले ही उनका नुस्खा विशेषज्ञ/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखा गया हो।

[हिन्दी]

कुपोषण

4481. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में कुपोषण के स्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम रहे; और

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एनएफएचएस-3), 2005-06 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत देश के शहरी क्षेत्र में 32.7% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 45.6% और राजस्थान के शहरी क्षेत्र में 30.1% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 42.5% है। राजस्थान में तीन वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों के प्रतिशत में वर्ष 1998-99 (एनएफएचएस-2) में 46.7% की तुलना में घटकर 36.8% (एनएफएचएस-30 रह गया है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अल्पवजनी बच्चों का राज्य-वार ब्यौर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुपोषण का समाधान करने के लिए द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है: सभी क्षेत्रों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों को पोषण लक्षित करने में कुपोषण निर्धारकों पर त्वरित कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पहला दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण प्रत्यक्ष और विशिष्ट उपाय हैं तथा यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोरियों, गर्भवती तथा स्तन पान कराने वाली माताओं जैसे असुरक्षित वर्गों के लिए लक्षित विशिष्ट उपाय है।

सरकार ने कुपोषण की समस्या को प्राथमिकता दी है और आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों संघ राज्य/प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/इन विभागों की अनेक स्कीमों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम/इन योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याहन भोजन स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसे प्रत्यक्ष, लक्षित उपाय शामिल हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष बहुक्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली-प्रणाली राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल है। इन सभी स्कीमों में पोषण संबंधी एक या अनेक पहलुओं का समाधान करने की क्षमता है।

विवरण

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अल्पवजनी बच्चे (5 वर्ष से कम आयु) का प्रतिशत-एनएफएचएस 3(2005.06)

क्र.सं.	राज्य	अल्पवजनी बच्चों (5 वर्ष से कम आयु) का प्रतिशत		
		शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	28.0	34.8	32.5
2.	असम	26.1	37.1	36.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	21.0	37.1	36.4
4.	बिहार	47.8	57.0	55.9
5.	छत्तीसगढ़	31.3	50.2	47.1
6.	दिल्ली	26.5	22.5	26.1
7.	गोवा	19.8	31.6	25.0
8.	गुजरात	39.2	47.9	44.6
9.	हरियाणा	34.6	41.3	39.6

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	23.6	37.8	36.5
11.	जम्मू और कश्मीर	15.8	27.9	25.6
12.	झारखण्ड	38.8	60.7	56.5
13.	कर्नाटक	30.7	41.1	37.6
14.	केरल	15.4	26.4	22.9
15.	मध्य प्रदेश	51.3	62.7	60.0
16.	महाराष्ट्र	30.7	41.6	37.0
17.	मणिपुर	19.1	23.3	22.1
18.	मेघालय	39.6	50.3	48.8
19.	मिजोरम	15.1	24.1	19.9
20.	नागालैंड	19.3	26.6	25.2
21.	ओडिशा	29.7	42.3	40.7
22.	पंजाब	21.4	26.8	24.9
23.	राजस्थान	30.1	42.5	39.9
24.	सिक्किम	21.2	19.4	19.7
25.	तमिलनाडु	27.1	32.1	29.8
26.	त्रिपुरा	32.2	40.8	39.6
27.	उत्तर प्रदेश	34.8	44.1	42.4
28.	उत्तराखंड	24.3	42.1	38.0
29.	पश्चिम बंगाल	24.7	42.2	38.7
	भारत	32.7	45.6	42.5

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र का विकास

4482. श्री रामसिंह राठवा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खान क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या खनिज सलाहकार परिषद (एमएसी) ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में देश में खनन क्षेत्र के और अधिक विकास और वृद्धि के लिए उपायों की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एमएसी की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है जिसमें खनिज रियायतों की वीकृति हेतु प्रक्रिया को कारगर और सरल बनाने के उपायों हेतु नीतिगत निर्णय लेने, देश में औद्योगिक विकास के लिए देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और साथ ही खनन क्षेत्रों, जो सामान्यत: देश के पिछड़े और जनाजतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास ढांचे का विकास कारने का प्रावधान है। देश में खनन क्षेत्र वृद्धि और विकास हेतु इन नीतिगत उपायों को उपयुक्त रूप से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) मसौदा विधेयक (एमएमडीआर विधेयक, 2011) में समाविष्ट किया है जिसे दिनांक 12.12.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ओर दिनांक 05.01.2012 को लोक सभा द्वारा कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है।

(ख) और (ग) खनिज सलाहकार परिषद की हाल ही में नई दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध

4483. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बच्चों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा को विशेषरूप से प्रत्येक वार्ड और प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुदृढ़ बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सीसीटीवी के सही झंग से कार्य करने और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों जैसे-सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एलएचएमसी एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल का संबंध है, अस्पताल के महत्वपूर्ण इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अस्पतालों के लगभग सभी प्रवेश द्वारों को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। इसके अलावा, अस्पताल में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

(ग) अस्पताल में सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है और उसका नियमित रख-रखाव भी किया जा रहा है। सुरक्षा प्रबंधक और प्रभारी अधिकारी (सुरक्षा) की देख-रेख में नियमित मॉनीटरिंग के लिए एक सुरक्षा विभाग भी है।

[हिन्दी]

हृदय रोगियों का उपचार

4484. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों को वहनीय उपचार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) हृदय रोगियों का वहनीय लागत पर उपचार करता है। रोगियों को केवल उपभोज्य वस्तुओं के लिए धनराशि जमा करनी होती है। जनरल वार्ड में अन्य लागत नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों का बिना किसी लागत से उपचार किया जाता है

[अनुवाद]

संसद सदस्यों सहित अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों हेतु नयाचार

4485. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइनों द्वारा संसद सदस्यों सहित अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (बीआईपी) के संबंध में नयाचार का कड़ाई से अनुपालन न करने के मामले संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन

वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विमानपत्तन-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) निजी एयरलाइनों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों पर वीआईपी व्यक्तियों/संसद सदस्यों के लिए की गई नयाचार व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष रूप से वीआईपी व्यक्तियों/संसद सदस्यों के संबंध में निजी एयरलाइनों द्वारा नयाचार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कया तंत्र बनाया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों का शिकायतों का कोई रिकार्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। तथापि चालू वर्ष के दौरान श्री डी. एम. धर्माधिकारी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो इंदौर से अहमदाबाद के लिए विमान में सवार हुए थे और श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य, लोक सभा, जो बंगलौर से दिल्ली के लिए विमान से यात्रा कर रहे थे, की ओर से जेट एयर वेज के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। डीजीसीए द्वारा इन दोनों मुद्दों को संबंधित एयरलाइन के समक्ष उठाया गया और इन मामलों का निपटान कर दिया गया है।

(ग) अति विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों को हवाई अड्डों पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं:

- हवाई अड्डों के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनलों पर आरक्षित लाउंज सुविधाएं।
- नि:शुल्क चाय/काफी/पानी मुहैया कराई जाती है।
- संसद सदस्य उस हवाई अड्डे, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, में हवाई अड्डा सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- संसद सदस्यों के पहचान पत्र के आधार पर टर्मिनल भवन तथा दर्शक दीर्घा में निर्बाध पहुंच।
- संसद भवन कार पार्क के लिए संसद सदस्यों को जारी किए गए पास के आधार पर वीआईपी कार पार्किंग क्षेत्र वमें संसद सदस्यों के वाहनों की पार्किंग।
- संसद सदस्य के एक निजी स्टाफ को जब कभी भी आवश्यक हो प्रवेश पास।
- प्रत्येक हवाई अड्डे पर उस हवाई अड्डे के एक अधिकारी को प्रोटोकाल अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है और वह संसद सदस्यों को सभी सुविधाएं प्रदान करने/शिष्टाचार निभाने के लिए उत्तरदायी होता है।

(घ) यदि कोई उल्लंघन की सूचना मंत्रालय के ध्यान में लाई जाती है तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विमानपत्तन

4486. श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्रीमती राजकुमारी चौहान:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और जेवर में विमानपत्तनों के निर्माण हेतु किन्हीं वैकल्पिक स्थलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों पर कार्यों को गति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता। तथापि, उत्तर प्रदेश में जेवर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किया गया जिसे इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेज दिया है। इस परियोजना पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया हैं इसके बाद भारत सरकार ने जेवर, नोएडा में हवाई अड्डा परियोजना के भविष्य के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के विचार मांगे है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण

4487. श्री अनंत कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा कराए गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएचएफडब्ल्यू) की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कार्षों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सर्वेक्षणों में बहुत से राज्यों को शामिल नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएचएफडब्ल्यू) नहीं किया गया। फिर भी, वर्ष 201-11 के दौरान राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएसएस) का पहला दौर पूरा आयोजित किया गया।

(ख) 2010-11 के दौरान किए गए एएचएस के पहले दौर में, राज्य-वार कुछ प्रमुख संकेतक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार के निर्णय के अनुसार, दयनीय स्वास्थ्य संकेतक वाले उपर्युक्त नौ राज्यों में, उनके लिए वार्षिक जिला स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करने के उद्देश्य से एएचएस किया गया है।

विवरण

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) 2010-11 से प्राप्त प्रमुख संकेतक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवार नियोजन का वर्तमान उपयोग (कोई आधुनिक पद्धति)	संस्थागत प्रसव	पूर्ण प्रतिरक्षण	जन्म के समय लिंग लिंग अनुपात (एसआरबी)	लिंग अनुपात (0-4 वर्ष)	सी प्रकार के चिरकालिक क रोग के लक्षण वाले व्यक्ति (प्रति (100000 की आबादी)	किसी भी प्रकार के चिरकालिक रोग के लक्षण वाले वे लोग जिन्होंने चिकित्सा परिचर्या की मांग (प्रतिशत)
असम	35.7	57.7	59.0	925	956	11261	90.7
बिहार	33.9	47.7	64.5	919	931	10435	82.8
छत्तीसगढ़	49.5	34.9	74.1	951	978	4083	82.0
झारखंड	38.0	37.6	63.7	923	937	5290	78.1
मध्य प्रदेश	57.0	76.1	54.9	904	911	5646	76.7
ओडिशा	44.0	71.3	55.0	905	933	7339	96.0
राजस्थान	58.8	70.2	-70.8	878	870	2521	85.4
उत्तर प्रदेश	31.8	45.6	45.3	904	913	8380	90.8
उत्तराखंड	55.4	50.5	75.4	866	877	9656	88.4

*वर्ष 2007-2009 के दौरान हुए जन्मों पर आधारित।

अल्जाइमर और इससे संबंधित रोग

4488. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर वृद्ध लोगों में अल्जाइमर, डिमेंशिया और इससे संबंधित रोगों के मरीजों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने अल्जाइमर एण्ड रिलेटेड डिसआर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया (एआरडीएसआई) द्वारा किए गए अध्ययन को संज्ञान में लिया है जिसके अनुसार अगले दो दशकों में इन बीमारियों के रोगियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी तथा उक्त अवधि के दौरान देखभाल की लागत लगभग तीन गुना अर्थात 40,00 करोड़ रुपए हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पूरे देश में अल्जाइमर और उससे जुड़ी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने में मदद करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय, इसलिए देश में अल्जाइमर, मनोभ्रंश (डिमोंशिया) तथा संबंधित विकारों से पीड़ित रागियों, विशेषत: बुजुर्गों की संख्या के बारे में राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-संचारी रोगों के निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्ताव में मनोभ्रंश (डिमेंशिया) रोग को शामिल किया है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मानसिक विकारों जिसमें अल्जाइमर तथा संबंधित विकारों के व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक लक्षण शामिल है, के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग

4489. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष में देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो विमानमत्तन-बार इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान कार्गो ट्रैफिक में वृद्धि की संभावना का आकलन किया है;

(ङ) क्या भविष्य में कार्गो एयरलाइंस द्वारा औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वृद्धि में निजी कैरियरों की तुलना में राष्ट्रीय कैरियर का हिस्सा कितना है; और

(छ) बढ़ते कार्गो ट्रैफिक से निपटने के लिए अवसंरचना को मजबूत करने हेतु सरकर द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान के प्रमुख हवाई अड्डों यथा चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर हैंडल किए गए कार्गो के संबंध में नियत किए गए लक्ष्यों की तुलना में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान हैंडल किए गए अंतरराष्ट्रीय घरेलू और कुछ कार्गो के संबंध में लक्ष्य हासिल कर लिए गए। तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए हैंडल किए गए अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और कुल कार्गो के संबंध में तय किए गए लक्ष्यों को वैश्विक मंदी और यूरो कमी की वजह से हासिल नहीं किया जा सका।

(घ) से (च) जी, हां। वर्ष 2016-17 तक अंतरराष्ट्रीय कार्गो यातायात में 10% की दर से वृद्धि प्रक्षेपित की गई है। वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक घरेलू कार्गो में 12% की दर से वृद्धि होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो में वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान भारतीय वाहकों की हिस्सेदारी 16.9% से बढ़कर 17.5% हो गई है, जबकि विदेशी वाहकों की हिस्सेदारी 83.1 से घटकर 82.5% रह गई है। घरेलू कार्गो में, वर्ष 209-10 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय वाहकों की हिस्सेदारी 20.2% से घटकर 16.2% हो गई है, जबकि निजी वाहकों की हिस्सेदारी 79.8% से बढ़कर 83.9% हो गई है। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(छ) प्रत्येक हवाई अड्डे की आवश्यकताओं के अनुसार कार्गो अवसंरचना सुविधाओं का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण I

लक्ष्यों की तुलना में हासिल उपलब्धियां

अंतरराष्ट्रीय कार्गो (मीट्रिक टन में)

हवाईअड्डे	2009-10			2010-11			2011-12		
	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन
चेन्नै	223953	249522	11.4	279465	295497	5.7	341337.006	272461	-20.2
कोलकाता	41965	40088	-4.5	42493	45098	6.1	48706	43890	-9.9
त्रिवेन्दम	31074	31708	2.0	33293	37795	13.5	41575	4673	12.5
दिल्ली (डायल)	326570	333473	2.1	373490	390932	4.7	437844	367830	-16.0
मुंबई (मायल)	435970	408452	-6.3	441128	470402	6.6	508034	467182	-8.0
अन्य हवाई अड्डे	113386	207469	83.0	227911	256515	12.6	268365	269780	0.5
कुल	1172918	1270712	8.3	1397780	1496239	7.0	1645860	1467896	-10.8

घरेलू कार्गो (मीट्रिक टन में)

हवाईअड्डे	2009-10			2010-11			2011-12		
	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन
चेन्नै	60727	71246	17.3	86321	93336	8.1	116670	84730	-27.24
कोलकाता	54401	70168	29.0	76472	84861	11.0	97590	81703	-16.3
त्रिवेन्द्रम	1500	1442	-3.9	1471	1540	4.7	1617	1449	-10.4
दिल्ली (डायल)	144300	163913	13.6	196696	209113	6.3	2509936	200525	-20.1
मुंबई (मायल)	162670	174184	7.1	200312	199831	-0.2	229806	190288	-17.2
अन्य हवाई अड्डे	156065	208250	33.4	233270	263980	13.2	257842	253396	-1.7
कुल	579663	689203	18.9	794540	852661	7.3	954460	812091	-14.9

कुल कार्गो (मीट्रिक टन में)

हवाईअड्डे	2009-10			2010-11			2011-12		
	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन	लक्ष्य	हासिल	%परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चेन्नै	284680	320768	12.7	365785.18	388833	6.3	458007.006	357191	-22.0
कोलकाता	96366	110256	14.4	118965	129959	9.2	146296	125593	-14.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिवेन्द्रम	32574	33150	1.8	34764	39335	13.1	43192	48202	11.6
दिल्ली (डायल)	470870	497386	5.6	570185	600045	5.2	688779	568355	-17.5
मुंबई (मायल)	598640	582636	-2.7	641440	670233	4.5	737840	657470	10.9
अन्य हवाई अड्डे	269451	415719	54.3	461181	520495	12.9	526206	523176	-0.6
कुल	175281	1959915	11.8	2192320	238900	7.1	2600320	2279987	12.3

विवरण II

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यातायात में भारतीय तथा विदेशी वाहकों की प्रतिशत हिस्सेदारी

श्रेणी	2009-10		2010-11		2011-12	
	कार्गो	%हिस्सा	कार्गो	%हिस्सा	कार्गो	%हिस्सा
भारतीय वाहक	214653	16.9	243702	16.3	256863	17.5
विदेशी वाहक	1056059	83.1	1252537	83.7	1211033	82.5
कुल	1270712	100.0	1496239	100.0	1467896	100.0

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान घरेलू कार्गो यातायात में राष्ट्रीय और निजी वाहकों की प्रतिशत हिस्सेदारी

श्रेणी	2009-10		2010-11		2011-12	
	कार्गो	%हिस्सा	कार्गो	%हिस्सा	कार्गो	%हिस्सा
राष्ट्रीय वाहक	139189	20.2	158559	18.6	131901	16.2
निजी वाहक	550014	79.8	694102	81.4	680190	83.8
कुल	689203	100.0	852661	100.0	812091	100.0

नोट: कार्गो से संबंधित आंकड़े मीट्रिक टन में है।

होटल प्रबंधन संस्थान में अनियमितताएं

4490. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **पर्यटन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल प्रबन्धन संस्थान (आईएचएम) पूसा, नई दिल्ली के छोत्रों के 2012 के सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थिति के संबंध में अनेक अनियमितताएं हुई हैं तथा बहुत से छात्रों को परीक्षा में बैठने से वंचित किया गाया है जिसके परिणमत: उनका एक वर्ष बर्बाद हो गया:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेट पर उक्त संस्थान के छात्रों की उपस्थिति संबंधी सूचना न उपलब्ध कराना उपस्थिति की पारदर्शिता का उल्लंघन है;

(घ) क्या उक्त संस्थान के मेस अनुभाग में व्यापत भ्रष्टाचार के कारण छात्रों को समुचित मात्रा में भोजन नहीं मिलता है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त मामलों में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) होटल प्रबंध, केटरिंग एवं पोषहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में वर्ष 2012 की सेमेस्टर परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई हैं।

(ग) यद्यपि उपस्थिति इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, छात्रों/अभिभावकों को विभिन्न तरीकों जैसे छात्रों के प्रवेश के समय उन्हें उपस्थिति नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताकर, उपस्थिति नियमों पर संगोष्ठी का संचालन करके, संस्थान और राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद (एन सी एच एंड सी टी) के नियमों को वेबसाइट में उपलब्ध करवाकर, उपस्थिति रिकॉर्ड को प्रत्येक माह नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके और छात्रों की कम उपस्थिति के बारे में उनके आवसीय पते पर मत्र भेजकर सूचित किया जाता है।

(घ) छात्रों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, जो उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में उनके द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है और भोजन की गुणवत्ता तथा उसके विवरण की अध्यापकों द्वारा नियमित आधार पर जांच की जाती है।

(ङ) एन सील एच एम सी टी को संस्थान में छात्र की उपस्थिति की कथित अनियमितता की जांच करने का निदेश दिया गया। परिषद ने रिकार्डों एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच की जिसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई।

दामोदर घाटी निगम में नियुक्तियां

4491. **श्री के.डी. देशमुख:**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) में सलाहकारों के पदों सहित उच्च पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां की गईं;

(ख) क्या उक्त नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करते हुए की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) केंद्र सरकार ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) में केवल अध्यक्ष और वित्त सलाहकार की नियुक्ति की है और डीवीसी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 16 (सोलह) सलाहकारों की नियुक्त किए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) केंद्र सरकार ने श्री रबीन्द्र नाथ सेन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसपीसीएल (एनटीपीसी-सेल पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड) एवं एम डी, एनएएसएल को 10 जून, 2011 (अपराह्न) से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके अधिवर्षिता को प्राप्त कर लेने तक अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम, कोलकता के रूप में नियुक्त किया था।

(ii) केंद्र सरकार ने श्री उमेश कुमार, वित्त नियन्त्रक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को 22 सितंबर, 2009 (पूर्वाह्न) 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, वित्त सलाहकार, डीवीसी के रूप में नियुक्त किया था।

(iii) डीवीसी द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अध्यक्ष और वित्त सलाहकार, डीवीसी की नियुक्तियां मंत्रिमंडल संबंधी नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से की गई हैं।

डीवीसी द्वारा सलाहकारों की नियुक्तियों की जांच इस मंत्रालय में की जा रही है।

(घ) उपर्यक्त (ख) और (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डीवीसी में एक साल के लिए नियुक्त सलाहकार/परामर्शदाता

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की प्रकृति	कार्यक्षेत्र	नियुक्ति प्रस्ताव की तारीख	नियुक्ति की तारीख	मुक्त/त्यागपत्र किए जाने तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राम दयाल गुप्ता	पार्ट टाइम	कमर्शियल	01.08.2011	02.08.2011	01.08.2012
2.	श्री चंदन राय	पार्ट टाइम	टेक्नीकल	01.08.2011	04.08.2011	03.08.2012
3.	श्री भानु भूषण	पार्ट टाइम	सिस्टम	01.08.2012	11.08.2011	10.08.2012
4.	श्री किशोर कुमार सिन्हा	पार्ट टाइम	एच आर	01.08.2011	11.08.2011	10.08.2012
5.	श्री आलोक कुमार कुंडु	फुल टाइम	फाइनांस एवं अकाउंटस	09.08.2011	16.08.2011	14.08.2012

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री एम.ए. खान	फुल टाइम	ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्युशन/ कमर्शियल	09.08.2011	16.08.2011	31.07.2012
7.	श्री एस.ए. खान	फुल टाइम	कमर्शियल	09.08.2011	18.08.2011	17.08.2012
8.	श्री मनोज कुमार राय	फुल टाइम	मैटेरियल मैनेजमेन्ट	09.08.2012	01.09.2011	31.08.2012
9.	श्री एम.सी.शर्मा	फुल टाइम	रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस	09.08.2011	01.09.2011	31.08.2012
10.	श्री वाई. विजयसारथी	फुल टाइम	माइनिंग एवं कोल ब्लॉक डेवलपमेंट	09.08.2011	07.09.2011	जनवरी, 2013 में त्यागपत्र
11.	श्री आशीष कुमार भद्र	फुल टाइम	टरबाइन मेंटेनेंस	15.11.2011	21.11.2011	वर्तमान में डीवीसी में
12.	श्री स्वपन कुमार घोष	पार्ट टाइम	ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रब्युशन	15.11.2011	01.12.2011	जुलाई, 2012 में त्यागपत्र
13.	श्री टी. एस. राजपूत	फुल टाइम	पब्लिक रिलेशन	15.11.2011	05.12.2011	वर्तमान में डीवीसी में
14.	श्री अशोक बिहारी लाल	पार्ट टाइम	सैफ्टी	15.11.2011	12.12.2012	वर्तमान में डीवीसी में
15.	श्री दिनेश कुमार	पार्ट टाइम	इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी	15.11.2011	15.12.2011	वर्तमान में डीवीसी में
16.	श्री आर.के रस्तोगी	पार्ट टाइम	एच आर	15.11.2011	28.12.2012	वर्तमान में डीवीसी में

भारत को आउटसोर्सिंग पर अमरीका का प्रतिबंध

4492. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरीका की सरकार द्वारा भारत को नौकरियों की आउटसोर्गिंग को रोकने के निर्णय/किए जा रहे उपायों की जानकारी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका की सरकार से इस संबंध में चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे निर्णयों का देश में रोजगार के अवसरों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से अमरीका में कुशल व्यावसायिकों के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के संदर्भ में अमरीकी सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, और इसके अलावा सेवा उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति चक्र के विरूद्ध संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ओहियों के राज्यपाल ने जून, 2011 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें राजकीय कार्यकारी एजेंसियों पर ऐसी कोई निविदा निष्पन करने पर प्रतिबंध लगाया गया था; जिसमें अमरीका से बाहर

प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्रय हेतु नियंत्रणाधीन सरकारी कोष का उपयोग किया जा रहा हो। अमरीकी कांग्रेस में आउटसोर्सिंग उद्योग के विरूद्ध कई बिल पेश किए गए हैं, जिनमें "ब्रिंग जाब होम एक्ट" शामिल है, जिसका उद्देश्य अमरीका व्यापार को अन्य देशों में आउटसोर्स कराने के लिए हतोत्साहित करना था "द फेयरनेस इन हाई स्किल्ड इमीग्रेंट्स एक्ट" भी पारित किया गया था, जिसमें वीजा धोखाधड़ी तथा दरुपयोग के संबंध में भारत में प्रचालनरत कंपनियों की व्यापक जांच के प्रावधान शामिल हैं।

(ग) से (छ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा नैस्सकॉम जैसे औद्योगिक संघों ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एच-1बी तथा एल श्रेणी वीजा के लिए शुल्क में संभावित वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। सरकार ऐसे संरक्षणवादी वैधानिक उपायों तथा भारतीय व्यावसायिकों के सामने आने वाली वीजा कठिनाइयों के बारे में अपनी चिंता को अमरीकी सरकार के समक्ष उठाने के लिए व्यापार से संबंधित बैठकों सहित प्रत्येक अवसर का उपयोग करती है। 13 जून, 2012 को वाशिंगटन में आयोजित तीसरी भारत/अमरीका रणनीतिक वार्ता दौरान विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ फिर इस मुद्दे को उठाया था। दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिकों, निवेशकों तथा व्यापारियों के अधिक से अधिक आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उपाय किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में निवेश

4493. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश पिछले वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले और प्राकृतिक गैस की कम आपूर्ति विद्युत क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
निवेश	56476	86646	106975

सीईए/विद्युत मंत्रालय में चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कोयले के संबंध में, वर्ष 2012713 के लिए कोल, इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से 428 मिलियन टन (एमटी) की आवश्यकता की तुलना में, सीआईएल ने 347 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने का वचन दिया था। स्वदेशी कोयला पर अभिकल्पित तापीय विद्युत केन्द्रों के लिए स्वदेशी कोयले की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए पावर यूटिलिटीज को 46 मीटरी टन के आयात का लक्ष्य दिया गया है। अप्रैल-जुलाई, 2012 की अवधि के दौरान इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कोयला आधारित उत्पादन में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, पावर यूटिलिटीज ने कोयले की कमी के कारण बिजली के उत्पादन में 3.2 बिलियन यूनिट (बीयू) की क्षति होने की रिपोर्ट दी। पावर यूटिलिटीज को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) 1 फरवरी 2012 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

* सीआईएल उन विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करेगा जिन्होंने डिस्कॉम के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया है और जो 31 मार्च, 2015 को अथवा इससे पहले आरंभ हो गया है/हो जाएगा।
* एफएसए 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्रों (एलओए) में उल्लिखित कोयले की संपूर्ण मात्रा के लिए, जिसमें बिना प्रोत्साहन की लेवी के लिए ट्रिगर स्तर 80 प्रतिशत और प्रोत्साहन की लेवी का स्तर 90 प्रतिशत होगा।

(ii) सीआईएल पर, 80 प्रतिशत की ट्रिगर वेल्यू के साथ एफएसए पर शीघ्र हस्ताक्षर करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

(iii) कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड पर देश में स्वदेशी कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का दबाव बनाया गया।

(iv) पावर यूटिलिटीज को स्वदेशी कोयले की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए कोयले का शीघ्र आयात करने की सलाह दी जा रही है।

देश में गैस के उत्पादन में आई कमी के दृष्टिगत, मौजूदा/नए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को आबंटन के लिए अतिरिक्त गैस इस समय उपलब्ध नहीं है और विद्युत मंत्रालय/सीईए ने इस संबंध में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के सभी विकासकर्ताओं को सलाह जारी की है।

[हिन्दी]

कुशल जनशक्ति की कमी

4494. श्री बलीराम जाधव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने विद्युत क्षेत्र में जनशक्ति की कमी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए विद्युत कार्य समूह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन किया है। इस समूह ने 12वीं योजना के दौरान 3. 13 लाख तकनीकी कार्मिकों और 0.95 लाख गैर तकनीकी कार्मिकों की अतिरिक्त आवश्यकता दर्शाई है।

(ग) सरकार ने, वर्ष 2009 में सभी विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौशल विकास पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का अधिदेश वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कार्मिकों को कुशल बनाने का है जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच वितरित किया गया था जिसमें प्रशिक्षण दिलाने की प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रीय कौशल विकाश निगम (150 मिलियन), श्रम और रोजगार मंत्रालय (100 मिलियन) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (50 मिलियन) की है। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से अपने निजी राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि सभी राज्यों ने अपने मुख्यमंत्रियों अथवा मुख्य सचिवों के अधीन एसएसडीएम स्थापित कर लिए हैं। विद्युत मंत्रालय और केन्द्रय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने "एडॉप्ट एन आईटीआई" की पहल की है। सीईए के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) ने 60 आईटीआई अडॉप्ट किए हैं। सेवारत कार्मिकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए और नई भर्तियों के प्रशिक्षण की शुरूआत के लिए देश भर में सीईए द्वारा 73 संस्थनों को मान्यता दी गई है। इनमें से नौ संस्थान नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

4495. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 2012-13 के दौरान पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए नई योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(घ) क्या सरकार को कोचीन में एक बड़ा कन्वेंशन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) अनंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास और संवर्धन के लि पर्यटन मंत्रालय की 11वीं पंचवर्षीय योजना की मोजूदा स्कीमों को जारी रखा जाय।

(ग) स्वास्थ्य पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य पर्यटन से संबंधित किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) केरल राज्य सरकार से कोचीन में बड़ा समागम केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

4496. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उसे वित्तीय सहायता दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित जारी की गई और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई राशि क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की स्वाभाविक मृत्यु होने के मामले में 5000/- रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया था। स्कीम में विनिदर्ष्टि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का जीविकोपार्जन पुरुष या महिला हो सकती थी।, उसे परिवार का सदस्य होना आवश्यक था और परिवार की कुल आय में उसके अर्जन का महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु तब हुई हो जब उसकी आयु 18-64 वर्ष के बीच हो। वर्ष 1998 में स्वाभाविक कारणों तथा दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में लाभ की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

(ङ) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मंत्रालय द्वारा निधियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की एक उप योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप-योजनावार जारी की गई निधियों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। ये उप योजनाएं केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के अंतर्गत किए गए व्यय इस प्रकार हैं:

2009-10	15401.94 लाख रुपये
2010-11	32444.34 लाख रुपये
2011-12	18980.92 लाख रुपये

कृषि आधारित उद्योग

4497. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री नरहरि महतो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित कृषि आधारित उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश के आर्थिक विकास में लघु और कुटीर उद्योगों का क्या योगदान है;

(ग) क्या सरकार ने देश में आय और रोजगार सृजन की दृष्टि से कुटीर उद्योगों की क्षमता/योगदान के संबंध में कोई अध्ययन/आकलन किया है; और

(धा) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) देश में स्थापित कृषि आधारित उद्योगों की राज्यवार संख्या केन्द्रीय रूप से मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा रखी जा रही सूचना के अनुसार 31.03.2012 को स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल सहित देश में वित्तपोषित कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी की खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद और कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) का योगदान क्रमश: 8.72 प्रतिशत और 44.86 प्रतिशत रहने का अनुमान था।

(ग) सरकार ने देश में आय और रोजगार सृजन के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कुटीर उद्योगों की क्षमता/योगदान के संबंध में कोई अध्ययन/आकलन नहीं कराया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में खादी एवं ग्रामोद्योगों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	3022
2.	हिमाचल प्रदेश	1101
3.	पंजाब	3231
4.	चंडीगढ़	41
5.	उत्तराखंड	1554
6.	हरियाणा	2356
7.	दिल्ली	81
8.	राजस्थान	7911
9.	उत्तर प्रदेश	12985
10.	बिहार	6314
11.	सिक्किम	172
12.	अरुणाचल प्रदेश	293
13.	नागालैंड	1226
14.	मणिपुर	375
15.	मिजोरम	818
16.	त्रिपुरा	698
17.	मेघालय	1100
18.	असम	4656
19.	पश्चिम बंगाल	10153
20.	झारखंड	1259
21.	ओडिशा	3441
22.	छत्तीसगढ़	1196
23.	मध्य प्रदेश	6155
24.	गुजरात*	1112
25.	महाराष्ट्र**	9540
26.	आंध्र प्रदेश	5460
27.	कर्नाटक	5812
28.	गोवा	658
29.	लक्षद्वीप	22
30.	केरल	3499
31.	तमिलनाडु	4268
32.	पुदुचेरी	277
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	390
	कुल	101176

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से बिजली

4498. श्री अब्दुल रहमान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा एक बार विद्युत उत्पादन शुरू कर देने के बाद विभिन्न राज्यों के बीज विद्युत बंटवारे पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के 1000 मेगावाट की दो इकाइयों में से पहली इकाई द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत की मांग राज्य के लिए की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत आवंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र (2x1000 मेगावाट) से उत्पादित की जाने वाली संपूर्ण विद्युत को 05.02.2004 को लाभग्राही राजयों को निम्नानुसार आबंटित किया जा चुका है:

क्र.सं.	लाभग्राही राज्य	आवंटित विद्युत (मेगावाट)
01.	कर्नाटक	442
02.	तमिलनाडु	925 (10% गृह राज्य सहकारी सम्मिलित)
03.	केरल	266
04.	पुदुचेरी	67
05.	अनावंटित	300
	कुल	2000

(ग) से (ङ) तमिलनाडु राज्य के अनुरोध, कि कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से उत्पादित की जाने वाली संपूर्ण विद्युत उन्हें आबंटित की जाए, पर विद्युत मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र (2x1000 मेगावाट) की विद्युत को, केन्द्रीय मांग उत्पादक स्टेशनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन किए जाने के दिशा-निर्देशों के आधार पर लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पहले ही आबंटित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

डॉक्टरों की कमी

4499. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ट्रॉमा सेंटर में न्यूरोसर्जन्स सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लगभग 40: स्वीकृत पद खाली पड़े हो और नये पदों के सृजन की मांग पूरी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एम्स ट्रॉमा सेंटर में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जय प्रकाश नारायण एपेक्स (जे पी एन ए) ट्रामा केन्द्र में न्यूरो-सर्जन सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में कार्य बाधित नहीं है क्योंकि संकाय के 40 स्वीकृति पदों में से 36 विद्यमान हैं। मेडीसिन के सहायक प्रोफेसर के दो पद और अस्थि रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद त्यागकर दिये जाने के कारण हाल ही में खाली हुए है। अपर प्राचार्य अस्पताल प्रशासन/अपर चिकित्सा अधीक्षक का एक पद भी रिक्त पड़ा है। तथापि अलग-अलग विभागों के सभी संकाय सदस्य बारी-बारी से जेपीएनए ट्रामा केन्द्र को संचालित करते हैं। जेपीएनए ट्रामा केन्द्र में कार्यरत संकाय सदस्य अदला-बदली आधार पर एम्स के विभिन्न विभागों की गतिविधियों में भी शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

श्रीलंका में भूखंड की बिक्री

4500. श्री एम. आनंदन:
श्री ताराचंद भगोरा:
श्री के. सुगुमार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रीलंका द्वारा भारतीय उच्चायोग को वायदा किए गए भूखंड की बिक्री चीन की सरकार के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी को किए जाने संबंधी निर्णय से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने श्रीलंका में चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति पर श्रीलंका सरकार से चिंता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सरकार ने एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए एक निजी संस्था मैसर्स शॉ वैल्लेस एण्ड हेजेज से कोलंबो में भूखण्ड अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव किया था और इस संदर्भ में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए श्रीलंका सरकार से संपर्क किया था। ऐसा लगता है कि इस बीच में मैसर्स शॉ वैल्लेस एण्ड हेजेज को कोई अन्य संभावित निवेशक मिल गया। श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकारी संपत्ति अधिग्रहीत करने हेतु भारत के उच्चायोग को सहायता करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) और (च) भारत के श्रीलंका के साथ निकट, सौहार्द्रपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस देश के साथ साझा ऐतिहासिक, सभ्यतामूलक और सांस्कृतिक संबंध हैं। सरकार राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले उन सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

एयरलाइनों को 'स्लॉटों' का आबंटन

4501. श्री वैजयंत पांडा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यस्त हवाई अड्डों पर किसी एयरलाइन को आवंटित किए जाने वाले 'स्लॉटों' पर निर्णय लेने के संबंध में किसी नई नीति को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति कब तक लागू की जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) जी, हां। आबंटन संबंधी दिशानिर्देशों को नागर विमानन मंत्रालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

असुरक्षित हवाई अड्डे

4502. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों/रनवे को 'असुरक्षित' घोषित किए जाने के पश्चात् उड़ानों को स्थगित/रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पटना हवाई अड्डा सहित हवाई अड्डा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो हवाई अड्डों के रनवे को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद भी उड़ानों का संचालन जारी रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ हवाई अड्डों के रनवे की लंबाई के विस्तारण संबंधी प्रस्ताव अभी भी विचार किए जाने कि लिए लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा हवाई अड्डा-वार-पट्टी-वार उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) जी नहीं पटना हवाई अड्डा सहित किसी भी हवाई अड्डे पर डीजीसीए द्वारा उड़ान प्रचालन को स्थगित/रोका नहीं गया है। किसी भी एयरोड्रम को असुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। एयरलाइन प्रचालकों के उपयोग के लिए एयरोड्रमों पर उपलब्ध सुविधाओं की सूचना प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। विमान प्रचालकों द्वारा सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रचालन कम करने के उपायों सहित विमान टाइप के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के पश्चात ही विमान प्रचालन किया जाता है। जो एयरोडम भू-भाग तथा भौतिक अवरोधों से घिरे हैं, उनके लिए कुछ प्रचालनात्मक न्यूनीकरण उपाय उपेक्षित होंगे।

(घ) से (च) सरकार ने जम्मू और मंगलौर में क्रमश: 1300 फीट और 3100 फट तक रनवे का विस्तार करने की योजना बनाई है। जम्मू हवाई अड्डा सिविल एनक्लेव सहित रक्षा हवाई अड्डा है। राज्य सरकार ने इसके लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहीत की है और भूमि की अदता बदली करने के लिए सरकार रक्षा प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है। मंगलौर हवाई अड्डे के मामले में, राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

भारत पर आर्ट शो

4503. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में चीन में कुछ कला दीर्घाओं में निहाई पर भारत में कुछ घटनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अपने चीनी समकक्ष से क्या अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस पर चीनी प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) बीजिंग, चीन में उल्लेन्स सेन्टर फॉर कन्टम्परेरी आर्ट (यूसीसीए) नामक एक निजी कला दीर्घा ने हाल ही में 'इंडियन हाईवे' नाम की समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसमें दिखाई गई कुछ कलात्मक वस्तुएं भारत के लोकतंत्र और हमारे सुरक्षा बलों की निन्दा करती है, जिन्हें उचित नहीं पाया गया था। इन अनुचित कलात्मक वस्तुओं को हटाने के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किए गए अनुरोध को निजी कला दीर्घा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार वे कलात्मक वस्तुएं हटा दी गई हैं।

कानूनी रूप से व्यवहार्य व्यवस्था

4504. श्री पी. बलराम नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स ने कम्प्यूटर द्वारा सृजित मेडिको लीगल प्रमाणपत्रों के कानूनी रूप से व्यवहार्य व्यवस्था आनलाइन शुरू की है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य अस्पतालों में पर्याप्त बजटीय आवंटन सहित ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा केन्द्र में कम्प्यूटरीकरण मेडिको विधिक प्रमाणपत्र तैयार करने की विधिसम्मत प्रणाली शुरू की है। इसको अन्दरूनी रूप से विकसित किया गया हैं यह पूर्णतया आनलाइन और वेब आधारित है। इए अेम्पलेट चालित कार्यक्रम को तत्काल, सटीक ढंग से और टैम्पर प्रूफ तरीके से बनाया जा सकता है। यह साफ्टवेयर किसी भी संगठन में स्थापित करने के लिये उपलब्ध है।

त्रिपक्षीय वार्तालाप

4505. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय वार्तालाप की शुरुआत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्तालापों के उद्देश्यों और इनके परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वार्ता के परिणामस्वरूप हमारे देश को कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) नई दिल्ली में 29 जून, 2012 को रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक एकेडमी (केएनडीए) और टोकियो फाउंडेशन के बीच पहली बार भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के विचार मंचों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्तालाप आयोजित किया गया था। इस वार्तालाप से संबंधित सूचना आईडीएसए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एयरलाइन हब

4506. श्री के.पी. धनपालन:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एयरलाइन हब का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्दश्य के लिए पहचान किए गए स्थानों और जिस समय तक उनका संचालन शुरू हो सकेगा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र या घरेलू उड़ानों के लिए कोई हब नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) हब नीति में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(च) छोटे शहरों में हवाई सेवा के विस्तार के लिए विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित मूलभूत अवसंरचना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (च) जी, हां। भारत सरकार ने पूरे देश में विमानन हब बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। तदनुसार, भारत सरकार देश में हबों के विकास पर एक नीति निर्धारित कर रही है।

[हिन्दी]

सौर चरखा

4507. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों में सौर चरखा की शुरुआत की गई है;

(ख) क्या देश में स्वदेशी तकनीक से सूत कातने वाले और चरखों का विकास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सूत कातने वालों के समान इन चरखों को वस्त्र/खादी बुनकरों को देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) के साथ मिलकर गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड में 6 क्लस्टरों में प्रायोगिक आधार पर सौर ऊर्जा चालित चरखे लगाए हैं।

(ख) और (ग) केवीआईसी द्वारा विकसित किए गए चरखे के नए मॉडल के साथ सोलर पैनल, बैटरी और मोटर जोड़कर एमजीआईआरआई द्वारा सूत कताई सौर चरखों का विकास किया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय केवीआईसी के पास इसकी विद्यमान योजनाओं के तहत कताईकारों को सौर चरखे उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने संबंधी दस्तावेज

4508. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू विद्युत परियोजना डेवलपरों को समस्त ईंधन लागत उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति दे दी है जबकि आयातित कोयला आधारित परियोजनाओं को ईंधन मूल्य जोखिमों को स्वयं ही वहन करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं पर समस्त ईंधन लागत डालने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालन में, विद्युत मंत्रालय न दिनांक 19 जनवरी, 2005 को और समय-समय पर सथासंशोधित दीर्घावधि (सात वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए) और मध्यावधिक (एक वर्ष से अधिक तथा सात वर्ष तक) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से वितरण लाइसेंसिंग द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। 15 मई, 2012 को विद्युत मंत्रालय ने लघु अवधि (एक वर्ष अथवा उसके बराबर की अवधि के लिए) वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए थे।

इसके अतिरिक्त, घरेलू कोयले की ईंधन उपलब्धता, जोखिम, कोयला निर्यात करने वाले देशों में ईंधन की कीमतों में परिवर्तन के कारण कीमत जोखिम, कोयला ब्लाकों से संबंधित पर्यावरण एवं वन स्वीकृति में विलंब/अस्वीकृति और परियोजनाओं की समाप्ति के विभिन्न विकल्पों आदि के संबंध में विभिन्न पणधारियों से प्राप्त संदर्भों की प्रक्रियाओं में, मानक बोली दस्तावेजों की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए विद्युत मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है।

खनन कम्पनियों द्वारा कल्याणकारी योजनाएं

4509. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में विभिन्न भागों में खनन कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में खनन कंपनियों द्वारा शुरू की गयी कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष ओर आदिवासी क्षेत्रा में खनन कंपनियों द्वारा शुरू की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों के किसान/आदिवासी अपने राज्यों में खनन और बॉक्साइड खनन के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान कानून में संशोधन करके भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले विवादों और समस्याओं के निवारण और बॉक्साइड खनन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में खनन कार्य किया जा रहा है।

(ख) खनिजों के सवामी के रूप में राज्य सरकारें खनिज रियायतें प्रदान करती हैं जिसमें खनन कंपनियों को आवंटित खनन पट्टे भी शामिल होते हैं। राज्य सरकार इन कंपनियों द्वारा क्रियान्वित कल्याण योजना/कार्यक्रमों की मानीटरिंग करती है तथा इन कार्यक्रमों से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती हं तथापि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास के लिए देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा इसके साथ ही सामान्यत: देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित खनन क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन में सुधार लाने हेतु एक सतत ढांचा विकसित करना है। खनिज नीति में यह भी प्रतिपादित है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों पर आधारित स्टेक होल्डर हित के मॉडलों के विकास के माध्यम से स्थानिक तथा देसी (आदिवासी) हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है।

(ग) और (घ) खनन प्रयोजन हेतु भूम में भूस्वामी तथा खनिक के बीच स्वैछिक सम्मति या अपेक्षित निकायों/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि अधिग्रहण में से कोई भी हो सकता हैं खनन गतिविधियों हेतु निकायों/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि अधिग्रहण में से कोई भी हो सकता है। खनन गतिविधियों हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी सूचना खान मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जाता है क्योंकि खनिजों के स्वामी के रूप में राज्य सरकारें खनिज रियायतें प्रदान करती है तथा खनिज प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, सरकार को मै. एपीएमडीसी लि. के पक्ष में विशाखापट्टनम जिले में बॉक्साइड हेतु खनन पट्टा प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन के 13 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों को पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा जताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को वापस लौटा दिया गया था।

(ङ) सरकार ने देश में बॉक्साइड खनन सहित खनन गतिविधियों में स्थानीय लोगों का शामिल करने को सुनिश्चित करने हेतु लोक सभा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) प्रारूप विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

क. सभी गवेषण गतिविधियों के लिए गवेषण वाले क्षेत्र में व्यावसायिक अथवा भोगाधिकार अथवा पारंपरिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र कंपनी सहित सभी खनन पट्टाधारक जिला स्तर पर बनाए गए जिला खनिज फाउंडेशन को वार्षिक आधार पर भुगतान करेंगे।

1. प्रमुख खनिजों (कोयला को छोड़कर) के मामले में रॉयल्टी के समतुल्य राशि।
2. कोयला खनिजों के मामले में लाभ के 26 प्रतिशत के समतुल्य राशि एवं
3. लघु खनिजों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि।

ग. जिला खनिज फाउंडेशन को दी गई राशि का कुछ हिस्सा खनन संबंधी प्रचालकों से प्रभावित व्यक्तियों को आवृत्ति भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

घ. सभी खनन कंपनियां, खनन से प्रभावित परिवार के प्रत्येक वयक्ति को समतुल्य आधार पर कम से कम एक शेयर प्रदान करेंगे, जिससे उनमें उद्यम में स्वामित्व की भावना आ सके।

ङ. सभी खनन कंपनियां, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत यथा निर्धारित रोजगार या अन्य मुआवजा प्रदान करेंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश

4510. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों में पवन सौर और बायोमास खंडों सहित नवीकरणीय ऊर्जा में 50 मिलियन डालर का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकल बिन्दु करार के लिए निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ की स्थापना करके निवेश को आकर्षित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन सौर और बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं सरकार द्वारा कुछ राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन देकर बड़े स्तर पर निजी निवेश के साथ मुख्यतया निजी क्षेत्र में संस्थापित की गई है।

(ख) चयनित अक्षय संसाधन, परियोजना स्थल और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए लगभग 5 से 10 करोड़ रु. की रेंज में उल्लेखनीय पूंजी निवेश के साथ अगले पांच वर्षों के दौरान ऐसी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण क्षमता संयोजन की संभावना है, जिनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र से होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अत: मुख्यतया राज्यों हेतु है कि वे स्थलों के आवंटन/लीज से संबंधित नीतियों सहित उनके द्वारा घोषित नीतियों के अनुरूप अक्षय विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु निजी विकासकर्ताओं के साथ करार/कॉन्ट्रैक्ट करें। कुछ राज्यों द्वारा निवेश संवर्धन वार्ताएं की गई हैं और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने संभाव्यता स्थलों, नीतियों और प्रोत्साहनों के संदर्भ में उपलब्ध सूचना का प्रसार करने के लिए और अक्षय विद्युत परियोजनाओं के संभावित निवेशकों/विकासकर्ताओं को जरूरी दिशा-निर्देश देने हेतु एकल संपर्क बिन्दु के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक निवेश संवर्धन सेल की स्थापना की है।

(ङ) सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने हेतु परियोजना में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। ये कदम निम्नलिखित हैं:

* राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहनों, जैसे-पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क, विद्युत की बिक्री के माध्यम से परियोजनाओं से उत्पादित राजस्व पर 10 वर्षों का कर-अवकाश।
* स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी राज्यों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद करने हेतु न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करने के दिशा-निर्देश।
* राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 तथा राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति 2006 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसरण में अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर।
* सीईआरसी द्वारा प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले अधिमान्य शुल्क-दरों का निर्धारण करने हेतु नियामक दिशा-निर्देश।
* त्वरित मूल्यह्रास लाभ न पाने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु पवन विद्युत के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन स्कीम।
* सौर पीवी तथा सौर तापीय सहित सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना में तेजी लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत करना।

जनसंख्या स्थिरीकरण

4511. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण और गर्भ निरोधकों की बढ़ती हुई मागों को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य में इस संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए गए और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार का मुख्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। भारत सरकार परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु एएक सुदृढ़ सेवा प्रदानगी तंत्र के गठन में सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में यथा संकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण के नीतिगत फ्रेमवर्क के अनुरूप वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का सशक्त तरीके से क्रियान्वयन कर रही है। किए गए बंध्यीकरण सहित आईयूडी सन्निवेशन, ओरल पिल्स प्रयोक्ताओं, कंडोम प्रयोक्ताओं

का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* लाभार्थियों के घर-घर जाकर गर्भनिरोधक प्रदान करने के लिए आशा (एएसएचए) की सेवाएं उपयोग में लाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम को 17 राज्यों के 233 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। आशा घर-घर जाकर गर्भनिरोधक बांटने में अपने प्रयास के लिए लाभार्थियों से नाममात्र धनराशि अर्थात 3 कंडोम पैके के लिए एक रुपया, ओसीपी की साइकिल के लिए एक रुपया और ईसीपी की एक गोली के पैके के लिए 2 रुपए वसूल कर रही है।

* भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आल्पावधि आईयूसीडी, कॉपर आईयूसीडी 375 शुरू की है।

* बंध्यीकरण के कारण होने वाली किसी भी क्षति को कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा शुरू करना।

* जन्म अंतराल की पद्धति के रूप में दीर्घावधिक आईयूडी-380क को प्रोत्साहन देना।

* सांस्थानिक प्रसवों की पर्याप्त वृद्धि देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

* नॉन स्केलपल वेसक्टामी पद्धतियों के जरिए पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देना।

* मिनीलेप बंध्यीकरण के संबंध में डॉक्टरों का प्रशिक्षण।

* बंध्यीकरण सेवाओं के प्रावधान में वृद्धि करने हेतु निजी प्रदायकों को सूचीबद्ध करना।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन सेवाओं के लिए 2080 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

किए गए बंध्यीकरण, आईयूडी, सन्निवेशन, ओरल पिल प्रयोक्ताओं, कंडोम प्रयोक्ता की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संवितरित कांडोम के पीस	संवितरित ओरल पिल्स	कुल आईयूडी सन्निवेशन	बंध्यीकरण		
					वेसक्टामी	ट्यूबक्टोमी	कुल बंध्यीकरण
		2011-2012	2011-2012	2011-2012	2011-2012	2011-2012	2011-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	64,765	12,232	851	4	1159	1163
2.	आंध्र प्रदेश	3,71,18,370	36,81,706	323425	13,590	5,27,992	5,41,582
3,	अरुणाचल प्रदेश	47,661	18,632	2653	4	973	977
4,	असम	62,21,354	14,40,973	70098	6173	62,084	68,257
5,	बिहार	84,07,082	10,43,065	319067	6795	4,90,871	4,97,666
6.	चंडीगढ़	9,90,974	10,848	3189	97	1722	1819

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	छत्तीसगढ़	69,74,292	13,33,135	78489	6753	1,26,877	1,33,630
8.	दादरा और नगर हवेली	80,217	4201	198	2	1239	1241
9.	दमन और दीव	1,98,992	5871	233	4	405	409
10.	दिल्ली	90,34,038	2,55,251	44003	2705	17,744	20,449
11,	गोवा	2,27,341	50,681	2684	74	5495	5569
12.	गुजरात	4,33,35,118	25,18,965	607370	3477	3,23,438	3,26,915
13,	हरियाणा	1,1198,62,299	10,37,133	194489	6919	70,788	77,707
14,	हिमाचल प्रदेश	52,59,051	3,97,020	19697	2344	20514	22858
15,	जम्मू और कश्मीर	22,32,985	2,81,318	19057	1061	15,651	16,712
16.	झारखंड	75,47,323	10,35,470	103245	13042	1,17,365	1,30,407
17.	कर्नाटक	1,15,37,257	13,14,480	195487	3894	3,08,876	3,12,770
18.	केरल	50,76,246	1,16,138	55545	1916	95,841	97,757
19.	लक्षद्वीप	15355	1	53	0	47	47
20.	मध्य प्रदेश	1,89,09,874	27,91,198	297120	46515	5,49,926	5,96,441
21.	महाराष्ट्र	2,64,94,362	27,83,192	375466	20908	4,91,523	5,12,431
22.	मणिपुर	1,41,901	25,370	5418	109	1687	1796
23.	मेघालय	3,40,606	78,493	4707	63	2805	2868
24.	मिजोरम	93,792	54,250	2739	0	1713	1713
25.	नागालैंड	1,16,525	14,744	2743	6	2158	2164
26.	ओडिशा	1,38,60,195	24,36,033	142063	3070	1,39,571	1,42,641
27.	पुदुचेरी	7,05,488	22,470	2391	6	10,235	10,241
28.	पंजाब	2,99,18,361	13,06,696	225844	8226	62,759	70,985
29.	राजस्थान	7,80,98,364	74,40,694	395367	5841	3,09,134	3,14,975
30.	सिक्किम	2,21,830	70,489	1558	2	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	तमिलनाडु	84,96,116	9,21,453	287674	1767	2,91,151	2,92,918
32.	त्रिपुरा	5,71,904	85,105	1267	206	5949	6155
33.	उत्तर प्रदेश	4,93,95,546	29,17,641	1355305	11734	3,21,148	3,32,882
34.	उत्तराखंड	59,30,977	5,74,728	117564	1926	18404	20330
35.	पश्चिम बंगाल	3,09,59,964	81,57,885	98965	10013	2,08,635	2,18,648
	अखिल भारत	42,95,47,783	4,42,78,187	5358139	1,79,609	46,08,044	47,87,653

स्रोत: 08.07.2012 के अनुसासर एचएमआईएस पोर्टल

#: अखिल भारतीय कुल में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए परिवार कल्याण के अंतर्गत व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
क. उच्च फोकस वाले राज्य						
1.	बिहार	24.57	35.23	46.87	46.10	38.86
2.	छत्तीसगढ़	10.25	13.69	14.23	14.25	26.67
3.	हिमाचल प्रदेश	2.99	3.45	4.15	2.87	2.96
4.	जम्मू और कश्मीर	1.66	1.83	1.94	1.96	2.29
5.	झारखंड	9.33	12.80	-	16.22	17.61
6.	मध्य प्रदेश	47.12	47.38	40.73	65.44	62.17
7.	ओडिशा	11.13	12.18	13.72	14.67	14.82
8.	राजस्थान	26.06	36.01	34.74	38.78	30.52
9.	उत्तर प्रदेश	58.59	70.94	49.87	44.27	28.80
10.	उत्तराखंड	2.38	5.22	3.65	3.47	3.60
	उप योग	194.07	238.73	209.90	248.03	228.30

1	2	3	4	5	6	7
ख. पूर्वोत्तर राज्य						
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.24	0.32	0.19	0.21	0.21
12.	असम	1.02	4.96	9.20	16.48	10.03
13.	मणिपुर	0.04	0.34	0.20	0.22	0.22
14.	मेघालय	0.00	–	0.03	0.38	0.11
15.	मिजोरम	0.06	0.33	0.30	0.28	0.31
16.	नागालैंड	0.00	0.07	0.05	0.34	0.28
17.	सिक्किम	0.22	0.26	0.16	0.07	0.05
18.	त्रिपुरा	0.00	1.19	0.66	0.72	1.44
	उप योग	1.58	7.46	10.79	18.70	12.65
ग. गैर उच्च फोकस वाले राज्य						
19.	अरुणाचल प्रदेश	35.44	49.71	61.28	30.20	19.05
20.	गोवा	0.04	–	0.12	0.12	0.12
21.	गुजरात	15.59	20.50	20.64	16.23	16.22
22.	हरियाणा	3.61	6.55	6.62	4.96	5.87
23.	कर्नाटक	12.21	19.41	27.82	30.12	22.82
24.	केरल	1.05	3.43	4.86	3.50	3.19
25.	महाराष्ट्र	25.88	37.96	39.82	38.56	36.22
26.	पंजाब	6.96	8.58	7.99	8.47	7.98
27.	तमिलनाडु	17.08	19.39	24.25	26.26	25.50
28.	पश्चिम बंगाल	18.83	27.72	27.14	22.41	22.45
	उप योग	136.70	193.26	220.55	180.82	159.42
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.05	0.10	0.05	0.05
30.	चंडीगढ़	0.00	0.06	0.09	0.10	0.09
31.	दादरा और नगर हवेली	0.05	0.11	0.11	0.11	0.11
32.	दमन और दीव	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7
33.	दिल्ली	1.41	2.89	1.72	1.46	0.96
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.01	-
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.39	0.62	0.72
	उप योग	1.47	3.15	2.44	2.38	1.94
	कुल योग	333.82	442.60	443.68	449.93	402.31

टिप्पणी:
वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 के संबंध में व्यय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार है।
वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के संबंध में व्यय एफएमआर के अनुसार है अत: अनंतिम है।

विनियामक तंत्रों की स्थापना

4512. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य विनियामकों की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विनियामकों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या निजी क्षेत्रों के अस्पतालों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) नैदानिक प्रतिष्ठानों के विनियमन और पंजीकरण और उससे संबंधित मुद्दों अथवा तत्संबंधी आकस्मिता के लिए संसद ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 पारित किया है। राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद का गठन किया गया है और भारत के राजपत्र में दिनांक 19.3.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.5.2012 को नैदानिक प्रतिष्ठान (केन्द्र सरकार) नियमावली, 2012 भी अधिसूचित की गई है। यह अधिनियम, दिनांक 1.3.2012 से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो गया है। राज्यों में इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों को प्रारूप राज्य मॉडल नियम परिचालित कर दिए गए हैं। अन्य राज्य भी संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अंतर्गत इस अधिनियम को अंगीकार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों ने इस अधिनियम को अंगाकर कर लिया है। अन्य राज्य सरकारों से भी इस अधिनियम को अंगाकर करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों में निजी क्षेत्र के अस्पतालों का मॉनीटरन और विनियमन मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति

4513. श्री अशोक तंवर:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अनसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर शिड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स) के लिए चयनित और लाभान्वित छात्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना में स्नातक पाठ्यक्रम शामिल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

की योजना के तहत चयनित एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) किसी विषय में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है। योजना उसी रूप में केवल मास्टर स्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों में कुछ विषय में विदेश में उच्चतर अध्ययनों के लिए अननुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तैयार की गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात 2009-10 से 2012-13 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना द्वारा चयनित एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	चयनित विद्यार्थियों की संख्या		लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1.	आंध्र प्रदेश	–	1	–	–
2.	झारखंड	1	1	1	–
3.	कर्नाटक	1	1	1	–
4.	मध्य प्रदेश	–	1	–	–
5.	महाराष्ट्र	1	2	–	–
6.	मणिपुर	3	–	–	–
7.	नागालैंड	1	–	1	–
8.	राजस्थान	–	3	–	1
9.	उत्तराखंड	1	–	–	–
10.	पश्चिम बंगाल	–	1	–	1
	कुल	8	10	3	2

वर्ष 2011-12 के लिए चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे हैं।

एनटीपीसी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

4514. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी का विचार दक्षिण अफ्रीका सहित विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ने कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए श्रीलंका एवं बांग्लादेश की पहचान की है। तथापि, आज तक, दक्षिण अफ्रीका में ऐसे किसी उद्यम का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) श्रीलंका एवं बांग्लादेश में प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(i) श्रीलंका: श्रीलंका के त्रिंकोमाली क्षेत्र में 500 मेगावाट (2x250 मेगावाट) की कोयला आधारित विद्युत परियोजना के विकास के लिए एनटीपीसी, सीईबी (सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) और श्रीलंका सरकार के बीच 29 दिसंबर, 2006 को एक समझौता ज्ञापन (एमओए)

पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके पश्चात, 50:50 की इक्विटी साझेदारी में श्रीलंका में एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना के लिए एनटीपीसी एवं सीईबी के बीच संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) पर 6 सितंबर, 2011 को हस्ताक्षर किया गया।

तत्पश्चात, उपर्युक्त परियोजना का विकास करने के लिए 26 सितंबर, 2011 को कोलंबो में त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) नाम से एक जेवी कंपनी शामिल की गई है।

(ii) **बांग्लादेश**- वर्तमान नीतियों एवं विधानों के अधीन संयुक्त उद्यम निवेशों सहित, विद्युत उत्पादन एवं पारेषण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निवेशों को बढ़ावा देने एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए, जनवरी, 2010 में भारत सरकार एवं बांग्लादेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया था।

उक्त के अनुसरण में, विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए एनटीपीसी एवं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बांग्लादेश में संयुक्त उद्यम में 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) की कोयला आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना की संभावनाएं शामिल हैं।

तत्पश्चात, बांग्लादेश में विद्युत परियोजना (ओं) का विकास करने के लिए बांग्लादेश से 50:50 में जेवी कंपनी को बढ़ावा देने हेतु 29 जनवरी, 2012 को एनटीपीसी एवं बीपीडीबी के बीच जेवीए पर हस्ताक्षर किया गया था। बांग्लादेश में रामपाल (खुलना डिवीजन) में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना का विकास करने के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) और कार्यान्वयन करार (आईए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सौर फोटो वॉल्टिक परियोजनाएं

4515. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फोटोवाल्टिक (पीवी) यूनिटों और संकेंद्रीत सौर ऊर्जा (सीएसपी) यूनिटों के डेवलपर्स को सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त पोषक प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है जबकि सरकार द्वारा उन्हें सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई फर्में जिन्हें सौर ऊर्जा परियोजनाएं दी गई थीं वित्तीय व्यवस्था नहीं कर पाई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन कंपनियों के वित्त पोषक खोजने में सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) प्रकाशवोल्टीय (पीवी) एवं संकेन्द्रित सौर विद्युत (सीएसपी) परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण प्राप्त करने में कुछ आरंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, तथापि, इसका समय पर निराकरण कर लिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के चरण-1 के अंतर्गत चुने गए सभी सौर विद्युत परियोजना विकासकर्ता आवंटित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था करने में सफल रहे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण में बैंकरों का विश्वास बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा (i) विभिन्न पणधारियों के साथ बैंकरों की विचार-विमर्श बैठकों (ii) सौर विद्युत परियोजनाओं के नियोजन एवं वित्त पोषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तथा (iii) बैंकरों के लिए देश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई सौर विद्युत परियोजनाओं के प्रदर्शन दौरों का आयोजन किया गया।

श्रीलंका नौसेना द्वारा मछुआरों पर हमले

4516. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमलों में भारतीय मूल के आठ मछुआरों के गंभीर रूप से घायल होने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2012 में अभी तक ऐसे कितने हमले हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें देखी गयी हें कि श्रीलंका नौसेना के कार्मिकों ने 18 अगस्त, 2012 को भारतीय मछुआरों पर तथाकथित हमला किया था, जिसमें एक मछुआरा घायल हो गया था।

(ग) और (घ) सरकार भारतीय मछुआरों के कल्याण सुरक्षा और संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देती है। जैसे ही भारतीय मछुआरों पर हमलों की रिपोर्टें मिलती हैं, सरकार राजनयिक माध्यमों से मामलों को श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ उठाती है। मुद्दे के मानवीय और आजीविका संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रीलंका नौसेना पर दबाव बनाया है कि वे संयमित कार्रवाई करें और हमारे मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अगस्त 2012 तक भारतीय मछुआरों पर हमलों की तीन घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं।

अल्ट्रासाउंड संबंधी अधिसूचना

4517. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग के संबंध में कतिपय अधिसूचनाएं जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त अधिसूचनाओं का इंडियन रेडियोलॉजीकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन सहित विभिन्न वर्गों ने विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विषय में उनकी चिंताओं से समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत नियमों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं:-

* अधिनियम के तहत अपंजीकृत मशीनों की जब्ती तथा और अधिक सजा का प्रावधान करने के लिए दिनांक 31 मई, 2011 के सा.का.नि. 426 (ई) के तहत अधिसूचित पीसी एवं पीएनडीटी नियमावली, 1996 के नियम 11(2) में संशोधन।

* सुवाह्य अल्ट्रासाउंड उपस्कर के इस्तेमाल तथा मोबाइल जेनेटिक क्लिनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए दिनांक 7 फरवरी, 2012 के सा.का.नि. (ई) के तहत संशोधन अधिसूचित किया गया।

* किसी जेनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए अधिनियम के तहत अर्हताप्राप्त प्रत्येक चिकित्या व्यवसायी पर प्रतिबंध लगाने, किसी जिले के भीतर ऐसे अधिकतम दो क्लिनिकों/केन्द्रों के साथ पंजीकृत करने, पीसी तथा पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क में वृद्धि तथा कर्मचारी, स्थान, पते तथा संस्थापित उपस्कर में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को क्लिनिकों तथा सुविधा केन्द्रों द्वारा ऐसे परिवर्तन की प्रत्याशित तारीख के 30 दिन पूर्व देने के लिए दिनांक 4 जुन, 2012 के सा.का.नि. 418(ई) के तहत संशोधन अधिसूचित किया गया।

दिनांक 4 जून, 2012 की अधिसूचना सा.का.नि. 418(ई) को इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड एसोसिएशन द्वारा माननीय बंबई, दिल्ली, नागपुर, चंडीगढ़ तथा लखनऊ उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है तथा यह मामला निर्णयाधीन है।

पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए स्थायी तकनीकी समिति की सिफारिशें

4518. श्री पूर्णमासी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 9 दिसम्बर, 2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2543 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की स्थायी तकनीकी समिति द्वारा पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए सिफारिश की गई; और

(ख) उक्त समिति की संरचना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) स्थायी तकनीकी समिति, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या (सीएस(एमए) नियमों के अंतर्गत पूर्ण प्रतिपूर्ति के मामलों पर विचार करती है, की संरचना इस प्रकार है:–

1. वरिष्ठतम विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय नई दिल्ली-अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना- सदस्य
3. संबंधित विशेषज्ञता के विभागाध्यक्ष-सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
4. संबंधित विशेषज्ञता के विभागाध्यक्ष-डॉ. राम मनोरह लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
5. संबंधित विशेषज्ञता के विभागाध्यक्ष- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
6. अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), दिल्ली सदस्य सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास विभिन्न अस्पतालों (उपयुक्त सूचीबद्ध अस्पतालों से बाहर) से संबंधित विशेषज्ञता के दो सदस्यों को सह:योजित करने का विकल्प है।

कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण स्कूल

4519. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण स्कूलों की मान्यता के लिए मानक और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण स्कूल आरंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अथवा अनुमोदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मामलों में मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) के अनुमोदन के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं नागर विमानन अपेक्षा के खण्ड 7, सीरीज 'घ' भाग 1 में दी गई है। इस संबंध में ब्यौरा वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए महानिदेशक नागर विमानन सक्षम प्राधिकारी हैं।

(ग) से (ङ) मैसर्स टचवुड इंटरटेनमेंट लिमिटेड के मामले में मानदंडों की कथित अवहेलना के एक मामले की रिपोर्ट मिली है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा इस मामले की जांच की गई और डीजीसीए के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

"म्यांमार के साथ राजनयिक संबंध"

4520. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा हाल ही में स्वतंत्र की गई म्यांमार की नेशनल डेमोक्रेटिक लीग की नेता आंग सान सू की के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का आंग सान सू की और म्यांमार की इस समय विद्यमान सरकार के साथ किस प्रकार से संतुलन स्थापित करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) प्रधानमंत्री ने मई 2012 में म्यांमा की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान डाव ऑन्ग सान सू की से मुलाकात की। इस मुलाकात के उपरांत मीडिया को दिए गए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि "भारत के लोग उनके तथा उनके माता-पिता सहित परिवारजनों के साथ अपनी दीर्घकालिक रिश्ते पर गौरवान्वित महसूस करते हैं।" उन्होंने अगले जवाहर लाल नेहरू स्मारक व्याख्यान देने के लिए उनको एक आमंत्रण पत्र भी सौंपा। प्रधान मंत्री जी ने यह दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया कि डाव ऑन्ग सान सू की म्यांमा के राष्ट्रपति थीन सीन द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय मेल-मिलाप प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

विगत वर्षों में भारत और म्यांमा के बीच घनिष्ठ प्रतिवेशी संबंध उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और आपसी बातचीत के जरिए और सुदृढ़ हुए हैं। इनमें अक्तूबर 2011 में म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और मई 2012 में प्रधानमंत्री जी की म्यांमा यात्रा शामिल है।

लघु पासपोर्ट सेवा केन्द्र

4521. श्री रवनीत सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु पासपोर्ट सेवा केन्द्र आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) जी, हां देश में पासपोर्ट सेवा नेटवर्क में और विस्तार करने के लिए सरकार ने पहले से ही स्थापित 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के अलावा कई स्थानों पर पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्र (मिनी पासपोर्ट सेवा केन्द्र) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अधिसूचित 14 पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने करीम नगर तथा भीमवरम में दो पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्रों की स्थापना अनुमोदित कश्र दी है। सरकार को इन प्रतिनिधियों तथा अन्य मंचों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि पंजाब सहित अन्य राज्यों में अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केन्द्र/पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्र स्थापित किए जाएं। द नेशनल इंस्टीट्यट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) ने पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी और इसे ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करने तथा इस संबंध में सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्र
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
2.	बिहार	दरभंगा
3.	जम्मू और कश्मीर	लेह
4.	कर्नाटक	गुलबर्ग
5.	मणिपुर	इम्फाल
6.	मेघालय	शिलांग
7.	मिजोरम	आईजोल
8.	नागालैंड	कोहिमा
9.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
10.	सिक्किम	गंगटोक
11.	त्रिपुरा	अगरतला
12.	पश्चिम बंगाल (3)	खडगपुर
		कोलकाता
		सिलीगुड़ी

[हिन्दी]

केन्द्रीय अनुवीक्षण आयोग

4522. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए केन्द्रीय अनुवीक्षण आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की हुई बैठकों की संख्या और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घुटनों की शल्यक्रिया के लिए भुगतान

4523. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के रोगियों का प्राइमस अस्पताल में घुटनों की और जोड़ों के विकार की शल्य-क्रिया कराने के लिए पूर्ण भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्राइमस अस्पताल द्वारा घुटने की शल्यक्रिया के लिए वसूले जाने वाली लागत की तुलना में के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों (पेंशनरों) को कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत जोड़ प्रतिस्थापन और अन्य आर्थापेडिक उपचार प्रक्रियाओं के लिए प्राइमस अस्पताल को पैनल में रखा गया है। इस अस्पताल से अपेक्षित है कि वह पैनलबद्धता और सीजीएचएस के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन की शर्तों का पालन करे और स्वीकृत सीजीएचएस पैकेज दरों के अनुसार शुल्क ले। घुटने के सभी जोड़ों के प्रतिस्थापन सर्जरी के लिए सीजीएचएस की निर्धारित दर एनबीएच प्रत्यायित अस्पतलों के लिए 1,26,500 रुपए तथा गैर-एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों के लिए 1,10,000 रुपए है। सीजीएचएस ने सीमेंट युक्त जोड़ प्रत्यारोपण के लिए 60,000 रुपए तथा सीमेंट के लिए 5,000 रुपए की अधिकतम दरें भी निर्धारित की हैं।

कश्मीर का गलत चित्रण (लेबलिंग)

4524. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इमरान खान द्वारा लिखित पुस्तक 'ए पर्सनल हिस्ट्री' में कश्मीर के नक्शे का गलत चित्रण (लेबलिंग) किया गया था;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक इस संबंधी में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) इमरान खान लिखित "पाकिस्तान: ए पर्सनल हिस्ट्री" नामक पुस्तक के बाहरी और पृष्ठ आवरणों पर उत्तर-पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों को चित्रात्मक पृष्ठभूमि और कलात्मक कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। यह चित्रण केवल रेखांकन, और यहां तक कि अस्पष्ट है और इसमें कोई राजनीतिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय सीमा को दर्शाने वाला विवरण शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

गुटका/पान मसाला के पदार्थों पर अध्ययन

4525. राजकुमारी रत्ना सिंह:
डॉ. संजय सिंह:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिगरेट-गुटका-पान मसाला और अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न वस्तुओं के घटकों के लिए विनियामक मानइंडों और सीमाओं का ब्यौरा क्या है और देश में इसे लागू करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) उपर्युक्त नियमों और मानदंडों के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दोषी विनिर्माताओं के विरुद्ध अभी तक की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में निर्मित सिगरेट गुटका, पान मसाला और अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं के घटकों के और ऐसी वस्तुओं के सेवन के दुष्प्रभाव के संबंध में कोई व्यापक विश्लेषण और अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने सहित इस पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) हमारे देश में सिगरेटों के अवयवों के लिए फिलहाल कोई विनियामक मानक मौजूद नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजना) विनियमावली, 2011 के विनियम 2.11.5 में पान मसाला के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 1 अगस्त, 2011 जारी की गई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री

पर प्रतिबंध एवं रोक) विनियामावली, 2011 में निर्धारित किया गया है कि तंबाकू तथा निकोटीन का किसी खाद्य उत्पाद में अवयवों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। **गोदावत पान मसाला बनाम भारत संघ, 200497), एससीसी 68** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिशा दिया है। कि "चूंकि पान मसाला, गुटखा अथवा सुपारी को स्वाद एवं पोषण के लिए खाया जाता है इसलिए वे सभी (खाद्य अपमिश्रण निवारण) अधिनियम की धारा 2 (V) के अभिप्राय के तहत पदार्थ हैं।" वस्तुतः इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ पठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी किए गए दिनांक 1 अगस्त, 2011 के विनियम के आधार पर गुटखा उत्पाद खाद्य पदार्थ हैं जिनमें तंबाकू एवं निकाटीन होते हैं और उनके विनिर्माण, बिक्री अथवा भंडारण की कानून के तहत अनुमति नहीं है। उसी विनियम के आधार पर पान मसाला, यदि इसमें तंबाकू एवं निकाटीन हो, का विनिटीन हो, का विनिर्माण या बिक्री नहीं की जा सकती है।

इस मंत्रालय ने दिनांक 1 अगस्त, 2011 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं रोक) विनियमावली, 2011 को सख्ती से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पत्र लिखे हैं। मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़ तथा मिजोरम ने इस विनियम के अनुसार अपने राज्यों में तंबाकू/निकोटीन वाल गुटखे तथा पान मसाले की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अब तक आदेश/अधिसूचना जारी कर दी है।

(ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त विनियमों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अधीन खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की है। इसलिए उपर्युक्त नियमों तथा मानकों का उल्लंघन करने वाले सूचित मामलों की संख्या के संबंध में सूचना इस मंत्रालय के पास नहीं है।

(ग) और (घ) अंकुर गुटखा बनाम भारतीय अस्थामा सोसाइटी (एसएलपी 16308/2007) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में, देश में विनिर्मित अंतर्वस्तुओं गुटखा, तंबाकू, पान मसाला तथा ऐसे अन्या पदार्थों की अंतर्वस्तुओं तथा ऐसी सामग्री के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के परामर्श से एक व्यापक अध्ययन सामग्री तैयार की गई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय को पेश की गई। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है।

(ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की है तथा सभी तंबाकू उत्पादों की अंतर्वस्तुओं तथा निस्सरण की जांच करने के लिए चार क्षेत्रीय जांच प्रयोगशालाओं तथा एक शीर्ष प्रयोगशाला की पहचान की है।

[अनुवाद]

अंग दान दर

4526. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में देश में अंग दान की दर कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम अंग दान दर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में अंग और उत्तक बैंक के लिए जैव सामग्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्यों/प्रयोजन का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने अंग दान करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई जागरुकता कार्यक्रम आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा यथासूचित स्पेन, यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस तथा बेल्जियम जैसे देशों में अंगदान कर दरें भारत की दर की अपेक्षा अधिक हैं।

निम्न अंगदान के मुख्य कारणों में से एक कारण अंगदान के प्रति जागरुकता का अभाव तथा मनोवृत्ति है।

(ग) और (घ) सरकार ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऊतक बैंकिंग के लिए राष्ट्रीय जैव-सामग्री केन्द्र (राष्ट्रीय ऊतक बैंक) की स्थापना करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। इस केन्द्र की स्थापना करने का मुख्य बल तथा उद्देश्य विभिन्न

ऊतकों की उपलब्धता में 'मांग' एवं 'पूर्ति' तथा गुणवत्ता आश्वासन के बीच अंतराल को पाटना है।

राष्ट्रीय जैव-सामग्री केन्द्र के भवन के सिविल एवं वैद्युत कार्य पर करीब 2 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।

(ङ) जी हां, आम लोगों में अंगदान के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए छठा विश्व तथा प्रथम भारतीय अंगदान दिवस समारोह 27 तथा 28 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए। द्वितीय भारतीय अंगदान दिवस लोगों के बीच अंगदान के संदेश पर बल देने तथा इसका प्रसार करने के लिए 28 नवम्बर, 2011 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

इसके अलावा, अंग तथा ऊतक दान के लिए लोगों में जागरुकता को बढ़ाने के लिए सस्थ्य एवं परिवार कलयाण, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बंगलुरू, हैदराबाद, पुदुचेरी, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ तथा तिरुवनंतपुरम शहरों में "अंगदान जागरुकता कार्यशालाएं" आयोजित की गईं।

तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

4527. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री रवनीत सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आरसीसी) ने सरकार से गुटका और पान मसाला सहित विभिन्न तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां निकोटीन और तम्बाकू वाली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) क्या प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात उपर्युक्त राज्यों में गुटका, तम्बाकू, पान मसाला और इसी प्रकार की वस्तुओं की अधिक कीमतों पर अवैध विपणन और बिक्री के मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश भर में गुटका, तम्बाकू, पान मसाला और अन्य प्रकार के तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 14 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के निदेशकों ने देश में गुटका और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध की अपील करते हुए सरकार को पत्र लिखे हैं। उपर्युक्त पत्र देश में उत्पादित गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला और ऐसे अन्य पदार्थों के अवयवों तथा ऐसे पदार्थों के सेवन से हानिकारक प्रभावों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्लयू), नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से तैयार की गई तथा अंकुर गुटखा बनाम भारतीय अस्थमा सोसाइटी (एसएलपी 16308/2007) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्दो के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के हिस्से हैं।

(ख) मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़ और मिजोरम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन जारी दिनांक 1 अगस्त, 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिषेध और बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आदेश/अधिसूचनाएं जारी की हैं, जो खाद्य उत्पादों में निकोटिन और तम्बाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती है।

(ग) और (घ) उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और उपर्युक्त विनियमों का प्रवर्तन करने का उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्तों का है। अत: गुटखे, तम्बाकू, पान मसाला और ऐसे अन्य पदार्थों की उच्च मूल्य पर बिक्री और अवैध विपणन से संबंधित सूचना इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि इस मंत्रालय ने इन विनियमों के कड़े क्रियान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को लिखा है।

(ङ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 को जारी खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिषेध और बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 में यह निर्धारित है कि तम्बाकू और निकोटिन को किसी भी खाद्य पदार्थ में अवयव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोदावत पान मसाला बनाम भारत संघ 2004 (7) एससीसी 68 में यह निर्णय दिया है कि "चूंकि पान मसाला, गुटखा और सुपारी जायके और पोषाहार के लिए खाए जाते हैं अत: वे अधिनियम (खाद्य अपमिश्रण निवारण) की धारा 2 (वी) के अर्थों में पूर्ण

खाद्य पदार्थ हैं।" इसलिए इस मुद्दे पर मानवीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ पठित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी एक अगस्त 2011 के विनियम के द्वारा गुटखा उत्पाद तम्बाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पाद हैं और उनका उत्पादन, बिक्री और भंडारण कानून के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है। इसी विनियम के कारण पान मसाले को इसमें तम्बाकू और निकोटिन होने पर इसका उत्पादन और बिक्री नहीं की जा सकती है।

इस मंत्रालय ने दिनांक एक अगस्त, 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिषेध और बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 को कड़ाई से क्रियान्वित करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को लिखा है।

विमानन क्षेत्र में संकट

4528. श्री सी. शिवासामी:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) के अनुसार भारत के विमानन क्षेत्र में अनेक प्रकार के संकट विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2012 को आयोजित सत्र में अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि भारत का विमानन सेक्टर बहुआयामी संकट के दौर से गुजर रहा है।

(ग) इस मंत्रालय में आयटा से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंगोला में बंधक बनाए गए श्रमिक

4529. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अंगोला में 1000 से अधिक भारतीय श्रमिकों को कथित रूप से बंधक बना लिया गया था और उस कंपनी, जिसमें वह कार्य कर रहे थे, के द्वारा यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंगोला सरकार के साथ उच्च स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अंगोला सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अंगोला में कार्यरत भारतीयों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी नहीं। सुम्बे, अंगोला में ईटीए स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ कार्यरत भारतीय कामगार नकद अमरीकी डालर में ओरवटाइम भत्ते न प्राप्त होने की वजह से 16 अप्रैल, 2012 से हड़ताल पर चले गए थे। 9 मई, 2012 को कामगारों ने आपना आंदोलन तीव्र कर दिया। अंगोलन पुलिस, सहित, कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसके दौरान एक कामगार को गोली लग गई। हिंसा की घटना के पश्चात, पुलिस द्वारा 59 कामगारों को कस्टडी में ले लिया गया। उन सभी को अब भारत वापस भेज दिया गया है।

ईटीए स्टार के कर्मचारियों के एक बड़ी संख्या में पासपोर्ट, जो र्क वीजा जारी करने के लिए अंगोला के आप्रवासन विभाग के पास लंबित थे, अब कामगारों द्वारा प्राप्त हो गया है। बाद में प्रबंधन द्वारा ओवरटाइम देयों, कल्याण, पासपोर्ट आदि के संबंध में उपयुक्त उपय करने के पश्चात् परियोजना वापिस सामान्य हो गई है।

(ग) और (घ) 27 मई, 2012 को श्री एस.एम. कृष्णा, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार ने उनके अंगोलन काउंटरपार्ट मि. जॉर्ज चिकोटी से बातचीत की और एक तात्कालिक आधार पर शांतिपूर्वक सभी बकाया मामलों का निपटारा करने का आग्रह किया। मिशन के प्रमुख ने भी मि. जोयाक्विम डेविड, मिनिस्ट ऑफ जियोलॉजी, माइनिंग एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अंगोला और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अंगोला में संबंधित प्राधिकारियों से भी मुलाकात की और मामले को उठाया। गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अंगोला

में संबंधित प्राधिकारियों ने आश्वस्त किया कि के सुम्बे में स्थिति को मॉनिटर करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से घटित होने से बचा जा सके। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के साथ अंगोलन प्राधिकारियों द्वारा अब तक वर्क वीजा के साथ लगभग 650 पासपोर्ट रिलीज कर दिए गए हैं।

(ङ) अंगोला में रहने वाले/कार्य करने वाले भारतीयों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से, भारतीय दूतावास, लुआंडा ने "इंडिया इंटरेस्ट ग्रुप" नामक एक ग्रुप स्थापित किया है, जिसमें या तो अंगोला में स्वतंत्र कारोबार करने वाले अथवा व्यावसायिक सेवाओं में लगे विशिष्ट भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। मिशन प्रमुख कामगारों सहित, भारतीय समुदाय के कल्याण और खैरियत का पता लगाने के लिए, ग्रुप के सदस्यों से नियमित रूप से विचार-विमर्श करते हैं।

एयरलाइनों का सुरक्षा आंकलन (ऑडिट)

4530. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते हुए वित्तीय संकट के कारण घाटे में चल रही एयरलाइनें अपने-अपने विमान अथवा कार्मिकों पर आवश्यक धनराशि खर्च नहीं कर पा रही है और इस प्रकार वे विमान सुरक्षा से समझौता कर रही हैं, क्या डी.जी.सी.ए. का देश में सभी एयरलाइनों का सुरक्षा आंकलन (ऑडिट) करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.जी.सी.ए. द्वारा इस प्रकार का आंकलन (ऑडिट) कब कराया गया था और उस समय पर प्रकाश में आयी खामियों का एयरलाइंस-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आंकलनों में इंगित की गई खामियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या देश में प्रचालित एयरलाइंस विमानों और अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण पर आवश्यक धनराशि व्यय नहीं कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) एयरलाइनों द्वारा विमान संरक्षा के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियमित संरक्षा आडिट किए जाते हैं। डीजीसीए ने वर्ष 2012 के लिए वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तथा विनियामक आडिट योजना तैयार की है तथा इसे अपनी वेबसाइट www.dgca.nic.in पर प्रकाशित किया है।

05 अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों की आडिट की गई है। डीजीसीए द्वारा की गई विनियामक आडिट टिप्पणियों का एयरलाइन-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विमान कंपनी का नाम	टिप्पणियों की संख्या
1.	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	77
2.	जेट एयरवेज	23
3.	किंगफिशर	35
4.	गो एयर	10
5.	इंडिगो	12

मुख्य आडिट टिप्पणियां कर्मी दल की उड़ानयोग्यता, विमान संरक्षा, डिस्पैच, उड़ानपूर्व चिकित्सीय जांच, रैम्प निरीक्षण तथा विमान प्रचालन एवं प्रशिक्षण से संबंधित है।

(ङ) और (च) सभी प्रचालकों द्वारा वायुयान नियम, लागू नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) तथा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना अपेक्षित है। प्रचालकों द्वारा लागू नियमों एवं नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डीजीसीए द्वारा नियमित आडिट, निगरानी तथा मौके पर जांच की जाती है।

विद्युत प्रशुल्क

4531. श्री यशवीर सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना और चितरंगी विद्युत परियोजना से सृजित विद्युत के लिए प्रशुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को संचालित करने वाली विद्युत कंपनी इन परियोजनाओं से सृजित विद्युत के लिए भिन्न-भिन्न प्रशुल्क का उद्ग्रहण कर रही है और इससे उसे अपत्याशित लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारामक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) को 1.19 रुपए प्रति यूनिट का मूल्यांकन किए गए समानीकृत (लेवलाइज्ड) प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया द्वारा रिलायंस पावर लि. (आरपीएल) को प्रदान की गई थी। मै. चितरंगी पावर लि. से आरपीएल द्वारा उद्धृत किए गए समानीकृत प्रशुल्क मध्य प्रदेश के लिए 2.45 रुपए प्रति यूनिट और उत्तर प्रदेश के लिए 3.702 रुपए प्रति यूनिट है। दोनों विद्युत परियोजनाओं की लागत और प्रशुल्क तुलनीय नहीं है। सासन यूएमपीपी और चितरंगी पावर परियोजना अभी चालू की जानी है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी

4532. श्री प्रेम दास राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना में नए सीएचसी, पीएचसी और एसएचसी स्थापित करने के लिए सरकार द्वा क्या अनुमान किया गया है और क्या ये अनुमान भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारत ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 के अनुसार, देशभर में जनसंख्या नार्म के मुताबिक अपेक्षित, विद्यमान और कम/अधिक उप केन्द्रों (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सीएचसी, पीएचसी और एससी के भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) को वर्ष 2012 में संशोधित कर दिया गया है। इसलिए नवीनतम आईपीएचएस के अनुरूप एससी, पीएचसी, और सीएचसी से संबंधित कोई आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएसएस) ने जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और एससी के मामले में अवसंरचना, सुविधाओं और सेवाओं के लिये कुछ न्यूनतम अपेक्षाएं तय की हैं तथापि, इसमें नये सीएचसी, पीएचसी और एससी के गठन के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

भारत में 2011 आबादी के अनुसार (मार्च 2011 को) स्वास्थ्य अवसंरचना में कमी (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र की कुल आबादी	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित जनजातीय आबादी	उप-केन्द्र			पीएचसी			सीएचसी		
				आर	पी	एस	आर	पी	एसै	आर	पी	एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	5,63,11,78	47,23,312	11892	12522	*	1955	1624	331	488	281	207
2.	अरुणाचल प्रदेश	10,69,165	7,44,996	313	286	27	48	97	*	12	48	*
3.	असम	2,67,80,51	36,38,841	5841	4604	1237	953	938	15	238	108	130
4.	बिहार	9,20,75,02	8,89,200	18533	9696	8837	3083	1863	1220	770	70	700
5.	छत्तीसगढ़	1,96,03,65	73,77,058	4904	5076	*	776	741	35	194	148	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	गोवा	5,51,41	155	110	175	*	18	19	-	4	5	*
7.	गुजरात	3,46,70.81	75,00,509	7934	7274	660	1280	1123	157	320	305	15
8.	हरियाणा	1,65,31,49	-	3306	2508	798	551	444	107	137	107	30
9.	हिमाचल प्रदेश	61,67,80	2,66,701	1269	2067	*	210	453	*	52	76	*
10.	जम्मू और कश्मीर	91,34,820	12,62,945	1995	1907	88	325	397	*	81	83	*
11.	झारखंड	2,50,36,946	77,67,269	6043	3958	2085	964	330	634	241	188	53
12.	कर्नाटक	3,75,52,529	31,58,558	7931	8870	*	1304	2310	*	326	180	146
13.	केरल	1,74,55,506	2,59,169	3525	4575	4	586	809	*	146	224	*
14.	मध्य प्रदेश	5,25,37,899	1,35,50,258	12314	8869	3445	1977	1156	821	494	333	161
15.	महाराष्ट्र	6,15,45,441	82,60,697	13410	10580	2830	2189	1809	380	547	365	182
16.	मणिपुर	18,99,624	8,42,941	492	420	72	77	80	*	19	16	3
17.	मेघालय	23,68,971	21,37,702	758	405	353	114	109	5	28	29	-
18.	मिजोरम	5,29,037	5,09,316	173	370	*	26	57	*	6	9	*
19.	नागालैंड	14,06,861	13,18,698	457	396	61	68	126	*	17	21	*
20.	ओडिशा	3,49,51,234	85,99,849	8136	6688	1448	1308	1228	80	327	377	*
21.	पंजाब	1,73,16,800	-	3463	2950	53	577	446	131	144	129	15
22.	राजस्थान	5,15,40,236	79,97,599	11374	11487	*	1851	1517	334	462	376	86
23.	सिक्किम	4,55,962	96,608	104	146	*	16	24	*	4	2	2
24.	तमिलनाडु	3,71,89,229	5,86,930	7516	8706	*	1249	1204	45	312	385	*
25.	त्रिपुरा	27,10,051	9,88,644	673	632	41	106	79	27	26	11	15
26.	उत्तराखंड	70,25,583	2,67,438	1440	1765	*	238	239	*	59	55	4
27.	उत्तर प्रदेश	15,51,11,022	1,12,898	31037	20521	10516	5172	3692	1480	1293	515	778
28.	पश्चिम बंगाल	6,22,13,676	44,56,160	13036	10356	2680	2148	909	1239	537	348	189
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,44,411	28,985	52	114	*	8	19	*	2	4	*
30.	चंडीगढ़	29,004	-	5	17	*	0	0	0	0	2	*
31.	दादरा और नगर हवेली	1,83,024	1,37,149	54	30	4	8	6	2	2	1	1
32.	दमन और दीव	60,331	6,693	12	26	*	2	3	*	0	2	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	दिल्ली	4,19,319	-	83	41	42	13	8	5	3	0	3
34.	लक्षद्वीप	14,121	13,503	4	14	*	0	4	*	0	3	*
35.	पुदुचेरी	3,94,341	-	78	53	25	13	24	*	3	3	0
	भारत	83,30,87,662	8,75,00,780	178267	148124	35762	29213	23887	7041	7294	4809	2766

टिप्पणी: जनगणना 2011 से अनंतिम ग्रामीण आबादी के आधार पर निर्धारित नार्म के सहारे और 2011 की ग्रामीण आबादी से जनजातीय आबादी के प्रतिशत के प्रतिशत का इस्तेमाल करके कमियों की परिगणना होती है। कमियों के राल्य-वार आंकड़ों को जोड़कर और कुछ राज्यों के मौजूदा आधिक्य को परे रखकर अखिल भारतीय कमी निकाली जाती है।

आर- पअेक्षित पी- विद्यमान एस- कमी-आधिक्य

नवीकरणीय स्रोतों से सृजित विद्युत का वितरण

4533. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सृजित विद्युत का देश भर में पृथक पारेषण लाइनों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर होने वाले व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं। इस समय अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत को राज्य के इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से पारेषित किया जा रहा है जहां पर उत्पादन स्टेशन स्थित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

4534. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विगत कई वर्षों के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए अनेक मिलियन डालर खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या किस हद तक जनसंख्या वृद्धि रुक पायी है; और

(ग) उक्त कोष से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का भारत सरकार के बजट के माध्यम से मुख्य रूप से वित्त पोषित प्रजनन एवं बाल स्वस्थ्य कार्यक्रम में पिछले चार वर्षों के दौरान योगदान का ब्यौरा इस प्रकार है।

वर्ष	राशि यूएस डॉलर में
2008	44,00,000
2009	50,00,000
2010	31,19,475
2011	33,00,000
कुल	1,58,19,475

भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001-2011 के दौरान दशकीय वृद्धि की प्रतिशतता में स्वतंत्रता से सबसे अधिक कमी दर कर गई। इसकी प्रतिशतता 1981-1991 में 23.87 प्रतिशत से कम होकर 19912-2001 की अवधि में 21.54 प्रतिशत तक रह गई है, अर्थात् इसमें 2.33 प्रतिशतता की कमी हुई है। वर्ष 2001-2011 में दशकीय वृद्धि 17.64 प्रतिशम कम हो गई है अर्थात् इसमें 3.90 प्रतिशतता की कमी हुई है।

(ग) सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है जिसमें जनसंख्या स्तरीकरण प्राप्त करने के लिए समग्रवादी दृष्टिकोण की व्यवस्था है। यह नीति स्वैच्छिक और सोची-समझी पसंद के लिए और प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों की सहमति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

* लाभार्थियों के द्वार पर गर्भनिरोधक प्रदान करने के लिए आशाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए नई शुरू की गई इस योजना को 17 राज्यों के 233 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा गर्भनिरोधक को द्वार पर ही प्रदान करने की अपने प्रयास के लिए लाभार्थियों से एक नाममात्र की धनराशि, अर्थात् 3 कंडोमों के एक पैक के लिए एक रुपया, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के एक चक्र के लिए रुपए और आपाती गर्भनिरोधक की एक गोली के पैकेट के लिए दो रुपया ले रही है।
* भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पकालीन आईयूसीडी, सीयू आईयूसीडी 375 शुरू किया है।
* बंध्यकरण सेवाओं के स्वीकारकर्ताओं और इसें प्रदायकों के लिए मुआवजा के पैकेजों को बढ़ाना।
* बंध्यकरण के कारण होने वाली किसी दुर्घटना को कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू करना।
* दीर्घकालिक आईयूडी-380-ए को बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की एक विधि के रूप में बढ़ावा देना।
* संस्थागत प्रसवों में प्रयाप्त वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ करना।
* नॉन स्केल-पेल पुरूष बंध्याकरण की विधियों के माध्यम से पुरूष सहभागिता को बढ़ावा देना।
* मिनी लेब बंध्याकरण के बारे में डॉक्टरों का प्रशिक्षण।
* बंध्याकरण सेवाओं के प्रावधान को बढ़ाने के लिए निजी प्रदायकों को सूचीबद्ध करना।

[अनुवाद]

प्रजनन अक्षमता के मामले

4535. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्लयू) में प्रजनन अक्षमता के कितने मामले आए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि अनुसार एनआईएचएफडब्ल्यू को कुल कुल कितना अनुदान दिया गया और तत्संबंधी उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्रों से सीटीआईओ की संख्या सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत एनआईएचएफडब्ल्यू से निधियां प्राप्त करने वाले केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं (सीटीआई) का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनआईएचएफडब्लयू की रोगी दौरों को पांच कार्य दिवसों के बजाय चयनित दिनों तक सीमित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) एनआरएचएम के अंतर्गत एनआईएचएफडब्ल्यू में चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान निपटाए गए प्रजनन-अक्षमता संबंधी मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

नये मामले	-	2649
महिला अनुवर्ती मामले	-	18167
पुरुष अनुवर्ती मामले	-	9067
कुल	-	29883

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान 1 अप्रैल, 2009 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनआईएचएफडब्ल्यू को आरंभिक शेष सहित कुल 136.62 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये थे जिसमें से उक्त अवधि के दौरान एनआईएचएफडब्ल्यू ने 133.32 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनआईएचएफडब्ल्यू ने प्रशिक्षण के लिये निजी क्षेत्र सहित कुल 18 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों को निधियां जारी कीं। इन सीटीआई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सप्ताह के सभी कार्य-दिवसों में रोगियों की जांच होती है।

(ङ) एनआईएचएफडब्लयू में प्रजनन-क्षमता अभाव संबंधी मामलों की जांच करने के लिए डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त है।

विवरण

18 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची जिन्हें निधियां जारी की गईं

क्र.सं.	सीटीआई के नाम
1.	भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, हैदराबाद
2.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, गुवाहाटी
3.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पटना
4.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अहमदाबाद
5.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, केन्द्र, शिमला
6.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पंचकुला
7.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, बेंगलुरू
8.	केरल राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, थाईकॉड
9.	राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन और संप्रेषण संस्थान, ग्वालियर
10.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, भुवनेश्वर
11.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, मोहाली
12.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
13.	जन स्वास्थ्य संस्थान पुनामाली
14.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ
15.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, कोलकाता
16.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, रायपुर
17.	चाइल्ड इन नीड संस्था, कोलकाता (एनजीओ)
18.	किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, पुणे (एनजीओ)

सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

4536. श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रोत्साहन के लिए सेंन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (सीएफटीआई) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा और स्वरूप क्या है;

(घ) इन संस्थानों में दिए जाने वाला प्रशिक्षण अन्य संस्थानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण से किस प्रकार भिन्न है;

(ङ) सीएफटीआई से एमएसएमई क्षेत्र किस हद तक लाभान्वित हुआ है;

(च) क्या सरक़ार का देश में ऐसे और संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) दो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई) चेन्नई और आगरा में स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान फुटवियर एवं संबद्ध उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा एमएसएमई उद्यमों को डिजाइनिंग सहित सामान्य सुविधा सेवा, तकनीकी प्रबंधकीय परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) सीएफटीआई फुटवियर एवं संबद्ध उद्योगों के लिए दीर्घावधि एवं अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं दीर्घावधि पाठ्यक्रम जो एक वर्ष अथवा दो वर्षों की अवधि के हैं, फुटवियर प्रोद्योगिकी और डिजाइनिंग से संबंधित हैं। 1 माह से 6 माह की अवधि के अल्पावधि पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटरीकृत शू डिजाइनिंग, शू अपर क्लिकिंग, अपर क्लोजिंग इत्यादि जैसे विषय तथा एमएसएमई उद्यमों के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम शामिल हैं।

(घ) सीएफटीआई स्व-रोजगार पर केन्द्रित फुटवियर विनिर्माण तकनीकों पर सख्त हैंड-ऑन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसमें नवीन उत्पाद विकास पर भी जोर दिया जाता है। ये संस्थान "फुटवियर मैन्यूफैक्चरिंग एवं डिजाइनिंग" में एक दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश भी करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाईल संस्थान, यू. के. से अधिकृत है, जो कि फुटवियर एवं टेक्सटाईल के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सीएफटीआई द्वारा प्रशिक्षित

प्रशिक्षुओं की संख्या तथा लाभान्वित इकाइयों की संख्या निम्नोक्त है:

प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या

संस्थान का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
सीएफटीआई, आगरा	5022	5336	5603
सीएफटीआई, चेन्नै	8345	8912	10525

सहायता प्रदत्त एमएसएमई इकाइयों की संख्या

संस्थान का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
सीएफटीआई, चेन्नै	1095	1562	1354
सीएफटीआई, आगरा	475	528	569

(च) और (छ) वर्तमान में ऐसे और संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेंटावलैंट टीके की प्रभावकारिता

4537. श्री खगेन दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ किए गए पेंटावलैंट टीके की सुरक्षा पहलुओं और प्रभावकारिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल और तमिलनाडु में उक्त टीकों के निष्पादन के बारे में आंकड़ों का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) "पेंटावेलैंट वैक्सीन" को इस वेक्सीन की निरापदता और प्रभावकारिता की जांच करके भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा लाइसेंस दिया गया है और इनका उसमें विहित उत्तम विनिर्माण परिपाटियों के अनुरूप होना अपेक्षित होता है। इसके अलावा सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के अंतर्गत वैक्सीन का प्रत्येक बैच केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रमाणीकरण के उपरांत ही जारी किया जाता है।

प्रकाशित अध्ययन से प्राप्त सूचना के आधार पर पेंटावेलैंट वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है।

(ख) और (ग) पेंटावेलैंट वैक्सीनेशन केरल और तमिलनाडु में दिसम्बर, 2011 से शुरू किया गया है। पेंटावेलैंट वैक्सीन की तमिलनाडु में 14.97 लाख खुराकें तथा और केरल में 6.85 लाख खुराकें बच्चों को जुलाई 2012 तक पिलाई गईं।

[हिन्दी]

खादी उद्योगों को ऋण

4538. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी क्षेत्र को ब्याज रहित/कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना बंद कर दिया है बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्णय का बाद खादी क्षेत्र पर कुल बकाया ऋण राशि पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं। वर्तमान में केवीआईसी खादी के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (आईएसईसी) की योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत खादी संस्थान 4% की सब्सिडीकृत दर पर बैंक वित्त प्राप्त कर सकते हैं और ब्याज की शेष राशि की पूर्ति केवीआईसी द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बजटीय आबंटन

4539. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजटीय आबंटन तथा धनराशि के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजटीय आबंटन का उपयोग नहीं किया जा सका तथा इस धनराशि को वापस लौटा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) 11वीं योजना के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में वर्षवार बजटीय आबंटन तथा निधियों की उपयोगिता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2	3	4
2007-08	1719.71	1719.71	1524.32
2008-09	2121.00	1970.00	1805.27
2009-10	3205.50	2000.00	1996.7453
2010-11	3206.50	3206.70	3236.4818
2011-12	3727.01	3723.01	3623.5628

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय 11वीं योजना अवधि के दौरान अपने बजटीय आबंटन का उपयोग नहीं कर सका तथा निधियां लौटा दी गईं। वर्षवार लौटाई गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, तथा III में दिया गया है।

विवरण I

जनजातीय कार्य मंत्रालय
राजस्व योजना (स्वीकृति)
2007-2008 (मांग सं. 93)

(हजार रु. में)

शीर्ष का नाम	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	शीर्ष सं.	लौटाया गया	लौटाने हेतु कारण
1	2	3	4	5	6	7
जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास			102	01.00.31	2692	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास नामक नई योजना का आवश्यक अनुमोदन वित्त मंत्रालय से केवल जून, 2007 में ही प्राप्त किया जा सक था, अत: निधियों की आवश्यकता घटा दी गई
आदिम जनजातीय समूहों का विकास			277	05.00.31	5611	एनजीओ से प्रस्तावों के अभाव के कारण
अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य			277	09.00.31	50	निधियों के पुन: विनियोग के लिए सांकेतिक अनुपूरक जो वित्त मंत्रालय द्वारा पहले अनुपूरक के वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया था, के कारण
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना			277	11.00.31	11655	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी शिक्षा के संस्थान की योजना			277	14.00.31	89370	संस्थान से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
विदेश में अध्ययनों के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2225	02		15.00.31	8641	2004-05 तथा 2005-06 के दौरान चयनित 10 अभ्यर्थियों में से केवल 2 ने पाठ्यक्रम ज्वाइन किये हैं

1	2	3	4	5	6	7
ट्राइफेड में निवेश/मूल्य सर्मान				20.00.31	92174	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास नामक नई योजना का आवश्यक अनुमोदन वित्त मंत्रालय से केवल जून, 2007 में ही प्राप्त किया जा सक था, अत: निधियों की आवश्यकता घटा दी गई
अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा,			800	21.00.26	2650	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
				21.00.31	9859	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
निगरानी एवं मूल्यांकन				22.00.50	1400	वर्ष के दौरान योजना को प्रचालनात्मक नहीं बनाया जा सका।
राष्ट्रीय जनजाति कार्य संस्थान				25.00.31	800	वर्ष के दौरान योजना को प्रचालनात्मक नहीं बनाया जा सका
				25.00.50	2000	
2225 का कुल					**238761**	
सूचना प्रौद्योगिकी	2251		00.090	16.99.50	4230	आईटी उपस्कारों की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, अत: बचत लौटा दी गई
कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओं को सहायता अनुदान	3602	04	360	04.00.31	2000	संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावों के अभाव के कारण
अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य				02.00.31	10000	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	2552		221	07.00.31	2000	प्रस्ताव बहुत विलंब से प्राप्त हुए। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अंतिम माह के दौरान निर्मुक्तियां तथा अग्रिम की प्रकृति अनुमत नहीं थी।
जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाला फॉकेटों में शिक्षा परिसर			222	02.00.31	2500	पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव के अभाव के कारण
2225 का कुल				**32500**		
2225/2251/3602/3663 का कुल योग				**277491**		

विवरण II

जनजातीय कार्य मंत्रालय
मांग संख्या 93-जनजातीय कार्य मंत्रालय
अभ्यर्पित (राजस्व-योजना) प्रभारी
2007-2008 (मांग सं. 93)

(हजार रु. में)

शीर्ष का नाम	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	शीर्ष सं.	राशि	लौटाने हेतु कारण
जनजातीय योजना के तहत योजना		01	104	02.00.31	1384457	टीएसपी को एससीए के मामले में वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की अप्रस्तुति तथा ग्रामों के विकास के मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय की टिप्पणियों के साथ परियोजना प्रस्तावों की विलंब से प्राप्ति
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना		02	014	03.00.31	97231	राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र की अप्रस्तुति के कारण
लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास निगम	3601	03	360	01.00.31	15200	प्रस्ताव बहुत विलंब से प्राप्त हुए। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अंतिम माह के दौरान निर्मुक्तियां तथा अग्रिम की प्रकृति अनुमत नहीं थी
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रतिभा उन्नयन की योजना		03	360	06.0031	3672	विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य		03	360	13.00.31	4539	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
कुल					1505099	

विवरण III

लौटाने के ब्यौरे
पूंजी-योजना (स्वीकृति)
मांग संख्या 94
2008-2009
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(हजार रु. में)

योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	शीर्ष सं.	अभ्यर्पित	लौटाने हेतु कारण
1	2	3	4	5	6	7
ट्राईफेड में निवेश/मूल्य समर्थन	4225	2	102	02.00.54	100	इस समय ट्राईफेड की इक्विटी शेयर पूंजी में कोई अन्य निवेश इस समय संभव नहीं है, क्योंकि हमारा निवेश पहले ही काफी अधिक है (99% से अधिक)

1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन		80	190	13.00.54	500000	ईएफसी अनुमोदन की आवश्यकता के लिए
	कुल				500100	
	कुल योग				500100	

राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना

4540. श्री इज्यराज सिंह:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यकारी माताओं हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना के तहत दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण देश के कुछ भागों में योजना को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के जवाब की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मंत्रालय को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के खिलाफ शिशु गृहों के प्रबंधन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव के अनुसार, मंत्रालय ने शिकायतों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का सौंप दी है।

भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू) और इसकी राज्य इकाइयों के मामले में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी इस मंत्रालय द्वारा जांच की गई और आईसीसीडब्ल्यू के स्पष्टीकरण। टिप्पणियों पर विचार करने के बाद शिकायत में लाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें एडवाइजरी जारी की गई।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

4541. श्री पी. कुमार: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के पब्लिक इंटरनेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेटसी संगठन ने किसी निजी कंपनी पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1-15 फरवरी, 2012 के अपने अंक में "डाउन टू अर्थ" पत्रिका में एक लेख छपा था जिसमें एनवीवीएन के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) क 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्कीम के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में आरोप लगाए गए थे।

(ग) राष्ट्रीय सौर मिशन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में अपनी पत्रिका "डाउन टू अर्थ" के माध्यम से विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएई) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समित गठित की गई थी। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु स्वच्छ ऊर्जा

4542. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) ने "ग्रामीण विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा" परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ कोई ऋण समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्नत ऊर्जा पहुंच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर तथारोजगार सृजित करने के लिए धनराशि का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना अधिसूचित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) ने "ग्रामीण विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा" शीर्षक के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण व्यवस्था के लिए 100 मिलियन यूरो के ऋण हेतु केएफडब्लयू, जर्मनी के साथ 30 मार्च 2012 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) और (घ) यह ऋण मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के पुन: वित्तपोषण के लिए है। ऋण की उपलब्धता से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बेहतर तरीके से वित्तपोषित करने में आरईसी की क्षमता में सुधार हुआ है।

(ङ) और (च) केएफडब्लयू के साथ आरईसी के करार के अनुसार, यह राशि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 31.12.2017 तक पुन: वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु उपलब्ध है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय

4543. श्री जगदानंद सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य सामान्य जातियों की तुलना में जनजातीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनजातीय लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) सांख्यिकी एवं कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना अनुसार सामाजिक समूहवार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (सामाजिक समूहवार) की राज्यवार प्रतिशतता संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इत्यादि जैसे अन्य मंत्रालय के प्रयासों को पूरा करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय गरीबी रेख से नीचे (बीपीएल) की अनुसूचि जनजातियों की रोजगार की रोजगार सह आय सृजनकारी गतिविधियों के लिए "जनजातीय उपयोजना को विशेष सहायता (टीएसपी को एससीए)" के शीर्षक वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य मांग आधारित आय सृजन को बढ़ावा देना है और जनजातीय लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को उठाना है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे (सामाजिक समूह-वार) की जनसंख्या की राज्य-वार प्रतिशतता-2004-05

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		एसटी	एससी	ओबीसी	अन्य	एसटी	एससी	ओबीसी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	15.4	9.5	4.1	50.0	39.9	28.9	20.6
2.	असम	14.1	27.7	18.8	25.4	4.8	8.6	8.6	4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	53.3	64	37.8	26.6	57.2	67.2	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	33.9	29.2	41.0	52.0	52.7	21.4
5.	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	10.6	9.4	35.8	18.3	6.4
6.	गुजरात	34.7	21.8	19.1	4.8	21.4	16.0	22.9	7.0
7.	हरियाणा	0.0	26.8	13.9	4.2	4.6	33.4	22.5	5.9
8.	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	9.1	6.4	2.4	5.6	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	5.2	10.0	3.3	0.0	13.7	4.8	7.8
10.	झारखंड	54.2	57.9	40.2	37.1	54.1	57.2	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	20.9	13.8	58.3	50.6	39.1	20.3
12.	केरल	44.3	21.6	13.7	6.6	19.2	32.5	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	58.6	42.8	29.6	13.4	44.7	67.3	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	23.9	18.9	40.4	43.2	35.6	26.8
15.	ओडिशा	75.6	50.2	36.9	23.4	61.8	72.6	50.2	28.9
16.	पंजाब	30.7	14.6	10.6	2.2	2.1	16.1	8.4	2.9
17.	राजस्थान	32.6	28.7	13.1	8.2	24.1	52.1	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	32.6	31.2	19.8	19.1	32.5	40.2	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	32.9	19.7	37.4	44.9	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	44.8	33.5	65.4	65.7	46.5	25.5
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	29.5	18.3	27.5	25.7	28.5	10.4	13.0
	अखिल भारतीय	**47.3**	**36.8**	**26.7**	**16.1**	**33.3**	**39.9**	**31.4**	**16.0**

आख्यान एससी = अनुसूचित जातियां, = अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी = अन्य पिछड़ा वर्ग

[अनुवाद]

विदेशी दूतावासों द्वारा भारत के प्रति भेदभाव

4544. श्री मानिक टैगौर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में विभिन्न दूतावासों में कार्यरत भारतीयों को उनके विदेशी समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) मंत्रालय को नई दिल्ली में एक दूतावास में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों की ओर से किए गए एक ऐसे अभ्यावेदन के बारे

में हाल ही में अवगत कराया गया है। मंत्रालय ने संबंधित दूतावास का इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया है।

टौंगयास समुदाय

4545. श्री वरुण गांधी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टौंगयास समुदाय का पुनर्वास करने तथा उन्हें विधिक पहचान दिलाने के लिए कोई कदम उठा रही है; ताकि वे लोग गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) संबंधी कार्ड तथा बैंक ऋण प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) टौंगयास समुदाय देश में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं है। मंत्रालय को किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विदेश सेवा हेतु भर्ती

4546. डॉ. शशि थरूर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की भर्ती हेतु कोई अलग परीक्षा कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है और वह संस्थान सरकारी सेवा के अधिकारियों के लिए आवश्यक योग्यताओं का मूल्यांकन करने और प्रतिभा की पहचान करने के लिए अपेक्षित क्षमता और अनुभव से युक्त है।

अफगानिस्तान में कोल खनन पर समझौता ज्ञापन

4547. श्री प्रेम दास राय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत के प्रधानमंत्री तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और भारतीय विदेश मंत्री तथा उनके अफगानी समकक्ष के बीच हुई बैठकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) इन बैठकों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित सूची में दिया गया है:-

2012

* प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त, 2012 को तेहरान, ईरान में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति हमीद करजाई से मुलाकत थी।
* अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 28 जून, 2012 को अफगानिस्तान विषयक दिल्ली निवेश शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात की।
* अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 1 मई, 2012 को भारत-अफगानिस्तान सहभागिता परिषद की उद्घाटन बैठक में भाग लेने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात की।

2011

* प्रधानमंत्री ने 11 नवम्बर, 2011 को मालदीव में सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति करजई से मुलाकत की।
* प्रधानमंत्री ने 4-5 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रपति करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे मुलाकत की, जिसके दौरान भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक सहभागिता करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।
* प्रधानमंत्री ने 12-13 मई, 2011 को अपनी काबुल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति करजई से मुलाकत की।
* प्रधानमंत्री ने 2-3 फरवरी, 2011 को राष्ट्रपति करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे मुलाकत की।
* विदेश मंत्री ने 8-9 जनवरी, 2011 को अपनी काबुल यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की।

2010

* अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 23-24 अगस्त, 2010 को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की।

* विदेश मंत्री ने काबुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19-21 जुलाई, 2010 को अपनी काबुल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति करजई तथा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

* राष्ट्रपति करजई तथा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने थिम्पू, भूटान में सार्क सम्मेलन में जाते हुए राष्ट्रपति करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान 24 अप्रैल, 2010 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

2009

* विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति करजई के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 18-19 नवम्बर, 2009 को अपनी अफगानिस्तान यात्रा के दौरान राष्ट्रपति करजई तथा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

* अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 25-28 जुलाई, 2009 को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की।

* प्रधानमंत्री ने 11-12 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान करजई से मुलाकात की।

(ख) विभिन्न बैठकों से दोनों के नेताओं को द्विपक्षीय संबंध में मजबूत बनाने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदा-प्रदान करने का अवसर मिला। इन विचार-विमर्श से अन्य बातों के साथ-साथ अफगानिस्तान की सरकार तथा लोगों को अफगानिस्तान के लिए भारत के अविचलित समर्थन के बारे में पुन:आश्वस्त करने, अफगानिस्तान के लोगों के लाभ के लिए हमारी विकास सहायता में विस्तार करने, अफगानिस्तान के लिए भारत की दीर्घावधि प्रतिबद्धता को 2014 के बाद तक बढ़ाने, विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग में विस्तार करने, अफगानिस्तान में तथा अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश संवर्धित करने तथा अक्तूबर, 2011 में राष्ट्रपति करजई की भारत यात्रा के दौरान अफगानिस्तान तथा भारत के बीच हमारे संबंधों के स्वरूप को पूर्णतया सहायता आधारित विकास सहभागिता से व्यापक बनाकर रणनीतिक सहभागिता करार तक ले जाने में सहायता मिली है तथा इसे अफगानिस्तान एवं भारत के बीच हस्ताक्षरित करार के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विकास हेतु धनराशि

4548. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास/बढ़ावा देने के लिए धनराशि के आवंटन को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों के मध्य बढ़ी हुई धनराशि के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के दौरान पर्यटन के विकास/बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) जी हां, 12वीं योजना के लिए पर्यटन पर कार्यकारी समूह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित 5156.00 करोड़ रु. की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास/संवर्धन के लिए 22800.00 करोड़ रु. की अनुशंसा की है। वर्ष 2012-13 के लिए 1210.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता पारस्परिक प्राथमिकता और दिश-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं।

[अनुवाद]

ट्रुथ सेरम के रूप में सोडियम पेंटोथाल का इस्तेमाल

4549. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ट्रुथ सेरम के नाम से आमतौर पर जाने वाले सोडियम पेंटोथाल के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की ओर आकृष्ट किया गया है। जिसका इस्तेमाल जानकारी प्राप्त करने के लिए नार्को विश्लेषण में ऐसे व्यक्तियों पर किया जाता है जो जानकारी देने के अनिच्छुक रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नार्को विश्लेषण के लिए सोडियम पेंटोथाल के इस्तेमाल पर कुछेक देशों में प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। सभी संवेदनाहरण औषधों की तरह थिओपेंटल (पेंटोथाल) से हृदयवाहिका और श्वसनी अवसाद होता है जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोटेंशन, एप्निया और वायुमार्ग अवरोध (एयरवेज आब्सट्रक्शन) होता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा यथा सूचित विगत 20 वर्षों से ज्यादा के दौरान सोडियम पेंटोथाल के इस्तेमाल के संबंध में कोई पवमेड संसाधन नहीं है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा यथा सूचित और विधिक सेवा भारत-2010 के अनुसार नार्को विश्लेषण जांच देश में 5.5.2010 से पहले प्रयोग में थी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.05.2010 ने यह निर्णय दिया कि नार्को, पोलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जांच संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है।

बाल पुनर्वास केन्द्र

4550. श्री प्रदीप माझी:
श्री किशनभाई वी. पटेल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के महानगरों में बाल पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे केन्द्रों के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) देश में ऐसे केन्द्रों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसे केन्द्रों से लाभान्वित बच्चों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) ये केन्द्र किस हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए, वर्ष 2009-10 से समेकित बालक संरक्षण स्कीम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। समेकित बालक संरक्षण स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चों के पुनर्वास तथा सामाजिक पुनर्गठन के लिए मेट्रो शहरों सहित शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के गृहों विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) तथा मुक्त आश्रयों की स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य है, आश्रय, भोजन तथा चिकित्सा देखभाल, परामर्शी सेवाएं, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं आदि तथा दत्तक, प्रायोजन तथा पालन-पोषण देखभाल जैसा भी बच्चे के लिए उपयुक्त हो, के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल अवसर प्रदान करना।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान समेकित बालक संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के गृहों, मुक्त आश्रयों तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) समेकित बालक संरक्षण स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन गृहों, मुक्त आश्रयों तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजन्सियों (एसएए) के तहत शामिल किए गए बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से भेजी गई सूचना के अनुसार लाभान्वित को सेवाएं लाभान्वितों को समेकित बालक संरक्षण स्कीम के मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती है।

विवरण I

वर्ष 2011-12 के दौरान समेकित बालक संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के गृहों, मुक्त आश्रयों तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गृह	मुक्त आश्रय	विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	102	17	23

1	2	3	4	5
2.	असम	7	3	5
3.	बिहार	14	–	2
4.	छत्तीसगढ़	13	–	–
5.	गुजरात	57	–	9
6.	हरियाणा	9	–	1
7.	हिमाचल प्रदेश	22	2	1
8.	झारखंड	16	–	3
9.	कर्नाटक	63	15	23
10.	केरल	28	3	14
11.	मध्य प्रदेश	24	–	14
12.	महाराष्ट्र	91	4	17
13.	मणिपुर	13	1	1
14.	मेघालय	18	–	–
15.	मिजोरम	4	–	4
16.	नागालैंड	12	1	4
17.	ओडिशा	27	–	18
18.	पंजाब	15	–	5
19.	राजस्थान	63	2	5
20.	सिक्किम	5	–	1
21.	तमिलनाडु	41	14	18
22.	त्रिपुरा	11	3	9
23.	उत्तर प्रदेश	61	18	5
24.	पश्चिम बंगाल	55	22	14
25.	चंडीगढ़	–	1	–
26.	दिल्ली	25	13	–
27.	पुदुचेरी	6	2	–
	कुल	802	121	196

विवरण II

गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के गृहों, मुक्त आश्रयों तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) के तहत शामिल लाभान्वितों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार तथा वर्ष वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (04.09.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4644	6667	6841	-
2.	असम	1010	773	835	336
3.	बिहार	-	815	719	-
4.	छत्तीसगढ़	415	-	415	-
5.	गुजरात	5534	4762	2035	-
6.	हरियाणा	364	371	371	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	1733	-
8.	झारखंड	-	-	674	-
9.	कर्नाटक	4392	3831	4283	2655
10.	केरल	1254	1431	1230	-
11.	मध्य प्रदेश	-	-	741	-
12.	महाराष्ट्र	-	54158	4394	4900
13.	मणिपुर	630	605	542	-
14.	मेघालय	-	86	446	-
15.	मिजोरम	-	265	152	-
16.	नागालैंड	100	-	642	-
17.	ओडिशा	680	3163	1479	-
18.	पंजाब	-	-	446	-
19.	राजस्थान	4620	150	3974	-
20.	सिक्किम	-	-	238	-
21.	तमिलनाडु	2772	2697	2912	-
22.	त्रिपुरा	-	383	548	-
23.	उत्तर प्रदेश	-	-	4800	-

1	2	3	4	5	6
24.	पश्चिम बंगाल	10425	11232	6279	3211
25.	चंडीगढ़	–	–	300	–
26.	दिल्ली	–	1904	2822	–
27.	पुदुचेरी	–	267	267	–
	कुल	36840	93560	50118	14327

बी.आर.जी.एफ. के तहत धनराशि के आबंटन हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन

4551. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ग्राम पंचायत के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत धनराशि के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अभिघात केन्द्रों की स्थापना

4552. श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देशभर में नए सरकारी अस्पतालों में अभिघात सुविधा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार/संघ क्षेत्र पहचाने गए अस्पतालों का ब्यौरा क्या है एवं इस प्रयोजन हेतु अपनाए गए मापदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में बिहार और झारखंड सहित कुछ राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार ने राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अभिघात पीड़ितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं व अभिघात केन्द्रों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सरकारी अस्पताल के चयन के लिए मानदंड राष्ट्रीय राजमार्गों (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-प्रदेश दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारों को छोड़कर) अर्थात् (i) राजधानी वाले शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गों (ii) राजधानी वाले शहरों को छोड़कर दो बड़े शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गों (iii) विमानपत्तन/समुद्रपत्तन वाली राजधानी को जोड़ने वाले राजमार्गों (iv) राजधानी वाले शहरों के औद्योगिक नगर-क्षेत्र को जोड़ने वाले राजमार्गों तथा (v) जनजातीय पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्र से गुजराने वाले राजमार्गों पर स्थित संस्थाएं हैं।

कुछ राज्यों अर्थात् झारखंड, गुजरात, नागालैंड तथा पंजाब ने 12वीं योजना दौरान अभिघात परिचर्या सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए अस्पतालों को शामिल करने हेतु उनकी एक सूची दी है। अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

एम्बुलेंस सेवाओं तथा नामोदिष्ट अभिघात केन्द्रों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित करने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,

एनएचएआई तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

एम.सी.आई., डी.सी.आई., पी.सी.आई. और आई.एन.सी. में भ्रष्टाचार

4553. श्री जे.एम. आरुन रशीद:
योगी आदित्यनाथ:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई), भारतीय दंत परिषद (डीसीआई), भारतीय भेषज परिषद (पीसीआई) तथा इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (आईएनसी) में भ्रष्टाचार के कथित मामलों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों की जांच की गई है, कितने अधिकारी/डाक्टर दोषी पाये गए हैं तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों वाले केछ एमसीआई के अधिकारियों के विश्व चिकित्सा संघ (डब्लयूएमए) में मनोनीत किए जाने पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) डॉ. केतन देसाई पूर्व अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, को वर्ष 2009 में जब वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष के पद पर थे, डब्ल्यूएमए के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने की रिपोर्ट थी। उनको वेनकूवर, कनाडा में 13-16 अक्तूबर, 2010 को होने वाली बैठक के दौरान अध्यक्ष, डब्ल्यूएमए का प्रभार संभावना था। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने डॉ. केतन देसाई को डब्ल्यूएमए का प्रभार सौंपने की कार्रवाई को रोकने के लिए डब्ल्यूएमए से अनुरोध किया क्योंकि भारत में उनको अभ्यारोपित किया गया था। उसी समय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने भी इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ उठाया था तथा इस अन्वेषण अभिकरण से यह अनुरोध किया था कि उनको उक्त बैठक में भाग लेने के लिए देश से बाहर न जाने दिया जाए।

विवरण

भ्रष्टाचार के सूचित मामले

काउंसिल का नाम	पिछले तीन वर्षों और वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामले	जांच-पड़ताल किए गए मामलों की संख्या	की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई
एनसीआई	115*	33**	दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई/करने की सिफारिश की गई है।
डीसीआई	01	01	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
पीसीआई	शून्य	शून्य	-
आईएनसी	01	01	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने न्यायालय में एक पूरक पत्र दाखिल कर दिया है।

* 03.01.2011 से 31.08.2012 तक

** जिन मामलों में प्राथमिक पूछताछ की गई है।

एनआरएचएम के कार्यक्षेत्र का विस्तार

4554. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री अर्जुन राय:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री सी. शिवासामी:
श्री सुखदेव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कार्यक्षेत्र, परिधि और कवरेज का सभी शहरों और नगरों में विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु चयनित/चयन हेतु प्रस्तावित शहरों और नगरों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है/करने का प्रस्ताव है तथा देश में सभी शहरों व नगरों तक एनआरएचएम का विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) शहर में रहने वाले लोगों विशेषकर गरीबों और अति संवेदनशील लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के संबंध में राज्यों को दी जाने वाली सहायता में विस्तार करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास है। प्रस्ताव संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एनआरएचएम के अन्तर्गत थेराप्यूटिक टैबलेट्स का वितरण

4555. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत विद्यालयों में थेरापटिक टैबलेट्स का वितरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में वितरित टैबलेट्स के प्रतिकूल प्रभावों के कुछ मामलों का संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। तथापि, यह स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया प्रस्ताव नहीं है।

(ख) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और म्यूनिसिपल स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए जब भी अपेक्षित हो, रोगों, अल्पता और विकलांगता की द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच और द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के साथ एम्पर्क रखना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सीय (थेरास्पूटिक) गोलियों की अल्पतम नुस्खा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक भाग है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जांच के दौरान बच्चों को छोटी-छोटी बीमारियों के उसी समय उपचार के लिए राज्य सरकारों द्वारा विकसित अनिवार्य औषध सूची में से औषधें दी जाती हैं। इन अनिवार्य औषध सूचियों को विशेषज्ञों से परामर्श लेते हुए तैयार किया जाता है।

किशोरों (स्कूली बच्चों समेत) में पोषणिक अल्पता को दूर करने के लिए किशोरों (स्कूल में 10-19 वर्ष) और किशोरियों (स्कूल में और स्कूल से बाहर 10-19 वर्षों की) के लिए हाल ही में साप्ताहिक लौह व फॉलिक अम्ल पूरक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम में 52 सप्ताह के लिए देश-रेख में लौह व फॉलिक अम्ल की पूरक खुराक औा दो वर्ष में एक बार एल्बेन्डेजोल (कीड़े मारने की दवा) गोली खिलाए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए धन के लिए अनुरोध करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसमें स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शामिल है, के अंतर्गत पृथक कार्यक्रमों/संघटकों के लिए धन का आबंटन किया जाता है। चिकित्सीय गोलियों के लिए पृथक आबंटन नहीं किया जाता है, अत: स्कूल स्वासयि कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सीय गोलियों को पृथक रूप से आबंटन/व्यय की आशा नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) कुछ परिस्थितियों में जब खाली पेट खाई जाएं तो लौह व फॉलिक अम्ल की गोलियों (आईएफए) से कुछ मात्रा में मतली और उल्टी हो सकती हैं आईएफए के मामले में असम में मतली और उल्टी के कुछ मामलों और एक मामले में मेअेन्डेजोल अनुक्रिया जिसकी पुष्टि नहीं की गई, की सूचना दी गई है।

मतली व उल्टी के रूप में दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन के पश्चात और अथवा यह सुनिश्चित करके कि बच्चे का पेट खाली नहीं है, उसे प्रत्यक्ष देख-रेख में लौह व फॉलिक अम्ल की गोलियां खिलाई जाएंगी। मतली टालने के लिए लौह व फॉलिक अम्ल की गोलियों के तकनीकी विनिर्देशनों को संशोधित किया गया है। साप्ताहिक लौह व फॉलिक अम्ल पूरक खुराक कार्यक्रम को हटाने से पहले इसी के बारे में जनता को शिक्षि करने के लिए जन-प्रचार आधारित सम्प्रेषण साधन (रेडिया, दूरदर्शन व मुद्रण) तैयार किए गए हैं।

विवरण

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष-वार अनुमोदन और उपयोग (लाख रुपए में)

2012-13 में शुरू की गई साप्ताहिक लौह व फॉलिक अम्ल की पूरक खुराक (लाख में)

	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	2012-13	
		स्वीकृत राशि	व्यय	स्वीकृत राशि	व्यय	स्वीकृत राशि	व्यय	स्वीकृत राशि	आइएफए	अल्बेंडेजोल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने वाले राज्य**									
1.	बिहार	1,531.85	176.31	1,200.00	602.82	1,500,00	191.90	2,539.74	129.00	247.21
2.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	86.50	3.31	18.50	1.68	1,527.78	40.76	4.22
3.	हिमाचल प्रदेश	260.54	90.94	452.35	237.92	275.84	191.39	419.53	28.00	0.00
4.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	66.50	6.94	2.45
5.	झारखंड*	115.50	0.90	505.38	164.29	215.42	111.07	1,372.08	795.60	140.25
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	50.00	20.22	50.00	22.93	0.00	398.35	78.14
7.	ओडिशा	686.84	197,79	783.77	360.15	788.69	586.51	1,569.61	343.20	33.00
8.	राजस्थान	140.00	126.23	202.00	42.81	240.60	202.30	423.66	387.00	387.00
9.	उत्तर प्रदेश	571.17	438.67	680.32	646.94	729.36	36.05	13,723.57	219.50	137.54
10.	उत्तराखंड	177.16	109.61	282.59	219.30	518.70	376.40	641.02	171.37	15.06
	कुल योग	3,483.06	1,140.45	4,257.91	2,287.76	4,337.11	1,720.23	22,283.49	2,321.96	793.44
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**									
11.	अरुणाचल प्रदेश	10.08	5.52	31.20	15.60	8.83	22.36	0.00	109.82	3.83
12.	असम	0.00	0.00	1,337.54	0.00	236.94	446.51	1,991.43	1,513.41	
13.	मणिपुर	40.00	9.96	18.00	4.72	3.00	4.03	85.62	27.40	7.70
14.	मेघालय	39.16	5.77	28.89	14.99	21.79	1.31	126.62	38.01	8.69

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मिजोरम	8.70	6.30	5.00	5.00	63.28	33,90	27.85		
16.	नागालैंड	15.00	0.00	50.44	0.00	41.87	25.39	313.83	24.29	53,20
17.	सिक्किम	39.82	2.43	11.79	18.20	8.85	8.40	38.89	6.30	0.60
18.	त्रिपुरा	27.32	41.87	101.80	26.05	128.77	16.80	18.87	3.64	1.43
	कुल योग	180.08	71,85	1,584.66	84.56	513.33	558.70	2,603.12	1,722.87	75.45
ग. अधिक ध्यान केन्द्रित न किए जाने वाले राज्य										
19.	आंध्र प्रदेश*	0.00	0.00	1,083.85	29.29	1,014.36	463,49	2,395.61	312.00	58.00
20.	गोवा	0.50	0.05	28.40	18.85	8.20	9.11	68.28	13.00	3.00
21.	गुजरात	500.00	1,087.66	800.00	785.61	800.00	155.77	1,500.00	334.00	55.90
22.	हरियाणा	128.46	9.94	141.00	1.06	148.14	73.14	182.26	83.00	
23.	कर्नाटक	0.00	0.00	1,100.00	0.00	820.70	440.78	737.98	261.00	40.00
24.	केरल	285.84	311.13	342.00	246.33	550.00	306.35	577.49	193.44	12480
25.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	3,941.83	3,696.87	3,277.29	3,493.99	2,037.69	1,837.99	1,281.13
26.	पंजाब	200.00	0.00	690.00	0.00	630.00	401 .84	1,105.27	65.00	50.00
27.	तमिलनाडु	0.00	0.00	206.03	0.00	1,194.17	20.14	1,186.69	396.46	8211
28.	पश्चिम बंगाल	1,113.01	845.98	1,610.00	70.50	182.34	114.09	3,488.15	987.73	303.92
	कुल जोड़	2,444.12	2,254.76	9,943.11	4,848.51	8,625.20	5,478.71	13,279.42	4,483.62	1,998.86
ङ छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	4.00	3.49	52.85	11.04	44.16	6.33	11.96
30.	चंडीगढ़	0.60	0.00	110.26	0.00	129.64	78.02	48.15	4.00	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	4.50	0.00	62.66	34.75	53.79	24.30	4.53
32.	दम	1.25	0.00	0.50	0.00	4.66	4.27	11.56	7.00	0.40
33.	दिल्ली	0.00	0.00	536.66	0.00	0.00	0.00	5.90		
34.	लक्षद्वीप	4.86	0.00	20.00	2.54	13.18	0.00	5.50		
35.	पुदुचेरी	9.00	4.27	25.50	10.18	5.20	3.34	5.44	44.00	1.70
	कुल योग	15.71	4.27	701.42	16.21	268.19	131.41	174.50	85.63	18.59
	कुल योग	6,122.97	3,471.33	14,902.44	7,247.04	13,743.83	7,889.04	38,340.53	8,614.08	2,886.34

शेष पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंतिम अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपेक्षित परिवर्तनों के लिए लंबित है।

घरेलू हिंसा

4556. श्री निशिकांत दुबे:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भावनात्मक, यौनिक और शारीरिक हिंसा सहित घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में उपलब्ध अघतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत क्रमशः 7803, 11718 और 9431 मामले दर्ज किए गए, जो मिली-जुली प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के आंकड़ों के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 35.4% महिलाएं तथा किसी भी आयु में विवाहित लगभग 40% महिलाओं के साथ शारीरिक या यौन हिंसा हुई। सभी महिलाओं में से 6.7% के साथ शारीरिक और यौन दोनों प्रकार की घरेलू हिंसा हुई है। इसके अलावा, आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक और यौन दोनों प्रकार की घरेलू हिंसा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को 26 अक्तूबर, 2006 से लागू किया गया। सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से समय समय पर अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करने, सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करने तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि को अधिसूचित करने के लिए कहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के संरक्षण को कड़ाई से लागू करने का सुझाव देते हुए एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए कानून लागू करने के तंत्र को संवेदनशील बनाने हेतु राज्यों को सुझाव दिया गया है।

रिक्त चिकित्सा सीटें

4557. श्री के. सुगुमार:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया से संबद्ध कुछ चिकित्सा कॉलेजों सहित रिक्त पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इनको भरने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने देश में कुछ चिकित्सा कॉलेजों में पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को कम किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कॉलेज-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सभी चिकित्सा कॉलेजों की स्नातकपूर्व सीटें सामान्यतया प्रति वर्ष पूरी क्षमता तक भर जाती हैं। तथापि, वर्ष 2012-13 के मौजूदा शैक्षिक वर्ष के दौरान नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत ग्यारह स्नातकोत्तर सीटों को इन सीटों से चयनित अभ्यर्थियों के त्यागपत्र की वजह से अभ्यर्पित किया गया था।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 के मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के अनुसार, एमबीबीएस की 1300 सीटों वाले बारह चिकित्सा कॉलेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा नवीनीकरण अनुमति प्रदान नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस की 1300 सीटें कम हो गई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा स्नातकोत्तर सीटों में कोई कमी नहीं की गई है।

एअर इंडिया द्वारा विमानों को पट्टे पर देना

4558. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री ओम प्रकाश यादव:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के गंभीर घाटे की प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार के पास इसका निजीकरण करने तथा इसके विमानों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने एअर इंडिया के अनेक पायलटों और इसकी सहयोगी कंपनियों के विरुद्ध बड़ा अर्थदंड लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक कितने पायलटों को ड्रामलाइनर विमान उड़ाने के लिए चुना गया है तथा उनके चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा एअर इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनियों के अतिरिक्त स्टाफ को कार्यामुक्त करने तथा इसके विमानों को पट्टे पर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ड्रिमलाइनर विमानों को उड़ाने के लिए अब तक 65 पायलटों का चयन किया गया है। उनके चयन के लिए अपनाया गया मानदंड यह है कि 1.5.2012 की स्थिति के अनुसार पायलट की आयु 53 वर्ष से कम होनी चाहिए और प्रशिक्षण के पश्चात एअर इंडिया में कम से कम पांच वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

(च) जनशक्ति के इस्टतम उपयोग को तर्कसंगत बनाने के लिए और टर्नअराउंड योजना (टीएपी) के रूप में एअर इंडिया ने कंपनी के उन सभी स्थायी तथा नियमित कर्मचारियों जो भारतीय वेतनमान में हैं और जिन्होंने कंपनी के उन सभी स्थायी तथा नियमित कर्मचारियों जो भारतीय वेतनमान में हैं और जिन्होंने कंपनी में कम से कम 15 वर्ष की अविछिन्न सेवा की है तथा जो स्कीम के समाप्त होने की तिथि तक कम से कम 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) अनुमोदित की है। अपने कार्य की अपेक्षाओं के भाग के रूप में नागर विमानन महानिदेशालय से लाइसेंस/अनुमति धारक कर्मचारी जैसे कि विमान इंजीनियर, पायलट, सिम्यूलेटर अनुरक्षण इंजिनियर, अनुमोदित विमान डिस्पैचर, सेवा इंजीनियर आदि इसके पात्र नहीं हैं। प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का कुल लक्ष्य लगभग 5000 कर्मचारी हैं।

इंफ्लूएंजा ए एचवनएवन के लिए स्वदेशी टीके

4559. **श्री नित्यानन्द प्रधान:**
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इंफ्लूएंजा एएचवनएनवन के लिए स्वदेशी टीकों के विकास हेतु स्वदेशी टीके निर्माताओं के लिए निर्धारित धनराशि तथा जारी की गई धनराशि कंपनी-वार कितनी है;

(ख) क्या देश में इंफ्लूएंजा एएचवनएनवन के लिए स्वदेशी टीकों के विकास में कोई विलंब देखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इंफ्लूएंजा एएचएनएनवन के लिए स्वदेशी टीकों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) देश में इंफ्लूएंजा एएचएनएनवन हेतु स्वदेशी टीकों की विकास प्रक्रिया तीव्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) तीन वैक्सीन विनिर्माण कंपनियों नामत: (1) पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड (2) मैसर्स भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड तथा (3) मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड में से प्रत्येक को देशी इन्फ्लूएंजा एएच1 एन1 वैक्सीन के विकास के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम के रूप में दी गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इंफ्लूएंजा एएच1एन1 वैक्सीन की देश में विनिर्माण एवं विपणन किए जाने की अनुमति है।

ईको-पर्यटन नीति

4560. श्री समीर भुजबल:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ईको-पर्यटन नीति का विकास करने में तथा ईको-पर्यटन बोर्ड के गठन में दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ईको-पर्यटन जिलों की संकल्पना का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किन-किन जिलों की पहचान की गई है; और

(ङ) इको-पर्यटन परियोजनाओं हेतु वेन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र सरकार के पास क्या तंत्र उपलब्ध है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) ईको-पर्यटन परियोजनाओं का विकास, संवर्धन एवं कार्यान्वयन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनके साथ परामर्श से पहचान की गई ईको-पर्यटन परियोजनाओं सहित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने अपनी स्वयं की ईको-पर्यटन नीतियां तैयार की हैं। मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक के अपने स्वयं ईको-पर्यटन विकास बोर्ड हैं।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने देश में ईको-पर्यटन जिलों की संकल्पना का विकास नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित राज्य स्तरीय निगरानी समितियां ईको-पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। पर्यटन मंत्रालय अपने अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले स्थल निरीक्षणों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ की जाने वाली समीक्षा बैठकों और पर्यटन मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से ईको-पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है।

[हिन्दी]

मरीजों के परिचरों के लिए आश्रम का प्रबंध

4561. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय संस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित सरकारी अस्पतालों में मरीजों के परिचरों के लिए आश्रम उपलब्ध कराए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की योजना सरकारी अस्पतालों में मरीजों के परिचरों के लिए धर्मशाला जैसे आश्रम बनाने की है; और

(ग) मरीजों के परिचरों को समुचित रूप से आश्रम देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेवारी होती है कि वह रोगियों के परिचारकों आश्रय सहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। जहां तक तीनों सरकारी अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. आरएमएल अस्पताल और एलएचएमसी और श्रीमती एस.के. अस्पताल का संबंध है; रोगियों के परिचारकों के लिये आश्रयों की व्यवस्था पर्याप्त है। डॉ. आरएमएल अस्पताल में चार मंजिला धर्मशाला निर्माण की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है और निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है।

जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का संबंध है; इसमें रोगी और उनके परिचारकों के लिए तीन धर्मशालाएं हैं।

[अनुवाद]

हवाई-अड्डों पर एडीबीएस प्रणाली

4562. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में उड़ रहे हेलीकॉप्टरों की स्थिति की जानकारी रखने के लिए हवाई अड्डों पर स्वचालित निर्भर उपग्रह प्रसारण (एडीबीएस) प्रणाली का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोक्त प्रणाली, विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से विकसित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रणाली का विकास करने के लिए किसी सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या एएआई ने हेलीकॉप्टरों के लिए शीघ्र समूह निकटता चेतावनी प्रणाली लगाना भी अनिवार्य कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का ऑटोमैटिक डिपेन्डेन्स ससर्विलांस'ब्राडकास्ट (एडीएस-बी) सिस्टम का विकास करने की कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है। एडीएस-बी, राडार जैसी एक नई सर्विलांस प्रोद्योगिकी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की अपेक्षाओं के अनुसार कई देशों ने कार्यान्वित किया है।

तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्जन प्रक्रिया के माध्यम से एडीएस-बी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है और देश में 14 स्थानों पर इस प्रौद्योगिकी को लगा रही है।

(ङ) और (च) एवियोनिक्स से संबंधित मामला होने के कारण नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विनियामक है। नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) सेक्शन 8 सीरीज 'ओ' भाग 4 के अनुसार, उपकरण उड़ान नियम (आईएफआर) के अनुरूप प्रचालन करते समय 31.12.2012 के बाद बेड़े में शामिल और 3175 किग्रा. से अधिक अधिकतम प्रमाणित टेक ऑफ मास वाले या 9 से अधिक अधिकतम यात्री सीटिंग क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों को एक भू-समीपता चेतावनी प्रणाली से सज्जित किया जाएगा, जिसमें एक आगे देखने वाला टेरेन अवायडेन्स फंक्शन है। तथापि, यह अपेक्षा देश में पहले से प्रचालनरत हेलीकॉप्टरों के लिए 01.01.2014 से लागू होगी।

विदेश मंत्री की चीन यात्रा

4563. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में भारत के विदेश मंत्री के साथ हाल की एक बैठक में चीनी विदेश मंत्री ने दो देशों के बीच बढ़ते व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों का और विस्तार करने के लिए भारत में संभवत: चेन्नै में चौथा मिशन खोलने का मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन ने भारतीय नगरों के साथ सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने में रुचि ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत और चीन एक दूसरे के देश में अतिरिक्त प्रधान कोंसलावास खोलने की संभावना पर बातचीत कर रहे हैं।

(ग) और (घ) मार्च 2012 में चीन के विदेश मंत्री की भारतीय यात्रा के दौरान यह सहमति हुई थी कि "दोनों देशों के बीच प्रान्तीय और स्थानीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का विदेश मंत्रालय और चाइना इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज एसोसिएशन एक व्यापक करार निष्पन्न करेंगे।"

याच मरीना परियोजनाएं

4564. श्री विष्णु पद राय: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में उतरने के बाद विदेशी पर्यटक याच मरीना के लिए प्रस्थान करेंगे या वे याच मरीना में वाइपर द्वीप सीधे पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पूर्व रक्षा मंत्रालय अर्थात् नौसेना मुख्यालय, थल सेना, वायु सेना, तटरक्षक, सचल गोदी से अनुमति प्राप्त की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) पर्यटन गंतव्यों तथा उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनके साथ परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि याच मरीना परियोजना में वाइपर द्वीप के समुद्रतट पर विकसित किये जाने वाले मरीना में 50 याच पार्क करने के लिए विचार किया गया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड ने वाइपर द्वीप पर मरीना के विकास के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। विदेशी जहाजों के आने की औपचारिकताओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता होने पर सुरक्षा दृष्टिकोण से परिसम्पत्तियों पर चौकसी करने से संबंधित कार्यकारी मामलों को निपटाया जाएगा।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों से विवाह करने संबंधी कानून

4565. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन भारतीय महिलाओं, जिन्होंने किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी नागरिक से शादी की और या तो अपने पति द्वारा त्याग दी गई और विवाहोपरांत प्रताड़ित की गई, को विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कानून बनाया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्राइफेड

4566. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में जनजातियों द्वार उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लि. (ट्राइफेड) के बिक्री केन्द्रों/कंसाइनमेंट बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त बिक्री केन्द्रों में हस्तशिल्पियों की भागीदारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा के हस्तशिल्पियों को राज्य में उनकी संख्या/जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) ट्राइफेड ने विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित सामान के विपणन के लिए निम्नलिखित नए ओवन बिक्री केन्द्र खोले हैं तथा सरकार/अन्य एजेंसियों के साथ समझौता किया है:-

1. स्थापित ओवेन बिक्री केन्द्र

वर्ष	राज्य	में स्थापित बिक्री केन्द्र
2009-10	मध्य प्रदेश	भोपाल
	दिल्ली	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली
	ओडिशा	भुवनेश्वर

2010-11	हिमाचल प्रदेश	शिमला
	महाराष्ट्र	मुंबई
	मध्य प्रदेश	इंदौर
2011-12	हिमाचल प्रदेश	मनाली
	गुजरात	सूरत
	राजस्थान	जयपुर
2012-13 (03.09.2012 तक)	दिल्ली	होटल "दी आशोक", नई दिल्ली
	मध्य प्रदेश	खजुराहो
	कुल	11(ग्यारह)

2. सरकारों/अन्य एजेंसियों के साथ समझौता:

वर्ष	राज्य	में प्रेषण बिक्री केन्द्र
2009-10	मध्य प्रदेश	मृगनयनी, इंदौर
	झारखंड	बिपोनी, जमशेदपुर
	राजस्थान	नीमराण पैलेस
2010-11	बिहार	सोनाली, पटना
2011-12	तमिलनाडु	पूमपुहार, कोयंबटूर
	केरल	कावेरी, एर्नाकुलम
	गोवा	डीएफएस, गोवा
2012-13 (03.09.2012 तक)	शून्य	शून्य
	कुल	7 (सात)

(ख) इन बिक्री केन्द्रों में कारीगरों की कोई सीधी भागीदारी नहीं है। तथापि, इन बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रदर्शित या बेचे गए सभी उत्पाद संपूर्ण देश में स्थित पैनलबद्ध जनजातीय आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त होते हैं।

(ग) ओडिशा में 84 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को पैनलबद्ध किया गया है जिनसे उत्पादों की खरीद की जा रही है। ये सभी कलाकृतियां उड़ीसा में अपने पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से ट्राइफेड द्वारा प्राप्त हो रही हैं जिन्हें संपूर्ण देश में स्थित अपने स्वयं के बिक्री केन्द्रों और प्रेषण के आधार पर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया तथा बेचा जाता है।

(घ) जनजातीय कारीगरों को पर्याप्त अवसर देने के लिए, ट्राइफेड जनजातीय निवासियों वाले जिलों में जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम मेला) आयोजित करता है तथा विभिन्न शिल्पों जैसे जनजातीय चित्रकारी, डोकरा (धातु) शिल्प, सबाई ग्रास, प्रलाक्षा शिल्प, गोटा-पट्टा कार्य इत्यादि में हस्तशिल्प विका प्रशिक्षण प्रदान करता है। ट्राइफेड राष्ट्रीय जनजातीय क्राफ्ट एक्सपोर्ट जिसे "आदिशिल्प" कहा जाता है तथा "आदिचित्र" नामक चित्रकारी प्रदर्शनियों जहां ट्राईफेड के साथ पैनलबद्ध जनजातीय कलाकारों की चयनित

चित्रकारियां बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती हैं, भी आयोजित करता है। ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों से प्राप्त जनजातीय उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉसिल फॉर हैंडीक्रॉफ्ट्स (ईपीसीएच)/इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेता है। ट्राइफेड ने दिल्ली हसॉट, आईएनए में एक शो रूम तथा दिल्ली हॉट, पीतमपुरा दिल्ली में 8 स्टाल दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, नई दिल्ली से पट्टे पर लिए हैं जहां जनजातीय कला प्रदर्शित की जाती है तथा इन्हें बेचा जाता है। पैनलबद्ध कारीगरों को लाइव डेमोस्ट्रेशन तथा उपभोगताओं को प्रत्यक्ष रूप से उनकी कलाकृतियों को बेचने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है।

बेरोजागर युवाओं को प्रशिक्षण

4567. श्री मनोहर तिरकी:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री अशोक तंवर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित बेराजगार युवाओं एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण देता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दिए गए ऐसे प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आज की तिथि तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) में उद्यमियों की लिंग-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 2006-07 के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की चौथी अखिल भारतीय गणना जिसके लिए आंकड़े 2009 तक एकत्र किए गए और नतीजे 2011-12 में प्रकाशित हुए के अनुसार देश में एमएसएमई क्षेत्र में लिंगवार और राज्यवार उद्यमों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीपी) के तहत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के मामले मे लाभार्थी योगदान 10 प्रतिशत और महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के मामले में 5 प्रतिशत है।

व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (टीआरईएडी) योजना के तहत महिलाओं को व्यापार संबंधी प्रशिक्षण, सूचना और परामर्श दिए जाते हैं।

एनएसआईसी, केवीआईसी और कॉयर बोर्ड के माध्यम से अंतरर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए सहायता का स्तर सामान्य श्रेणी के उद्यमियों की तुलना में महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों के मामले में अधिक है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.08.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	642	440	238	108

1	2	3	4	5	6
2.	हिमाचल प्रदेश	475	577	1025	105
3.	पंजाब	1400	758	1384	0
4.	चंडीगढ़	51	25	0	0
5.	उत्तराखंड	4192	3995	4615	602
6.	हरियाणा	989	1034	272	0
7.	दिल्ली	2168	2094	3683	642
8.	राजस्थान	2926	2981	2741	947
9.	उत्तर प्रदेश	7276	13836	5364	1267
10.	बिहार	2344	3076	3190	209
11.	सिक्किम	524	567	502	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	2238	3012	2785	386
13.	नागालैंड	829	1495	1571	0
14.	मणिपुर	122	660	826	0
15.	मिजोरम	1803	1168	3157	410
16.	त्रिपुरा	854	1067	1894	0
17.	मेघालय	800	700	788	0
18.	असम	5053	6724	9205	388
19.	पश्चिम बंगाल	12691	7237	5774	472
20.	झारखंड	549	374	1421	0
21.	ओडिशा	3745	4266	5286	795
22.	छत्तीसगढ़	1710	2142	2050	594
23.	मध्य प्रदेश	4110	3465	4352	714
24.	गुजरात*	1536	1918	1347	82
25.	महाराष्ट्र**	17954	19980	24578	5226
26.	आंध्र प्रदेश	4614	7395	4933	1046
27.	कर्नाटक	8729	6655	6180	825
28.	गोवा	87	127	0	0
29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
30.	केरल	5438	5230	4984	1303
31.	तमिलनाडु	9252	7436	4307	1908
32.	पुदुचेरी	51	137	0	0
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
	कुल	105152	110571	108452	17429

*दमन और दीव सहित
**दादरा और नगर हवेली सहित

विवरण II

देश में एमएसएमई क्षेत्र में लिंग-वार राज्य-वार उद्यमों की संख्या

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यमों की कुल संख्या	महिला उद्यमों की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	1.33	0.15
2.	हिमाचल प्रदेश	1.72	0.12
3.	पंजाब	10.14	0.81
4.	चंडीगढ़	0.29	0.06
5.	उत्तराखंड	2.23	0.18
6.	हरियाणा	5.20	0.18
7.	दिल्ली	1.28	0.19
8.	राजस्थान	9.68	0.61
9.	उत्तर प्रदेश	24.22	0.83
10.	बिहार	7.98	0.49
11.	सिक्किम	0.02	0.01
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.25	0.06
13.	नागालैंड	0.18	0.04

1	2	3	4
14.	मणिपुर	0.49	0.02
15.	मिजोरम	0.13	0.02
16.	त्रिपुरा	0.28	0.02
17.	मेघालय	0.50	0.17
18.	असम	2.34	0.24
19.	पश्चिम बंगाल	21.23	2.10
20.	झारखंड	4.43	0.25
21.	ओडिशा	9.97	0.92
22.	छत्तीसगढ़	3.01	0.14
23.	मध्य प्रदेश	12.57	1.16
24.	गुजरात*	15.34	0.80
25.	महाराष्ट्र**	15.38	0.94
26.	आंध्र प्रदेश	15.36	1.16
27.	कर्नाटक	12.49	2.13
28.	गोवा	0.59	0.10
29.	लक्षद्वीप	0.01	0.00
30.	केरल	14.44	2.69
31.	तमिलनाडु	20.55	3.57
32.	पुदुचेरी	0.14	0.03
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0.00
	कुल	214.38	20.21

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

संस्कृति को प्रोत्साहन

4568. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा नागालैंड की जनजातियों को नृत्य महोत्सवों के माध्यम से संस्कृति के मुख्य क्षेत्र में लाने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान हर वर्ष दिसम्बर में आयोजित राज्य के वार्षिक नृत्य महोत्सवों में गए एवं भाग लिए विदेशी नृत्य समूहों की संख्या एवं नाम क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार हज आवेदन

4569. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ)-वार हज के लिए कितने प्राप्त हुए;

(ख) क्या सभी आवेदनों पर कार्रवाई की गई तथा संबंधित आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी आरपीओ-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संबंधित आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने में विलंब के संबंध में सरकार को कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) वर्ष 2012 से भारत की हज समिति ने भावी हज आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ वैध पासपोर्ट की एक प्रति भेजना अनिवार्य बना दिया है। इस तरह वर्ष 2012 में 25 अप्रैल, 2012 तक हज प्राधिकारियों के पास 1,25,000 हज यात्रियों के आबंटित कोटे की तुलना में हज के लिए वैध-पासपोर्ट समेत 3,07,000 आवेदन पत्र जमा किए गए। चूंकि, हज के लिए आवेदन करने वालों को सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, अत: हज यात्रियों को जारी किए गए पासपोर्टों के बारे में अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। संबंधित आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की गई और निर्धारित समय-सीमा तक पासपोर्ट जारी किए गए। उन मामलों में जहां पुलिस जांच रिपोर्ट समय पर प्राप्त न हुई थी, हज आवेदकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर केवल सऊदी अरब की यात्रा के लिए अल्पावधिक वैधता वाले पासपोर्ट जारी किए गए।

(च) चूंकि, हज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व एक वैध पासपोर्ट का होना अनिवार्य कर दिया गया है, अत: सभी पासपोर्ट कार्यालयों को सलाह दी जा रही है कि वे संशोधित प्रक्रियाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाएं ताकि हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग समय पर आवेदन कर सकें और हज 2013 हेतु आवेदन करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, पासपोर्ट कार्यालयों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे संभावित हज आवेदकों की सहायतार्थ नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा सुविधा पटल खोलें।

[अनुवाद]

पायलटों/चालक दल सदस्यों को सुविधाएं

4570. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पायलटों/चालक दल के सदस्यों को ड्यूटी के समय दी जा रही सुविधाओं/भुगतान किए जा रहे भत्तों जैसे पीएलआई आदि तथा बोर्डिंग/लॉजिंग आदि पर गौर करने के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पायलटों/चालक दल के सदस्यों को सुविधाओं/भत्तों के रूप में किए जा रहे फिजूल खर्च को किस तरह से रोकने का सरकार का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति ने अपनी सिफारिशें मोटे तौर पर चार क्षेत्रों अर्थात लैवल मैपिंग, कैरियर उन्नयन पारिश्रमिक एवं वेतन ढांचा तथा अन्य संबंधित मुद्दे जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन योजना, पीएलआई तथा अन्य भत्ते आदि पर की हैं। सरकार ने उक्त रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसे लागू करने के लिए एअर इंडिया को भेज दिया है।

जीवन-रक्षक औषधियों की कमी

4571. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर के अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालयों में जीवन-रक्षक औषधियों एवं अन्य एंटीबायोटिक्स की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सभी सीजीएचएस औषधालयों में जीवन-रक्षक दवाओं एवं एंटीबायोटिक्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (एण्चएससीसी) और चिकित्सा भंडार संगठन (एमएसओ) के माध्यम से केन्द्रीय अधिप्रापण के अतिरिक्त सामान्य तौर पर निर्धारित की जाने वाली 272 औषधों को सीधे निर्माताओं/वितरकों से बट्टा दर से अधिप्राप्त किया जाता है।

कैंसर-रोधी व अन्य महंगी जीवन रक्षक औषधों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (चिकित्सा भंडार डिपो) के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर अधिप्राप्त किया जाता है और लाभार्थियों को उनकी आपूर्ति की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरोग्य (वेलनेस) केन्द्रों में अनुपलब्धता अनिवार्य औषधों अथवा जो औषधें के.स.स्वा. योजना की फार्मलरी में नहीं होती है, को इन्डेंट किया जाता है तथा नको अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के माध्यम से अधिप्राप्त किया जाता है।

आपाती आवश्यकता के मामलों में सीधे अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से औषधों को एकत्र करने के लिए प्राधिकार पर्ची के माध्यम से औषधों को जारी करने के लिए भी प्रावधान है।

[हिन्दी]

बच्चों पर टीवी धारावाहिकों का प्रभाव

4572. श्रीमती मीना सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे धारावहिकों/शो में दिखाए जा रहे हिंसात्मक दृश्यों को देखने के कारण बच्चों में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

(ग) स्कूलों में बच्चों को नैतिक पाठ पढ़ाने तथा उन्हें भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए कहकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली में किन आवश्यक सुधारों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) ऐसी कोई रिपोर्ट/अध्ययन की जानकारी सरकार को नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 के भाग के रूप में नैशनल फोकस ग्रुप द्वारा तैयार किए गए शांति के लिए शिक्षा पर स्थिति दस्तावेज दर्शाता है कि शांतिपूर्ण अभिमुखीकरण के लिए नैतिक विकास अग्रगामी है और शैक्षिक उद्देश्यों में शांति की शिक्षा शामिल है। एनसीएफ, 2005 में संपूर्ण स्कूली जीवन-पाठ्यक्रम कक्षा का माहौल, स्कूल प्रबंधन, पाठ्यपुस्तकें पठन-पाठ, गुरु-शिष्य संबंध आदि में मूल्यों को समेकित करने का सुझाव दिया गया है न कि इसे अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया जाने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को पढ़ाकर छात्रों के साथ अपने दिन-प्रतिदिन के संपर्क के माध्यम से शांतिपरक सोच और मूल्यों को बढ़ाने के लिए शिक्षकों और शिक्षकों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करती आ रही है। इसके कुछ प्रयासों में शिक्षकों ओर शिक्षकों के प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और राज्य में शांति के लिए शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। "शांति के पथ" विषय पर शिक्षकों के लिए एक संसाधन पुस्तक का प्रकाशन व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शांति के मूल्यों को संवर्धित करने के लिए वर्ष 2010 के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया गया है।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा "स्कूलों में मूल्यों हेतु शिक्षा" संबंधी ढ़ांचे के विकास पर विचार करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस वर्ष (2012-13) से IXवीं और Xवीं कक्षाओं तथा XIवीं और XIIवीं कक्षाओं में अंतिम मूल्यांकन-II में मूल्य आधारित प्रश्न शुरू करके स्कूल आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ किया है।

[अनुवाद]

महिलाओं की स्थिति

4573. श्री सुरेश कलमाडी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 1989 से महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु व्यापक अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त समिति ने महिलाओं की समसामयिक जरूरतों के आकलन पर आधारित नीतिगत हस्तक्षेप किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1989 से महिलाओं की स्थिति को समझने हेतु एक अन्य व्यापक अध्ययन कराने के लिए तथा महिलाओं की आवश्यकताओं के समसामयिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय करने हेतु महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

समिति का गइन इस प्रकार किया गया है:-

1.	न्यायमूर्ति रूमा पाल	-अध्यक्ष
2.	प्रो. बीना अग्रवाल	-सदस्य
3.	डॉ. अमीता सिंह	-सदस्य
4.	डॉ. पाम राजपूत	-सदस्य
5.	सुश्री रीता सरीन	-सदस्य
6.	डॉ. मनोरमा सिंह	-सदस्य
7.	डॉ. शांता कृष्णन	-सदस्य
8.	डॉ. निर्मला देवी	-सदस्य
9.	सुश्री मनीरा ए पिन्टो	-सदस्य
10.	श्रीमती विजयलक्ष्मी कोल	-सदस्य
11.	सुश्री प्रतिमा थामी	-सदस्य
12.	श्रीमती सुमन कुमार	-सदस्य
13.	श्रीमती अनुसुईया शर्मा	-सदस्य
14.	डॉ. सिमरित कौर	-सदस्य
15.	सुश्री नाहीद सोज	-सदस्य
16.	डा. वी.एस. एलिजाबेथ	-सदस्य
17.	सुश्री नंदिनी थोकचोम	-सदस्य
18.	सुश्री रजिया अब्दुल रहीम पटेल	-सदस्य
19.	श्रीमती दीपा जैन सिंह	-सदस्य सचिव

उपर्युक्त उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ बिंदु निम्नलिखित है:-

1. उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की स्थिति पर लगभग 1989 के बाद के प्रकाशित आंकड़ों, रिपोर्टों, लेखों और अनुसंधान का अध्ययन करने के लिए गहन साहित्य सर्वेक्षण करेगी।

2. उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की हालिया सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट में महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु इन पहलुओं के परस्पर संबंध का उनके प्रभाव के अनुसार उल्लेख किया जाएगा और उपाय सुझाए जाएंगे।

3. उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषाहारीय, कानूनी और राजनीतिक स्थिति, ग्रामीणशहरी का अलग-अलग, आर्थक और सामाजिक स्थिति (उदाहरण गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा के नीचे, अनु. जाति/अनु.जनजाति, अविवाहित महिला, अक्षम महिला, प्रवासी महिला) सहित महिलाओं की समग्र स्थिति की जांच करेगी और जहां कहीं संभव हो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देगी (उदाहरण मुस्लिम/अन्य)। विश्लेषण में विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को ध्यान में रखा जाएगा और घर एवं परिवार के बाहर दोनों में असमानता पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह समिति मौजूदा नीतियों और समानता संबंधी कानूनी बदलाव, सुरक्षा और महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के प्रीााव का भी मूलयांकन करेगी तथा नीति और कानून में असमानता और क्रियान्वयन में कमियों की पहचान करेगी।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 27 फरवरी, 2012 के संकल्प द्वारा किया गया था और दो वर्ष के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मरीज-बिस्तर अनुपात

4574. श्री नीरज शेखर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक स्वास्थ्य के संबंध में भोरे समिति द्वारा सिफारिश किया गया मरीज-बिस्तर अनुपात तथा देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में वास्तव में पाया गया अनुपात अलग-अलग कितना है;

(ख) केन्द्र सरकार के अस्पतालों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अधीन आने वाले अस्पतालों में मरीज-बिस्तर अनुपात अत्यधिक रहने के क्या कारण हैं?

(ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अस्पतालों में उच्च मरीज-बिस्तर अनुपात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में 1946 में प्रकाशित स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति की रिपोर्ट के अध्याय 1 (खंड 2) में अन्य बातों के साथ-साथ 'हास्पिटल एकोमोडेशन' नामक शीर्षक के अंतर्गत यह कहा गया है कि 'तीन मिलियन की जनसंख्या के लिए प्रदत्त अस्पताल बिस्तरों की कुल संख्या 17,000 होगी या यह प्रति हजार जनसंख्या पर 5.67 का अनुपात होगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई) द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंण्डिया-2011 में संकलित सूचना के अनुसार, प्रति सरकारी अस्पताल बिस्तर पर सेवित औसत जनसंख्या 1512 है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्यों में पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों के जरिए सहायता प्रदान करके पूरा करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तायुक्त एवं वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए जन-स्वास्थ्य प्रणाली को नवीनीकृत करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में शुरू किया गया है। मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी प्राथमिक जन-स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निधियां दी जाती हैं।

इसके अलावा, देश में सामान्य तौर पर वहनीय/विश्वसनीय तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में असंतुलनों को ठीक करने तथा अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनुमोदित की गई।

इस योजना में बिहार (पटना), मध्य प्रदेश (भोपाल), ओडिशा (भुवनेश्वर), राजस्थान '(जोधपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर) तथा उत्तराखंड (ऋषिकेश), राज्यों में एम्स जैसी ठह संस्थाओं-प्रत्येक में एम्स जैसी एक-एक संस्था की स्स्थापना तथा 13 मौजूदा चिकित्सा संस्थाओं के उन्नयन की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

जनजातियों का विकास

4575. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशंवत लागुरी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि क्या जनजातियां स्वयं से जुड़ी विकास योजनाओं का वास्तव में लाभ उठा रही हैं, कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आकलित किया है कि कछेक क्षेत्रों में जनजातियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में विकास योजना का अधिकतम लाभ उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अंतराल का पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) योजना आयोग ने जनजातीय उपयोजना को अनुसूचित जनजाति उपयोजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, (एनआईआरडी), हैदराबाद को सौंपा है। यह मंत्रालय अध्ययन रिपोर्ट के बारे में राज्य सरकारों से उनपकी टिप्पणियों/फीडबैक हेतु परामर्श कर रहा है। "संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत केन्द्रीय क्षेत्र योजना-अनुदान के तहत जनजातियों के कल्याण और प्रशासन के स्तरों के उन्नयन का संवर्धन" पर इस मंत्रालय द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन भी किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खसरे के कारण मृत्यु

4576. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2008 में खसरे के कारण मृत चार में से तीन बच्चे भारत के थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में किसी खसरा टीकाकरण अभियान को प्रायोजित किया है;

(ग) यदि हां, तो टीकाकृत बच्चों की संख्या तथा व्यवस्थित आंकड़े राज्य-वार क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ संयुक्त वार्षिक खसरा रिपोर्ट, 2009 के अनुसार भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में वर्ष 2008 में खसरे के कारण तीन-चौथाई मौतें हुईं।

(ख) भारत सरकार ने 14 राज्यों में चरणवार ढंग से 361 जिलों को तथा 31.1 करोड़ बच्चें को कवर करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2010-11 के दौरान खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस खसरे अभियान का लक्ष्य 9 महीने से 10 वर्ष से कम आयु के बीच के सभी बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। आज तक खसरा टीकाकरण अभियान 14 राज्यों के 197 जिलों में पूरा और खसरा टीकारण अभियान के दौरान 4.81 करोड़ बच्चों को कवर किया जा चुका है।

(ग) अब तक रोग-प्रतिरक्षित बच्चों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रोग प्रतिरक्षित बच्चों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	कुल
1.	असम	206,188	5,414,120	5,620,308
2.	अरुणाचल प्रदेश	22,123	236,570	258,693
3.	हरियाणा	1,339,036	3,539,173	4,878,209
4.	मणिपुर	91,545	400,018	491,563
5.	राजस्थान	2,060,837	1,665,459	3,726,296
6.	मध्य प्रदेश	1,278,545	3,344,318	4,622,863
7.	बिहार	2,463,528	8,925,411	11,388,939
8.	छत्तीसगढ़	1,906,429	2,576,447	4,482,876
9.	गुजरात	1,686,711	1,361,654	3,048,365
10.	झारखंड	721,578	5,377,566	6,099,144
11.	त्रिपुरा	233,929	289,015	522,944
12.	नागालैंड	26,090	303,779	329,869
13.	मेघालय	40,706	536,373	577,079
14.	उत्तर प्रदेश		2,132,661	2,132,661
	कुल	12,077,245	36,102,564	48,179,809

[हिन्दी]

डॉक्टरों का प्रवर्जन

4577. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अनेक डॉक्टर अपने पद से त्यागपत्र देकर नियुक्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मेडिकल अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गयी कोशिशों के वांछनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र में प्रतिभाशाली डॉक्टरों को कार्यरत रखने के लिए किन अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। केंद्रीय सरकार के अस्पतालों//चिकित्सीय संस्थाओं के कुछ डॉक्टरों ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पदों से त्यागरपत्र दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर संलग्न विवरण I के अनुसार है।

(घ) स्थिति में सुधार हो रहा है।

(ङ) उत्तर संलग्न विवरण II के अनुसार है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्याग-पत्र देने वाले चिकित्या अधिकारी/डॉक्टर

कारण

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण व जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग

2009	2010	2011	2012	कुल
01	06	03	12	22

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण उप-संवर्ग

2009	2010	2011	2012	कुल
01	03	---		04

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा का सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएकओ का उप-संवर्ग)

2009	2010	2011	2012	कुल
11	10	04	03	28

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

2009	2010	2011	2012	कुल
07	03	04	03	17

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

2009	2010	2011	2012	कुल
02	शून्य	03	02	07

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर

2009	2010	2011	2012	कुल
02	02	---	---	04

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधार संस्थान, चंडीगढ़

2009	2010	2011	2012	कुल
---	02	---	06	08

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रतिभा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(1) शिक्षण विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है,

(2) गैर-शिक्षण और जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, और

(3) गतिशील सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के पदों तक बढ़ा दिया गया है जिनके अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति रिक्त पदों को सम्बद्ध किए बिना समयबद्ध आधार पर की जाती है।

(4) छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमानों और डॉक्टरों के पारिश्रमिक में सुधार है।

(5) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के लिए अध्ययनावकाश की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

हेलीपैड

4578. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने हेलीपैड हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा हेलीपैडों के अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या का उनकी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौर क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों के नाम सहित ब्यौरा क्या है तथा कारण हैं; और

(घ) जारी परियोजनाओं पर कार्य तेज करने तथा लंबित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार अनुमोदित हेलीपैडों की सूची इस प्रकार है:

सरफेस हेलीपैड

राज्य	हेलीपैडों की संख्या
उत्तर प्रदेश	1
गुजरात	2
उत्तराखंड	8
आंध्र प्रदेश	2
महाराष्ट्र	4
जम्मू और कश्मीर	7
महाराष्ट्र	3
कर्नाटक	1

(ख) पिछने तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष दौरान अनुमोदित हेलीपैडों के प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	राज्य	हेलीपैडों की संख्या
1	2	3
2009	आंध्र प्रदेश	1
2010	उत्तर प्रदेश	1

1	2	3
	गुजरात	1
	कर्नाटक	1
2011		शून्य
2012	महाराष्ट्र	2

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्ताल्पता का पता करने के लिए नया उपकरण

4579. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में विकसित हस्त-प्रचालित सुई रहित बैटरी चालित उपकरण पर गौर किया है जो रक्ताल्पता का पता लगाता है तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसकी निगरानी सुकर करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह सूचित किया है कि देश में एक सुवाह्य ट्रांसक्यूटेनियस हिमोग्लोबिन मीटर हाल ही में विकसित किया गया है जो सूई रहित व बैटरी चालित उपकरण है। यह अनीमिया की व्यापक जांच के लिए उपयोगी है। हालांकि इसे अभी आरंभ नहीं किया गया है।

बच्चों पर पोषाहार कार्यक्रम का प्रभार

4580. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बच्चों पर विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है/कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से वर्ष 2009 में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का मूलयांकन कराया।

योजना आयोग ने अगस्त, 2010 में उक्त मूल्यांकन अध्ययन की प्रारूप रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसरण में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रारूप रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए इस पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां दीं। प्रारूप रिपोर्ट में शामिल कुछ निष्कर्षों से उनकी वास्तविक अशुद्धता के कारण महिला और बाल विकास मंत्रालय सहमत नहीं था। आज तक, महिला और बाल विकास मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

इन कार्यक्रमों का मासिक विश्लेषण, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्टों, संबंधित कार्यक्रम प्रभाग द्वारा औपचारिक दौरों, राज्यों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों, योजना आयोग द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन आदि के माध्यम से सतत मानीटरन किया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्र आधुनिकीकरण

4581. श्री रामकिशुन:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर देशों से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विद्युत उत्पादन कंपनियों की टरबाईनें अत्याधुनिक नवीनतम प्रौद्योगिकी से नहीं बनी हैं: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) मांगी गई विदेशी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया

(ग) और (घ) ताप विद्युत स्टेशनों के लिए बायलरों और टरवाइन जनरेटरों जैसे मुख्य संयंत्र उपकरण के डिजाइन में प्रगतिशील सुधार किया गया है ताकि दक्षता और निष्पादन में सुधार

लाया जा सके। ईंधन दक्षता को बढ़ाने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दृष्टि से सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बड़े आकार के यूनिटों को शामिल किया गया है। सुपर क्रिटिकल बायलरों और टरबान जनरेटरों के उत्पादन के लिए देश में अपेक्षित क्षमता के सृजन हेतु कदम भी उठाए गए हैं।

भेल ने सुपर क्रिटिकल टरबान जनरेटरों के लिए मैसर्स सीमेंस, जर्मनी के साथ सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त, देश में सुपर क्रिटिकल टरबाइन जनरेटरों के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना हेतु कई नए संयुक्त वेंचर भी स्थापित किए गए हैं, जिसका ब्यौरा निम्नांकित है-

संयुक्त वेंचर	क्षमता (मेगावाट/वर्ष)	टिप्पणियां
एल व टी-एम एच आई	4000 मेगावाट	• उत्पादन शुरू हो चुका है।
एलस्टम-भारत फोर्ज जून 2013 तक पूरी की जाएंगी।	5000 मेगावट	• टरबाइनों के उत्पादन के लिए सभी उत्पादन सुविधाएं
तोशिबा-जेएसडब्लू हैं।	3000 मेगावाट	• सभी उत्पादन सुविधाएं अप्रैल, 2013 तक पूरी की जानी
बीजीआर-हिताची टरबाइन जनरेटर प्राइवेट लिमिटेड	प्रतिवर्ष 5 टरबाइन जनरेटर (3000 मेगावाट)	• सभी उत्पादन सुविधाएं जुलाई, 2014 तक पूरी की जानी हैं।

विवरण

देश में विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु माँगी गई विदेशी वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(1) केएफडब्लू डेवेलपमेंट बैंक-जर्मनी

द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत, केएफडब्लू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी ने निम्नलिखित ताप यूनिटों के ऊर्जा दक्षता नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर व एम) के लिए 90 मिलियन यूरो के साफ्ट ऋण की व्यवस्था की है:

(i) नासिक टीपीएस, यू-3 (201 मेगावाट) एमएसपी जीसीएल।

(ii) कोलाघाट टीपीएस यू-3 (201 मेगावाट) डब्लूबी पीडीसीएल।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केएफडब्लू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी ने निम्नलिखित सात (07) यूनिटों के लिए विस्तृत परियोजना रिपार्टो (डीपीआर) की तैयारी की लिए 1.3 मिलियन यूरो का अनुदान भी दिया है।

(i) नासिक टीपीएस यू-3 (210 मेगावाट) एमएसपी जीसीएल

(ii) कोलाघाट टीपीएस यू-1, 2 व 3 (3 x 210 मेगावाट) डब्लूबीपीडीसीएल

(iii) बोकरो "बी" टीपीएस, यू-1, 2 व 3 (3 x210 मेगावाट) डीवीसी

नासिक और कोलाघाट टीपीएस पर उपरोक्त यूनिटों की डीपीआर यूटिलिटियों द्वारा तैयार एवं स्वीकृति कर ली गई हैं। बोकारो "बी" टीपीएस पर 3 यूनिट की डीपीआर 21.3.2012 को परामर्शक द्वारा तैयार की गई डीवीसी से डीपीआर की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

(2) विश्व बैंक, यूएसए

"कोयला प्रज्वलित उत्पादन पुनर्वास-भारत" परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक ने निम्नलिखित ताप विद्युत स्टेशनों पर 640 मेगावाट ताप क्षमता के ऊर्जा दक्ष आर व एम को शुरू करने के लिए 180 मिलियन अमरीकी डालर का आईबीआरडी ऋण तथा 45.4 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) अनुदान प्रदान किया है:

(i) डब्लू बीपीडीसीएल का बंडेल टीपीएस यूनिट-5 (210 मेगावाट)

(ii) एमएसपीजीसीएल का कोराडी टीपीएस यूनिट-6 (210 मेगावाट)

(iii) एचपीजीसीएल का पानीमत टीपीएस यून 3 व 4 (2 x 110 मेगावाट)

45.4 मिलियन अमरीकी डालर के जीईएफ अनुदान में से, विस्तृत परियोजना रिपोटों को तैयार करने, विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने, विद्युत यूटिलिटियों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने आदि के लिए तकनीकी सहायता घटकों हेतु 7.5 मिलियन अमरीकी डालर अलग रखे गए हैं।

बंडेल टीपीएस के यूनिट-5 (210 मेगावाट) के आर एंड एम को शुरू करने के लिए बीटीजी पैकेज के लिए ईपीसी इेका मैसर्स दूसन हैवी इंडस्ट्रीज व कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंपा गया है और यह अनुबंध 29.2.2012 को हस्ताक्षरित किया गया था।

कोराडी टीपीएस के यूनिट 6 (210 मेगावाट) का आर व एम शुरू करने के लिए, बीटीजी पैकेज के लिए बोली प्रक्रिया प्रगति में है।

पानीपत टीपीएस के यू 3 व 4 (2×160 मेगावाट) का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एचपीजीसीएल द्वारा शुरू नहीं किया जाएगा क्योंकि परामर्शक द्वारा तैयार की गई डीपीआर के अनुसार आर व एम परियोजना तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

3. जापान कोल एनर्जी सेंटर (जेसीओएएल) जापान

भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत कोयला प्रज्वलित विद्युत संयंत्रों में दक्षता ओर पर्यावरण सुधार के अध्ययन के लिए 3.4. 2010 को नई दिल्ली में हुई भारत-जापान उच्च स्तरीय ऊर्जा बातचीत की बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। जापान कोयला ऊर्जा केंद्र (जेसीओएएल) ने दक्षता और पर्यावरणीय सुधार पर पूर्ण जाँच के लिए 3 यूनिटों अर्थात एपजेनको का विजयवाड़ा टीपीएस यूनिट-1 (210 मेगावाट), जीएसईसीएल का बनकबोरी टीपीएस-I (200 मेगावट) और एनटीपीसी का कहलगाँव एसटीपीएस यूनिट 2 (210 मेगावाट) को अंतिम रूप दिया था और अंतिम रिपोर्ट पेश की गई थी।

तीन यूनिटों में ऊर्जा दक्षता उन्मुखी नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए विस्तृत जाँच अध्ययन करने हेतु 11.6.2012 को सीईए और जेसीओएएल के बीच दूसरे चरण का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

4. जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) जापान

निम्नलिखित राज्य क्षेत्र विद्युत स्टेशन के संबंध में जेआईसीएल द्वारा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण अथवा भारत में राज्य क्षेत्र के पुराने गैर प्रभावी कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन के पूर्ण बदलाव पर एक अध्ययन शुरू किया गया था:

(क) ओबरा ए टीपीएस यूनिट संख्या 1 से 8 (यूपी)-पूर्ण बदलाव।

(ख) सतपुरा टीपीएस यूनिट संख्या 1 से 5 (म.प्र.)-पूर्ण बदलाव।

(ग) भूसावल टीपीएस यूनिट संख्या 2 व 3 (महाराष्ट्र)-पूर्ण बदलाव।

(घ) पर्ली टीपीएस यूनिट संख्या 3 से 5 (महाराष्ट्र)-पूर्ण बदलाव अथावा आर व एम।

उनके अवलोकन की अंतिम रिपोर्ट 21.06.2012 को प्रस्तुत की गई है।

ठेका आधार पर स्वास्थ्य कार्मिक

4582. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत विभिन्न पदों पर ठेके के आधार पर कार्मिकों को रखने लिए सभी राज्यों में एक समान रूप से पालन करने के लिए कोई दिशा-निर्देश विकसित किए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विभिन्न पदों पर ठेके के आधार पर रखे गए व्यक्तियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार एनआरएचएम में ठेके के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारें ऐसी प्रणाली का पालन करती हैं जो कि ठेके के आधार पर काम कर रहे लोगों के हित में नहीं हैं, तो यदि हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा एनआरएचएम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जन स्वास्थ्य राज्य का विष्य है और कार्मिकों को विभिन्न पदों पर संविदा आधार पर लगाने समेत सभी कार्मिक व प्रशासनिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं; जो अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ को संविदा आधार पर लगाती है; तथापि, केन्द्र सरकार ने व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए हैं और सांविदाय स्टाफ को लगाने के बारे में कतिपय शर्तें रखी हैं।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। जैसा कि उपर्युक्त (क) में बताया गया है, चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए कार्मिकों को सांविदाय आधार पर लगाने समेत सभी कार्मिक व प्रशासनिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं।

विवरण

31.3.2012 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए मानव संसाधन

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जीडीएमओ	अर्थ-चिकित्सक	विशेषज्ञ	एएनएम	स्टाफनर्स	आयुष डॉक्टर	आयुष अर्ध-चिकित्सक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिहार	1664	414	119	8109	1619	1386	0
2.	छत्तीसगढ़	0	0	0	281	338	80	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	136	29
4.	जम्मू और कश्मीर	272	692	41	1949	569	435	358
5.	झारखंड	21	317	192	4461	862	0	0
6.	मध्य प्रदेश	327	103	99	4102	316	465	161
7.	ओडिशा	0	112	0	113	951	1237	0
8.	राजस्थान	1	420	31	4471	7203	1013	401
9.	उत्तर प्रदेश	395	260	82	1528	1037	710	0
10.	उत्तराखंड	0	0	2	248	188	210	413
11.	अरुणाचल प्रदेश	85	82	1	158	196	32	0
12.	असम	699	1566	87	4921	2946	405	0
13.	मणिपुर	98	232	1	420	125	88	25
14.	मेघालय	26	14	2	276	110	66	0
15.	मिज़ोरम	24	66	1	419	53	19	0
16.	नागालैंड	60	71	12	335	245	29	0
17.	सिक्किम	35	76	2	90	53	8	6
18.	त्रिपुरा	0	106	0	80	0	135	33
19.	आंध्र प्रदेश	42	1538	39	10650	276	372	1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	गोवा	0	24	5	43	35	11	26
21.	गुजरात	0	1164	970	541	546	886	0
22.	हरियाणा	115	308	47	2564	1348	169	218
23.	कर्नाटक	125	149	60	1372	3946	625	68
24.	केरल	867	366	545	934	1128	597	238
25.	महाराष्ट्र	994	5226	410	7365	1270	579	109
26.	पंजाब	78	43	41	1530	1106	205	182
27.	तमिलनाडु	1365	189	0	189	5887	442	273
28.	पश्चिम बंगाल	478	530	37	7283	83	19	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29	112	6	81	38	19	16
30.	चंडीगढ़	28	30	7	90	31	8	8
31.	दादरा और नगर हवेली	5	64	2	30	27	5	0
32.	दमन और दीव	1	11	5	8	24	1	0
33.	दिल्ली	364	491	31	798	295	0	0
34.	लक्षद्वीप	13	90	4	33	27	8	7
35.	पुदुचेरी	19	47	2	80	37	39	57
	कुल योग	**8230**	**14913**	**3083**	**66562**	**32915**	**10439**	**4146**

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से प्रत्यायन

4583. श्री सोमेन मित्रा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों तथा महाविद्यालयों के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा विहित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को एनबीई के विरुद्ध आवेदकों के प्रत्यायन प्रदान करने/नवीकरण हेतु विलंब तथा भ्रष्ट व्यवहार करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है; और

(घ) सरकार द्वाराएनबीई प्रत्यायन प्रदान करने/नवीकरण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश के अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और महाविद्यालयों के प्रत्यायन के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने मानदंड निर्धारित किए हैं जो एनबीई की वेबवाइट अर्थात http://www.natboard.edu.in/accredition-with-nbe.php. पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदक अस्पतालों/संस्थानों से एनबीई प्रत्यायन की मंजूरी/नवीकरण संबंधी पांच अनुरोध/शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निराकरण एनबीई ने अपने प्रत्यायन दिशानिर्देशों के अनुसार कर लिया है। इनमें से दो अनुरोध 2010 में और तीन अनुरोध 2012 में प्राप्त हुए।

(घ) एनबीई प्रत्यायन की मंजूरी/नवीनकरण निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से होता है।

एड्स नियंत्रण के लिए विश्व बैंक सहायता

4584. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री मनोहर तिरकीः
श्री नरहरि महतोः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) बैंक की इस बारे में निबंधन एवं शर्तों, आदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक वास्तव में प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए अनुमत मदों, प्राथमिकता प्राप्त सहित, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) रक्त जांच केन्द्रों की स्थापना सहित रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण, यदि कोई हो, के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता ऋण के रूप में होती है। भारत की संचित निधि (सीएफआई) से शुरू में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र व्यय की सीमा तक विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। एनएसीपी 2 (1999-2006) के दौरान आईडीए (इंटरनेशनल विकास एसोशिएशन) ऋण के रूप में 191 मिलियन यूएस डालर की राशि प्राप्त की गई। इस आहरण से संबद्ध निबंधन एवं शर्तें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

एनएसीपी 3 (2007-12) में, विश्व बैंक के साथ करार आईडीए ऋण के रूप में 250 मिलियन यूएस डालर की राशि के लिए हैं। आज की तिथि तक बैंक से 147 मिलियन यूएस डालर प्राप्त हो चुके हैं। ऋण के निबंधन एवं शर्तें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (एसएसीएस) के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के घटक नामतः (i) लक्षित कार्यकलाप (ii) यौन संचारित संक्रमणों का उपचार तथा (iii) रक्त सुरक्षा विश्व बैंक के ऋण के जरिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के इन घटकों के कार्यान्वयन की वर्तमान राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण IV, V और VI में दी गई है।

(च) **जिला स्तरीय रक्त बैंक (डीएलबीबी):**

"रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण" योजना के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश के सभी जिलों में एक रक्त बैंक की स्थापना करने के लिए संबंधित राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ पहल की है। एनएसीपी 3 के दौरान बगैर रक्त बैंक वाले 39 जिलों की पहचान की गई। इनमें से, 25 रक्त बैंक स्थापित किए गए हैं तथा ये कार्य कर रहे हैं।

रक्त घटक पृथक्करण एकक (बीसीएसयू):

एनएसीपी 3 की शुरुआत में मौजूदा 82 बीसीएसयू के अतिरिक्त 80 तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में नए बीसीएसयू की स्थापना करने का लक्ष्य था।

आज की स्थिति (अगस्त, 2012), सभी प्रस्तावित 80 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान में, 1109 रक्त बैंकों को रक्त जांच उपभोज्य तथा जनशक्ति के लिए किट प्रदान करके इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण I

आईडीए ऋण के निबंधन और शर्तें-3242 आईएन
अनुच्छेद II
ऋण (क्रेडिट)

धारा 2.01. यह संस्था विकास ऋण करार में निर्धारित अथवा संदर्भित निबंधन और शर्तों पर कर्जदार को विभिन्न मुद्राओं में एक सौ चालीस मिलियन आठ सौ बीस हजार विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर 140,820.000) की समतुल्य राशि उधार देने पर सहमति देती है।

धारा 2.02. ऋण की राशि परियोजना के लिए अपेक्षित वस्तुओं की युक्ति संगत लागत तथा सेवाओं के संबंध में किए गए व्ययों (अथवा, यदि संस्था ऐसी सहमति दे, तो किए जाने वाले) के लिए इस करार की अनुसूची 1 के उपबंधों के अनुसार ऋण खाते से निकाली जा सकती है और इसे ऋण की प्राप्तियों में से वित्तपोषित किया जाता है।

धारा 2.03. अंतिम तारीख 31 जुलाई 2004 या बाद की वह तारीख होगी जो यह संस्था तय करेगी। यह संस्था कर्जदार को बाद की ऐसी तारीख के बारे में तत्कालीन ही सूचित करेगी।

धारा 2.04 (क) कर्जदार समय-समय पर अप्रत्याहृत ऋण के मूलधन पर इस संस्था को एक प्रतिबद्धता प्रभार प्रदान करेगा जो प्रतिवर्ष 30 जून को संस्था द्वारा नियत दर पर होगा किंतु यह प्रति वर्ष एक प्रतिशत की आधी दर (1% की 1/2) से अधिक नहीं होगा।

(ख) प्रतिबद्धता प्रभार निम्नलिखित से उत्पन्न होगा (1) इस करार की तारीख के बाद साठ दिन की तारीख से (संभूति की तारीख) उन संबद्ध तारीखों तक जिन पर कर्जदार द्वारा ऋण खाते से धनराशि निकाली जाएगी या निरस्त की जाएगी; तथा संभूति की तारीख से ठीक पहले 30 जून को निर्धारित दर के अनुसार तथा उपर्युक्त पैरा (क) के अनुसारण में बाद में समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य दरें। प्रतिवर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार नियत दर इस करार की धारा 2.06 में उस वर्ष विनिर्दिष्ट अगली तारीख से लागू होगी।

(ग) प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान (i) उन स्थानों पर किया जाएगा जिनके लिए यह संस्था विवेकपूर्ण ढंग से अनुरोध करेगी। (ii) कर्जदार द्वारा या उसके क्षेत्र में किसी तरह के प्रतिबंध के बगैर किया जाएगा, तथा (iii) सामान्य शर्तों धसारा 4.02. के प्रयोजनार्थ इस करार में विनिर्दिष्ट मुद्रा या ऐसी अन्य पात्र मुद्रा या मुद्राओं में की जाएगी जो उस धारा के उपबंधों के लिए अनुसरण में समय-समय पर नामोदिष्ट या चयनित की जाए।

धारा 2.05 कर्जदार संस्था को प्रोत्साहित तथा बाकी ऋण के मूलधन पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (1% के 3/4) की दर से सेवा प्रभार का भुगतान करेगा।

धारा 2.06 प्रतिबद्धता प्रभार तथा सेवा प्रभार प्रति छह माह पर प्रतिवर्ष 1 दिसंबर तथा 1 जून को संदेय होंगे।

धारा 2.07 (क) नीचे से पैरा (ख) (ग) तथा (घ) के अध्यधीन, कर्जदार ऋण के मूलधन को अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 1 जून को जो 1 दिसंबर 2009 से शुरू होकर 1 जून 2034 को समाप्त होगा। इसकी प्रत्येक किस्त 1 जून, 2019 को संदेय किस्त सहित ऐसे मूलधन का एक तथा एक चौथाई (1-1/4%) होगी तथा उसके बाद की प्रत्येक किस्त ऐसे मूलधन का दो तथा डेढ़ प्रतिशत (2-1/2%) होगी।

(ख) जब कभी: (1) संस्था द्वारा यथानिर्धारित कर्जदार का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) संस्था के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु संस्था द्वारा प्रतिवर्ष स्थापित स्तर के तीन लगातार वर्षों तक अधिक बढ़ जाएगा; (2) बैंक कर्जदार को बैंक उधार के लिए ऋण याग्य समझेगा, यह संस्था उनके कार्यकारी निदेशकों की समीक्षा तथा अनुमोदन के पश्चात तथा कर्जदार की अर्थव्यवस्था के विकास पर उनके द्वारा सम्यक विचार किए जाने के बाद, निम्नलिखित द्वारा उपर्युक्त पैरा (क) के तहत किस्तों के परिशोधन को आशेधित करेगी (क) अभी तक अदेय ऐसी प्रत्येक किस्त की दोगुनी राशि चुकाने के लिए कर्जदार से अपेक्षा करना जब तक कि मूलधन चुका न लिया गया हो, तथा (ख) पैरा में उल्लिखित प्रथम अर्धवर्षिक भुगतान तारीख जो संस्था द्वारा कर्जदार को यह अधिसूचित किए जाने की तारीख से 6 माह या अधिक हो, कि पैरा (ख) में नियत घटनाएं हुई हैं, तक ऋण के मूलधन का परिशोधन शुरू करने के लिए कर्जदार से अपेक्षा करना, परन्तु मूलधन के ऐसे परिशोधन पर न्यूनतम 5 वर्षों की माफी अवधि होगी।

(ग) यदि कर्जदार द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो, यह संस्था ऐसी किस्तों की राशि में कुछ या सभी वृद्धि के बदले समय-समय पर प्रत्याह्मत तथा बकाये ऋण के मूलधन पर संख्या के साथ सम्मत वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान शामिल करने के लिए उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित आशोधन में परिवर्तन कर सकेगा बशर्ते कि संस्था के निर्णय में ऐसे संशोधन से उपर्युक्त परिशोधन आशोधन के तहत प्राप्त अनुदान के तत्व में परिवर्तन नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त पैरा (ख) के अनुसारण में शर्तों आशोधन के बाद किसी भी समय, यदि यह संस्था निर्धारित करती है कि कर्जदार की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई है तो यह संस्था, यदि कर्जदार द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो, उपर्युक्त पैरा (क) में यथा उपबंधित किस्तों की अनुसूची के अनुरूप परिशोधन की शर्तों को आशोधित कर सकती है।

धारा 2.08 संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा सामान्य शर्तों की धारा 4.02 के प्रयोजनार्थ सतत् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है।

विवरण II

ऋण संख्या 4299-आईएन
वित्त पोषण करार

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम चरण-3 (2007-2012) को सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत, (प्राप्तकर्ता) इसके राष्ट्रपति की ओर से, और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ('संघ') के

बीच दिनांक 5 जुलाई, 2007 का करार। भारत ने ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग ('डीएफआईडी) से भी इस कार्यक्रम की सहायता करने का अनुरोध किया है और डीएफआईडी और प्राप्तकर्ता (डीएफआईडी अनुदान करार) के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले एक करार के द्वारा कार्यकलापों को एक सामान्य पूल के माध्यम से वित्तपोषण में सहायता करने हेतु 95,000,000 (पिचानवे मिलियन पाऊंड स्टरलिंग) की मूल धनराशि में एक अनुदान ('डीएफआईडी अनुदान') प्रदान करना है। डीएफआईडी और संघ (सामूहिक रूप से 'पूलिंग भागीदार' के रूप में संदर्भित और प्राप्तकर्ता की मंशा उपर्युक्त ज्ञापन में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के आधार पर पूलिंग भागीदारों और प्राप्तकर्ता के बीच अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी मामलों, प्रचालनात्मक और वित्तीय सहायोग के लिए प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की है। प्राप्तकर्ता और संघ एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमत है:-

अनुच्छेद I-सामान्य शर्तें; परिभाषा

1.01 सामान्य शर्तें (इस करार के परिशिष्ट 1 में यथा-परिभाषित) इस करार का अभिन्न हिस्सा है।

1.02 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वित्त पोषण करार में प्रयुक्त पूंजीगत शब्दों का अर्थ इस करार की प्रस्तावना में अथवा सामान्य शर्तों में अथवा परिशिष्टि 1 में उन्हें दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

1.03 परियोजना कार्यान्वयन सत्तव (एन्टिटी) हेतु सामान्य शर्तों में प्रत्येक संदर्भ की परियोजना निष्पादक अभिकरण के प्रत्येक संदर्भ के अनुसार माना जाएगा।

अनुच्छेद-II वित्तपोषण

2.01 यह संघ प्राप्तकर्ता को इस करार ('परियोजना') की अनुसूची में वर्णित परियोजना के वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के लिए इस करार में निर्धारित अथवा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर एक हजार सरसठ मिलियन नौ सौ हजार विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर 67,900,000) ('ऋण') की समकक्ष धनराशि में ऋण देने हेतु सहमत है।

2.02 प्राप्तकर्ता इस करार की अनुसूची 2 के भाग iv के अनुसार वित्तपोषण के अर्थागम प्रत्याह्य कर सकता है।

2.03 गैर प्रत्याहृय वित्तपोषण शेष के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेय अधिकतम प्रतिबद्धता प्रभार दर प्रति वर्ष एक प्रतिशत की आधी (1% की आधी) होगी।

2.04 प्रत्याहृत ऋण शेष के संबंध में प्राप्त कर्ता द्वारा संदेय सेवा प्रभार प्रति वर्ष एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (1% की तीन चौथाई) के बाराबर होगा।

2.05 भुगतान की तारीख प्रति वर्ष 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर हैं।

2.06 ऋण का मूल धन इस करार की अनुसूची 3 में निर्धारित भुगतान कार्यक्रम के अनुसार चुकाया जाएगा।

2.07 भुगतान की मुद्रा डालर है।

विवरण III

विश्व बैंक के जरिए वित्त पोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)

घटक के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली सामग्री	लक्ष्य: (2007-12)	उपलब्धियां मार्च, 2012 तक
1	लक्षित कार्यकलापों का स्थापना	2100	1821
2	सिंड्रोमिक प्रबंधन तक पहुंच स्थापित करने वाले यौन संचारित संक्रमणों (एसटीआई) के लक्षणों से युक्त वयस्कों की संख्या	प्रति वर्ष 150 लाख (नाको और एनआरएचएम)	98.83 लाख (2011-12 के दौरान)
3	रक्त घटक पृथककरण यूनिटों की स्थापना	162 (82 मौजूदा-80 नई प्रस्तावित)	159
4.	जिला स्तरीय रक्त बैंकों की स्थापना	39	25

विवरण IV

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त संघटक के अंतर्गत कार्यरत सुविधा केन्द्रों का राज्य वार संवितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसटीआई/आरटीआई क्लिनिक	लक्षित कार्यकलाप-एनजीओ	रक्त बैंक
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	2
आंध्र प्रदेश	103	164	111
अरुणाचल प्रदेश	17	21	12
असम	27	60	26
बिहार	42	52	36
चंडीगढ़	4	12	4
छत्तीसगढ़	20	47	15
दादरा और नगर हवेली	1	3	1
दमन और दीव	2	7	1
दिल्ली	29	90	20
गोवा	4	16	3
गुजरात	59	117	80
हरियाणा	30	59	20
हिमाचल प्रदेश	18	24	14
जम्मू और कश्मीर	19	6	19
झारखंड	27	37	23
कर्नाटक	52	118	66
केरल	21	52	45
मध्य प्रदेश	75	57	60
महाराष्ट्र	10	175	101
मणिपुर	8	69	3
मेघालय	11	8	5
मिजोरम	63	37	10
नागालैंड	11	52	8

1	2	3	4
ओडिशा	38	80	61
पुदुचेरी	4	5	5
पंजाब	29	57	45
राजस्थान	52	63	45
सिक्किम	6	6	2
तमिलनाडु	156	86	94
त्रिपुरा	14	14	6
उत्तर प्रदेश	96	100	85
उत्तराखंड	20	32	19
पश्चिम बंगाल	43	93	62
भारत	1,112	1,821	1,109

विवरण V

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त संघटकों के अंतर्गत सेवाओं के उपयोग और कार्यरत सुविधा-केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष में प्रबंधित एसटीआई/आरटीआई घटनाओं की संख्या	लक्षित कार्यकलापों के माध्यम से कवरेज					
		महिला सेक्स वर्कर	पुरुषों के साथ मैथुन करने वाले पुरुष	इंजेक्शन से नशे की दवा लेने वाले व्यक्ति	प्रवासी	ट्रक ड्राइवर	एकत्र रक्त यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,484	0	0	0	0	0	3,199
आंध्र प्रदेश	14,67,252	1,36,482	34,349	1,900	1,80,000	2,63,103	7,29,843
अरुणाचल प्रदेश	19,780	3,810	246	1,772	37,888	0	4,548
असम	1,69,734	20,520	2,200	4,127	43,887	22,459	185,421
बिहार	3,01,408	23,064	5,964	5,357	0	12,210	1,31,445
चंडीगढ़	29,418	4,049	2,741	1,051	17,496	0	77,539
छत्तीसगढ़	68,371	18,466	3,345	2,644	7,731	1,26,697	51,109
दादरा और नगर हवेली	6,750	0	0	0	11,917	35,415	5,013

1	2	3	4	5	6	7	8
दमन और दीव	1,773	553	438	0	88,326	24,272	1,185
दिल्ली	3,61,441	37,400	15,800	9,200	53,814	1,90,243	6,00,345
गोवा	37,199	3,769	2,880	700	33,220	19,043	16,106
गुजरात	7,67,101	31,011	38,336	954	4,26,449	3,02,131	7,94,572
हरियाणा	2,83,048	16,067	6,550	4,800	1,19,615	0	2,89,331
हिमाचल प्रदेश	91,153	8,500	400	800	60,000	0	27,213
जम्मू और कश्मीर	92,297	980	452	641	1,725	0	57,453
झारखंड	1,43,945	12,071	1,425	986	0	62,166	1,16,316
कर्नाटक	10,20,679	77,526	26,858	1,750	84,763	22,564	5,85,073
केरल	3,08,018	28,988	20,760	5,915	96,001	45,077	3,72,395
मध्य प्रदेश	212	0	0	0	0	0	3,55,470
महाराष्ट्र	4,87,426	12,756	4,158	2,706	8,21,271	2,45,692	13,25,003
मणिपुर	44,587	79,277	38,790	2,127	4,60,911	5,17,864	19,216
मेघालय	15,820	7,105	1,900	24,678	12,590	0	8,366
मिजोरम	48,282	1,831	200	1,094	2,978	0	22.817
नागालैंड	35,985	1,424	550	12,268	23,638	0	8,073
ओडिशा	2,55,121	2,797	1,218	19,431	4,167	15,896	3,25,496
पुदुचेरी	16,316	12,435	5,648	2,429	80,057	40,000	25,630
पंजाब	1,87,711	2,126	2,088	0	5,944	0	3,70,896
राजस्थान	3,42,818	24,544	4,607	11,650	17,330	1,48,204	5,24,222
सिक्किम	10,239	25350	8,803	1,750	1,10,000	1,00,000	3,512
तमिलनाडु	9,72,277	761	0	1,471	0	0	7,11,080
त्रिपुरा	53,997	56433	39,839	553	82,265	1,31,505	22,534
उत्तर प्रदेश	7,39,120	8441	187	760	12,535	0	7,53,569
उत्तराखंड	1,24,176	21550	10,200	12,650	0	1,65,584	84,826
पश्चिम बंगाल	3,40,472	8150	2,280	1,900	56,603	0	8,23,185
भारत	98,83,696	7,34,186	2,91,946	1,43,913	29,69,872	26,93,145	93,32,093

[हिन्दी]

एअर इंडिया में कर्मचारी-विमान अनुपात

4585. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में एअर इंडिया में कर्मचारी-विमान अनुपात क्या है;

(ख) क्या एयरलाइनों के संचालनात्मक नेटवर्क के संबंध में तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह अनुपात संतोषजनक माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयरलाइनों में हाल की हड़तालों के परिणामस्वरूप समूचे देश में कर्मचारियों की कमी अनुभव की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कर्मचारियों की कमी से निबटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया में विमान और कर्मचारियों का अनुपात 1:237 था। एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन का विमान और कर्मचारियों का अनुपात भिन्न-भिन्न है, एयरलाइन के आन्तरिक रूप से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और विस्तार-क्षेत्र पर निर्भर करता है। अधिकांश एयरलाइनों ने अपने अनेक कार्यों को आउटसोर्स कर दिया है और इसके फलस्वरूप एअर जहां इंडिया अधिकांश कार्य आन्तरिक रूप से निष्पादित किए जा रहे हैं, की तुलना में उनके विमान और कर्मचारियों का अनुपात कम है।

(घ) से (च) जी नहीं। तथापि, एअर इंडिया प्रबन्धन समय-समय पर अपनी जनशक्ति अपेक्षाओं की समीक्षा करता है और जहां कहीं कमी पाई जाती है, तदनुसार, वहां कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

बीआरजीएफ हेतु बारहवीं योजना

4586. श्री वैजयंत पांडा: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के अन्तर्गत आबंटन का निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार वितरण की रीति क्या है;

(ग) क्या योजना के प्रारंभ से ही ओडिशा राज्य को 232 करोड़ रुपए की शेष राशि जारी की जानी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) जी नहीं। चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है अत: बीआरजीएफ के अंतर्गत आबंटन पर निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जा सकने के कारण वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक ओडिशा सरकार को 192.36 करोड़ रु. की राशि जारी नहीं की जा सकी। बीआरजीएफ के अंतर्गत निधियां व्यपगत हैं तथा यदि कोई राज्य दिए गए वर्ष में अपनी हकदारी का दावा करने में विफल रहता है, तो उन्हें तदुपरांत जारी नहीं की जा सकती।

बौद्ध सभ्यता की खुदाई

4587. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.एस.आई. के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम की जन्मशती मनाने के लिए सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिर का अन्वेषण किया है तथा अनेक संबंधित स्थानों की खुदाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सभ्यता की एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई खुदाई के महत्वपूर्ण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह जानकारी दी है कि एजेक्जेंडर कनिंघम की जन्मशती वर्ष 1914 थी और इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एलेक्जेंडर कनिंघम की जन्मशती को चिन्हित करने के लिए कोई अन्वेषण और खुदाई नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

4588. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में आतंकी हमलों में घायल व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में उपचार किए गए ऐसे घायल व्यक्तियों की उड़ीसा सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आतंकी हमलों में घायल व्यक्तियों को अपर्याप्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने के बारे में सरकार द्वा प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन से अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) 'जन स्वास्थ्य' राज्य का विषय है और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित राज्य में आतंकवादी हमले में घायल लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा उपचार प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य सरकारों का है। आतंकवादी हमले में घायल व्यक्तियों की संख्या अथवा ऐसे व्यक्तियों को दिए गए उपचार का ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 9 नक्सल प्रभावित राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2011 में उपलब्ध जन स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आतंकवादी हमलों में घायल व्यक्ति को अपर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के बारे में इस मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में उनकी वार्षिक राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार फ्लेक्सिबल निधियां प्रदान की जाती हैं:-

* भौतिक अवसंचरना का उन्नयन और विनिर्माण सहित स्वास्थ्य तंत्र का सुदृढ़ीकरण
* स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों का संवर्धन;
* औषधों और उपस्करों सहित आपूर्तियां और संभारतंत्र;
* आपाती अनुक्रिया के लिए एंबुलेंस सहित रोगी परिवहन;
* दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु चल चिकित्सीय यूनिट (एमएमयू);
* सामुदायिकीकरण, जिसमें आशा की सहभागिता और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां तथा रोगी कल्याण समितियां शामिल हैं;
* जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सहित प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में पहलें;
* संचारी रोगों पर विशेष फोकस के साथ रोगी भार में कमी लाना;
* आयुष को मुख्य धारा में लाना।

उपर्युक्त कार्यकलाप वाम चरमपंथी (एलडब्ल्यूई) द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में भी किए जा रहे हैं। वास्तव में राज्य सरकारों को कहा जाता है कि वे खराब स्वास्थ्य संकेतकों वाले जिलों को प्राथमिकता दें।

विवरण

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध जन स्वास्थ्य सुविधाओं की राज्य वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	उप केन्द्रों	पीएससी	सीएचसी	उप संभागीय अस्पतालों	जिला अस्पतालों
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12522	1624	281	58	17

1	2	3	4	5	6	7
2.	बिहार	9696	1863	70	40	36
3.	छत्तीसगढ़	5076	741	148	17	17
4.	झारखंड	3958	330	188	10	21
5.	मध्य प्रदेश	8869	1156	333	56	50
6.	महाराष्ट्र	10580	1809	365	81	23
7.	ओडिशा	6688	1228	377	26	32
8.	उत्तर प्रदेश	20521	3692	515	0	72
9.	पश्चिम बंगाल	10356	909	348	45	16
	कुल	88266	13352	2625	333	284

स्रोत: मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार डाटा-ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस), 2011।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

4589. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा परिचालित आदर्श नियमों के संगत दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियम बनाए हैं;

(ख) क्या सरकार उन राज्यों को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने व्यापक स्तर पर जागरुकता फैलाने तथा अधिनियम के अंतर्गत निगरानी प्रवर्तित करने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) सरकार के पास सूचना है कि संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत सरकार द्वारा परिचालित मॉडल नियमावली के अनुरूप दहेज प्रतिषेध नियम बनाए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) अधिनियम के तहत जागरुकता फैलाने और क्रियान्वयन के मानीटरन के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र या केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं बनाई है न ही ऐसी कोई स्कीम बनाने का प्रस्ताव है। फिर भी सरकार प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम चलाती है और समय-समय पर राज्य सरकार के साथ अधिनियम के क्रियान्वयन की संवीक्षा करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज प्रथा सहित महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सेमिनार कार्यशाला, सम्मेलन जन सुनवाई इत्यादि भी आयोजित करता है।

विवरण

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत भारत सरकार द्वारा परिचालित मॉडल नियमावली के अनुरूप नियम बनाने वाले राज्यों के नाम

क्र.सं.	राज्य का नाम
1	2
1.	असम

1	2
2.	बिहार
3.	गोवा
4.	गुजरात
5.	छत्तीसगढ़
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	कर्नाटक
9.	केरल
10.	मध्य प्रदेश
11.	मणिपुर
12.	ओडिशा
13.	राजस्थान
14.	तमिलनाडु
15.	त्रिपुरा
16.	उत्तर प्रदेश
17.	पश्चिम बंगाल
18.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
19.	चंडीगढ़

वीजा की आउटसोर्सिंग

4590. श्री महाबली सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट एवं वीजा आवेदनों के लिए विभिन्न भारतीय मिशनों को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने के लिए सेवा शुल्क के रूप में एक विदेश आधारित कंपनी द्वारा अत्यधिक धनराशि ली जा रही है जिससे भारत में पर्यटकों के आगमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कंपनी ने पूर्ववर्ती संविदा के पूर्ण होने के पश्चात उसी मिशन के लिए पुनिर्विदा प्रक्रिया के दौरान कई अन्य देशों में सेवा शुल्क में भारी कमी कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा प्रक्रिया में बोलीदाता कंपनियों द्वारा उल्लेख किए गए सेवा प्रभारों पर निर्णय स्थानीय शर्तों के आधार पर लिया जाता है। ऐसे सेवा प्रभारों की मात्रा भारत में पर्यटकों के आगमन को प्रभावित नहीं करती है।

(ग) और (घ) वर्तमान मानदंडों के अनुसार, केवल भारतीय/भारतीय मूल की कंपनियां, भारतीय अथवा विदेशी मूल के स्थानीय भागीदार सहित अथवा उसके बिना, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों विदेश मंत्रालय के व्यापक दिशा-निर्देशों, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) पर आधारित है, के अनुसार खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाती है। ऐसे उपायों से किसी एक कंपनी के बढ़ा-चढ़ाकर दरों का उल्लेख करने और संविदा प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो जाती है।

सोलर चार्जिंग स्टेशन

4591. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीयकृत सोलर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निजी निवेश की कुल राशि के बारे में अभी तक कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार देश के विभिन्न राज्यों में 1000 गांवों में प्रति 50/60 लालटेनों को चार्ज करने के लिए प्रत्येक 300 डब्ल्यूपी क्षमता के 1000 केन्द्रीकृत सौर चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सभी सौर चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया गया है और इनके संतोषजनक रूप से कार्य करने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) और (घ) लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य सोपाधिकताओं के अध्यधीन अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन और वितरण में स्वत: पद्धति के अंतर्गत 100% तक की अनुमति है।

(ङ) और (च) अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में हैं और अधिकांश परियोजनाएं बीओओ आधार पर की जाती हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर पीईडब्ल्यू चैरिटेबल ट्रस्ट 2011 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2011 में भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 10.2 बिलियन यूएस डालर था। यह भी अनुमान लगाया गया है कि निवेश की पांच वर्ष की वृद्धि दर 23% होगी।

शिशुओं/नवजात शिशुओं में विटामिन 'के' की कमी

4592. श्री खगेन दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आज की तिथि तक देश में पंजीकृत विटामिन 'के' की कमी के कारण शिशुओं/नवजात शिशुओं की मृत्यु के राज्य-वार मामले कितने हैं;

(ख) शिशुओं को विटामिन 'के' की खुराक देने के लिए दिश-निर्देशों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ये दिशानिर्देशित किस रीति से कार्यान्वित किए जाते हैं;

(ग) क्या कतिपय अस्पताल इस बारे में दिश-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) एनआरएचएम के आरसीएच कार्यक्रम में देश में विटामिन की कमी से मरने वाले नवजातों/शिशुओं का राज्य-वार ब्यौरा राष्ट्रीय स्तर नहीं रखा जाता।

(ख) प्रसवपूर्व परिचर्या और जन्म के समय कुशल परिचारिका संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार जन्म के समय सभी नवजातों को स्टाफ नर्स/एलएचवी द्वारा विटामिन के की सूई जांघ की मांशपेशियों में लगाई जानी चाहिए और 1500 ग्राम से कम वजन वाले शिशुओं की खुराक 05. एमजी और 1500 ग्राम से अधिक वजन वालों के लिए खुराक 1.0 एमजी है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

(ङ) एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण कौशलयुक्त जन्म परिचारिका प्रशिक्षण, सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या प्रशिक्षण और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) के जरिए किया जाता है ताकि उनके ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि हो।

[हिन्दी]

एटीसी प्रणाली

4593. श्री प्रदीप कुमार सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई यातायात नियंत्रण (एओसी) प्रणाली में कर्मचारियों/विशेषज्ञों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कमी से विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे गंभीर सुरक्षा खतरे होंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं से निबटने के लिए तथा रिक्त पदों को विहित समय-सीमा में भरने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में विमान यातायात नियंत्रण आधिकारियों की वास्तविक संख्या 2153 है, जबकि संस्वीकृत संख्या 2417 है।

(ग) जी नहीं। यात्रियों की सुरक्षा मामलों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है और उनकी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाता है।

(घ) वर्ष 2012 में 200 नियंत्रकों की भर्ती करके रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा चुकी है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को ऋण प्रदान करना

4594. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने चेतावनी दी है कि बैंकों द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण देने से मुकरने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में देश में विद्युत परियोजनाओं को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय को योजना आयोग से बैंकों द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण देने से मुकरने के खतरे की चेतावनी वाली कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) आर.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2009, मार्च 2010, मार्च 2011 तथा दिसंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का विद्युत क्षेत्रों पर कुल बकाया ऋण नीचे दिया गया है-

बैंक समूह	विद्युत क्षेत्र पर कुल बकाया ऋण			
	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.12.2011
राष्ट्रीय बैंक	64112.56	101074.06	175003.40	205339.33
स्टेट बैंक ग्रुप	22455.41	21351.34	28195.60	29573.95
पुराने निजी क्षेत्र बैंक	4039.77	7277.77	8204.98	8217.46
नये निजी क्षेत्र बैंक	2674.78	4857.61	13967.21	16790.62
विदेशी बैंक	759.49	695.14	1228.36	2611.63
कुल	94042.01	135255.92	226599.55	262532.99

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विद्युत क्षेत्र कंपनियों को राज्य-वार तथा बैंक-वार संवितरित ऋणों के साथ ही दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र कंपनियों द्वारा चुकाये गए ऋण की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.09.2011 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विद्युत क्षेत्र में बकाया ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेंट्रल बैंक	कारपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	आईसी आईसी आई बैंक	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक	यूनाइटेड बैंक	यूको बैंक	यूनाइटेड बैंक	यूको बैंक	विजया बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह																											
आंध्र प्रदेश	626.81	3810.99	977.60	4120.00	129.03	744.11	469.17	342.29	705.25	1335.96	2466.39	369.00	1200.67	351.00	1203.78	2486.28	610.72	379.93	1755.25	1302.58	1605.66	655.50	1157.49	571.40	45.00	43.00	29464.86
अरुणाचल प्रदेश										202.14											11.73						213.87
असम											50.62								1.45		6.62						58.69
बिहार				100.00							0.92										369.98						470.90
छत्तीसगढ़	213.63	492.28	62.91	1385.00		423.75	298.21	16.79	170.83	575.64	16.60	154.00		252.00				359.83	245.34	101.20	1408.52		49.77			111.00	6337.30
चंडीगढ़								37.68													29.48						67.16
दादरा और नगर हवेली																											0.00
दमन और दीव							24.26																				24.26
दिल्ली	2836.99	151.44	1123.01	400.00	548.32	58.84	763.58	623.85	595.89	540.90	3661.65	861.00	1470.15	4399.00	2369.20	590.40	1958.19	32.29	1923.54	827.00	1011.83	1662.60	109.51	318.81	1252.87	102.31	30193.17
गोवा											0.89																0.89
गुजरात	1009.99	200	891.55	4965.00	480.94	691.87	214.62	287.56	747.52	339.11	234.85	587.00	1139.79	275.00	5.00	968.58	1578.42	525.48	1524.23	814.96	13616.81	525.00	118.82		28.81	304.45	32075.36
हरियाणा	1131.22	305.42		1375.00	241.56		1272.15	63.42	799.53	1080.93	1310.97	766.00	540.18	926.00	788.36	882.89	857.54	52.99	1341.20	1157.36	85.31				213.80	79.49	15271.32
हिमाचल प्रदेश		24.66		755.00		9.93	885.44			399.55		485.00			133.33			209.96	183.95	425.96	185.59			6.20		30.00	3734.57
जम्मू और कश्मीर						640.24	29.84										60.89							30.37			761.34
झारखंड	235.74	79.71		818.00			239.71		7.25	27.36								211.66	4.00		2513.75		153.87	93.56		206.05	4590.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
कर्नाटक		303.21	41.93	2682.00	720.90		29.52	2027.33	643.38	951.15	401.77	928.00	240.63	1749.00	748.84	517.77	900.98	60.84	831.47	1989.24	3455.61	200.00	324.57	680.41	80.00	391.24	20899.79
केरल			4.91			11.52				4.30	49.21			3.00			0.29			299.00	4.80						377.03
लक्षद्वीप																											0.00
मध्य प्रदेश		68.28	3.03	200.00		139.30	713.28		419.85		26.54	510.00	25.01				317.86	189.45	11.47		667.17		7.01	3.28			3301.53
महाराष्ट्र	698.96	365.64	2674.95	9275.00	2280.99	938.64	826.00	559.88	1302.30	1013.03	664.85	2801.00	912.85	3260.00	206.84	1417.46	855.56	199.17	1887.67	971.42	8809.08	834.70	244.36	253.20	565.62	185.58	44004.75
मणिपुर																											0.00
मेघालय							77.18													30.95							108.13
मिजोरम																											0.00
नागालैंड																											0.00
ओडिशा	221.17	654.80	0.65	1390.00		358.17	568.95		127.42	95.19	0.26	396.00	101.48	373.00		204.22	710.25	170.54	458.93	90.16	219.70		112.51	46.47		30.00	6329.87
पंजाब	370	5.47	0.30	1990.00	783.22	23.15	1505.94		200.00	159.80	1500.33	224.00	2136.00	1321.00	666.51		500.00	127.34	783.39	945.72	7.16		11.00	11.00	85.10	8.20	13364.63
पुदुचेरी											96.30																96.30
राजस्थान	1213.33	1670.86	28.03	3010.00	1132.68	253.08		1782.53	1082.34	1219.84	867.59	421.00	2233.58	1008.00	1774.18	997.19	2912.85	699.45	2855.79	1257.08	1577.46	1877.94		101.56			29976.36
सिक्किम						347.89			88.48									107.35		39.35			52.55				635.62
तमिलनाडु	668.12	653.04	492.86	1850.00	89.04	194.33		1118.45	703.43	2002.06	2933.40	311.00	281.89	3639.00	650.66	1793.37	138.46	413.16	3052.58	881.82	5391.62	51.08	208.05	222.53	29.50	566.00	28335.45
त्रिपुरा						200.06																					200.06
उत्तराखंड		127.59		175.00		122.33			127.50	21.52		411.00	11.20	19.00				128.00		101ण17	334.95		264.87				1844.13
उत्तर प्रदेश	3065.31	142.20	2.14	1788.00	209.64	433.64		657.23	516.93	368.04	753.90	1246.00	1583.04	2023.00	510.02	192.38		277.64	857.59	783ण23	6302.43	80.00	336.30	50.08			22178.74
पश्चिम बंगाल	1321.02	131.39	635.31	2800.00	24.24			63.03	161.77	742.21	845.09	506.00	223.79	812.00	321.68	200.32	158.60	1699.32	1041.50	171ण10	265.63	239.56		160.48	241.36		12765.40
कुल	13612.29	9186.98	6939.18	39078.00	6640.56	5590.85	7917.85	7580.04	8399.67	11078.73	15882.13	12617.00	12100.26	20410.00	9378.40	10250.86	-11560.61	5844.40	18759.35	12189ण30	47880.89	6126.38	3150.68	2549.35	2542.06	2057.32	297762.53
पुनर्भुगतान	3467.27	2332.66	*	10000.00	890.44	**	678.33	1940	*	513.84	1512.71	1092.00	1894.66	4201	2785.61	1385.35		282.96	*		5021.33	2612.8	650.68	356.65	456.62	136.53	42211.42

* सभी पुनर्भुगतान समय पर प्राप्त हुए।

** अधिकतर परियोजनाएं कार्यान्वित के अंतर्गत हैं तथा पुनर्भुगतान को छोड़कर।

हालांकि 2 मामलों में देय तिथि तक पुनर्भुगतान प्राप्त हो गया, पुनर्गठन की मांग गया है।

मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में भ्रष्टाचार

4595. **श्री एस. अलागिरी:**
श्री रतन सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) द्वारा निरीक्षित मेडिकल और डैंटल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एनआईएमएस) सहित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान एमसीआई और डीसीआई द्वारा कमियां, अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान में आए हैं;

(ग) ऐसे चूककर्ता मेडिकल/डेंटल कॉलेजों और पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच/मामले दर्ज करने की अनुमति दी है;

(घ) क्या उक्त मंत्रालय ने कुछ मेडिकल/डेंटल कॉलेजों और पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच/मामले दर्ज करने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं एवं आज की तारीख तक जांच की स्थिति क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने क्रमश: लगभग 4091 चिकित्सा महाविद्यालयों और 3083 दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण किया। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कतिपय कमियों को देखते हुए 95 चिकित्सा महाविद्यालयों और 30 दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों को नवीकरण की अनुमति/अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने 11 चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं जहां पर कतिपय अनियमितताएं और भ्रष्टचार प्रथाएं देखी गईं इसके साथ-साथ बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 5 दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों को बन्द कर दिया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने वर्ष 2012-13 में निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद को एमडी (जैव-रसायन) पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान नहीं की।

(घ) और (ङ) 15 चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले जांच करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास हैं जिनमें से 4 चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को 3 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए प्राथमिक जांच रिपोर्ट/स्वत-स्पष्ट नोट भेज दिया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	एमबीबीएस			पीजी/डिप्लोमा		
		2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15	15	21	115	248	155
2.	असम	2	2	3	10	0	14
3.	बिहार	2	4	8	10	44	19
4.	चंडीगढ़	0	0	0	८	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	2	1	2	2	3	0
6.	दिल्ली	2	3	4	16	7	21
7.	गोवा	0	0	1	0	0	0
8.	गुजरात	11	14	14	24	38	19
9.	हरियाणा	1	3	4	6	9	2
10.	हिमाचल प्रदेश	1	2	2	16	24	17
11.	जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	4	7
12.	झारखंड	0	5	1	0	0	1
13.	कर्नाटक	11	25	21	116	429	199
14.	केरल	14	15	12	41	138	115
15.	मध्य प्रदेश	4	5	6	0	75	26
16.	महाराष्ट्र	6	14	17	145	272	84
17.	मणिपुर	1	1	1	0	0	0
18.	ओडिशा	6	7	6	0	31	15
19.	पुदुचेरी	5	5	3	8	72	38
20.	पंजाब	3	6	5	2	50	28
21.	राजस्थान	4	10	7	69	55	44
22.	सिक्किम	1	1	1	0	7	3
23.	तमिलनाडु	18	29	24	13	209	75
24.	त्रिपुरा	2	1	0	0	16	3
25.	उत्तर प्रदेश	–	21	19	21	78	79
26.	उत्तराखंड	3	2	1	0	35	13
27.	पश्चिम बंगाल	2	16	9	50	51	25
	कुल	127	209	192	665	1895	1003

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षक दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	बीडीएस/एमडीएस		
		1.4.2009-31.3.2010	1.4.2010-31.3.2011	1.4.2011-31.3.2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	53	69	122
2.	असम	1	2	0

1	2	3	4	5
3.	बिहार	12	14	28
4.	छत्तीसगढ़	19	28	40
5.	दिल्ली	5	10	8
	गोवा	0	1	2
6.	गुजरात	18	31	61
7.	हरियाणा	28	26	61
8.	हिमाचल प्रदेश	10	16	22
	जम्मू और कश्मीर	8	12	9
	झारखंड	8	9	8
9.	कर्नाटक	114	140	278
10.	केरल	41	47	88
11.	मध्य प्रदेश	28	40	97
12.	महाराष्ट्र	109	122	171
13.	मणिपुर	2	0	0
14.	ओडिशा	13	16	11
15.	पुदुचेरी	8	8	14
16.	पंजाब	33	24	33
17.	राजस्थान	39	43	89
18.	सिक्किम	6	0	0
19.	तमिलनाडु	69	70	90
20.	त्रिपुरा	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	107	134	181
22.	उत्तराखंड	9	10	5
23.	पश्चिम बंगाल	14	17	19
24.	दमन और दीव	1	1	1
	कुल	755	890	1438

विमानन विनियामक

4596. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री पी. लिंगम:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय के पूर्व प्रमुख, जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया था, को बाद में अन्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय के अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार को दिनांक 01.12.2010 से महानिदेशक नागर विमानन के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। दिनांक 09.07.2012 के पत्र द्वारा महानिदेशक नागर विमानन का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया। इसके पश्चात, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने दिनांक 13.07.2012 के आदेश, संख्या 16.6.2012-ई ओ (एस. एस.आई) द्वारा उन्हें इस्पात मंत्रालय में अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

आनुवांशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थों का प्रभाव

4597. डॉ. भोला सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लोगों, विशेषकर पहिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर आनुवांशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है/करने के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचना दी है कि आनुवांशिक रूप से रूपान्तरित खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक जन्तुओं की जाँच की गई है, न कि मनुष्यों पर। अन्य देशों के विपणन पश्चात मूल्यांकन पर आधारित उपलब्ध सूचना से मानव जनसंख्या द्वारा विगत 10 वर्षों से जीएम खाद्य पदार्थों का सेवन किए जाने के बावजूद कोई प्रतिकूल घटना का संकेत नहीं मिलता है।

(ग) सरकार जीएम खाद्य पदार्थों के क्षेत्र परीक्षणों के संबंध में एक स्थगन-काल (मोरैटोरियम) जारी किया है तथा इन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से जारी नहीं किया गया है। अत: मनुष्य के स्वास्थ्य पर इन फसलों के प्रभाव का मूल्याकंन फिलहाल नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा बॉलीवुड के सितारों को मुफ्त यात्रा

4598. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (आई.आई.एफ.ए.) अवार्ड्स में बालीवुड के सितारों को भाग लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें मुफ्त/रियायती दर पर यात्रा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण/औचित्य क्या हैं;

(ग) इस सुविधा का लाभ कितने लोगों ने उठाया है और इसके परिणामस्वरूप एअर इंडिया को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस संबंध में आई.आई.एफ.ए. से कितनी निधियां प्रभारित की गई हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी नहीं। एआर इंडिया ने मैसर्स विजफ्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (आईआईएफए का प्रवर्तक के साथ सिंगापुर में 7-9 जून, 2012 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के अधिकारिक एयरलाइन भागीदार के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एक बार्टर समझौता था जिसमें एअर इंडिया ने, प्रचार के बदले टिकटें उपलब्ध कराई थीं ताकि किसी प्रकार के नकदी व्यय से बचा जा सके।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

डी.जी.सी.ए. का आई.सी.ए.ओ. द्वारा लेखा परीक्षा

4599. श्री पी. कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय का किये गए लेखा परीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.सी.ए.ओ. के कुछ अनुसंशाओं/निष्कर्षों को अभी भी कार्यान्वित किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या डीजीसीए पुन: आईसीएओ द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा के अंतर्गत आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश की आकाशीय सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा डी.जी.सी.ए. को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि देश शिकागो अभिसमय के तहत संरक्षा निगरानी का अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, इकाओ सभी संविदाकारी देशों के नियमित, अनिवार्य, व्यवस्थित और सौहार्द्रपूर्ण संरक्षा ऑडिट करता है शिकागो अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, अन्य सभी संविदाकारी देशों की भांति, इकाओ द्वारा भारत का ऑडिट भी किया जाता है।

इकाओ ने अपने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) के तहत अपनी कंप्रेहिंसिव सिस्टम्स एप्रोच (सीएसए) के अंतर्गत 1999, 2001 और 2006 में डीजीसीए का ऑडिट किया था।

(ख) और (ग) अक्टूबर 2006 के ऑडिट के परिणामस्वरूप विधान, संगठन, प्रचालन, उड़नयोग्यता, लाइसेंसिंग, एयरोड्रोमो, हवाई दिक्चालन सेवाओं और दुर्घटना जांच के क्षेत्रों में 70 निष्कर्ष और सिफारिशें की गईं। चिंता के मुख्य क्षेत्र डीजीसीए में जनशक्ति की कमी, भारत में हवाई दिक्चालन की सेवाओं में विनियमन की कमी, विमान दुर्घटना/घटना जांच में स्वतंत्रता की कमी और विमानन विनियमों में प्रवर्तन की कमी से संबंधित थी। 70 निष्कर्षों और सिफारिशों में से, 66 क्रियान्वयन की जा चुकी है और निम्नलिखित शेष 4 निष्कर्षों और सिफारिशों के संबंध में भी कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है:-

I. डीजीसीए में जनशक्ति की कमी।

II. तकनीकी जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण की कमी।

III. हवाई दिक्चालन सेवाओं के प्रमाणन के लिए विनियम बनाया जाना।

IV. अनुसचित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए प्रयुक्त सभी एयरोड्रोमों को लाइसेंस दिया जाना।

(घ) और (ङ) जी, हां। इकाओ द्वारा अक्तूबर 2006 में किए गए भारत के ऑडिट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर भारत द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने और उसे विधि मान्य करने के लिए इकाओ दिसम्बर 2012 में भारत के लिए इकाओ को ऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन (आईसीवीएम) का संचालन करेगा।

(च) संरक्षा सुनिश्चित करने उद्देश्य से, डीजीसीए के अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान सहित एयरलाइनों, प्रचालकों और अनुमोदित संगठनों के नियमित निरीक्षण/सर्विलांस करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये एजेंसियां निरंतर संरक्षा विनियामक अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं।

अंगदान हेतु मानक

4600. श्री निनोंग ईरींग: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगदान के संदर्भ में आम जनता के जीवन अवधि में सुधार लाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) हेतु नए मानक/दिशानिर्देश बनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के लिए ऐसा कोई दिशा-निर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुई]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री एम. आनंदन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नौदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 53 के अंतर्गत नौदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम, 2012 जो 25 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7393/15/12]

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि ओर प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 574(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई **देखिए** संख्या एल.टी. 7394/15/12)

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7395/15/12]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन के संबंध में न्यायमूर्ति एम.बी. शाह जांच आयोग-गोवा राज्य के बारे में रिपोर्ट।

(2) उपर्युक्त रिपोर्ट पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7396/15/12]

...(व्यवधान)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7397/15/12]

(3) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7398/15/12]

(5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7399/15/12]

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र, नानी दमन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र, नानी दमन के वर्ष 2010-2011 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7400/15/12]

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लक्षद्वीप, कावरत्ती के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लक्षद्वीप, कावरत्ती के वर्ष 2009-2010 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7401/15/12]

(11) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7402/15/12]

(13) (एक) झारखंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2009-2010 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7403/15/12]

(15) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, असम, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, असम, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7404/15/12]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): मैं श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल अधिनियम 1889 की धारा 199 के अंतर्गत रेल भूमि विकास प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2012 जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7405/15/12]

...(व्यवधान)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7406/15/12]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2010-2011 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7407/15/12]

(5) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई **देखिए** संख्या एल.टी. 7408/15/12)

(6) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 के उप-खंड (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1924(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राज्य एजेन्सियों को खरीफ विपणन सीजन 2012-13 के लिए 3.50 लाख गट्ठरों की कुल मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या का.आ. 88(अ) के प्रचालन से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7409/15/12]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं श्री नमो नारायण मीणा की ओर से राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7410/15/12]

(2) मध्य-अवधि व्यय ढांचा, सितम्बर, 2012

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7411/15/12]

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7411/15/12]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 48/2012-सी.शु. जो सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय 30 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 125/2011-सी.शु. का संशोधन करना है तथा जिसमें दक्षेस मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की अधिमान्य दरों को विहित किया गया है ताकि गैर-अल्पतम विकसित देशों के लिए संवेदी सूची में टैरिफ़ लाइनों की संख्या को 878 से कम करके 614 किया जा सके तथा संवेदी सूची में टैरिफ लाइनों की संख्या को 878 से कम करके 614 किया जा सके तथा संवेदी सूची स हटाई गई टैरिफ़ लाइनों द्वारा कवर किए गए माल पर 8 प्रतिशत के बुनियादी सीमा-शुल्क की अधिमान्य दर विहित की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एकक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7412/15/12]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 10, श्री जितिन प्रसाद–उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं श्री एस. गांधीसेलवन की ओर से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ.सं. 8-4/2011-स्था. जो 23 मार्च, 2012 के भारत साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सामान्य) विनियम, 1976 के विनियम 81 और 82 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 20 जुलाई, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 28 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7413/15/12]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 12, श्री तुषारभाई चौधरी–उपस्थित नहीं। मद संख्या 13, श्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटील–उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) फूड एण्ड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड एण्ड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7416/15/12]

(3) (एक) डी.बी. बरुआ कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डी.बी. बरुआ कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7417/15/12]

(5) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7418/15/12]

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लेखा पृथक्करण संबंधी सूचना प्रणाली विनियम, 2012 जो 11 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 16-07/2010-एफए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और वेबल सेवाएं) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 3-24/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.नसं. 3-24/2012 बी एण्डसीएस का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफसं. 3-24/2012 बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) "उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का 13)" जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 16-3/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) टेलीकम्युनिकेशन मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 8 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 116-5/2012-एमएन में प्रकाशित हुए थे।

(छह) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 27 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(सात) मोबाईल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम, 2012 जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 305-27/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ बेसिक टेलीफोन सर्विस (वायरलाईन) एण्ड सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस (संशोधन) विनियम, 2012 जो 7 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 305'08/2012 के भारत के राजत्र में अधिसूचना सं. 305-08/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 305/24/2011-क्यूओएस (एसपी) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) "सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की कालावधि) विनियम, 2012 (2012का 15)" जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 23-1/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) "सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का 12)" जो 14 ई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 16-2/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7419/15/12]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खुंटी): मैं वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 27वीं से 29वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज): मैं 4 सितम्बर, 2012 को आयोजित सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 7वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

"तम्बाकू जनित रोगों के बारे में दिनांक 18 मई 2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं तम्बाकू जनित रोगों के संबंध में सर्वश्री मकन सिंह सोलंकी और अधलराव पाटील शिवाजी, संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 18 मई, 2012 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 610 के (1) उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं।

"तम्बाकू जनित रोगों" के संबंध में दिनांक 18 मई, 2012 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर में टंकण संबंधी त्रुटि के कारण पृष्ठ संख्या 2 पर राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिक रोग और आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीएम) की शुरुआत का वर्ष 2012 दर्शाया गया है जबकि एनपीसीडीएिम 2010 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का संशोधित उत्तर अनुबंध में दिया गया है। टंकण संबंधी यह त्रुटि वर्तमान लोक सभा के 10वें सत्र के समापन के बाद हमारे ध्यान में आयी, इसलिए शुद्धि करने वाला विवरण अब प्रस्तुत किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2011-12 के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल.टी. 7420/15/12

सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया **देखिए संख्या एल.टी. 7421/15/12

अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2011-12 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की तथा 4 अगस्त, 2011 को संसद में इस संबंध में अपना पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन में 20 सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। समिति द्वारा की गई सभी 20 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दर्शायी गई है, जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है।

...(व्यवधान)

(एक) (ख) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): मैं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुशासनों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 22वां प्रतिवेदन लोक सभा में दिनांक 26.8.2011 को प्रस्तुत किया गया था प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण फरवरी, 2012 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई जिसे सदन के पटल पर रखा जाता है। मैं इस अनुबंध की समस्त विषयवस्तु को पढ़कर सदन का कीमतत समय लेना नहीं चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि इसे पढ़ा हुआ माल लिया जाए।

...(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल.टी. 7422/15/12

अपराह्न 12.05 बजे

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) (15वीं लोक सभा) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की और दिनांक 18 अगस्त, 2011 को लोक सभा में अपना 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में 27 सिफारिशों अन्तर्विष्ट थीं। मंत्रालय ने प्रतिवेदन पर विचार किया और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) के 19ें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर 19/12/2011 को प्रस्तुत किए। इन 27 सिफारिशों में से, समिति ने 20 सिफारिशों के बारे में, समिति ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया है। 04 सिफारिशों के लिए, मंत्रालय से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है।

समिति द्वारा की गई 27 सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रखा जाता हैं सदन का बहुमूलय समय खराब न हो, इसके लिए मैं अनुरोध करुंगा कि अनुबंध में दी गई विषय-वस्तु को पठित माना जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में उर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं, माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लोक सभा समाचार-भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत जारी निदेश 73क के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल.टी. 7423/15/12

सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में रखा गया **देखिए संख्या एल.टी. 7424/15/12

19वां प्रतिवेदन 'विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों' से संबंधित है। इसमें 13 सिफारिशें हैं जिनमें से सरकार ने सभी को स्वीकार कर लिया है।

समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रखा जा रहा है। मैं इस अनुबंध की समाप्त विषयवस्तु वो पढ़कर सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा निवेदन है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र–*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 13, सभा पटल पर रखे जायेंगे- श्री प्रदीप जैन

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): मैं श्री प्रतीक पाटील की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7414/15/12]

(3) (एक) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माईन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7415/15/12]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री वायालार रवि-उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 371ञ का अंत:स्थापन)

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 23क, श्री कपिल सिब्बल--उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन आज के लिये सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति

*सभा पटल पर रखे माने गये।

दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं पर्चियां सभा पटल पर तत्काल रख दें।

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जायेंगे।

...(व्यवधान)

(एक) केरल में सरंक्षित स्मारकों के समीप भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम में यह अभिनिर्धारित है कि संस्मारकों की 350 मीटर की परिधि के भीतर परिरक्षीत किसी प्रकार के नये भवन के निर्माण और मौजूदा निर्माण के रखरखाव के संबंध में सक्षम प्राधिकरण अर्थात सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। तथापि, जो लोग आवश्यक दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से एनओसी के लिए आवेदन करते हैं और जो समस्त प्रकार से पात्र हैं, उन्हें निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिये अनिश्चित समय तक इंतजारा करना पड़ता है। इसकी वजह से उन लोगों का पैसा एवं समय बर्बाद होता है जो एक मकान बनाना चाहते हैं अथवा अन्य कोई निर्माण-आरंभ करना चाहते हैं और ऐसे आवेदन बड़ी संख्या में प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ लंबित हैं। घर बनाना हर किसी का सपना होता है। हालांकि ऐसे परिरक्षित संस्मारकों, विशेषकर, मंदिरों के समीप कई परिवार रह रहे हैं और वे वहां काफी लंबे समय से रह रहे हैं, फिर भी यदि वे किसी नये घर का निर्माण प्रारंभ करना चाहें अथवा पुश्तैनी घर के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर मौजूदा आवास वाले पुराने घर का नवीनीकरण करना चाहें तो उन्हें प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिये अनिश्चित काल के लिये इंतजार करना पड़ता है।

केरल से एनओसी के लिये कई आवेदन हैं जो 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। निर्माण सामग्री की कीमतें दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं, अत: एनओसी आवेदनों पर कार्रवाई प्रारंभ करने में होने वाले इस प्रकार के अनिश्चित विलंब की वजह से लोगों को अत्यधिक कठिनाई होती है। वास्तव में विचाराधीन अधिकांश मामलों के आवेदन घरों के निर्माण से संबंधित हैं जिनमें गहन खनन अथवा ढेर का कृत्य अंतर्ग्रस्त नहीं है और इनसे समीप स्थित परिरक्षित संस्मारकों पर भी किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता तथा अधिकांश मामले एनओसी के लिये पात्र हैं। समस्या मात्र आवेदन पर कार्रवाई प्रारंभ किये जाने में होने वाला विलंब है।

अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ लंति आवेदनों पर कार्रवाई किये जाने में होने वाले अकारण विलंब से बचने के लिये आवश्यक कदम उठाए जायें और पात्र आवेदनों के संबंध में एनओसी यथासंभव शीघ्र जारी किए जाएं।

(दो) राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों के 'जाट' समुदाय को केन्द्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर): मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग द्वारा राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय के लोगों को 'अन्य पिछड़े वर्ग' में शामिल किए जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के अलावा पूरे राजस्थान के जाट वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग में वर्ष 1999 में शामिल किया गया है परन्तु राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग को अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है। जबकि भतरपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग आज कई दृष्टियों से पिछड़े हैं न जाने किस आधार पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को 'अन्य पिछड़ा वर्ग' में शामिल नहीं किया। मैंने कई बार सदन में प्रश्न करवाकर परंतु सरकार ने इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। अपने प्रश्नों में भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग शामिल नहीं करने के कारणों को जानना चाहा परंतु कारणों को आज तक नहीं बताया गया है। केवल इसके नोटिफिकेशन एवं इसकी तारीख की जानकारी देकर मुझे इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। 1997 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सिफरिशों में इन जाटों के बारे में बताया होगा एवं किस तरह से यहां के जाट अन्य जाटों से पिछड़े नहीं है। क्या इस संबंध में कोई सर्वे करवाया गया है जिससे भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली गई? धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होने से केन्द्रीय सरकार के पदों एवं सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाटों को नहीं शामिल किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो सिफारिशें दी हैं वे क्या हैं एवं विशेष नोटिफिकेशन के तरह भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए।

(तीन) चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में कार्यरत आशा कार्यकर्त्ताओं का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन्सेंटिव बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर ध्रुवनारायण (चामराजनगर): प्रत्येक राज्य में 1000 या उससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक

सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मकार अर्थात प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) रखना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम) के अंतर्गत मुख्य रणनीतियों में से एक है। यह रणनीति समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक जा रहा है। आशा योजना के कार्यान्वयन ने हाल के वर्षों में काफी गति पकड़ी है जो कि प्रसव पूर्व जांच और प्रतिरक्षण, टीकाकरण, बच्चों के जन्म में अन्तर, आयोडीन युक्त नमक और ग्राम स्वच्छता को बढ़ावा देना आदि जैसे संकेततों पर झलकती हैं आशाओं को औषधि फिर उपलब्धत कराए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और पांच वर्ग से कम आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक खोज प्रणाली आरम्भ की जा रही है ताकि प्रतिगामी प्रसव पूर्व जांच और प्रतिरक्षण से धूटने को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। आशा घर-घर जाते हैं, और गांव के निवासियों की स्वास्थ्य स्थिति को समझने हेतु उनका एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण करते हैं। इस प्रकार आशा को ग्रामीण, ग्रामीणों में मौजूदा सामान्य रोगों, गर्भवती महिलाओं की संख्या, नवजात शिशुओं की संख्या, विभिन्न वर्गों के लोगों की शैक्षिक और सामाजिक आर्थक स्थिति, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्वास्थ्य स्थिति आदि के बारे में जानकरी प्राप्त हो जाएगी। सभी आशा पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति में या तो सदस्य के तौर पर अथवा विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो गए। आशा ग्राम पंचायतों के साथ ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में मिलकर कम कर सकते हैं।

एनआरएचएम योजना के अंतर्गत, आशा एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है जिसे कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आशा को राज्य स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य कर्यक्रमों के साथ जोड़कर उसके लिए सामान्यत प्रतिकर पैकेज बनाया गया है। यदि वह अपेक्षित मानदण्डों के अनुसार कार्य करता है तो वह प्रतिमास 1067 रुपये के लगभग कमाती है।

अत: आशा की सेवाओं को बचाने के लिए, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हार्दिक अनुरोध करता हूं। कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर तथा देश के अन्य भागों में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही बजटीय आबंटन में वृद्धि करके आशा कार्यकत्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के उपाय किए जाएं।

(चार) "अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों" के वर्गीकरण के लिए पात्र मानदण्ड में बदलाव लाने हेतु ऐसी आबादी की मौजूदा 25 प्रतिशत की कट-ऑफ सीमा को कम करके 20 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): देश में जिन जिलों में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है वही विशेष अल्पसंख्यक जिले घोषित किए गए हैं। देश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ ब्लाकों में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है परंतु जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से कम है। इन ब्लाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे अत्यंत गरीब एवं दयनीय हालत में है। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां पर अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं मिल नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि विशेष अल्पसंख्यक जिलों के स्थान पर विशेष अल्पसंख्यक की आबादी का प्रतिशत 25 प्रतिशत रखा जाए व जिले के स्थान पर ब्लॉक को इकाई माना जाए जिससे गरीब एवं दयनीय हालत में रहने वाले अल्पसंख्यकों का विकास हो सके।

(पांच) सरकारी परियोजनाओं को वरीयता दिए जाने तथा नेडुनूर में आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को गैस उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक नीति अपनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध प्रदेश विद्युत उत्पीदन निगम (आपजेनको) ने स्पेशल परपज व्हीकल के माध्यम से नेडुनूर गांव में 2100 मेगावाट वाली एक गैस आधारित बिजली परियोजना की शुरुआत की है। पहले ही, भूमि अधिग्रहण, जल आबंटन, प्रदूषण स्वीकृति और इस उद्देश्य हेतु सभी अनुमति जैसे विकास कार्य प्रारम्भ किए गए थे। परस्पर प्राथमिकता तय करने के लिए आवश्यकता जानकारी भी सी ईए को निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई थी। इस संबंध में सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और दिनांक 14.2.2010 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रथम चरण (1700 मेगावाट) के लिए शिलान्यास भी किया जा चुका है। इस परियोजना के लिए रिलायंस से केवल 9.72 एमएमएससीएमडी गैस का आबंटन मंत्रालय में लंबित है। इसके लिए, पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल 2007 में ही आंध्र प्रदेश सरकार को आश्वासन दे दिया गया। मंत्रालय द्वारा गैस का आबंटन नहीं किए जाने के कारण आपजेनको और एपीजीआईएनसीओ और रिलायंस का परस्पर समझौता अब तक लंबित हैं मैंने आंध्र प्रदेश के पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रियों और पेट्रोलियम मंत्रालय को नुडुलूर परियोजना के लिए गैस का आबंटन करने हेतु अनेक पत्र लिखे थे। परन्तु ऐसा लगता है कि मंत्रालय केवल परिचालन और अन्य गैर-सरकारी परियोजनाओं को ही प्राथमिकता दे रहा है। हाल ही में, मंत्रालय के अधिकारियों ने बारहवीं पंचवर्षीय

योजना के लिए गैस आबंटन पर चर्चा करने हेतु बैठक की थी। परन्तु ऐसा लगता है कि एपीजीडीएनसीपी नेडुनूर परियोजना को अब तक सम्मिलित नहीं किया गया है। निजी परियोजनाओं को गैस अब तक सम्मिलित नहीं किया गया है।

निजी परियोजनाओं को गैस आबंटित करने की बजाय एपीजीई एनसीओ के लिए गैस का आबंटन करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यह राज्य सरकार के अधीन आती है और यह आंध्र प्रदेश राज्य की परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। गैस लिंकेज आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक गैस की तुलना में लिंकेज आरएलएनजी की कीमत अधिक है। इसलिए मैं, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया निजी परियोजनाओं की बजाय सरकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की एक व्यापक नीति अपनाते हुए नेडुनूर परियोजना के लिए 9.72 एमसीएमडी गैस आबंटित की जाए।

(छह) चेन्नई और मदुरै के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य किए जाने तथा तमिलनाडु के विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): रेलवे लोगों की जीवनरेखा है। नई रेलवे परियोजना के संबंध में विगत अनेक वर्षों से तमिलनाडु की अनदेखी की जा रही हैं ब्रिटिशकाल से चेन्नै और तूतीकोरिन के बीच केवल एक रेलवे लाइन है। हालांकि चेन्नै और चेंगलपेट, डिंडीगुल और मदुरै के बीच दोहरी लाइनों के छोटे-छोटे टुकड़े हैं परन्तु इनसे चेन्नै और मदुरै के बीच रेल यातायात की आवश्यकताओं की पर्ति नहीं होती है। यदि चेन्नै और मदुरै के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है, तो यात्रियों की आवाजाही से यातायात की भीड़-भाड़ में काफी हद तक कमी आएगी।

विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को पांच वर्ष पहले स्वीकृति दी गई थी। कुल दूरी 350 कि.मी. के लगभग होगी। अब तक 120 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस वर्ष केवल 60 करोड़ रुपए आवंटित हुए, क्योंकि इस परियोजना में प्रगति का कार्य कछुआ चाल से हो रहा है इसे पूरा होने में लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे और उस समय तक व्यय 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगा। दक्षिण तमिलनाडु आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और माल की ढुलाई के लिए दूसरी लाइन नहीं है और यात्रियों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के आर्दश बंदरगाह के रूप में विकसित क्रियान्वयन हो रहा है और यदि दूसरी लाइन उपलब्ध करा दी जाती है तो माल की ढुलाई काफी हो जाएगी।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए टोकन राशि के तौर पर आगामी बजट में कम से कम 300 करोड़ रुपये के आबंटन की व्यवस्था की जाए।

(सात) लोक भविष्य निधि और डाक बचत स्कीमों के एजेंटों को कमीशन पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं सरकार का ध्यान देश के लघु बचत में लगे लाखों एजेंटों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्यामला गोपीनाथ कमेटी की संस्तुति के आधार पर पी. पी.एफ. स्कीम में एजेन्टों को मिलने वाला 1 (एक) प्रतिशत का कमीशन समाप्त कर दिया गया है तथा डाक योजनाओं में इस कमीशन को कम कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश के लाखों एजेंटों की आय पर संकट निर्माण हो गया है। इस विषय को पिछले बजट सत्र में भी उठाया गया था परंतु वित्त मंत्री महोदय द्वारा नीतिगत विषय कहते हुए इसे टाल दिया गया। छोटी-छोटी बचतों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा इन बचतों को आम आदमी के बीच लोकप्रिय बनाने में एजेंटों का बड़ा योगदान है। इन एजेंटों द्वारा लघु बचत की विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से किए जा रहे परिश्रम को नजरअंदाज करना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि एजेंटों का कमीशन पहले की भांति प्रदान किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(आठ) मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (भिंड): भिण्ड संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है जहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृति किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द किसानों के लिए काम कर रहे हैं, परंतु भिण्ड जिला केन्द्र पर कृषि विज्ञान का काम शुरू होने के बाद भी अभी तक भवन का काम पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार उक्त भवन को शीघ्र बनाने के निर्देश दें जिससे किसान उसका लाभ उठा सके।

(नौ) असम के सिल्चर स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भू-स्थानिक केन्द्र के कार्यालय को शिलांग स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर): टीएमएम जीडीसी के कार्यालय को सिल्चर से शिलांग ले जाने के लिये प्रयास शुरू हो गये हैं जिससे न केवल उस कार्यालय के कर्मचारी बल्कि उस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले बराक वैली, मणिपुरम, मिजोरम और त्रिपुरा के लोग भी इस सुविधा से वंचित होंगे।

यह कार्यालय अत्यंत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है और सरकार एवं लोगों को आवश्यक सेवाएं दे रहा है।

मैं सिल्चर का संसद सदस्य होने के नाते जोरदार मांग करता हूं कि टीएमएम जीडीसी कार्यालय को किसी भी स्थिति में अत्यंत नहीं ले जाया जाए और सिल्चर कार्यालय को हर हाल में बनाये रखा जाए।

(दस) राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रतनगढ़-सरदारशहर रेलवे लाइन के पश्चिम में नए भवन और रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): उत्तर-पश्चिम रेलवे के रतनगढ़-सरदारशहर रेल लाइन का आमान परिवर्तन होने जा रहा है, इसी लाइन पर दुलरासर रेलवे स्टेशन है, जो वर्तमान में रेल लाइन के पूर्व साइड में बना हुआ है। दुलरासर एक बहुत बड़ा गांव है, जो रेल लाइन के पश्चिम में आबाद है। इसके अतिरिक्त 10 बड़े-बड़े गांवों के यात्रियों का भी उक्त स्टेशन पर आना-जाना रहता है। उक्त स्टोशन के पास रेल लाइन उपरी पुल, रेल अण्डर पास व अन्य कोई समपार नहीं होने के कारण स्टेशन पर जाने के लिए इन्हें अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना पड़ रहा है। यह कार्य गैर-कानूरी तो है ही यात्रियों के जीवन को खतरा भी बना रहता है। एक तरफ तो रेलवे सुरक्षा की बात कर रही है, दूसरी तरफ इस क्षेत्र की जनता पिछले सौ वर्षो से बिना लेवन क्रॉसिंग के रेल लाइन को पार कर रेलवे स्टेशन पर जा रही है, अब आमान परिवर्तन के कारण रेलवे को नए स्टेशन का निर्माण करना है। ग्रामवासियों की मांग है कि उक्त नए भवन का निर्माण वर्तमान रेल लाइन के पश्चिम साइड में गांव की तरफ किया जाए अगर इस समय भी यह मांग पूरी नहीं हो सकेगी तो हमेशा के लिए ग्रामवासियों के समक्ष यह संकट बना रहेगा। हनुमानगढ़ रेल खण्ड का भी आमान परिवर्तन होने जा रहा है, भादरा के पास कलाना स्टेशन को 5-6 वर्ष पूर्व हाल्ट स्टेशन बना दिया गया। महत्त्वपूर्ण स्टेशन है जो लगभग 90 वर्ष तक स्टेशन रहा है। इस क्षेत्र के यात्री देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, आमान परिवर्तन के पश्चात् यहां से आने-जाने वाली यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अत: जनता की मांग एवं इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए दुलरासर रेलवे स्टेशन के नए भवन एवं प्लेटफार्म का निर्माण रेल लाइन के पश्चिम में किया जाए एवं कालाना स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चौकीदारयुक्त रेलवे समपारों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में कुण्डा विधान सभी अंतर्गत रेलवे लाइन के किनारे बसे दर्जनों गांवों के लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है। लोगों के आवगमन से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस जनहित के कार्य को देखते हुए निम्नलिखित गांवों के सामने रेलवे क्रॉसिंग फाटक एवं दोनों तरफ रोड का निर्माण कराने हेतु प्राक्कलन बनवाकर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का कष्ट करें जोकि निम्नवत है:

1. सई पनाहनगर (चकादर अली)
2. जिरवा की बाग (कियावां)
3. करन अली का पुरवा (चौका)
4. मीरा का पुरवा (विसहिया)।

(बारह) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन राशि की पुनरीक्षा करने तथा वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): पेंशन योजना 1995 के सदस्य योजना द्वारा दिए गए न्यूनतम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। इस पेंशन को महंगाई संरक्षित नहीं किया गया है। इसका असली मूल्य महंगाई की वजह से घट रहा है। वर्ष 2009 में कुल 32 लाख 46 हजार पेंशनर थे। उन्हें 90 से 1700 रूपये तक प्रतिमाह पेंशन मिल रही थी। पेंशन योजना के सदस्य इससे बहुत पीड़ित हैं। इसके निराकरण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया लेकिन समिति की रिपोर्ट में काफी मतभेद थे इसलिए पेंशनरों को कोई न्याय नहीं मिला।

संसदीय श्रम एवं रोजगार संबंधी स्थायी समिति ने पेंशन योजना के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें पेंशन फंड में केन्द्र सरकार के अंश की दर बढ़ाए जाने की सिफारिश के साथ ही कुछ साथ ही कुछ और अन्य सिफारिशें भी की गई हैं। आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन सिफारिशों को लागू किया जाए। वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजना 1995 पर पुन: विचार किया जाए और पेंशनधारियों की मांगों को ध्यान में रखकर पेंशन को कम से कम 7500 रूपये की दर से प्रतिमाह पेंशन दी जाए जिससे पेंशन योजना के सदस्यों को न्याय मिल सके तथा सुधार करने से पहले महंगाई भत्ते को संलग्न कर प्रतिमाह 2500 रूपये अंतरिम पेंशन देकर सभी पेंशनरों को राहत दी जाए।

मैं केन्द्र सरकार से कुछ अन्य मांगों को पूरा करने का अनुरोध करती हूं:

अवस्थापना बंद होने के कारण सेवा पूरी न कर पाने वाले पेंशन धारकों को 50 साल की उम्र में 100 प्रतिशत दर से पेंशन देने की मांग पूरी की जाए। पेंशन योजना पुनर्निरीक्षण कर पेंशनरों को उचित लाभ दिया जाए तथा मालिक और सरकार के अंश के लिए 6500 रूपये की वेतन सीमा हटाई जाए। पेंशन योजना लागू करने के लिए निजी क्षेत्रों में 20 और सहकारी क्षेत्रों में 50 न्यूनतम कर्मचारी संख्या का नियम रद्द किया जाए तथा पारिवारिक पेंशन स्कीम 1972 की कुल राशि पेंशन योजना 1995 में जमा की गई है परंतु पेंशन सदस्यों को इसका को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया है। अत: इसका लाभ सभी पेंशनरों को दिया जाए।

(तेरह) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रायगिरि में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. लिंगम (तेनकासी): रायगिरी एक पंचायत टाउन है जो मेरे तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वासुदेव नल्लूर विधानसभा क्षेत्र में आता है जिसके अंतर्गत अनेक छोटे एवं दूरदराज के गांव आते हैं जहां हजारों ग्रामीण रहते है जो स्वयं सहायता प्राप्त उद्यमी हैं, स्व सहायता समूहों के माध्यम से कार्य करते हैं, कृषक, कृषि मजदूर एवं ग्रामीण शिल्पकार हैं। वहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई शाखा नहीं है। लोगों को बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये कई किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि वहां रहने वाले लोगों को कृषि ऋण, शिक्षा ऋण एवं अन्य बैंकिंग सेवायें एवं सुविधायें नहीं मिलती हैं इसलिये यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने और इस टाउन पंचायत के आस-पास सामाजिक-आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने के लिये हस्तक्षेप करे।

(चौदह) पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): जुलाई 2012 के तीसरे सप्ताह से बोडोलैंड एवं इससे लगे जिले धुबरी में बोडो जनजातीय लोगों एवं अन्य स्थानीय भारतीय आबादी के ऊपर अवैध बांग्लादेशी उत्प्रवासियों द्वारा नृशंस एवं क्रूर आक्रमण किये जाने के बाद उत्पन्न समग्र कठिन सामाजिक-आर्थक संजातीय-राजनीतिक एवं मानव अधिकारों तथा सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी स्थितियों एवं परिस्थितियों से बोडोलैंड क्षेत्र सहित पूरे निचले असम में अवांछित अशांति एवं पैदा हो रही समस्या के स्थायी एवं सम्मानजनक राजनीतिक समाधान ढूंढने की अत्यावश्यकता ने केन्द्र सरकार की तरफ से अविलम्ब सक्रिय एवं सकारात्मक उपाय एवं कार्रवाई की मांग की है। पूरा देश इस सच से अवगत है कि न केवल स्वदेशीय बोडो-जनजातीय लोग और बोडोलैंड एवं धुबरी जिले के अन्य स्थायी स्थानीय लोग अवैध बांग्लादेशी उत्पवासियों के शत्रुतापूर्ण एवं अमानवीय आक्रमण के शिकार हुये हैं बल्कि पूर्वोत्तर राजयों के निर्दोष एवं शांतिप्रिय लोग जो दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में अध्ययन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं एवं बड़े शहरों में रह रहे हैं वे भी अत्यंत पीड़ित हुए हैं जो अपने राज्यों से सामूहिक रूप से निकल कर चले गये हैं। मौजूदा बोडो-लैंड राज्यक्षेत्र परिषद प्रशासन के पास पुलिस नियंत्रण, कानून एवं स्वास्थ्य बनाये रखने की कोई शक्ति नहीं हैं और इसके कारण स्वदेशी बोडोलैंड-जनजातीय एवं स्थानीय राजबंगशी अपने घर एवं भूमि पर बेसहारे की तरह जुलाई 2012 के तीसरे सप्ताह से अवैध बांग्लादेशी उत्प्रवासियों के क्रूर एवं नृशंस आक्रमण का सामना कर रहे हैं।

असम के बोडोलैंड के भीतर एवं बाहर रहने वाले स्वदेशीय बोडो जनजातीय लोगों की भूमि एवं पैतृक क्षेत्र एवं साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को अवैध बांग्लादेशी उत्प्रवासियों एवं अनधिकृत रूप से रहने वाले बाहरी लोगों ने इसके बावजूद हथिया लिया है कि असम लैंड एण्ड रेवन्यू रेगुलेशन, 1889 (1947 में संशोधित) के अध्याय दस के अधीन उपबंध मौजूदा हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशक के बाद भी 1947 से विभिन्न जिलों में जनजातीय क्षेत्रों एवं खण्डों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ही ऐसी स्थिति विद्यमान है।

बीटीएडी के भीतर एवं बाहर उपर्युक्त भयानक परिस्थितियों के कारण ही स्वदेशीय बोडो जनजातीय लोगों एवं ऐसे ही अन्य लोगों के अस्तित्व, सुरक्षा एवं संरक्षा और समग्र विकास का प्रश्न तथा उनकी विशिष्ट संजातीय सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा अत्यंत असंभव एवं अल्पनीय हो गई है।

इसलिये मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि आदिवासी बोडो जनजातीय लोगों एवं अन्य देशी लोगों के समूह को भारत संघ के अंदर समान गरिमा एवं सम्मान एवं देश के शेष भागों की तरह अपनी विशिष्ट संजातीय निज पहचान के साथ रहने एवं अपनी प्रतिभा के बल पर समृद्ध होने में सक्षम बनाने के लिये मौजूदा बीटीएडी से युक्त असम राज्य एवं उत्तरी बम्हपुत्र घाटी से लगे अन्य राज्य क्षेत्रों को मिलाते हुये बहुप्रतीक्षित अलग बोडोलैंड राज्य के गठन की प्रक्रिा शुरू करने हेतु उपयुक्त कदम उठाये।

अपराह्न 12.08 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदनों से संबंधित प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 31, श्री एस. सेम्मलई।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा क्रमश: 23 अगस्त और 30 अगस्त, 2012 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदनें से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 29वें प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा क्रमश: 23 अगस्त और 30 अगस्त, 2012 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदनों से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 29वें प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: वंदे मातरम् के लिए कृपया आप पीछे अपनी सीटों पर जाइए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री एम. आनंदन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।

अपराह्न 12.09$^{1}/_{2}$ बजे

राष्ट्र गीत

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री पशुपति नाथ सिंह श्रीमती इन्ग्रिड मेक्लोड	385
2.	श्री मधु गौड यास्खी श्री गजानन ध. बाबर	386
3.	श्री जे.एम. आरुन रशीद श्री सुरेश कलमाडी	387
4.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	388
5.	श्री एम.बी. राजेश	389
6.	श्री राधो मोहन सिंह	390
7.	श्री के.पी. धनपालन श्री नीरज शेखर	391
8.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्रीमती सुप्रिया सुले	392
9.	श्रीमती श्रुति चौधरी श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	393
10.	श्री निशिकांत दुबे	394
11.	श्री प्रदीप माझी श्री प्रेमदास राय	395
12.	श्री धनंजय सिंह श्री अनुराग सिंह ठाकुर	396
13.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	397
14.	श्री के. सुगुमार श्री धर्मेन्द्र यादव	398
15.	श्री दत्ता मेघे श्री ओम प्रकाश यादव	399
16.	राजकुमारी रत्ना सिंह श्रीमती रमा देवी	400
17.	श्री एस. सेम्मलई	401
18.	श्री रमेश बैश श्री गोपीनाथ मुंडे	402
19.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	403
20.	श्री अधीर चौधरी श्री विश्व मोहन कुमार	404

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साईं प्रताप	4554
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	4405, 4499
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4389, 4508, 4562, 4562
4.	श्री आनंदराव अडसुल	4562
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	4467, 4534
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4465
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	4383, 4475, 4507, 4540
8.	श्री एम. आनंदन	4500
9.	श्री अनंत कुमार	4487
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	4493
11.	श्री अशोक अर्गल	4397
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	4438, 4568
13.	श्री गजानन ध. बाबर	4562
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	4557
15.	श्री कामेश्वर बैठा	4398, 4466, 4559
16.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	4446
17.	श्री कुवंरजीभाई मोहनभाई बावलिया	4485
18.	श्री अवतार सिंह भडाना	4418
19.	श्री सुदर्शन भगत	4442, 4466, 4564, 4565
20.	श्री ताराचंद भगोरा	4408, 4440, 4500, 4526, 4596
21.	श्री संजय भोई	4455, 4526
22.	श्री समीर भुजबल	4382, 4560

1	2	3
23.	श्री हेमानंद बिसवाल	4458
24.	श्री सी. शिवासामी	4406, 4528, 4554
25.	श्री हरीश चौधरी	4465
26.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	4567
27.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	4485, 4486
28.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4489
29.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	4459, 4496
30.	श्री भूदेव चौधरी	4453, 4552
31.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4505
32.	श्री अधीर चौधरी	4549
33.	श्री भक्त चरण दास	4427
34.	श्री खगेन दास	4537, 4592
35.	श्री गुरुदास दासगुप्त	4596
36.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	4420
37.	श्री कालीकेश नारायण सिंह	4478, 4567, 4567
38.	श्री के.डी. देशमुख	4491
39.	श्रीमती अश्वमेध देवी	4431
40.	श्री के.पी. धनपालन	4506
41.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	4457,4539, 4560
42.	श्री चार्ल्स डिएस	4495
43.	डॉ. रामचन्द्र डोम	4388
44.	श्री निशिकांत दुबे	4556
45.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	4424
46.	श्रीमती प्रिया दत्त	4404
47.	श्री निनोंग ईरींग	4600
48.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	4430, 4527
49.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	4418

1	2	3
50.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	4455, 4473, 4526
51.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	4459
52.	श्रीमती मेनका गांधी	4483, 4576
53.	श्री वरुण गांधी	4432, 4545
54.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	4386, 4408, 4491, 4551
55.	श्री ए. गणेशमूर्ति	4392, 4473, 4496
56.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	4485
57.	श्री एल. राजगोपाल	4552
58.	श्री शिवराम गौडा	4467
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4463, 4530
60.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	4425
61.	श्री महेश्वर हजारी	4466, 4559
62.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	4416, 4548, 4578
63.	श्री प्रतावराव गणपतराव जाधव	4465, 4595
64.	श्री बलीराम जाधव	4494
65.	डॉ. संजय जायसवाल	4420, 4542
66.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4454, 4595
67.	श्री बद्रीराम जाखड़	4381, 4497
68.	श्री नवीन जिन्दल	4488, 4573, 4579
69.	श्री प्रहलाद जोशी	4443, 4528
70.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	4552
71.	श्रीमती कैसर जहां	4411
72.	श्री सुरेश कलमाडी	4573
73.	श्री पी. करुणाकरन	4450
74.	श्री कपिल मुनि करवारिया	4486, 4577
75.	श्री लालचंद कटारिया	4475
76.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	4477, 4486, 4569

1	2	3
77.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4481, 4562, 4562
78.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	4456
79.	श्री मधु कोडा	4459
80.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4407, 4548
81.	श्री अजय कुमार	4436
82.	श्री पी. कुमार	4390, 4541, 4599
83.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	4462
84.	श्री यशवंत लागुरी	4433, 4447, 4454, 4566, 4575
85.	श्री सुखदेव सिंह	4554
86.	श्री पी. लिंगम	4596
87.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4396, 4443, 4502, 4515
88.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4423, 4585
89.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	4581, 4587
90.	श्री नरहरि महतो	4372, 4497, 4580, 4584
91.	श्री भर्तृहरि महताब	4378, 4588
92.	श्री प्रदीप माझी	4457, 4536, 4550
93.	श्री मंगनी लाल मंडल	4502
94.	श्री जोस के. मणि	4419
95.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4441, 4506, 4554, 4582
96.	श्री महाबल मिश्रा	4449
97.	श्री सोमेन मित्रा	4443, 4583
98.	श्री विलास मुत्तेमवार	4472, 4561
99.	श्री पी. बलराम नायक	4379, 4396, 4504
100.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4555
101.	श्री नारनभाई कछाड़िया	4457, 4502
102.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	4490
103.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	4377, 4510
104.	श्री पी.आर. नटराजन	4533, 4589
105.	श्री वैजयंत पांडा	4501, 4586
106.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4371, 4428
107.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4417, 4565
108.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	4455, 4526
109.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	4558
110.	श्री देवजी एम. पटेल	4530
111.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4525
112.	श्री किसनभाई वी. पटेल	4457, 4536, 4550
113.	श्री ए.टी. नाना पाटील	4468
114.	श्री सी.आर. पाटिल	4421, 4563, 4563
115.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	4555, 4526
116.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4473, 4595
117.	श्री नित्यानंद प्रधान	4469, 459
118.	श्री प्रेमचंद गुड्डू	4470
119.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4448, 4478
120.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	4373
121.	श्री अब्दुल रहमान	4400, 4463, 4498, 4527, 4596
122.	श्री प्रेमदास दाय राय	4532, 4547
123.	श्री सी. राजेन्द्रन	4466
124.	श्री एम.बी. राजेश	4556
125.	श्री पूर्णमासी राम	4402, 4518
126.	श्री रामकिशुन	4374, 4459, 4581

1	2	3
127.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	4418, 4553
128.	श्री रामसिंह राठवा	4482
129.	डॉ. रत्ना डे	4414
130.	श्री अर्जुन राय	4554
131.	श्री विष्णु पद राय	4476, 4464, 4564
132.	श्री रूद्रमाधव राय	4428, 4558, 4570, 4598
133.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4558
134.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	4554
135.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	4391, 4509, 4594
136.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	4372, 4497, 4580, 4584
137.	श्री एस. अलागिरी	4595
138.	श्री एस. पक्कीरप्पा	4376, 4515, 4519
139.	श्री एस.आर. जेयदुरई	4463, 4473, 4530
140.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4394, 4512
141.	डॉ. अनूप कुमार साहा	4475
142.	श्रीमती सुशीला सरोज	4466, 4559
143.	श्री सर्वे सत्यनारायण	4380, 4517, 4557
144.	श्री हमदुल्लाह सईद	4444, 4553
145.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	4499
146.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	4455
147.	श्री नीरज शेखर	4408, 4574
148.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	4479
149.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	4384, 4508, 4514
150.	श्री राजू शेट्टी	4401
151.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4399
152.	डॉ. भोला सिंह	4461, 4597
153.	श्री इज्यराज सिंह	4540
154.	श्री जगदानंद सिंह	4426, 4553
155.	श्री महाबली सिंह	4431, 4452, 4590
156.	श्रीमती मीना सिंह	4451, 4572
157.	श्री मुरारी लाल सिंह	4470
158.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4552
159.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	4445, 4593
160.	श्री रतन सिंह	4595
161.	श्री रवनीत सिंह	4521, 4527
162.	श्री सुशील कुमार सिंह	4412, 4523, 4552
163.	श्री उदय सिंह	4474
164.	श्री यशवीर सिंह	4408, 4464, 4531
165.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4492
166.	राजकुमारी रत्ना सिंह	4525
167.	श्री विजय बहादुर सिंह	4387
168.	डॉ. संजय सिंह	4525
169.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4413, 4524
170.	श्री के. सुधाकरण	4419
171.	श्री ई.जी. सुगावनम	4460, 4529
172.	श्री के. सुगुमार	4440, 4500, 4557
173.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4555
174.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	4400, 4437, 4463, 4473, 4596
175.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	4393, 4511, 4525
176.	श्री मानिक टैगोर	4403, 4544
177.	श्री लालजी टंडन	4422
178.	श्री अशोक तंवर	4395, 4513, 4567

1	2	3
179.	श्री बिभू प्रसाद तराई	4429
180.	श्री मनीष तिवारी	4408
181.	श्री जगदीश ठाकोर	4423
182.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	4459, 4513, 4520, 4530
183.	श्री आर. थामराईसेलवन	4400, 4503, 4516, 4554
184.	डॉ. एम. तम्बदुरई	4480, 4571
185.	डॉ. शशि थरूर	4535, 4546
186.	श्री पी.टी. थॉमस	4470
187.	श्री मनोहर तिरकी	4434, 4567, 4584
188.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4489, 4509
189.	श्री लक्ष्मण टुडु	4375, 4566
190.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	4466, 4559
191.	श्री हर्ष वर्धन	4554
192.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4433, 4447, 4575, 4595
193.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4410, 4492, 4538
194.	श्री सज्जन वर्मा	4471, 4527
195.	श्रीमती ऊषा वर्मा	4566, 4559
196.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4484, 4554
197.	श्री पी. विश्वनाथन	4535, 4591
198.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4409, 4522
199.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	4540
200.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4508, 4562
201.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	4492, 4538
202.	श्री ओम प्रकाश यादव	4558
203.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4429, 4459, 4485
204.	श्री मधुसूदन यादव	4405, 4415, 4419
205.	योगी आदित्यनाथ	4439, 4553

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	394, 401
विदेश	:	391
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	386, 387, 389, 390, 392, 399, 403
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	388
खान	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	398
प्रवासी भारतीय ऊर्जा	:	400
पंचायती राज	:	396
विद्युत	:	393, 402, 404
पर्यटन	:	395, 397
जनजातीय कार्ये	:	
महिला और बाल विकास	:	385

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4382, 4396, 4398, 4408, 4410, 4413, 4425, 4445, 4463, 4471, 4485, 4486, 4489, 4501, 4502, 4506, 4519, 4528, 4530, 4558, 4562, 4570, 4578, 4585, 4593, 4596, 4598, 4599
विदेश	:	4377, 4384, 4389, 4403, 4406, 4411, 4414, 4435, 4436, 4438, 4440, 4446, 4449, 4451, 4468, 4477, 4492, 4500, 4503, 4505, 4516, 4520, 4521, 4524, 4544, 4546, 4547, 4563, 4569, 4590
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4374, 4378, 4387, 4388, 4390, 4391, 4397, 4401, 4402, 4404, 4412, 4421, 4429, 4431, 4444, 4452, 4453, 4454, 4455,4459, 4462, 4465, 4466, 4467, 4470, 4475, 4479,4480, 4483, 4484, 4487, 4488, 4499, 4504, 4511, 4512, 4517,4518, 4523, 4525, 4526,, 4527, 4532, 4534, 4535, 4537, 4549, 4552, 4553, 4554, 4555, 4557, 4559, 4561, 4571, 4574, 4576, 4577, 4579, 4582, 4583, 4584, 4588, 4592, 4595, 4597, 4600
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	4371, 4497, 4507, 4536, 4538, 4567
खान	:	4373, 4375, 4415, 4416, 4428, 4430, 4461, 4472, 4482, 4509
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	4380, 4383, 4510, 4515, 4533, 4541, 4591
प्रवासी भारतीय कार्य	:	4379, 4437, 4439, 4441, 4450, 4529, 4565

पंचायती राज	:	4409, 4423, 4551, 4586
	:	4386, 4418, 4419, 4420 4424, 4427, 4434, 4456, 4460, 4464, 4469, 4491, 4493, 4494, 4498, 4508, 4514, 4531, 4542, 4581, 4594
विद्युत	:	4394, 4432, 4458, 4476, 4490, 4495, 4548, 4560, 4564, 4587
	:	4372, 4385, 4393, 4399, 4400, 4407, 4433, 4447, 4457, 4478, 4513, 4539, 4543, 4545, 4566, 4568, 4575
पर्यटन	:	4376, 4381, 4392, 4395, 4405, 4417, 4422, 4426, 4442, 4443, 4448, 4473, 4474, 4481, 4496, 4522, 4540, 4550, 4556, 4572, 4573, 4580, 4589

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।